NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 5, अंक 13

शुक्रवार, 10 मार्च, 2000
20 फाल्गुन, 1921 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

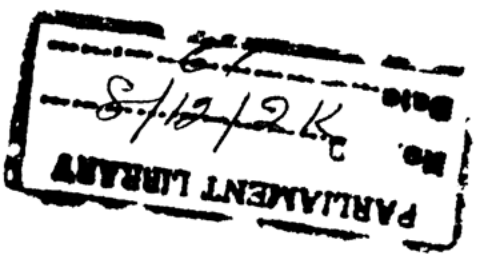

(खण्ड 5 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० बत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)]

अंक 13, शुक्रवार, 10 मार्च, 2000/20 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	221 और 240	2-33
अतारांकित प्रश्न संख्या	2370 से 2599	33-268
सभा पटल पर रखे गए पत्र		269-277
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन		277
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
पहला प्रतिवेदन		277
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति		
की गई कार्यवाही संबंधी पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन		277-278
सभा का कार्य		278-279
याचिका का प्रस्तुतीकरण		280
कार्य मंत्रणा समिति		
पांचवां प्रतिवेदन		280
अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी		
गुजरात सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने पर से प्रतिबंध हटाने वाले आदेश से संबंधित मामले पर अल्पकालिक चर्चा		289-292

लोक सभा

शुक्रवार, 10 मार्च, 2000/20 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 221, श्री माधवराव सिंधिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में एक एम०एल०ए० को एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है...*(व्यवधान)* एक केन्द्रीय मंत्री वहां बैठे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, यह सदस्यों को बेचने और खरीदने से संबंधित मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, आप प्रश्नकाल के बाद बोलिए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए, माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर बैठिए। श्री रामदास अठावले, कृपया अपने स्थान पर बैठें। यह सब क्या हो रहा है ? कृपया अपने स्थान पर बैठें। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप प्रश्नकाल के बाद बोलिए। आप क्वश्चयन आवर के बाद प्वांइट्स रेज कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर जाएं। कृपया प्रक्रिया समझिए। यह सब क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, एक करोड़ रुपया...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, क्या आपको क्वश्चयन आवर नहीं चाहिए ?...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष जी, यह हमारे देश की डैमोक्रेसी को किधर ले जा रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद आप इन सभी मुद्दों को उठा सकते हैं, अभी नहीं। पिछले 15 दिनों से आप प्रश्नकाल से वंचित हो रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री कमलनाथ : महोदय, समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें आई हैं कि विधायकों को खरीदा जा रहा है। यह केवल बिहार से ही जुड़ा मुद्दा नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रश्नकाल में व्यवधान नहीं डालने की अपील कर रहा हूं। आप शून्य काल में सभी मुद्दे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-221, श्री माधवराव सिंधिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूंगा। कृपया समझिए। श्री मुलायम सिंह, मैं आपको भी प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूंगा। श्री रामदास अठावले, कृपया अपने स्थान पर बैठें। यह सब क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप हर दिन प्रश्नकाल में व्यवधान डालना चाहते हैं ? क्या आपकी यह मंशा है ? श्री कमलनाथ यह क्या हो रहा है ? पिछले चौदह दिनों से आप प्रश्नकाल से वंचित हो रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रश्नकाल में कैसे व्यवधान डाल सकते हैं ?

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर विज्ञापन

*221. **श्री माधवराव सिंधिया :***
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार का ध्यान 'दि किलिंग स्क्रीन' शीर्षक से हाल ही में प्रकाशित यूनेस्को की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें बच्चों पर टी०वी० में दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चाकलेट, बिस्कुट, टाफियों, पोषक आहार जैसे बच्चों के लिए उत्पादों तथा अन्य शिशु उत्पादों के संबंध में दिखाए जाने वाले विज्ञापन भय और हिंसा से युक्त होते हैं;

(ग) अपराध और भय से युक्त विज्ञापनों से बाल और शिशु उत्पादों के मुक्त रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन तथा अन्य निजी और विदेशी चैनलों द्वारा दिए जाने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए नियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने हेतु कोई एजेंसी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जैटली) : (क) से (ङ) 1. सरकार को यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अध्ययन "दा किलिंग स्क्रीन-वायलेंस ऑन टेलीविजन एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन चिल्ड्रन" संबंधी रिपोर्ट की जानकारी है। यूनेस्को ने मीडिया पर हिंसा के बारे में 1996 तथा 1997 में एक विश्वव्यापी अध्ययन किया था और बाद में 1998 में यूनेस्को के नेतृत्व में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों का मानीटरिंग अध्ययन किया था। 'दा किलिंग स्क्रीन' रिपोर्ट में इन दोनों अध्ययनों के निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. रिपोर्ट में यह निष्कर्ष व्यक्त किया गया है कि आधुनिक मीडिया की प्राप्यता तथा मुख्य मूल्यों एवं अवस्थितियों के बीच गहरा संबंध है। इसमें यह निष्कर्ष भी व्यक्त किया गया है कि बच्चों में आक्रामक व्यवहार तथा अवबोधन, उनके द्वारा वास्तविक वातावरण में उनके अनुभव का आइना है। रिपोर्ट में, टेलीविजन कार्यक्रमों में हिंसा से बच्चों की मन:स्थिति एवं उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले विश्वव्यापी प्रतिकूल प्रभाव के प्रति चिन्ता प्रकट की गई है। रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया गया है कि केन्द्रीयकृत नियंत्रण तथा सेंसरशिप ज्यादा प्रभावी नहीं है और ये लोकतांत्रिक समाज के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसमें निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया गया है :

* राजनीतिज्ञों, निर्माताओं तथा अध्यापकों के बीच सामान्य आधारभूत विचार-विमर्श तथा सामान्य बहस हो।
* निर्माताओं के लिए व्यावसायिक आचार संहिता तथा स्व-अनुशासन का विकास किया जाए।
* सक्षम एवं समालोचक मीडिया उपभोक्ताओं की उपलब्धता के लिए मीडिया शिक्षण की नवीन पद्धति का विकास किया जाए।

3. भारत में अध्ययन से पता चला है कि टेलीविजन/मीडिया पर हिंसा का बहुआयामी प्रभाव हो सकता है। इसमें भारत में बच्चों तथा मीडिया के लिए विनियमों/मार्गनिर्देशों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। उक्त अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि निर्माता हिंसा से बच नहीं पाते क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को काफी अधिक दर्शकों द्वारा देखा जाता है और अच्छे उत्पादों या बच्चों के लिए उत्पादों के विज्ञापक भी अत्यधिक दर्शकों का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को प्रायोजित करने या विज्ञापनों के निर्माण को तैयार रहते हैं।

4. भारत में प्रसारण हेतु नियामक ढांचा कमजोर होने का कारण, नियामक प्रणाली की स्थापना हेतु किसी प्रसारण कानून का न होना है। टेलीविजन कार्यक्रम फिल्म सेंसर बोर्ड के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आते हैं। तथापि, स्थिति पूर्ण रूप से अनियमित नहीं है। दूरदर्शन पर विज्ञापनों को वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत से अपलिंक किए जाने वाले निजी उपग्रह चैनलों द्वारा भी सरकारी अनुमति की शर्तों के अन्तर्गत इसी संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अंतर्गत, भारत के बाहर से अपलिंक किए जाने वाले प्रच्छन्न उपग्रह चैनलों द्वारा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विज्ञापन संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। नियम-7 में उन विज्ञापनों का निषेध किया गया है जिनसे बच्चों की सुरक्षा को खतरा होता हो या जिनसे हानिकर कृत्यों के प्रति रुचि पैदा होती हो। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम की धारा-18 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारियों को विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों पर विचार करने का अधिकार है।

नशीली दवाओं और अन्य वस्तुओं की तस्करी

*222. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री पी०डी० एलानगोवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं और सोने की तस्करी, देह-व्यापार और जाली करेंसी का प्रवाह देश में खासतौर से भारत-नेपाल सीमा पर 1994 से कई गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में गिरफ्तार किए गए तस्करों और सरकारी अधिकारियों जिसमें सेना/वायु सेना/नौसेना के भूतपूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं, की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों से अक्तूबर, 1999 से फरवरी, 2000 के बीच की अवधि के दौरान भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की है;

(ङ) यदि हां, तो तारीख, स्थान, जब्त की गई हेरोइन की मात्रा और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान जब्त हेरोइन की सबसे अधिक मात्रा में पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी मिली है; और

(छ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से इस मामले को उठाने के लिए तथा देश में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1997 से 1999 तक के दौरान सोने, स्वापक औषधि तथा अन्य निषिद्ध सामानों की तस्करी के संबंध में 8 सरकारी तथा 2 बैंक कर्मचारियों सहित 1531 लोगों को गिरफ्तार किया था। एन०सी०बी० द्वारा समेकित सूचना के अनुसार विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विगत तीन वर्षों अर्थात् 1997 से 1999 तक की अवधि के दौरान एन०डी०पी०एस० अधिनियम, 1985 के अंतर्गत नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में 5 सरकारी कर्मचारियों सहित 39,960 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने एन०सी०बी० को बताया है। कि उन्होंने हशीश के अभिग्रहण के संबंध में 4 फरवरी, 2000 को भारतीय वायु सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी तथा उसकी पुत्री को गिरफ्तार किया है। जांच-पड़ताल को पूरा करने के बाद तथा कानून की उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इन सभी मामलों में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और/अथवा एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 के अंतर्गत अभियोजन शुरू करने तथा अभिगृहीत सामानों/नशीले पदार्थों की जब्ती के लिए संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) देश में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अक्तूबर, 1999 और फरवरी, 2000 के बीच 66 मामलों में 388,565 किलोग्राम हेरोइन का अभिग्रहण किया गया है।

(ङ) इन मामलों के अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की दिल्ली जोनल इकाई के अधिकारियों द्वारा 21/22-12-1999 की मध्य रात्रि को ऊपर (घ) में उल्लिखित अवधि में हेरोइन का सबसे बड़ा अभिग्रहण किया गया जब उन्होंने दिल्ली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर एक ट्रक को पकड़ा, और कुल मिलाकर 77 किलोग्राम हेरोइन के एक-एक किलोग्राम के 77 पैकेट बरामद किए गए। इन पैकेटों पर पाकिस्तानी मार्का अंकित था जिससे यह पता चला कि हेरोइन पाकिस्तानी मूल की थी। इस संबंध में कुल मिलाकर 8 व्यक्तियों (3 अफगानिस्तानी, 2 पाकिस्तानी और 3 भारतीय) को गिरफ्तार किया गया था।

(छ) इस मामले को अभी तक पाकिस्तानी सरकार के साथ नहीं उठाया गया है क्योंकि इसकी अभी जांच की जा रही है। तथापि नशीले पदार्थों के कानून प्रवर्तन से जुड़ी सभी प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क हैं और देश में स्वापकों को तस्करी का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए उपाय कर रही हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ निरपवाद रूप से ऐसी अर्थदंड कार्रवाई की जा रही है जिसकी एन०डी०पी०एस० ऐक्ट, 1985 में विशेष रूप से व्यवस्था है।

विवरण

देश में अक्तूबर, 1999 से फरवरी, 2000 के बीच हेरोइन के अभिग्रहणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	अभिग्रहण की तारीख	अभिग्रहण का स्थान	अभिगृहीत हेरोइन की मात्रा (कि०ग्रा० में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	2.10.99	मुंबई	0.800	1
2.	अक्तूबर, 99	श्रीनगर	1.570	6
3.	7.10.99	मुंबई	1.500	1
4.	11.10.99	मध्य प्रदेश	1.000	2
5.	11.10.99	तमिलनाडु	9.935	1
6.	14.10.99	उत्तर प्रदेश	0.500	1
7.	20.10.99	मध्य प्रदेश	0.500	1
8.	21.10.99	तमिलनाडु	52.840	4
9.	25.10.99	त्रिवेन्द्रम	0.510	2
10.	30.10.99	महाराष्ट्र	3.210	1
11.	30.10.99	मध्य प्रदेश	1.200	1
12.	7.11.99	दिल्ली	0.866	1
13.	8.11.99	पंजाब	0.056	4
14.	10.11.99	महाराष्ट्र	4.750	1
15.	18.11.99	कलकत्ता	0.400	2
16.	18.11.99	कलकत्ता	0.340	1
17.	22.11.99	अहमदाबाद	4.423	1
18.	28.11.99	दिल्ली	32.500	2
19.	1.12.99	मध्य प्रदेश	0.700	1
20.	1.12.99	पंजाब	0.224	18
21.	5.12.99	मणिपुर	0.900	4
22.	7.12.99	जोधपुर	35.300	2
23.	8.12.99	मध्य प्रदेश	0.420	2
24.	9.12.99	कलकत्ता	0.220	1
25.	9.12.99	मणिपुर	0.998	1

1	2	3	4	5
26.	13.12.99	चेन्नई	29.355	7
27.	14.12.99	महाराष्ट्र	5.050	2
28.	21.12.99	मिजोरम	0.191	1
29.	21.12.99	दिल्ली	77.000	8
30.	28.12.99	राजस्थान	3.500	2
31.	29.12.99	राजस्थान	0.320	1
32.	30.12.99	उत्तर प्रदेश	0.450	1
33.	दिसंबर, 99	श्रीनगर	1.570	6
34.	2.1.200	गोवा	1.065	4
35.	2.1.2000	मुंबई	13.600	1
36.	6.1.2000	कलकत्ता	1.500	3
37.	8.1.2000	चंडीगढ़	8.000	3
38.	10.1.2000	उत्तर प्रदेश	0.155	2
39.	11.1.2000	दिल्ली	0.866	1
40.	12.1.2000	बिहार	1.800	1
41.	14.1.2000	मुंबई	11.550	3
42.	17.1.2000	चेन्नई	10.230	3
43.	18.1.2000	दिल्ली	2.000	2
44.	19.1.2000	मध्य प्रदेश	0.500	1
45.	21.1.2000	पश्चिम बंगाल	0.300	1
46.	22.1.2000	गुजरात	0.463	3
47.	28.1.2000	दिल्ली	0.874	1
48.	28.1.2000	दिल्ली	0.993	1
49.	28.1.2000	दिल्ली	0.620	1
50.	28.1.2000	दिल्ली	0.018	1
51.	28.1.2000	दिल्ली	0.286	1
52.	28.1.2000	दिल्ली	0.902	1
53.	28.1.2000	दिल्ली	0.812	1
54.	28.1.2000	दिल्ली	0.904	1
55.	28.1.2000	दिल्ली	0.895	1
56.	28.1.2000	दिल्ली	0.936	1
57.	28.1.2000	दिल्ली	0.565	1
58.	28.1.2000	दिल्ली	0.975	1
59.	28.1.2000	दिल्ली	0.931	1
60.	1.2.2000	दिल्ली	1.000	2
61.	3.2.2000	मुंबई	1.800	4
62.	7.2.2000	मुंबई	0.546	—
63.	9.2.2000	तमिलनाडु	5.095	—
64.	11.2.2000	त्रिवेन्द्रम	0.169	1
65.	18.2.2000	मुंबई	5.617	2
66.	21.2.2000	चेन्नई	39.500	3
	जोड़ :		388.565	143

कोयला-क्षेत्र पुनर्वास परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता

*223. श्री वसुदेव आचार्य : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी०एल०आर०पी०) के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई०बी०आर०डी०) में 530 मिलियन डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक और कोल इंडिया लि०/भारत सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कोयले के मूल्य उसके वितरण को विनियंत्रित करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त सी०एस०आर०पी० ऋण के अंतर्गत प्रस्तावित समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड लि० और भारत कोकिंग कोल लि० के बारे में समझौते को खंडों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) जी हां। कोल इंडिया लि० तथा आई०बी० आर०डी० के बीच 530 मिलियन डॉलर के ऋण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) कोल इंडिया लि० तथा आई०बी०आर०डी० के बीच ऋण समझौते में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तथा कोयला कीमत और वितरण एवं विनियमन पर कोई प्रसंविदा नहीं है।

(ग) आई०बी०आर०डी० तथा कोल इंडियल लि० के बीच सी०एस०आर०पी० ऋण समझौते में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० से संबंधित खंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ

ऋण को कुल पूंजीकरण अनुपात और इन दोनों कंपनियों के ऋण परिशोधन राशि अनुपात को संशोधित तथा नियंत्रित करने का प्रावधान है।

बड़े व्यापारिक घरानों के विरुद्ध बकाया आयकर

*224. **श्री सुनील खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों से दिल्ली क्षेत्र में बड़े व्यापारिक घरानों के विरुद्ध करोड़ों रुपये की राशि आयकर के रूप में बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयकर प्राधिकारियों द्वारा उक्त धनराशि की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने बकाया आयकर की शीघ्र वसूली हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनञ्जय कुमार) : (क) से (घ)

क्र० सं०	नाम	बकाया धन राशि (करोड़ रु० में)	वसूली न किए जाने के कारण	वसूली के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स अलंकार हाऊसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, प्रा०लि०	2.01	यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक के पास लंबित है।	यह मामला न्यायाधीन है।
2.	मैसर्स एलनबरी एंड कंपनी (प्रा०) लि०	1.48	मांग को बट्टे खाते में डालने के लिए इस मामले पर कार्रवाई की गई है।	
3.	मैसर्स भारत यूनियन एजेंसिज (प्रा०) लि०	1.93	मांग को बट्टे खाते में डालने के लिए इस मामले पर कार्रवाई की गई है।	
4.	मैसर्स कान्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लि०	16.12	कंपनी की माली हालत दयनीय है। इराक में कर-निर्धारितियों की अपनी निधियों के 134 करोड़ रु० से अधिक की राशि बैंकों में फंसी पड़ी है और इराक पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के कारण उन्हें भारत वापस नहीं लाया जा सकता।	कर मांग पूरी तरह से वसूल कर ली गई है। बकाया मांग धारा 220 के अधीन ब्याज से संबंधित है जिसके लिए कर-निर्धारिती द्वारा 50 लाख रु० की त्रैमासिक किस्त अदा की जा रही है।
5.	मैसर्स डालमिया जैन एक्सचेंज लि०	1.30	मांग को बट्टे खाते में डालने के लिए इस मामले पर कार्रवाई की गई।	
6.	मैसर्स धर्म सिंह राम सिंह मोटर्स (प्रा०) लि०	1.42	कंपनी परिसमापन के अधीन है।	कंपनी की संपत्ति के किराये की कुर्की कर ली गई है।
7.	मैसर्स दीओर इन्टरनेशनल (प्रा०) लि०	4.48	मांग बी०आई०एफ०आर० द्वारा स्थगित कर दी गई है।	बी०आई०एफ०आर० के स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए वसूली नहीं की जा सकती है।
8.	मैसर्स गनेश फलोर मिल्स	4.73	इस कंपनी का वर्ष 1984 में संसद के अधिनियम द्वारा अधिग्रहण किया गया है। भुगतान, आयुक्त, भुगतान से प्राप्त किए जाने हैं जिन्होंने मांग के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के लिए 1.1 करोड़ रु० के भुगतान के लिए आग्रह किया है।	3.83 करोड़ रु० की बकाया मांग को बट्टे खाते में डालने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है।
9.	मैसर्स जनरल एक्सपोर्ट्स एंड क्रेडिट लि०	1.42	यह मांग अपीलीय कार्रवाईयों में विवाद-ग्रस्त है।	यह मांग अपील के निपटान होने तक स्थगित कर दी गई है।

1	2	3	4	5
10.	मैसर्स कपरी इंटरनेशनल (प्रा०) लि०	1.22	यह कंपनी परिसमापन के अधीन है।	सरकारी परिसमापक के माध्यम से 1 लाख रु० की वसूली कर ली गई है।
11.	मैसर्स पर्ल साइकिल	1.51	मांग को बट्टे खाते में डालने हेतु इस मामले पर कार्रवाई की गई।	
12.	मैसर्स उषा माइको प्रोसेस कंट्रोल्स लि०	1.28	यह मामला बी०आई०एफ०आर० के समक्ष है।	बी०आई०एफ०आर० के समक्ष इस मामले के लंबित रहने के दौरान मांग की वसूली नहीं की जा सकती।
13.	मैसर्स उषा स्ट्डस एंड एग्रीकल्चर्स फामर्स (प्रा०) लि०	2.63	यह मामला समझौता आयोग के समक्ष है।	समझौता आयोग के समक्ष इस मामले के लंबित रहने के दौरान मांग की वसूली नहीं की जा सकती।
		41.53 करोड़ रुपये		

बैंक ऋण चूककर्ता

*225. **श्री शिवाजी माने :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने बैंक ऋणों के चूककर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) बैंकों द्वारा ऐसे चूककर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने में क्या कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं जिन्होंने जानबूझकर बैंक के ऋणों का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे जानबूझकर चूक करने वालों के नाम सार्वजनिक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जानबूझकर चूक करने वाले उधारकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करने की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुरोध प्राप्त हुआ था। विभिन्न मंत्रालयों के अधीन यथा उपबंधित परिस्थितियों को छोड़कर, प्रचलित बैंकिंग कानूनों के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के नाम प्रकट करने की अनुमति नहीं है। तथापि, उन चूककर्ताओं के नाम प्रकट करने पर कोई रोक नहीं है, जिनके खिलाफ मुकदमें दायर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय विश्वव्यापी नीतिशास्त्र के विधिवत स्थापित उन सिद्धांतों के अनुरूप है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के बैंकिंग कारबार की स्थिति प्रकट नहीं करेगा। ग्राहकों के बैंकिंग कारबार से संबंधित गोपनीयता की बाध्यता, अंतर्निहित संविदा पर आधारित है, जिसे स्वीकार किया गया है और विधिवत मान्यता प्रदान की गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उन उधारकर्ताओं (कुल 1 करोड़ रुपये और इससे अधिक की बकाया राशियों वाले) की सूची प्रकाशित करता है, जिनके खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी देयराशियों की वसूली के लिए मुकदमें दायर किए गए हैं। 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार मुकदमा दायर खातों की सूची संसद के पुस्तकालय में रखी गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट एचटीटीपी०/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू० आरबी आई० ओआरजी० आईएन० पर भी उपलब्ध है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्य-निष्पादन

*226. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों और उन लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राप्त करने की दृष्टि से उनके कार्यनिष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार और सरकारी उपक्रमवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए बनाई गई नई रणनीतियों और विश्वव्यापी-स्पर्धा के अनुरूप कार्य न कर रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन करने/उसे सुदृढ़ बनाने संबंधी कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निरंतर रुग्ण बने रहने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही और वर्ष 2000-2001 में उपक्रमवार कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) और (ख) प्रशासनिक मंत्रालय सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा नियमित अंतराल पर करते हैं। कार्य-निष्पादन समीक्षा समझौता ज्ञापन प्रणाली प्रक्रिया का भी एक भाग है। लोक उद्यम सर्वेक्षण में भी सरकारी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। समझौता ज्ञापन प्रणाली की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में समीक्षा के परिणामों का वर्णन किया जाता है। ये सतत प्रक्रियाएं हैं। उक्त सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद के सभा पटल पर रखा जाता है और यह एक प्रकाशित दस्तावेज है।

(ग) और (घ) सरकार ने सरकारी एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने तथा उन्हें विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विविध उद्यम सापेक्ष उपाय किए हैं। इनमें शक्तियों का अधिक प्रत्यायोजन, प्रबंधनों का व्यावसायीकरण, संयुक्त उद्यमों का प्रवर्तन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, पूंजीगत एवं संगठनात्मक पुनर्गठन आदि शामिल हैं।

साथ ही, रुग्ण कंपनियों में रुग्णता के रुख को बदलने और उनके पुनरुद्धार के लिए उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार निरंतर उपाय किए जाते हैं। बी०आई०एफ०आर० अपने यहां पंजीकृत रुग्ण उद्यमों के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उपयुक्त योजनाएं बनाता है। किए जाने वाले उपायों में व्यापारिक एवं वित्तीय पुनर्गठन, उद्यमों का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन, श्रमशक्ति का यौक्तिकरण, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, विविधीकरण एवं उत्पाद मिश्र में परिवर्तन, संयंत्र एवं मशीनों का आधुनिकीकरण आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना को मंजूरी

***227. श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री भालचन्द्र यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कितने स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई तथा इसमें राज्यवार कितना खर्च होगा;

(ख) देश में रिले केन्द्रों की स्थापना के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) स्वीकृत दूरदर्शन रिले केन्द्रों के कब तक स्थापित होने और उनके चालू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार देश के प्रत्येक भाग में दूरदर्शन प्रसारण को पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्य-योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) अप्रैल, 1997 से फरवरी, 2000 के बीच लगभग 605 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर कुल 274 दूरदर्शन रिले केन्द्र (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर–68, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–206) अनुमोदित किए गए हैं। इस बारे में राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में टेलीविजन सेवा का विस्तार चरणबद्ध रूप से संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तथापि, किसी ट्रांसमीटर की स्थापना हेतु स्थल का निर्णय करते समय निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है :

1. संबंधित क्षेत्र में मौजूदा कवरेज
2. प्रस्तावित ट्रांसमीटर से परिणामी कवरेज की सीमा
3. क्षेत्र का सांस्कृतिक, ऐतिहासक तथा आर्थिक महत्व
4. क्षेत्र का पिछड़ापन/सुदूरता।

टेलीविजन ट्रांसमीटरों की स्थापना के मामले में जनजातीय/पहाड़ी तथा संवेदनशील/सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) 274 ट्रांसमीटरों में से 41 परियोजनाओं को पहले ही चालू किया जा चुका है और अन्य 29 परियोजनाएं तकनीकी रूप से तैयार हैं। तकनीकी रूप से तैयार परियोजनाओं को प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु अपेक्षित स्टाफ की पुन: तैनाती होने पर चालू कर दिया जाएगा जिसे हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है और यह कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा इन्हें 9वीं योजना के अंत तक चरणों में लागू किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन का राष्ट्रीय स्थलीय चैनल 87.9 प्रतिशत जनसंख्या तथा 74.8 प्रतिशत क्षेत्र को कवरेज प्रदान करता है। इसके 16 उपग्रह चैनल 100 प्रतिशत कवरेज प्रदान करते हैं और ये उपयुक्त डिश एंटेना या केबल कनेक्शन के माध्यम से समस्त देश में उपलब्ध हैं। तथापि, अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों में स्थलीय टेलीविजन सेवा का और अधिक विस्तार करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इस समय 312 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं तथा तकनीकी रूप से तैयार परियोजनाओं के चालू होने पर देश में दूरदर्शन कवरेज में काफी अधिक सुधार होगा।

कार्यान्वयनाधीन उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा, मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार हेतु 218 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली विशेष योजना अनुमोदित कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (अमृतसर डीडी-1) तथा 11 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के उन्नयन के साथ-साथ 13 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 12 मोबाइल अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा 16 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अनुमोदित दूरदर्शन ट्रांसमीटर परियोजनाएं

	1997-98		1998-99		1999-2000		कुल	
	ट्रांसमीटरों की संख्या	पूंजीगत लागत (लाख रु.)	ट्रांसमीटरों की संख्या	पूंजीगत लागत (लाख रु.)	ट्रांसमीटरों की संख्या	पूंजीगत लागत (लाख रु.)	ट्रांसमीटरों की संख्या	पूंजीगत लागत (लाख रु.)
आंध्र प्रदेश	12	1816.20	2	435.00	2	194.00	16	2445.20
असम	3	1152.40	1	55.00			4	1207.40
बिहार	3	1113.00	2	684.00	1	83.00	6	1880.00
दिल्ली							0	0.00
गोवा			1	341.00			1	341.00
गुजरात	5	1180.80	1	914.10	1	122.33	7	2217.23
हरियाणा	5	420.00			1	52.15	6	472.15
हिमाचल प्रदेश	3	196.05	2	460.00			5	656.05
जम्मू एवं कश्मीर	2	392.33	4	624.66	84	16077.00	90	17093.99
कर्नाटक	6	3037.75					8	3037.75
केरल	8	2276.78					8	2276.78
महाराष्ट्र	24	3849.90	1	76.00	3	200.70	28	4126.60
मणिपुर			1	59.20			1	59.20
मेघालय	1	269.30	1	55.00			2	324.30
मिजोरम			1	38.50			1	38.50
मध्य प्रदेश	19	4804.05			2	178.70	21	4982.75
नागालैंड	1	59.20	1	38.50			2	97.70
उड़ीसा	3	1009.70	1	63.00			4	1072.70
पांडिचेरी	1	1051.50					1	1051.50
पंजाब					2	1956.00	2	1956.00
राजस्थान	22	3343.40					22	3343.40
तमिलनाडु	10	1637.70	1	96.00			11	1733.70
त्रिपुरा	1	520.00					1	520.00
उत्तर प्रदेश	12	3919.34	3	458.20	4	258.25	19	4635.78
पश्चिम बंगाल	9	4829.57			1	100.00	10	4929.51
कुल	150	36878.97	23	4398.16	101	19222.13	274	60499.26

[अनुवाद]

करों में राज्यों का हिस्सा

*228. **श्री वैको** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राजस्व वितरित करते समय किसी राज्य विशेष में कर की वसूली को ध्यान में नहीं रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उन राज्यों में कर-वसूली की राशि को ध्यान में रखे बिना अधिक हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना रखे हैं और जिसके परिणामस्वरूप उनकी जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में कर-वसूली का तुलनात्मक विवरण और सभी राज्यों को वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : जी हां, यह दसवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार है।

(ख) आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की बांटने योग्य प्राप्तियों में राज्यों का परस्पर हिस्सा निर्धारित करते समय अनेक कारकों को हिसाब में लेते समय राज्य की जनसंख्या भी एक कारक होती है। (दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पैरा 5.47 व 5.48)।

(ग) 1971 की जनसंख्या आधार के रूप में ली गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान संग्रहण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये)

	1996-97 (वास्तविक आंकड़े)		1997-98 (वास्तविक आंकड़े)		1998-99 (संशोधित अनुमान)	
	संग्रहण	राज्यों का हिस्सा	संग्रहण	राज्यों का हिस्सा	संग्रहण	राज्यों का हिस्सा
आयकर	18234.00	13529.44	26655.00	21116.21	21430.00	14498.03
उत्पाद-शुल्क	45008.00	21578.00	47962.00	22446.00	53200.00	24665.06

सरकारी खाते राज्य के अनुसार नहीं रखे जाते जिसमें कर संग्रहित किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार आवंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निवल प्राप्तियों के प्रमाणन पर आधारित समायोजन की शर्त के अधीन हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्य सरकारों को दी गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	राज्य	बुनियादी उत्पाद शुल्क	1996-97 में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	आयकर	जोड़	बुनियादी उत्पाद शुल्क	1997-98 में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	आयकर	जोड़	बुनियादी उत्पाद शुल्क	1998-99 में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	आयकर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1560.38	232.98	1145.35	2938.71	1365.23	258.09	1787.42	3410.74	1524.4	256.47	1227.26	3008.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	152.90	3.10	23.03	179.03	204.54	3.41	35.88	243.83	240.78	3.41	24.65	268.84
3.	असम	724.88	73.97	376.71	1175.56	806.27	81.14	587.84	1475.25	864.28	81.43	403.62	1349.33
4.	बिहार	2101.38	236.67	1740.16	4078.21	2074.51	260.81	2715.64	5050.96	2316.1	260.53	1864.59	4441.23
5.	गोआ	59.26	6.91	24.38	90.55	64.58	7.66	38.00	110.24	63.38	7.64	26.10	97.12
6.	गुजरात	633.69	178.61	547.24	1359.54	651.96	197.81	854.48	1704.25	728.64	196.61	586.59	1511.84
7.	हरियाणा	193.90	70.49	167.49	431.88	199.80	78.1	261.41	539.31	222.95	77.60	179.49	480.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हिमाचल प्रदेश	425.77	17.73	95.29	538.79	536.52	19.54	148.63	704.69	607.28	19.51	102.07	728.86
9.	जम्मू व कश्मीर	656.09	25.50	148.55	830.14	839.67	28.01	231.55	1099.23	965.44	28.07	159.04	1152.55
10.	कर्नाटक	836.20	171.13	722.47	1729.80	860.07	188.97	1127.29	2176.33	961.49	188.38	774.05	1923.92
11.	केरल	606.91	111.42	524.32	1242.65	624.49	123.3	818.22	1566.01	697.84	122.66	561.80	1382.30
12.	मध्य प्रदेश	1298.39	215.58	1121.63	2635.60	1337.47	238.66	1750.51	3326.64	1492.9	237.31	1201.89	2932.13
13.	महाराष्ट्र	959.46	358.32	828.14	2145.92	987.99	396.74	1294.07	2678.80	1103.2	394.44	888.15	2385.81
14.	मणिपुर	187.80	5.87	38.18	231.85	244.86	6.44	59.52	310.82	284.34	6.46	40.88	331.68
15.	मेघालय	173.62	5.60	38.32	217.54	220.85	6.18	59.74	286.77	253.36	6.16	41.03	300.55
16.	मिजोरम	159.24	2.35	20.19	181.78	213.83	2.64	31.45	247.92	255.90	2.59	21.60	280.09
17.	नागालैंड	246.16	4.08	24.51	274.75	338.04	4.57	38.20	380.81	406.46	4.49	26.24	437.19
18.	उड़ीसा	858.13	99.66	608.20	1565.99	875.97	109.86	949.13	1934.96	903.13	109.70	651.59	1664.52
19.	पंजाब	228.82	101.95	197.58	528.35	235.92	112.49	308.57	656.98	263.11	112.23	211.82	587.16
20.	राजस्थान	869.40	145.18	751.25	1765.83	897.20	161.07	1172.00	2230.27	999.67	159.82	804.78	1964.27
21.	सिक्किम	62.99	1.58	17.08	81.65	78.56	1.76	26.58	106.90	89.62	1.74	18.27	109.63
22.	तमिलनाडु	1039.49	228.48	897.53	2165.50	1072.19	254.33	1401.78	2728.30	1195.2	251.51	962.23	2408.98
23.	त्रिपुरा	259.10	8.52	51.16	318.78	340.51	9.45	79.81	429.77	392.84	9.38	54.80	457.02
24.	उत्तर प्रदेश	3134.66	434.17	2410.06	5978.89	2873.84	480.05	3760.77	7114.66	3207.5	477.94	2582.24	6267.72
25.	प० बंगाल	1170.12	239.41	1010.62	2420.15	1205.55	264.5	1577.72	3047.77	1345.4	263.55	1083.15	2692.14
	जोड़ :	18598.74	2979.26	*13529.44	35107.44	19150.42	*3295.58	21116.21	43562.21	21385	3279.63	*14498.03	39163.09

*नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर समायोजन इसमें शामिल है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*229. **श्रीमती रानी नरह :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) व्यवस्था को उदारीकृत करने हेतु किसी समीक्षा समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति वर्तमान क्षेत्रगत नीतियों तथा क्षेत्रगत इक्विटी पूंजी की किस हद तक समीक्षा करेगी;

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदारीकृत करने के अन्य पहलुओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक पेश कर दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी हां, सरकार ने क्षेत्रगत नीतियों, क्षेत्रगत इक्विटी की सीमाओं की समीक्षा करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) की विद्यमान व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करने और इस संबंध में भविष्य के लिए भी निर्णय लेने हेतु मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है।

(घ) उपर्युक्त मंत्रियों के समूह द्वारा की जाने वाली उक्त समीक्षा की परिकल्पना एक सतत् प्रक्रिया के रूप में की जाती है।

अन्य देशों से मंगाए गए कागजों का डम्प किया जाना

*230. **श्री अनंत गुडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या देश में एक सौ से भी अधिक कृषि-अवशिष्ट पदार्थों

(एग्रो-ऐजिड्य) पर आधारित कागज मिलें कम आयात शुल्क के अलावा उत्पाद शुल्क में वृद्धि और कीमतों की कम प्राप्ति के कारण बंद हो गई हैं जिसकी परिणति विदेशों से मंगाए गए कागजों की परिहार्य 'डम्पिंग' के रूप में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस संबंध में कागज उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस प्रभावित उद्योग को अति आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-2-1999 की स्थिति के अनुसार 177 रुग्ण लुग्दी और कागज इकाइयां पी०आई०एफ०आर० के पास पंजीकृत थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क को इन इकाइयों के बंद होने के लिए उत्तरदायी ठहराना कठिन है। इकाइयों के बंद होने के लिए सामान्यतया इकाइयों का अलाभकर आकार, कच्ची सामग्री की उच्च लागत, मांग में मंदी, प्रतिस्पर्धा, कुप्रबंध आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

डिजाइन आदानों और विपणन सुविधाओं के कार्यक्रम

*231. **श्री अन्नासाहेब एम०के०पाटील** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को डिजाइन आदान तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के विकास की प्रगति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित स्कीमें डिजाइन निवेश तथा विपणन सुविधाओं को बढ़ाने वाले क्षेत्र हैं। डिजाइन निवेश स्वतंत्र डिजाइनर स्कीम, निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास और उनका विपणन स्कीम, प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम तथा बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। डिजाइन ज्ञान तथा निवेश प्रदान करने हेतु हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद तथा 5 बुनकर सेवा केन्द्रों के संयोजक सहित फैशन प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से एक राष्ट्रीय डिजाइन केन्द्र स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय एक्सपों, जिला-स्तर के मेलों, हाटों में भाग लेकर तथा हथकरघा कम्प्लैक्सों की स्थापना द्वारा क्षेत्र को विपणन सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें जिनके माध्यम से अधिकतर विकासात्मक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं उनके सहयोग तथा सहायता से क्षेत्र की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) डब्ल्यू०टी०ओ० द्वारा पैदा की गई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, हथकरघा क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आर्थिक रुकावटें हटाने से चुनौतियों का सामना कर सके। 2004 तक परिमाणात्मक प्रतिबंधों के हटने के बाद खुली विश्व प्रतियोगिता का सामना करने हेतु उत्पादकता वृद्धि तथा गुणवत्ता सुधार के लिए प्रभावशाली उपाय किए जा रहे हैं। चालू स्कीमों के अतिरिक्त आधारभूत संरचना, डिजाइन तथा हथकरघा वस्तुओं की विपणनयोग्यता को बढ़ाने हेतु अगले वित्तीय वर्ष से एक नई स्कीम 'दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना' आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

तंबाकू व्यापार में कमी

*232. **श्री राजैया मल्याला :**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तंबाकू के व्यापार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तंबाकू व्यापार के सहायतार्थ सिगरेटों का विकास करने और उनका उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्ष विदेश निवेश को अनुमति देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तंबाकू के व्यापार की मात्रा में स्पष्टरूप से गिरावट का कोई रुझान नहीं रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

*233. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1999 से आज तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, और मुद्रास्फीति का रुझान क्या है और पिछले दो वर्षों के माह-वार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सितम्बर, 1999 के दौरान मुद्रास्फीति की निम्न दर के बावजूद अधिकतर वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों और उसके बाद मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उपायों को किस सीमा तक लागू किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अथवा थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर में कोई अभूतपूर्व वृद्धि नहीं हुई है। गत दो वर्षों के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– सीपीआई (आई.डब्ल्यू.), खेतीहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सी.पी.आई. (ए०एल०) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) पर आधारित बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति दर के तुलनात्मक आंकड़े (एक माह की तुलना में दूसरे माह) नीचे सूचीबद्ध हैं :

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वार्षिक मुद्रास्फीति दरें

(प्रतिशत)

आधार वर्ष :	डब्ल्यूपीआई 81-82	सीपीआई (आईडब्ल्यू) 1982	सीपीआई (ए०एल०) 86-87
1998-99			
अप्रैल	5.6	8.2	4.6
मई	6.6	10.5	7.0
जून	7.5	12.4	8.9
जुलाई	8.3	14.8	10.7
अगस्त	8.3	15.0	11.8
सितम्बर	8.5	16.3	12.9
अक्तूबर	8.3	18.6	15.6
नवम्बर	8.1	19.7	18.3
दिसम्बर	6.3	15.3	15.1
जनवरी	4.7	9.4	9.1
फरवरी	5.3	8.6	8.8
मार्च	5.0	8.9	8.8
1999-2000			
अप्रैल	4.3	8.4	8.1
मई	3.8	7.7	8.1
जून	3.1	5.3	6.7
जुलाई	2.3	3.2	5.2
अगस्त	2.2	3.1	5.1
सितम्बर	2.7	2.1	4.4
अक्तूबर	2.9	0.9	3.6
नवम्बर	2.8	0.0	1.9
दिसम्बर	2.8	0.5	2.0
जनवरी	3.0	2.6	

*अनंतिम

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर में नवंबर, 1998 में 19.7 प्रतिशत का अभूतपूर्व उछाल आया था। इसके बाद जनवरी, 1999 में यह गिरकर 9.4 प्रतिशत रह गई। इसके बाद से इसमें और तेजी से गिरावट आई है और नवम्बर, 1999 में यह दर शून्य दर्ज की गई। जनवरी, 2000 में इसमें 2.6 प्रतिशत की मामूली बढ़ोत्तरी हुई जो लगभग 3 प्रतिशत के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर जितनी ही थी।

सीपीआई (ए०एल०) और डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति दर का रुझान भी इसी प्रकार था। सीपीआई (ए.एल.) जनवरी, 1999 में 9.1 प्रतिशत से गिरकर दिसंबर, 1999 में 2.0 प्रतिशत रह गया, जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर जनवरी, 1999 में 4.7 प्रतिशत से गिरकर जनवरी, 2000 में 3.0 प्रतिशत हो गई।

(ग) और (घ) सितंबर, 1999 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 2.7 प्रतिशत थी और उसके बाद से यह लगभग 3 प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है। 19 फरवरी, 2000 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए मुद्रास्फीति की अद्यतन उपलब्ध दर अभी भी 2.1 प्रतिशत (अनंतिम) के न्यून स्तर पर बनी हुई है।

सितंबर, 1999 के दौरान दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुओं के मूल्य साधारण रूप से कम रहे। वास्तव में कुछ वस्तुओं के मूल्य गत वर्ष की अपेक्षा भी कम थे। चावल और गेहूं में कुछ मूल्य वृद्धि दर्ज की गई थी, परंतु ऐसा मुख्यतया किसानों को दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि के कारण था।

सितम्बर, 1999 माह और 19 फरवरी, 2000 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए कुछ प्रमुख वस्तुओं और वस्तु समूहों की मुद्रास्फीति की दर नीचे दी गई है :

वस्तुएं	थोक मूल्यों में वार्षिक परिवर्तन (प्रतिशत)	
	सितंबर, 1998 की तुलना में सितंबर, 1999	19 फरवरी, 1999 की तुलना में 19 फरवरी, 2000
1	2	3
चावल	13.9	0.8
गेहूं	18.7	3.1
दालें	7.6	2.2
फल व सब्जियां	-14.6	-1.5
चीनी	0.9	0.6
खाद्य तेल	-15.5	-19.3
अनिवार्य वस्तुएं	0.8	-0.2,

(ङ) से (छ) वर्ष 1999-2000 के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति दर काफी कम रही है। यह कारगर आपूर्ति प्रबन्धन के साथ-साथ दैनिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों और आपूर्ति की करीबी मानिटरिंग के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के सरकार के ठोस प्रयासों का परिणाम था। मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए

जब कभी आवश्यक हुआ, सुधारात्मक कार्रवाई की गई सरकार का यह सतत प्रयास होगा कि मूल्यों में स्थिरता बनाए रखी जाए।

बड़े पैमाने पर नकदी निधि के आधिक्य को देखते हुए, जैसा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थूल मुद्रा (एम3) की उच्च वृद्धि में परिलक्षित होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने समग्र मौद्रिक स्थिति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि समूचे मूल्य संबंधी परिदृश्य पर मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं के प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति का निर्धारण करने में वृहत मौद्रिक विस्तार के परिणामिक प्रभाव को ध्यान में रखता है।

सरकारी उपक्रमों में निदेशकों की नियुक्ति

*234. **श्री अजय सिंह चौटाला :**
डॉ० सी० कृष्णन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडलों में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड और नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक सरकारी उपक्रम में 31 दिसंबर, 1999 तक गत तीन वर्षों के दौरान कितने निदेशकों की नियुक्ति की गई;

(ग) सरकार द्वारा नियुक्ति संबंधी नीति/मानदंडों को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सभी सरकारी उपक्रमों के एक-तिहाई निदेशकों का चुनाव कर्मचारी संघों के द्वारा किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वयन कब तक किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क), (ग), (घ) और (च) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में विभागीय सरकारी अधिकारियों को नामांकित करने के अलावा निष्पक्ष, उद्देश्यपरक तथा पारदर्शक प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम व्यावसायिकों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पूर्णकालिक कार्यकारी तथा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त करना सरकार की नीति तथा प्रक्रिया है। निदेशक मंडल की संरचना निगम प्रशासन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाती है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए कर्मचारी संघों द्वारा एक-तिहाई निदेशकों का चुनाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तत्काल उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान क्रमश: 88 तथा 15 पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की गई थी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

*235. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती रश्मिता सिंह :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेटिड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने देश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तपोषण न करने का सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितना निवेश किया है;

(ग) क्या सरकार के घाटे में चल रही इकाइयों का पुनरुद्धार करने के प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के घाटे के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31.3.1996, 31.3.1997 और 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि तक की सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों की संख्या क्रमश: 102, 104 और 100 थी, केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें घाटा उठाने वाले उपक्रम भी शामिल हैं, में किए गए निवल निवेश संबंधी सूचना संबंधित वर्षों के लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-1 के विवरण 17 और 18 में उपलब्ध हैं, जिन्हें संसद में प्रस्तुत किया गया था और ये प्रकाशित दस्तावेज हैं।

(ग) सरकार का यह सतत् प्रयास है कि घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम अपने परिचालनों का पुनर्गठन कर सके, अपने कार्य-निष्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन प्राप्त कर सके हैं।

(घ) घाटे के लिए उत्तरदायी कारण प्रत्येक इकाई में अलग-अलग है। कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं—क्षमता का कम उपयोग, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने संयंत्र और मशीनरी, कम उत्पादन, निर्विष्टि की लागत में वृद्धि, संसाधनों की कमी, अधिक ब्याज और मूल्यह्रास का बोझ, कमजोर विपणन नीति, अतिरिक्त मानव-शक्ति आदि।

जापान के साथ कोयला प्रौद्योगिकी के बारे में संधि

*236. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान ने ऊर्जा संयंत्रों और अन्य कोयला आधारित उद्योगों के लिए साफ-सुथरी कोयला प्रौद्योगिकी विकसित करने

की दिशा में अपने-अपने संसाधन समेकित करने हेतु कोई समझौता किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों में पहली बार कोयला विनिर्माण प्रौद्योगिकी में सुधार लाने हेतु सहमति हुई है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध होगा।

(ग) यदि हां, तो भारत और जापान में कोयला प्रौद्योगिकी के बारे में हुए समझौते का अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में कोयला क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु कोयला वाशरी की स्थापना और अधिक कोयला निकालने वाली प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने हेतु जापान द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारामंगलम) : (क) से (घ) सरकार ने विद्युत संयंत्रों और अन्य कोयला आधारित उद्योगों के लिए साफ-सुथरी कोयला प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में अपने संसाधनों को समेकित करने हेतु जापान के साथ कोई समझौता नहीं किया है। किन्तु, सी०एम० पी०डी०आई०एल० ने वर्ष 1997 से जापान के 'मेसर्स सैंटर फॉर कोल यूटिलाइजेशन' के साथ निम्नलिखित कार्यों हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं :

(i) वर्ष 1997 में भारत में पर्यावरण-अनुकूल कोयला उपयोग व्यवस्था के लिए अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सर्वेक्षण-पूर्व कार्य किया जाना।

(ii) वर्ष 1998 में भारत में पर्यावरण-अनुकूल कोयला उपयोग व्यवस्था के लिए अनुसंधान कार्यक्रम हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जाना।

(iii) भारत में पर्यावरण अनुकूल कोयला उपयोग व्यवस्था के लिए अनुसंधान कार्यक्रम हेतु सर्वेक्षण कार्य को अद्यतन किए जाने का कार्य वर्ष 2000 में प्रगति पर है।

कोयला वाशरी अथवा कोयला परिष्करण प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए जापान द्वारा सी०आई०एल० को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

जापान कोयला ऊर्जा संयंत्र से एक प्रतिनिधि मंडल दिनांक 18.1.2000 को दिल्ली आया और सी०एफ०आर०आई० को एक उपस्थापन प्रस्तुत किया। सी०एफ०आर०आई० तथा जे०सी०ओ०ए०एल० के बीच रचनात्मक विचार-विमर्श हुआ और भविष्य में परस्पर सहयोग के लिए उनमें भागीदारी होने की संभावना दिख रही है। सी०एफ० आर०आई० तथा जे०सी०ओ०ए०एल० पारस्परिक लाभ के लिए कोयला विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावित अनुसंधान और विकास पर विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमत हो गए हैं।

पूंजी बाजार

*237. **श्री किरीट सौमैया :**
डा० संजय पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी के नाम पर विभिन्न फर्जी कंपनियों ने प्राइमरी और सैकेन्ड्री पूंजी बाजार में हेरा-फेरी करनी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अपने नाम बदलकर अपने आपको सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में दिखाकर बाजार में उतरी हैं;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या निवेश शिकायत मंच (इंवेस्टमेंट ग्रीवेंसेस फोरम) और इसके अध्यक्ष ने शेयर बाजार/पूंजी बाजार में बनावटी 'तेजी' के बारे में जांच कराने के लिए उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) हाल ही में, कंपनियों द्वारा अपने नाम साफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में परिवर्तित करने के मामले सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने नाम सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में परिवर्तित कर लिए हैं। कंपनियों द्वारा नाम परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के निबंधनों तथा शर्तों के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी, 2000 के अपने परिपत्र के तहत निर्धारित किया है कि अपना वर्तमान नाम परिवर्तित करने का आशय रखने वाली एनबीएफसी को नाम परिवर्तन हेतु कंपनियों के रजिस्ट्रार से संपर्क करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। इन निदेशों का उल्लंघन करने वाली कंपनी के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि पहले दिया गया हो, रद्द करना अथवा पंजीकरण हेतु उसके आवेदन को अस्वीकार करना, जैसा भी मामला हो, शामिल है। निवेशकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से सेबी ने निम्न कदम उठाए हैं—(i) निवेशकों को प्रेस के माध्यम से सचेत करते हुए ऐसी स्क्रिपों में कारोबार करते समय सावधान रहने की सलाह दी है, (ii) एक्सचेंजों को ऐसी कंपनियों के शेयरों के संबंध में कारोबार तथा अन्य घटनाओं की बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा गया है, (iii) ऐसी कंपनियों के लिए अपनी त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्टों में साफ्टवेयर कार्यकलाप का निष्पादन तथा परिणाम पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य कर दिया गया है, (iv) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीन वर्ष के लाभप्रदता ट्रैक रिकार्ड की अपेक्षा के रूप में ऐसी कंपनियों द्वारा पब्लिक/राईट्स इश्यू के लिए प्रविष्टि मानदंड और कड़े कर दिए गए हैं तथा (v) ऐसी स्क्रिपों में अस्थिरता को कम करने हेतु ऐसी 74 कंपनियों को चल निपटान खंड को अंतरित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) निवेशक शिकायत मंच के अध्यक्ष ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है। जबकि मूल्य खोज बाजार चालित है, सेबी ने स्टाक एक्सचेंजों को सक्रिय कार्रवाई करने के लिए सतर्क किया है जिसमें विशेष/तदर्थ मार्जिन लगाना, देनदारियों में कमी करना, शीघ्र भुगतान अस्थिर मार्जिनों में वृद्धि शामिल है।

[हिन्दी]

बुनकरों के लिए आवास

*238. **श्री हरीभाउ शंकर महाले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बुनकरों के लिए मकानों के निर्माण हेतु 1997-98 के दौरान धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि का पूरी तौर पर उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके उपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

जारी की गई निधियों का अधिकतर भाग उपभोग किया गया है। यद्यपि कुछ मामलों में वित्तीय वर्ष 1997-98 के अंत में निधियाँ स्वीकृत की गई थी। कुछ मामलों में राज्य सरकारों के स्तर पर उनके कार्यान्वयन अधिकरणों को निधियां स्थानांतरित करने में विलंब भी हुआ था। इन कारणों से कुछ राज्यों में निधियां पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जा सकी।

आबंटित निधियों के उचित उपयोग तथा तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा नियमित समय पर उचित उपायों के लिए मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाती है।

विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	*1997-98 में स्वीकृत राशि	*1997-98 में जारी की गई राशि	प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई राशि
1	2		4	5
1.	आंध्र प्रदेश	274.	146.54	146.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.62	50.31	50.31
3.	असम	79.18	39.59	39.59
4.	कर्नाटक	107.40	53.70	—
5.	मध्य प्रदेश	200.00	200.00	—
6.	महाराष्ट्र	56.78	28.39	28.39
7.	नागालैंड	704.50	352.25	352.25
8.	उड़ीसा	142.36	90.36	—
9.	राजस्थान	241.00	120.50	114.01
10.	तमिलनाडु	220.12	110.06	110.06
11.	त्रिपुरा	28.10	14.05	—
12.	पश्चिम बंगाल	192.50	96.25	96.25
	कुल	2346.72	1302.00	937.40

*सामान्यत: वर्ष में कुल स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत उसी वर्ष पहली किश्त के रूप में जारी की जाती है। पहले जारी की गई निधियों के उपयोग के बाद राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रमाणित किए जाने पर शेष 50 प्रतिशत राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की जाती है।

[अनुवाद]

छोटे सिक्कों की कमी

*239. **श्रीमती कैलाशो देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 25 पैसे, 50 पैसे तथा एक रुपया, दो रुपये और पांच रुपये जैसे छोटे सिक्कों की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में व्यापारियों द्वारा छोटे सिक्कों के बदले में 'चिट प्रणाली' चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक देश में छोटे सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भिन्न-भिन्न मूल्य-वर्गों के सिक्कों की सामान्यत: कमी हो रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की सिक्कों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सिक्कों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकारी टकसालों को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार ने सिक्कों की कमी को कम करने के लिए निम्नानुसार सिक्कों का आयात भी किया है/आयात कर रही है :

(मिलियन अदद में)

	मूल्य वर्ग		
वर्ष	5 रुपये	2 रुपये	1 रुपया
1997-98	शून्य	300	700
1998-99	शून्य	300	700
1999-2000	400	300	300
2000-2001	1000	750	750

क्षेत्रीय फिल्मों का निर्माण

*240. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्मित फिल्मों की तुलना में 1999 के दौरान निर्मित की गई क्षेत्रीय फिल्मों की भाषा-वार संख्या क्या है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों में सामान्यत: तथा विशेषकर महाराष्ट्र में बेहतर किस्म की क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए विशेष प्रोत्साहन तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षेत्रीय फिल्मों द्वारा किन मुख्य समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(घ) क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन और उनके विकास के लिए किए गए नए प्रोत्साहन/विचाराधीन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (घ) वर्ष 1998 में 697 और वर्ष 1997 में 693 की तुलना में वर्ष 1999 में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित फीचर फिल्मों की संख्या 764 थी। वर्ष 1997, 1998 और 1999 के लिए प्रमाणित फिल्मों का भाषा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बहुत-सी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के निर्माण की बढ़ती हुई संख्या विकास की स्थिति को दर्शाती है।

अधिकांश राज्य सरकारें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं और वे मनोरंजन कर से छूट देने अथवा कम करने, फिल्म निर्माण के लिए अनुदान देने और प्रत्येक वर्ष कुछ कम से कम विनिर्दिष्ट सप्ताहों के लिए सिनेमा थिएटरों में क्षेत्रीय फिल्मों को अनिवार्य रूप से दिखाने जैसी सुविधाएं मुहैया कराती हैं।

महाराष्ट्र सरकार मराठी फिल्मों के निर्माताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन देती है :

1. मराठी फिल्म के निर्माण के लिए फिल्म निर्माता को 15 लाख रुपये की अनुदान सहायता दी जाती है।
2. यदि फिल्में गोरेगांव फिल्म सिटी और कोलहापुर फिल्म सिटी पर शूट की जाती है तो फिल्म की शूटिंगों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।
3. विषयपरक एवं सौन्दर्यपरक विशिष्टता वाली मराठी फिल्मों को वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। निर्माता, निर्देशक और फिल्म निर्माण से जुड़े सदस्यों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं।
4. मराठी फिल्मों को मनोरंजन कर के भुगतान से पूरी छूट दी जाती है।
5. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली मराठी फिल्मों को 1 लाख रुपये का विशेष पुरस्कार दिया जाता है।
6. थिएटर के मालिकों से मराठी फिल्मों के प्रदर्शन हेतु एक वर्ष में कम से कम 4 सप्ताह आरक्षित रखने की अपेक्षा की जाती है।

पर्याप्त प्रदर्शनी बाजार उपलब्ध न होने और निर्माण लागत में वृद्धि होने को क्षेत्रीय सिनेमा के विकास में मुख्य बाधा माना जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम क्षेत्रीय सिनेमा के निर्माण को बढ़ावा देता है और इसने पिछले तीन वर्षों में 26 क्षेत्रीय भाषा फिल्में निर्मित की हैं। दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय फिल्में साप्ताहिक आधार पर और क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों द्वारा दैनिक आधार पर प्रसारित की जाती हैं। फिल्म उद्योग सहित मनोरंजन उद्योग में रोजगार सृजन एवं आय के अर्जन की संभावना को देखते हुए सरकार इसे लगातार सहायता देती रही है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करती है जिसमें क्षेत्रीय फिल्मों के आवश्यक प्रदर्शन की भी व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है।

वर्ष 2000-2001 के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभों का प्रस्ताव रखा गया है :

1. मनोरंजन साफ्टवेयर के निर्यात में लगे व्यक्तियों/मालिकों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एच०एच०एफ० के लाभ दिए गए हैं।
2. सिनेमेटोग्राफ कैमरों और अन्य संबंधित उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. जम्बो रोलों वाली कलर पॉजिटिव फिल्मों और कई आकार के रोलों वाली कलर निगेटिव फिल्मों पर मूल सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इन सामग्रियों पर प्रतिशुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है।
4. दिनांक 1.4.2000 से आयकर अधिनियम की धारा-285-ख के अंतर्गत फिल्म निर्माताओं द्वारा आयकर विवरणी जमा करने की सीमा 25,000/- रुपये से 50,000/- रुपये तक बढ़ा दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित फिल्मों का भाषा-वार ब्यौरा

भाषा	1997	1998	1999
1	2	3	4
हिन्दी	117	153	166
तेलुगु	151	124	132
तमिल	128	133	153
मलयालम	92	69	65
कन्नड़	81	72	87
मराठी	9	18	24
पंजाबी	14	11	—
नेपाली	2	4	—
गुजराती	10	15	27
बंगाली	49	48	51
भोजपुरी	2	6	2
राजस्थानी	2	4	—
असमिया	5	5	7
अंग्रेजी	7	5	6
मणिपुरी	—	2	—
उड़िया	1	19	15
उर्दू	1	—	—
गढ़वाली	1	1	1
टी-ट्राइब	1	—	—
पर्सियन	—	1	—
कोदवा	—	1	—
तुलु	—	2	—
कश्मीरी	—	—	1
फ्रेंच	—	—	1
मैथिली	—	—	1
हिन्दुस्तानी	—	—	1

1	2	3	4
छोटानागपुरी	—	—	1
हरियाणवी	—	—	1
कुल	697	693	764

हावड़ा में राष्ट्रीय पटसन मिल

2370. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा में राजगुंजे स्थित राष्ट्रीय पटसन मिल निगम के अधीन राष्ट्रीय पटसन मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मिलों को समुचित रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) जी नहीं। एन०जे०एम०सी० के अंतर्गत राष्ट्रीय पटसन मिलों में कोई तालाबंदी नहीं हुई है। हालांकि, एन०जे०एम०सी० द्वारा भारतीय पटसन निगम को बकाया राशि के भुगतान न करने के कारण कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण 03.11.99 से राष्ट्रीय पटसन मिल में उत्पादन अस्थायी रूप से बंद हुआ था। राष्ट्रीय पटसन मिल में उत्पादन शुरू हो गया है। सरकार एस०टी०सी० के साथ पुन: खरीद व्यवस्थाओं के अंतर्गत कच्चे पटसन को खरीदकर मिल में उत्पादन पुन: शुरू करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। एन०जे०एम०सी० मिलों को परिवर्तन आधार पर चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2371. **श्री सुबोध राय :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम०पी०ई० डी०ए०) की गतिविधियों का विस्तार केरल तक हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य से समुद्री उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने में एम०पी०ई०डी०ए० ने क्या योगदान किया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री भुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) अधिनियम 1972 के अनुसार, एम्पीडा निर्यातों के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है। केरल से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एम्पीडा द्वारा कार्यान्वित योजनाओं सहित किए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—प्रसंस्करण मत्स्य पालन और गहरे समुद्र में मत्स्यायन क्रियाकलापों से संबंधित परियोजना में छ: कंपनियों की अंश पूंजी में भागीदारी विविध प्रकार के मत्स्यायन के लिए यांत्रिक जलपोतों पर उपकरण लगाने के लिए सहायता देना; केरल औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम, जो कि एक धारक कंपनी है, के साथ संयुक्त रूप से आरुर में एक प्रसंस्करण पूर्व बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजना स्थापित करना; समुद्री खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी की खरीद के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना, श्रिम्प हैचरीज और नये श्रिम्प फार्मों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना, श्रिम्प कृषकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, नीची सतह वाले क्षेत्रों में तोज जल में प्रान कृषि का संवर्धन करना, मछुआरों के लाभ के लिए प्रशिक्षण-सह-विस्तार-सह-प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करना, प्रसंस्करण-पूर्व और प्रसंस्करण कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं आदि और समुद्री खाद्य उद्योग के गुणवत्ता उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना।

बैंकों का कार्यनिष्पादन

2372. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत विदेशी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अलग-अलग राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय और विदेशी बैंकों द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी घरेलू और अनिवासी भारतीयों की जमाराशि द्वारा आकृष्ट की गई है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रवैये में बदलाव लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार देश में परिचालन कर रही विदेशी बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अलग-अलग राज्य-वार शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा निगरानी प्रणाली से पूछे गए ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की कुल जमा राशियां संलग्न विवरण III, IV और V में दी गई हैं।

(ग) बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यवहार में बदलाव की जानकारी शामिल है।

विवरण-I

दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों की राज्यवार तथा बैंकवार शाखाएं

क्र. सं.	राज्य का नाम	विदेशी बैंक की शाखाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	1
3.	चंडीगढ़	1
4.	दिल्ली	34
5.	गुजरात	4
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	हरियाणा	1
8.	जम्मू व कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	10
10.	केरल	4
11.	महाराष्ट्र	63
12.	पंजाब	1
13.	तमिलनाडु	18
14.	उत्तर प्रदेश	2
15.	पश्चिम बंगाल	33

विवरण

31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र

		भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	816	5	523	2	18	4	3	7	23	795	69
2.	अरुणाचल प्रदेश	42										
3.	असम	206	1							62	1	13
4.	बिहार	929	11				1			233	3	110
5.	गोवा	49				3	1			1	1	28
6.	गुजरात	442	7	6	8	3	4	353	3	24	5	693
7.	हरियाणा	164	8	5	2		125		1	29	1	25
8.	हिमाचल प्रदेश	146					74			3		5
9.	जम्मू एवं कश्मीर	120					3			3		3
10.	कर्नाटक	297	3	113	1	482	4	2	12	15	20	37
11.	केरल	225	1	6		10		2	556	5	7	43
12.	मध्य प्रदेश	688	6	3	334	2	5	3	2	173	7	91
13.	महाराष्ट्र	808	23	171	23	17	10	21	11	85	28	295
14.	मणिपुर	16								2		3
15.	मेघालय	87								1		2
16.	मिजोरम	25										
17.	नागालैंड	43								4		4
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	190	25	12	10	10	39	8	7	45	14	66
19.	उड़ीसा	472	2	5		1			1	55	77	35
20.	पंजाब	239	7	2			350			37	2	45
21.	राजस्थान	163	660	2	7	1	12	3	1	31	3	323
22.	सिक्किम	26										1
23.	तमिलनाडु	576	5	15	2	28	4	5	66	25	33	104

-II

के बैंकों की राज्यवार और बैंक-वार शाखाएं

बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	कार्पो-रेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	यूको बैंक	विजया बैंक
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
73	28	175	103	66	18	207	116	15	53	4	305	129	12	43	80
			1										2	2	2
8		15	103		2	20	15	2	45	5	5	46	188	114	8
405	1	117	385	4	10	28	18	8	453	10	26	86	113	214	9
30	9	23	23	31	16	6	12	1	5	1	18	14	2	5	5
226	34	41	223	35	530	39	55	25	89	8	50	180	14	81	30
20	5	53	78	11	9	18	14	107	321	37	50	43	4	26	10
7		11	27	1		2	4	10	216	11	1	10	1	121	1
4		7	11		2	1	2	7	66	10	2	5	1	13	2
59	41	540	57	210	27	65	63	4	42	5	491	98	7	28	418
70	3	244	73	53	11	89	113	6	18	3	119	132	2	20	70
260	121	48	442	6	105	14	9	42	220	29	23	191	6	127	6
618	901	203	488	66	268	77	70	50	147	25	146	338	29	120	70
			3				1		2	2			22	3	2
2		2	4			2	1		6		1	3	12	4	2
														1	1
			2			1				1			2	2	3
53	16	83	70	36	26	29	29	65	152	61	82	55	25	40	26
117	1	40	50	5	2	47	73	7	51	2		48	98	164	7
70	5	102	93	8	8	32	38	202	493	356	12	69	4	87	7
42	6	24	97	6	15	10	11	86	288	21	12	52	6	141	11
1		1	10											2	1
113	13	470	163	73	25	744	664	17	85	8	104	135	12	68	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	त्रिपुरा	33								1		2
25.	उत्तर प्रदेश	1382	21	5	8		54	3	3	624	9	511
26.	पश्चिम बंगाल	737	15	6	3	5	2	3	3	474	16	100
27.	अंडमान एवं निकोबार	18								1		
28.	चंडीगढ़	26	1	1			23			3	2	5
29.	दादरा एवं नगर हवेली	1										1
30.	दमन एवं दीव	3						4				1
31.	लक्ष्यदीप											
31.	पाण्डिचेरी	12		1		1			1	1	1	1

विवरण-III

दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां

स्रोत : तुलन पत्र (रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	बैंक का नाम	जमाराशियां
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	169041.93
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	7740.82
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	10614.88
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदोर	4027.90
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5574.83
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	8847.27
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	4779.05
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6650.30
राष्ट्रीयकृत बैंक		
1.	इलाहाबाद बैंक	15510.36
2.	आन्ध्रा बैंक	10438.74
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	44614.04
4.	बैंक ऑफ इंडिया	44430.23
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10928.52
6.	केनरा बैंक	41958.61
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	30649.31
8.	कारपोरेशन बैंक	12601.43
9.	देना बैंक	11795.35
10.	इंडियन बैंक	17155.92
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	21914.31
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	16804.88
13.	पंजाब नेशनल बैंक	40777.13
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	9496.60
15.	सिंडिकेट बैंक	19914.34
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	28135.66
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	14516.28
18.	यूको बैंक	16251.21
19.	विजया बैंक	9690.23

विवरण-IV

दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	बैंक का नाम	जमाराशियां
1	2	3
1.	बैंक ऑफ मदुरा	3013.11

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1		1	3			1	1			1		2	42	5	1
222	9	209	427	18	38	32	74	221	902	126	218	472	42	124	35
202	13	71	246	14	28	58	65	42	219	18	47	87	719	297	23
		1				1	1		1		5		1	1	1
7	1	14	7	2	1	6	3	9	27	18	2	7	1	7	3
		1			6										
1			1		1			1				1		1	
											9				
1	1	3	1	1		22	8	1	1		2	1	1	6	1

1	2	3
2.	बैंक ऑफ राजस्थान	2984.92
3.	बरेली कॉर्पोरेशन बैंक	*
4.	बनारस स्टेट बैंक	784.30
5.	भारत ओवरसीज बैंक	1286.17
6.	कैथोलिक सिरियन बैंक	2139.16
7.	सिटी यूनियन बैंक	1226.96
8.	धनलक्ष्मी बैंक	1235.94
9.	फेडरल बैंक	6782.07
10.	जम्मू व कश्मीर बैंक	6444.03
11.	कर्नाटक बैंक	4382.11
12.	करुर वैश्य बैंक	2537.93
13.	लक्ष्मी विलास बैंक	1591.01
14.	लार्ड कृष्णा बैंक	667.77
15.	नैनीताल बैंक	383.72
16.	नेडनगडी बैंक	1182.88
17.	रत्नाकर बैंक	337.53
18.	सागली बैंक	1160.29
19.	साउथ इंडियन बैंक	3122.66
20.	तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक	2055.95
21.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक	3434.60
22.	वैश्य बैंक	6510.40
23.	यू टी आई बैंक	3040.69
24.	एसबीआई कॉम एंड इंट बैंक लि०	432.76
25.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाद	113.32
26.	इन्दुज इंड बैंक	5018.42
27.	आई सी आई सी आई बैंक	6072.94
28.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	4096.80
29.	एच डी एफ सी बैंक	2915.11
30.	सेंचुरियन बैंक	2140.81
31.	बैंक ऑफ पंजाब	1766.10
32.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	1883.39
33.	टाइम्स बैंक	3011.18
34.	आई डी बी आई बैंक	2092.30

*बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलित

विवरण-V

दिनांक 31.3.199 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों की जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	बैंक का नाम	जमाराशियां
1	2	3
1.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	486.41

1	2	3
2.	ए बी एन आम्री बैंक	1881.00
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	1733.30
4.	ए एन जेड ग्रींडलेज बैंक	8691.08
5.	बैंक ऑफ अमेरिका एन टी एंड बी ए	3501.85
6.	बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत	280.31
7.	मश्रेक बैंक	236.34
8.	बैंक ऑफ नोवा स्कोत्ता	593.13
9.	बैंक ऑफ टोकियो	995.11
10.	क्रेडिट एग्री० इंडोस्वेज	224.35
11.	बैंक नेशनल द पेरिस	924.04
12.	बारक्लेज बैंक	183.13
13.	ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडल ईस्ट	977.33
14.	सिटी बैंक	9436.63
15.	क्रेडिट ल्यो०	771.31
16.	डच बैंक	2128.35
17.	हांगकांग बैंक	6386.02
18.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	352.76
19.	सकूरा बैंक	246.97
20.	सान्वा बैंक	91.89
21.	सोसाइटी जनरल	421.67
22.	सोनाली बैंक	21.82
23.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	6352.65
24	इंग बैंक	192.69
25.	द चैस म० बैंक	6.11
26.	स्टेट बैंक ऑफ मौरिशियस	127.12
27.	डे० बैंक ऑफ सिंगापुर	110.80
28.	डेरडनर बैंक	197.17
29.	कॉमर्स बैंक	286.45
30.	बैंक ऑफ सिलोन	40.74
31.	द श्याम कामर्शियल बैंक	67.53
32.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	32.12
33.	अरब बंग्लादेश बैंक	22.15
34.	चो हंग बैंक	90.86
35.	चाइनी ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	53.11
36.	फूजी बैंक	119.66
37.	क्रुंग थाई बैंक	2.24
38.	ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कार्पो०	14.59
39.	सुमीटोमो बैंक	193.05
40.	टोरंटो डोमीनियन बैंक कनाडा	शून्य
41.	मशकट बैंक	20.69
42.	मोरगन स्टैले बैंक कं०	शून्य

उड़ीसा के तूफान पीड़ित क्षेत्रों के गैर-सरकारी संगठनों को छूट

2373. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई गैर-सरकारी संगठनों ने उड़ीसा के महाचक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आयकर की धारा 80जी के अंतर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो धारा 80जी के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को दी गई छूट का ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी, 2000 के दौरान दिल्ली सर्किल में इसी प्रकार की छूट प्राप्त करने संबंधी किन-किन गैर-सरकारी संगठनों के आवेदन लंबित हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) संपूर्ण भारतवर्ष में आयकर आयुक्तों द्वारा धारा 80छ के अंतर्गत छूट की अनुमति दी जाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस विषय पर कोई केन्द्रित सूचना नहीं रखता है।

(ग) से (ङ) जनवरी, 2000 में किसी भी गैर-सरकारी संगठन ने धारा 80छ के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन नहीं किया था। तथापि चक्रवात के उपरांत दिल्ली में निम्नलिखित गैर-सरकारी संगठनों ने आवेदन किया था और उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था :

(i) अरुणा अभय ओसवाल ट्रस्ट

(ii) उड़ीसा साइक्लोन रिलीफ रीकंस्ट्रक्शन फंड

(iii) वी केयर।

निर्यात संवर्धन परिषद

2374. **श्री मोहन रावले :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत निर्यात संवर्धन परिषद का ब्यौरा क्या है;

(ख) अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति में ये निर्यात संवर्धन परिषदें किस सीमा तक सफल रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन निर्माण परिषदों के कार्यकरण का पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 20 निर्यात संवर्धन परिषदें हैं जिनमें से 11 वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में तथा 9 वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण ने विश्व के बाजारों में नये अवसरों तथा चुनौतियों को जन्म दिया है। राष्ट्रीय निर्यात प्रयास में निर्यात संवर्धन परिषदों की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा इन विकासों को अंगीकार करना महत्वपूर्ण है। बाह्य आर्थिक वातावरण में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप प्रत्युत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यात संवर्धन परिषदें विशेष और अधिक ध्यान देकर निर्यात प्रयास में अधिक सार्थक भूमिका निभाएं। निर्वाचन संबंधी क्रियाविधियों को युक्तिसंगत बनाना भी आवश्यक है ताकि ई०पी०सी० के प्रबंधन में वास्तविक निर्यातकों की कारगर भूमिका सुनिश्चित हो सके। ई०पी०सी० के पुनर्गठन के संबंध में की जा रही पहल से इन चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।

विवरण

1. इलैक्ट्रानिक एंड साफ्टवेयर कम्प्यूटर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
2. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।
3. शैलेक निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।
4. काउंसिल फार लैदर एक्सपोर्टस निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई।
5. मूल रसायन, भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।
6. दी प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।
7. कैमिकल्स एंड एलाईड प्रोडक्ट्स निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
8. ओवरसीज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लि०, नई दिल्ली।
9. रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।
10. खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
11. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन।
12. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
13. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।
14. पावरलूम डेवलपमेंट निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।
15. वूल एंड वूलन्स निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
16. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई।
17. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
18. दी सिंथेटिक एंड रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।
19. दी काटन टैक्सटाईल्स निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई।
20. एपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

[हिन्दी]

बुनकरों के लिए यूएनडीपी की सहायता

2375. **श्री राजो सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश में विशेषकार बिहार के बुनकरों की दक्षता बढ़ाने के लिए यूएनडीपी या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के बुनकरों को सरकार से कोई तकनीकी लाभ या सूचना नहीं मिली है;

(घ) क्या बिहार के बुनकरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और अन्य विपणन स्थलों पर प्रदर्शित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार बिहार के बुनकरों को कोई विशेष पैकेज प्रदान करने पर विचार कर ही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा बिहार के बुनकरों को तकनीकी लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत उचित सहायता

प्रदान की गई है। भागलपुर में स्थापित बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एस सी) के माध्यम से बुनकरों को सूचना तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास और उनके विपणन की स्कीम के अन्तर्गत निर्यातयोग्य उत्पादों के विकास हेतु हथकरघा अभिकरणों को सहायता प्रदान की जा रही है। हथकरघा संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) और (च) भारत सरकार बिहार सहित राज्य सरकारों के हथकरघा बुनकरों के लाभ हेतु प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न विकासात्मक तथा कल्याण स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

[अनुवाद]

अर्थोपाय अग्रिम

2376. श्री टी० गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिम की समयावधि बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोयाबीन का आयात

2377. श्री महबूब जहेदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से सोयाबीन के आयात पर पिछले दो वर्षों के दौरान आयात-शुल्क 35 प्रतिशत कम कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका से सोयाबीन के आयात का प्रतिशत 12% से बढ़कर 46% हो गया है;

(ग) क्या इससे सोयाबीन के घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय कपास निगम के खरीद केन्द्र

2378. श्री पी०आर० खूंटे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय कपास निगम ने कपास की खरीद हेतु राज्य-वार कितने खरीद केन्द्र स्थापित किए हैं; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने नये खरीद केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) भारतीय कपास निगम द्वारा स्थापित राज्यवार खरीद केन्द्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	खरीद केन्द्रों की संख्या	
पंजाब	15	
हरियाणा	10	
राजस्थान	30	
म०प्र०	38	
गुजरात	41	
आंध्र प्रदेश	57	
कर्नाटक	22	
तमिलनाडु	5	
अन्य	4	(मेघालय–1)
		(उड़ीसा–4)
कुल	222*	

*वित्तीय वर्ष 1999-2000 में खोले गए नये केन्द्र भी शामिल हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान सी सी आई ने 13 नये केन्द्र खोले हैं, जिनमें उड़ीसा तथा राजस्थान प्रत्येक में 1, 2 केन्द्र हरियाणा तथा 9 केन्द्र आंध्र प्रदेश में हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान आगे अन्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

म्युचुअल फण्ड

2379. श्री विकास चौधरी :
श्री सुनील खां :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के परिसमापन बाजार के उदारवादी होने के कारण तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को म्युचुअल फण्ड-सैक्टर में प्रवेश करने की अनुमति होने के कारण अनेक व्यक्तियों को यह क्षेत्र निवेशकों

के साथ धोखाधड़ी करने के लिए आसान क्षेत्र के रूप में मिल गया है तथा बड़ी संख्या में कंपनियों ने निवेशित निधियों का अन्यत्र प्रयोग कर अपने कार्यकलाप बंद कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसी कितनी और कौन-कौन-सी कंपनियों की सूचना प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) म्यूचुअल फंडों द्वारा अपने प्रचालन बंद कर दिए जाने के कोई मामले नहीं हैं। तथापि, सी०आर०बी० म्यूचुअल फंड की समूह कंपनियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों में अनियमितताओं के अनुसरण में उसके प्रचालन सेबी द्वारा मई, 1997 में बंद करवा दिए गए थे।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सोने की खोज

2380. **श्री सुरेश रामराव आधव : क्या खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वर्ष 1996 से 1998 के बीच में देश में सोने और हीरे की खोज और खनन के कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खोज और खनन कार्य आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कंपनियों को शीघ्रातिशीघ्र व्यापार में जुट जाने में समर्थ बनाने हेतु पारदर्शी मानदंडों के आधार पर एक द्रुत प्रक्रिया का निर्माण करने हेतु कौन कौन से नये कदम उठाए गए हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत, कोई भारतीय नागरिक या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित केवल किसी कंपनी को ही स्वर्ण एवं हीरा सहित, खनिजों के गवेषण या खनन के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा दिया जा सकता है। अत: खनन विधेयक की मौजूदा स्कीम के तहत किसी विदेशी कंपनी को पूर्वेक्षण/खनन प्रचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बीमा नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय

2381. **श्री जी०एस० बसवराज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से बीमा नियामक प्राधिकरण के मुख्यालय के लिए बंगलौर में स्थान निर्धारित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में हैदराबाद शहर का भी नाम सुझाया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (घ) जी, हां।

(ख) से (ङ) बीमा विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय इस समय दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार को आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों से इसके मुख्यालय को उनके राज्य में स्थित करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद, यदि इसके मुख्यालय को दिल्ली से अन्यत्र स्थित करने का निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकारों के अनुरोधों पर उचित निर्णय लेने के संबंध में विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

कीटनाशी दवाओं का निर्यात

2382. **श्री तूफानी सरोज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी दवाओं का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इनसे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क घटक के कारण लघु कीटनाशी दवा विनिर्माता यूनिटें बंद होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी लघु यूनिटें बंद हो गई हैं;

(ङ) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस उद्योग पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लघु उद्योगों को बचाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार निर्यात आय निम्न प्रकार रही है :

1996-97	1997-98	1998-99 (अप्रैल, 98-फरवरी, 99)
701.7	691.7	764.9

(ग) सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस प्रवृत्ति के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण प्रदान करने हेतु विश्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तें

2383. श्री विजय गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूर्व शर्त रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारत के बारे में विश्व बैंक की क्या राय है; और

(घ) भारत की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इस पूर्व शर्त के कारण अपेक्षित धन प्राप्त नहीं कर सकी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भ्रष्टाचार का सामना करने के विश्व बैंक के प्रयासों के एक भाग के रूप में इसने सभी देशों को उधार देने की शर्तों में कतिपय उपबंध किए हैं। इन उपबंधों के अंतर्गत, यदि बैंक किसी ऋण की प्राप्तियों से वित्तपोषित की जाने वाली किसी संविदा के संबंध में यह निर्णय कर लेता है कि ऐसी संविदा की प्राप्ति अथवा निष्पादन के दौरान उधारकर्त्ताओं अथवा ऋण के लाभानुभोगी के प्रतिनिधियों ने भ्रष्ट और धोखाधड़ी का व्यवहार किया है और जहां उधारकर्त्ता ने इस स्थिति का समाधान करने के लिए बैंक की इच्छा के अनुरूप समयोचित तथा उपयुक्त कार्रवाई नहीं है; और ऐसी संविदा के संबंध में, जो अन्यथा ऋण की प्राप्तियों से वित्तपोषित किए जाने हेतु पात्र होती, व्यय की राशि निर्धारित कर लेता है।

– तब बैंक ऐसी राशि के संबंध में उधारकर्त्ता का आहरण करने का अधिकार समाप्त कर सकता है।

ये शर्तें बैंक द्वारा सभी देशों को दिए गए सभी ऋणों पर लागू होती हैं और ये विशेष रूप से भारत के लिए नहीं है। इस उपबंध के कारण भारत में किसी भी परियोजना का वित्तपोषण प्रभावित नहीं हुआ है। विश्व बैंक ने इस संबंध में भारत के लिए कोई विशेष मत व्यक्त नहीं किया है।

[अनुवाद]

नमक विभाग के स्वामित्व के संबंध में विवाद

2384. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के पूर्वी उपनगरों तथा ट्रांबे में नमक विभाग की भूमि के स्वामित्व/आवंधन तथा कब्जे के संबंध में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के राजस्व विभाग द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों के पक्ष में कतिपय आदेश पारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) जी, हां। 31 दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार, मुंबई के पूर्वी उपनगरों (बेलापुर, भंडूप, बडाला और ट्रांबे) में नमक विभाग की भूमि से संबंधित भूमि के स्वामित्व और कब्जे के संबंध में 71 मामले कई अदालतों में लंबित पड़े थे।

(ग) से (ङ) जी, हां। महाराष्ट सरकार के राजस्व विभाग ने चार मामलों में नमक विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत भूमि के स्वामित्व के दावों को अनुमोदित कर दिया है। संघ सरकार उन निर्णयों से सहमत नहीं है और इसलिए इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

स्विस व्यापार दल की यात्रा

2385. श्री वाई०एस० विवेकानंद रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी हाल ही की भारत यात्रा के दौरान स्विस दल ने हैदराबाद की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो क्या स्विस दल ने भारत से व्यापार बढ़ाने के लिए हैदराबाद को चुना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु कौन-से ठोस उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) श्री पास्कल कौशेपिन, आर्थिक मामलों के मंत्री के नेतृत्व में एक स्विस प्रतिनिधिमंडल ने 15 से 18 फरवरी 2000 के बीच की गई भारत की अपनी यात्रा के दौरान हैदराबाद का दौरा किया था।

(ख) स्विस प्रतिनिधिमंडल ने भारत में आंध्र प्रदेश की पहचान निवेश स्थलों में से एक स्थल के रूप में की है।

(ग) सरकार ने विदेशी निवेश की प्राप्ति को पहले ही उदार बना दिया है और भारत में स्विस निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक द्विपक्षीय ढांचा मौजूद है।

सिन्थेटिक सामान से कपड़ा बाजार को बड़ा खतरा

2386. श्री पी०एच० पांडियन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा बाजार सिंथेटिक सामान के कारण बड़े खतरे का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) वस्त्र बाजार में वस्त्र फाईबर/यार्नों की विविध श्रेणी की उत्पादित वस्त्र मदों के विभिन्न प्रकार जैसे सूती, सेल्यूलोसिक, सिंथेटिक, ऊनी, पटसन तथा एसे फाईबर/यार्नों से बने मल्टीप्ल ब्लैंड शामिल हैं। सिंथेटिक सामग्री के विभिन्न प्रकारों सहित वस्त्र सामग्री की भिन्नता उपभोक्ता मांग एवं पसंदगी के संदर्भ में एक-दूसरे को पूरा करती है।

(ग) उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर ऐसी वस्त्र सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार नीतिगत उपायों के माध्यम से सभी प्रकार की वस्त्र सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।

महाराष्ट्र में टंग्स्टन खानों का सर्वेक्षण

2387. श्री सुबोध मोहिते : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में टंग्स्टन खानों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और उनका पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नागपुर जिले में टंग्स्टन खान को खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों पर कब तक उत्खनन कार्य आरम्भ हो जाएगा ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने आगर-गांव में (2.23 मिलयिन टन अयस्क, 65 प्रतिशत डब्ल्यू०ओ० सांद्र वाले 2015 टन के समतुल्य) कुही-खोबना क्षेत्र में (2.50 मिलियन टन अयस्क, 65 प्रतिशत डब्ल्यू०ओ० सांद्र वाले 7373 टन के समतुल्य), भोनरी में (7.89 मिलयिन टन अयस्क, 65 प्रतिशत डब्ल्यू०ओ० सांद्र वाले 23010 टन के समतुल्य) और रणबोरी क्षेत्र में (2.53 मिलियन टन अयस्क, 65 प्रतिशत डब्ल्यू०ओ० सांद्र वाले 68883 टन के समतुल्य) टंग्स्टन भंडारों के होने का पता लगाया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डीजल से होने वाला प्रदूषण

2388. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल में बहुत सूक्ष्म पदार्थों की मौजूदगी के कारण उससे होने वाला प्रदूषण हानिकारक है;

(ख) क्या आटोमोबाइल के लिए यूरो-I और II मानक निर्धारित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 50 प्रतिशत से भी अधिक ट्रैक्टरों का प्रयोग सामान/यात्रियों के परिवहन के लिए होता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो क्या ट्रैक्टरों के लिए कोई निस्सरण (इमिशन) मानक निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उसे निर्धारित करने तथा सड़क पर उसके आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी हां, यदि पर्यावरण में डीजल से विविक्त पदार्थ की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक हो।

(ख) और (ग) इंडिया 2000 मानदंड, जो यूरो-I मानदंडों के सदृश हैं, सभी प्रकार के वाहनों के लिए विनिर्धारित किए गए हैं और ये 1.4.2000 से प्रभावी हो जाएंगे। 3.5 टन तक सकल वाहन भार के चार पहिए वाले वाहनों के लिए भारत II उत्सर्जन मानदंड यूरो-II मानदंडों के सदृश विनिर्धारित किए गए हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.4.2000 से लागू हो जाएंगे।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ट्रैक्टरों का उपयोग मुख्यत: कृषि उद्देश्यों के लिए हैं।

(च) और (छ) ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानदंड 1 अक्टूबर, 1999 से भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित किए गए हैं।

एशियाई विकास बैंक से अतिरिक्त निधियां

2389. श्री अनंत नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एशियाई विकास बैंक से अतिरिक्त निधि मांगने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को एशियाई विकास बैंक से कितनी ऋण राशि प्राप्त हुई और 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कितना ऋण मिलने की आशा है;

(ग) इन वर्षों में एशियाई विकास बैंक से किन-किन विशेष कार्यों के लिए ऋण/निधि प्राप्त हुई; और

(घ) एशियाई विकास बैंक से प्राप्त निधियों का कितना उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक के एशियाई विकास बैंक के ऋण

परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तारीख	ऋण की राशि (मिलियन अमरीकी डालर में	31.1.2000 तक किया गया उपयोग
1405-विद्युत संप्रेषण क्षेत्र परियोजना	18.7.1996	275.00	169.307
1415-कर्नाटक शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना	10.5.1996	85.00	25.814
1416—कर्नाटक शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना (एच०डी०एफ०सी०)	15.12.1996	20.00	20.00
1465—नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजना	23.4.1997	100.00	40.734
1480—निजी क्षेत्र बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजना-आई०सी०आई०सी०आई०	14.8.1997	150.00	98.652
1481—निजी क्षेत्र बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजना-आई०एफ०सी०आई०	14.8.1997	100.00	47.285
1506—गुजरात सार्वजनकि क्षेत्र संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम ऋण	18.12.1996	250.00	150.00
1549—आवासन वित्त परियोजना—एन०एच०बी०	6.11.1997	100.00	100.00
1550—आवासन वित्त परियोजना—हुडको	6.11.1997	100.00	100.00
1549—आवासन वित्त परियोजना—एच०डी०एफ०सी०	6.11.1997	100.00	100.00
1556—मुम्बई पत्तन परियोजना	25.9.1998	97.80	11.667
1557—चेन्नई पत्तन परियोजना	25.9.1998	15.20	0.677
1591—एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना	11.12.1998	150.00	37.863
1647—राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना	2.12.1999	250.00	0.00
1709—कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंधन	*	175.00	0.00
1717—मध्य प्रदेश सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम ऋण	14.12.1999	250.00	100.00
1719—शहरी पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजना—हुडको	*	90.00	0.00
1720—शहरी पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजना—आई०सी०आई०सी०आई०	*	80.00	0.00
1721—शहरी पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा सुविधा परियोजना आई०डी०एफ०सी०	*	30.00	0.00

*एशियाई विकास बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जिन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2000 2001 के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता के लिए परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और ऋणों के अनुमोदित होने, करार हस्ताक्षरित् होने तथा उन्हें प्रभावी घोषित किए जाने के पश्चात् ही सहायता की वास्तविक राशि ज्ञात हो सकेगी।

कोयला उत्खनन का पर्यवेक्षण

2390. **श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और मेघालय में खुली मुहाने वाली खानों से कोयले के उत्खनन पर केन्द्र सरकार का पर्यवेक्षण है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों में कोयला उत्खनन में शामिल निजी कंपनियों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या खुली मुहाने वाली खदान हेतु अनुमति देने के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला कोई अधिकरण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 से 1998-99 के दौरान वर्ष-वार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कोयला उत्खनन से कितनी धनराशि प्राप्त की गई और कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया, वर्ष-वार ब्यौरा उपलब्ध कराएं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) केन्द्र सरकार, खान और खनिज मंत्रालय (कोयला विभाग), श्रम मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं योजना आयोग के माध्यम से नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स/कोल इंडिया लि० के अंतर्गत कोयला खानों से कोयले की निकासी का पर्यवेक्षण करती है। इन कोयला खानों में असम और मेघालय राज्य की ओपनकास्ट खानें भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) असम और मेघालय में कोयला की निकासी में निजी भागीदारी को विनियमित करने के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में कोयला और लिग्नाइट सहित खनिजों की निकासी के लिए खनन पट्टा प्रदान करने के नियम हैं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में देश में कोयला खनन की पात्रता के प्रावधान निहित हैं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(ए)(iii) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लौह और इस्पात के उत्पादन, तापीय विद्युत उत्पादन और सीमेंट के उत्पादन से जुड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने संबद्ध अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्रों में ग्रहीत उपभोग के लिए कोयला खनन कर सकती हैं। इन पार्टियों को कोयला विभाग की जांच समिति द्वारा ग्रहीत ब्लॉकों के आवंटन के बाद, उन्हें खनन योजनाओं को तैयार करने के लिए व्यक्तियों को केन्द्र सरकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। ऐसे मान्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा खनन योजनाओं को तैयार करते समय, कोयला विभाग की अधिकार संपन्न स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है और इसके बाद इन पार्टियों को खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए संबद्ध राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना पड़ता है। संबद्ध राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान किए जाने के बाद, निजी क्षेत्र की कंपनियां ग्रहीत उपभोग के लिए कोयले का खनन कर सकती हैं। अत: अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अथवा खनन पट्टा प्रदान करने वाला प्राधिकारी, संबंधित राज्य सरकार होता है।

(ङ) असम राज्य में कोल इंडिया लि० के अंतर्गत नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (नाईको) द्वारा उत्पादित कोयला के संबंध में आवश्यक सूचना नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	निकाला गया कोयला (लाख टन में)			भारत सरकार को प्राप्त होने वाली राशि (लाख रु०)		असम राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राशि (लाख रु०)	
	भूग	ओका	जोड़	उपकर	सीएसटी	रायल्टी	एजीएसटी
95-96	3.00	5.21	8.21	28.74	345.34	985.20	86.34
96-97	2.79	4.73	7.52	26.32	328.35	902.40	82.09
97 98	2.01	4.86	6.87	24.05	310.96	824.40	77.74
98 99	1.80	4.57	6.37	22.30	288.33	764.40	72.08

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस द्वारा मेघालय राज्य में कोयले का कोई उत्पादन नहीं किया जाता है।

एनबीएफसीएस के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देश

2391. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 2000 को प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार 'इज द आर बी आई एबडीकेटिंग इट्स रिस्पॉंसिबिलीटीज' की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें छपे समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एस आर ओ) का गठन करने और भारतीय रिजर्व बैंक के उन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों से संबंधित है, जिनका उल्लंघन बाम्बे डाइंग ने वाणिज्यिक पत्र जारी कर किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय-III-ख के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक एन बी एफ सी को नियंत्रित कर रहा है और उसने एन बी एफ सी धारिता/सार्वजनकि जमाराशियां स्वीकार करने के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु विस्तृत तंत्र विकसित किया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रभावी विनियामक और पर्यवेक्षण तंत्र है, तथापि, वह एस आर ओ स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है जो नीति संहिता स्थापित करने, कारोबार संबंधी निष्ठाहीन प्रथाओं को नियंत्रित करने और अपने सदस्यों के बीच अनुशासन-बोध जागृत करने की दिशा में कार्य कर सके। तथापि, एस आर ओ भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी भूमिका का स्थान नहीं लेगा।

जहां तक वाणिज्यिक पत्र जारी करने के कार्य को नियंत्रित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के कथित उल्लंघन का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपेक्षित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामले का परीक्षण प्रारम्भ किया है।

काजू के बागान

2392. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न काजू उत्पादक राज्यों में कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर काजू की खेती की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना अवधि के दौरान काजू की खेती का क्षेत्र बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न काजू उत्पादक राज्यों द्वारा इसके लिए कौन-कौन सी विशेष योजना बनाई गई हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन काजू उत्पादक राज्यों के लिए सहायता राशि कितनी दी गई है और कितनी राशि मंजूर करने का प्रस्ताव किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आठवीं योजना अवधि में काजू की खेती करने वाले विभिन्न राज्यों में कुल 62,065 हैक्टेयर क्षेत्र में काजू की खेती की गई।

(ख) जी, हां।

(ग) काजू की खेती करने वाले सभी राज्यों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना में 9वीं योजना अवधि के अंत तक 87,000 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है।

(घ) 9वीं योजना अवधि के लिए 70 करोड़ रु० के प्रस्तावित प्रावधान में से केन्द्रीय सरकार ने इस योजना अवधि में अब तक 35.60 करोड़ रु० की सहायता प्रदान की है।

प्लांटेशन कंपनियां

2393. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन प्लांटेशन कंपनियों में लोगों का धन लगा हुआ है, वे अपनी योजनाओं की अवधि पूरी होने पर लोगों को किसी एक अथवा अन्य कारण का बहाना बनाकर धन वापस नहीं कर रही हैं तथा इन लोगों को परेशान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लोगों की शिकायतों और प्रेस रिपोर्टों के आधार पर ऐसी प्लांटेशन कंपनियों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों/संगठनों को काली सूची में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इनके द्वारा नई योजनाओं के माध्यम में लोगों से धन नहीं जुटाया जा सके; और

(घ) ऐसी कंपनियों और संगठनों के खिलाफ लोगों द्वारा शिकायतों दर्ज कराए जाने वाले सरकारी संगठनों के नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) विभिन्न प्लांटेशन कंपनियों के विरुद्ध निवेशकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सरकार ने, दिनांक 18 नवंबर, 1997 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा निदेश दिया है कि उन योजनाओं जिनके माध्यम से कंपनियों द्वारा लिखतें यथा एग्रो बांड तथा प्लांटेशन बांड, जारी की जाती हैं, को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के दायरे के अंतर्गत आने वाली सामूहिक निवेश योजनाएं माना जाएगा। सेबी ने दिनांक 26 नवंबर, 1997 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति तथा दिनांक 18 दिसंबर, 1997 की अपनी सार्वजनिक सूचना के द्वारा मौजूदा योजनाओं को अपनी योजनाओं के विवरण सेबी के पास दर्ज कराने का निदेश दिया है।

सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 को अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद से एक सामूहिक निवेश प्रबन्ध कंपनी, जिसने विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति सामूहिक निवेश योजना को चला अथवा प्रायोजित अथवा प्रारम्भ नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, किसी सामूहिक निवेश योजना को कोई नई योजना प्रारंभ करने या निवेशकों से मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत धन जुटाने की तब तक अनुमति नहीं दी गई है, जब तक कि विनियमों के अंतर्गत इसको पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान न किया गया हो।

सेबी ने 642 कंपनियों जिन्होंने कथित रूप से 2681 करोड़ रुपये इकट्ठे किए थे, से सूचना प्राप्त की है। इन 642 कंपनियों में से 32 कंपनियों ने सेबी (सीआईएस) विनियम, 1999 के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए सेबी को आवेदन किया है। विनियमों के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने में असफल या सेबी से अनंतिम पंजीकरण प्राप्त करने की अनिच्छुक कंपनियों से अपनी विद्यमान योजनाएं अनिवार्यतः बंद करना तथा निवेशकों को भुगतान करना अपेक्षित है। इस प्रकार बाकी 610 सीआईएस कंपनियों से अपनी योजनाएं बंद करना तथा निवेशकों को पुनर्भुगतान करना अपेक्षित है।

सेबी समय-समय पर इस आशय की प्रेस विज्ञप्तियां/सार्वजनिक सूचनाएं जारी करता रहा है कि कोई कंपनी सेबी से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना निधियां नहीं जुटा सकती तथा आज तक किसी कंपनी को पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) सेबी कार्यालयों जहां सेबी (सी आई एस) विनियम, 1999 के दायरे में आने वाली निवेशक शिकायतों के संबंध में संपर्क किया जा सकता है, की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

यदि कंपनियां अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने में असफल रहती हैं, तो निवेशक जिला उपभोक्ता निवारण मंच, से भी संपर्क कर सकते हैं।

विवरण

सेबी कार्यालय	निम्नलिखित राज्यों में पंजीकृत कार्यालय रखने वाली कंपनियों का क्षेत्राधिकार
सेबी मुख्यालय मित्तल कोर्ट 'क' स्कंध, भूतल, 224, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021, दूरभाष : 2850451-55, फैक्स : 2045633	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोआ, दादरा तथा नागर हवेली तथा दमन दीव।
सेबी उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्लॉक नं० 1, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, जिला केन्द्र, नई दिल्ली-110008, दूरभाष : 5732313, 5718911, फैक्स : 5768992	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़।
सेबी पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय : एफ०एम०सी० फार्चूना, 5वां तल, 234/3ए, ए०जे०सी० बोस रोड, कलकत्ता-700020, दूरभाष : 2402455, 4307,6105 फैक्स : 2404307	असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, प० बंगाल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।
सेबी दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय : तृतीय तल, डी मोन्टे बिल्डिंग, 32, डी मोंटे कॉलोनी, टीटीके रोड, अलवरपेट, चेन्नई-600018, दूरभाष : 4995676, 5525, 7385, 7480, 7540, फैक्स : 4998083	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप एवं मिनिकाय।

आई डी बी आई और आई एफ सी आई के बीच गठजोड़

2394. **श्री कृष्णम राजू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23 फरवरी, 2000 को 'पायोनियर' समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार आई डी बी आई, आई एफ सी आई के पुनर्गठन हेतु स्वतंत्र अध्ययन कराना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) क्या आई डी बी आई का विचार आई एफ सी आई के साथ गठजोड़ करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आई डी बी आई स्वयं पुनर्गठन की प्रक्रिया में हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) आई एफ सी आई के साथ किस प्रकार का गठजोड़ किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 23 फरवरी, 2000 के 'दि पायोनियर' में प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) के अध्यक्ष ने कथित रूप से कहा है कि आई एफ सी आई की गिरती लाभप्रदता, अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) की अपेक्षाकृत उच्च दर और कम पूंजी पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए, आई एफ सी आई के पुनर्गठन की जांच करने और अर्थक्षम तरीकों का सुझाव देने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की आवश्यकता है।

(ग) से (छ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और आई एफ सी आई लि० के बीच किसी गठजोड़ का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) आई डी बी आई अपनी पूंजी संबंधी पुनर्संरचना प्रस्ताव पर काम कर रहा है।

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

2395. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में शिल्प संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य के शिल्पकार व हथकरघा कर्मकारों के सामर्थ्य के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने आंध्र प्रदेश से हथकरघा निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में कराई गई

जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश में 121880 कारीगर हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के शिल्पों, विशेषकर, पीतल के बर्तन, बिदरी वेयर, कढाई की वस्तुओं, चांदी की नक्काशी, लकड़ी के काम, कालीनों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है।

आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश से हस्तशिल्प का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विदेशों में प्रचार, सूची पत्रों का प्रकाशन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना और वार्षिक कार्यक्रम के रूप में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय उपहार मेला तथा भारतीय कालीन एक्सपो आयोजित करना शामिल है।

तमिलनाडु में खनिजों का पता लगाने के लिए अनुसंधान

2396. **श्री ए० कृष्णास्वामी** : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीपेरुम्बदूर, तिरुवल्लूर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जमीन के नीचे कुछ मूल्यवान खनिज हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल के वर्षों के दौरान या विगत में उक्त क्षेत्रों में खान और खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) को श्रीपेरुम्बदूर, तिरुवल्लूर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में किए गए मानचित्रण के दौरान कोई बहुमूल्य भूमिगत खनिज नहीं मिले हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों का विकास

2397. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से पहचान किए गए निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करने हेतु कोई व्यापक व्यावहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) बिहार सरकार से पहचान किए गए निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कोई व्यापक व्यावहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीमा दावे

2398. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रविप्रकाश वर्मा :
श्री भीम दाह्याल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राज्य वार प्रत्येक बीमा कंपनी में भुगतान के लिए लंबित बीमा दावों के कितने मामले एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष से अधिक अवधि से लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों द्वारा दावे संबंधी मामलों के भुगतान में विलंब किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) इन मामलों विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) अपेक्षित सूचना क्रमश: विवरण I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) सामान्यत: दावों के निपटान में कोई विलंब नहीं होता है। बीमित व्यक्ति द्वारा सभी अपेक्षाओं के पूर्ण करने पर दावों का तुरंत निपटान कर दिया जाता है।

(घ) समय-समय पर उद्योग ने दावों के त्वरित निपटान के लिए कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सहित संपूर्ण देश में कई उपायों की शुरुआत की है। इसमें 20,000/- रुपये तक के दावों की संस्थानान्तर्गत समीक्षा व्यवस्था, लोक अदालत तथा जल्द राहत योजना के माध्यम से निपटान, दावों के निपटान की प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा मानकीकरण, प्रादेशिक कार्यालयों में स्थानीय दावा समीक्षा समितियों की स्थापना करना आदि शामिल है।

विवरण-I

क्र० सं०	क्षेत्र और राज्य	दि० 31.12.1999 को स्थिति के अनुसार बकाया दावों की संख्या			
		नेशनल	न्यू इंडिया	ओरिएंटल	यूनाइटेड इंडिया
1	2	3	4	5	6
1.	**उत्तरी क्षेत्र**				
	(क) चंडीगढ़	1548	12483	801	
	(ख) हिमाचल प्रदेश	412	1342	1552	7784

1	2	3	4	5	6
	(ग) जम्मू और कश्मीर	616	682	4034	
	(घ) दिल्ली	24565	16982	22727	7288
	(ङ) उत्तर प्रदेश	26201	11979	17527	8590
	(च) राजस्थान	4321	9313	8797	6835
	(छ) हरियाणा	1964	3982	5607	
	(ज) पंजाब	8094	6974	4436	5393
2.	पूर्वी क्षेत्र				
	(क) अंडमान और निकोबार	–	–	–	
	(ख) उड़ीसा	5031	9586	9582	9204
	(ग) सिक्किम	61	110	–	
	(घ) प० बंगाल	7935	22652	8715	
	(ङ) बिहार	4024	4795	9475	1898
	(च) अरुणाचल प्रदेश	86	–	398	
	(छ) असम	3428	3974	4292	
	(ज) मणिपुर	306	93	162	
	(झ) मेघालय	337	133	487	3551
	(ञ) मिजोरम	190	87	140	
	(ट) नागालैंड	320	72	245	
	(ठ) त्रिपुरा	607	46	193	
3.	दक्षिण क्षेत्र				
	(क) आंध्र प्रदेश	12449	11524	15692	17998
	(ख) कर्नाटक	14135	20773	29960	12091
	(ग) करेल	26526	22632	37153	23695
	(घ) पाण्डिचेरी	1498	786	3894	
	(ङ) तमिलनाडु	17621	22850	29452	33041
4.	पश्चिमी क्षेत्र				
	(क) गोआ	1014	1417	1167	
	(ख) महाराष्ट्र	19073	58733	29514	23523
	(ग) गुजरात	9748	39404	25174	
	(घ) दमन	–	–	483	27994
	(ङ) दीव	–	–	292	
	(च) मध्य प्रदेश	14691	14293	12170	5765
	योग	206801	297697	284121	194650

विवरण-II

दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कंपनीवार तथा वर्षवार लंबित दावे

कंपनी का नाम	1 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि०	48,518	39,285
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि०	55,298	53,496
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि०	63,285	73,457
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि०-1	35,074	33,719

कटिहार पटसन मिल

2399. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार की आर०बी०एच०एम० पटसन मिल को कच्चे पटसन की आपूर्ति के अभाव में 02.11.99 से बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या जे०सी०आई० ने पटसन मिलों को कच्चे पटसन की आपूर्ति इसलिए बंद कर दी है क्योंकि वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसे गारंटी से संबंधित पत्र नहीं दिए गए थे;

(ग) क्या पटसन मिलों के बंद होने के कारण लगभग तीन हजार कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और वे भुखमरी के कगार पर हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जे०सी०आई० के जरिए कच्चे पटसन की आपूर्ति कर इन बंद पटसन मिलों को बिना और विलंब किए पुन: चालू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार आर०बी०एच०एम० पटसन मिलों को स्वायत्तशासी प्रबंध अधिकार प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधी एम० रामाचन्द्रन) : (क) से (ङ) जी, नहीं। कटिहार में आर०बी०एच०एम० पटसन

मिल में उत्पादन कार्य एम०जे०एम०सी० द्वारा कच्चे पटसन की बकाया राशि का भुगतान न करने के मद्देनजर भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की आपूर्ति को रोक देने के कारण 28.10.99 से अस्थायी तौर पर बंद हुआ है। सरकार एस०टी०सी० के साथ पुन: खरीद व्यवस्थाओं के अंतर्गत कच्चा पटसन खरीदकर मिल में उत्पादन को पुन: शुरू करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। एन०जे०एम०सी० मिलों को परिवर्तन आधार पर चलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कार्य के बंद हो जाने के कारण कोई कामगार अपनी नौकरी से वंचित नहीं हुआ है क्योंकि सरकार मिल के नियमित कर्मचारियों एवं कामगारों को वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिए निधियां प्रदान कर रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी कंपनियां

2400. श्री मानसिंह पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विदेशी कंपनी के साथ भारत में सहयोग आधार पर निवेश किए जाने के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किए जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) सरकार ने आर्थिक सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए नयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की घोषणा की है और निम्नलिखित के सिवाए सभी मदों/कार्यकलापों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश और विदेशी कार्पोरेट निकाय निवेश के लिए स्वत: मार्ग के तहत रखा गया हैं :

1. ऐसे सभी प्रस्ताव जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अपेक्षित हो, जिसमें ये शामिल हैं–(i) ऐसी मदें जिनके लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित हो; (ii) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करने वाले ऐसे एकक जिनकी इक्विटी पूंजी में 24 प्रतिशत से अधिक का विदेशी निवेश शामिल हो; (iii) ऐसी सभी मदें, जिनके लिए 1991 की नयी औद्योगिक नीति के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान संबंधी नीति की शर्तों के अनुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य हो।

2. ऐसे सभी प्रस्ताव जिनमें संबद्ध विदेशी सहयोगकर्त्ता का भारत में कोई पूर्व उद्यम/अनुबंध हो। ऐसे मामलों पर 1998 शृंखलात्मक प्रेस नोट सं० 18 दिनांक 14.12.1998 में विनिर्दिष्ट रीतियां लागू होंगी।

3 ऐसे सभी प्रस्ताव जो किसी विदेशी/अनिवासी भारतीय/विदेशी कार्पोरेट निकाय निवेशक के पक्ष में किसी मौजूदा भारतीय कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित हों।

4. ऐसे सभी प्रस्ताव, जो अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/सीमा की परिधि के बाहर हों अथवा ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत हों जिनके लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है और/अथवा जब भी कोई निवेशक विदेशी निवेदश संवर्धन बोर्ड को आवेदन करने और स्वत: अनुमोदन मार्ग का लाभ न उठाने का विकल्प चुने।

उपर्युक्त मानदंडों की शर्तों के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों तथा ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/ई०एच०टी०पी०/एस०टी०पी० में निवेश के सभी प्रस्ताव स्वत: अनुमोदन मार्ग के पात्र हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को दो भागों में अनुमोदन प्रदान किया जाता है–(i) स्वत: अनुमादेन मार्ग और (ii) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/सरकारी मार्ग/जहां तक स्वत: अनुमोदन मार्ग का संबंध है, मौजूदा नीति के अनुसार, आवेदक को अंतर्वाही प्रेषणों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक में दायर करने होते हैं। इन प्रस्तावों की जांच करने पर यदि भारतीय रिजर्व बैंक को मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत स्वत: मार्ग के किसी उल्लंघन का पता चलता है तो वह उन्हें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/सरकार के विचारार्थ भेज देता है। स्वत: मार्ग के तहत न आने वाले प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ख) से (घ) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदनों की शर्तों के उल्लंघन के 3 मामले प्रकाश में आए हैं और उन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन

2401. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की कोचर और नागांव मिलों द्वारा उत्पादित कागज के उचित स्टाक निपटारे तथा गुणवत्ता में खामी होने तथा आधी दरों पर अपने एजेंटों को कागज बेचने के कारण इसे भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले की जांच कराने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और चंडीगढ़ डिपों में कुछ अनियमितताओं के कारण, कंपनी को लगभग

8.2 करोड़ रुपये के घाटे का पता चला है। डीलरों से बकायों की वसूली करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

बाजार में पेपर की बिक्री हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की मूल्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार की जाती है।

(ग) और (घ) निगम ने दिल्ली क्षेत्रीय विपणन कार्यालय के विपणन एवं वित्त विभाग और दिल्ली तथा चंडीगढ़ के डिपों प्रभारियों के पांच अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की है। कार्यकारी निदेशक (विपणन) को भी निलंबित कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने सी०बी०आई० में आपराधिक कार्यवाही दर्ज कर दी है।

निजी प्रसारणकर्ता के लिए मानदंड

2402. **श्री सी० श्रीनिवासन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी प्रसारणकर्त्ता के लिए अपलिंकिंग सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी प्रसारकों के लिए प्रसारण मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने शुरू हो गए हैं तथा कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की सेटेलाइट सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त प्रसारण में क्या भूमिका है; और

(ङ) सरकार द्वारा निजी टी०वी० चैनलों को अपलिंकिंग सुविधा देने से प्राप्त हुई रायल्टी से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार ने भारतीय प्रबंध नियंत्रण एवं न्यूनतम 80 प्रतिशत भारतीय इक्विटी वाले निजी प्रसारकों को भारत से उनके उपग्रह टी०वी० चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति पहले ही दे दी है।

(ख) भारत से अपलिंक करने वाले निजी उपग्रह, प्रसारकों को कतिपय मानदंडों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है जिनमें मानदंडों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं :

1. दूरदर्शन की कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहित का अनुपालन।
2. सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन।
3. न्यूनतम 80 प्रतिशत भारतीय इक्विटी धारण और भारतीय प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखना।
4. भारत और इनटेलसैट के बीच अंतर-पद्धति समन्वयन समझौते के प्रावधानों का अनुपालन।
5. अपलिंकिंग कंपनी द्वारा आवश्यक मॉनीटरिंग सुविधा का प्रावधान।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित कंपनियों को पहले ही भारत से अपलिंक करने की अनुमति दे दी है :

1. मैसर्स ऊषोदया इंटरप्राईजिज लि०, हैदराबाद।
2. मैसर्स सुमंगली पब्लिकेशंस प्रा०लि०, चेन्नई।
3. मैसर्स जैमिनी टी०वी०, चेन्नई।
4. मैसर्स उदय टी०वी०, चेन्नई।
5. मैसर्स एशियानेट, चेन्नई।
6. मैसर्स विजया टी०वी०, चेन्नई।
7. मैसर्स टी०वी० इंटरनेशनल, दिल्ली।
8. मैसर्स जैन स्टूडियो लि०, दिल्ली।

भारत से नियमित अपलिंक करने संबंधी निम्नलिखित प्रस्तावों पर मंत्रालय में कार्यवाही की जा रही है :

1. मैसर्स मूवीज सटकॉम प्रा०लि०, चेन्नई।
2. मैसर्स टेक्नॉलाजी मीडिया ग्रुप प्रा०लि०, बंगलौर।
3. मैसर्स ब्राडकास्ट वर्ल्डवाइड प्रा०लि० मुम्बई।

(घ) सरकार को उपरोक्त (ख) में दर्शाए अनुसार प्रसारकों द्वारा विभिन संहिताओं/मानदंडों/शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करवाना होगा।

(ङ) सरकार एवं विदेश संचार निगम लि० को प्राप्त हो रही अथवा प्राप्त होने वाली संभाविता वार्षिक आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1.	डब्ल्यू पी सी, संचार विभाग द्वारा वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं रायल्टी प्रभार	1.4 करोड़ रुपये
2.	विदेश संचार निगम लि० द्वारा अपलिंक सुविधा प्रभार	12.00 करोड़ रुपये
	कुल	13.4 करोड़ रुपये

गृह ऋण

2403. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा आवास निर्माण ऋण के रूप में और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि वितरित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार आवास विकास हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण देने के वर्तमान नियमों में परिवर्तन करने या और अधिक छूट देने का है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफ) के अंतर्गत दिए गए ऋणों सहित प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए राज्यवार बकाया आवास ऋण तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल आवास ऋण (यथा उपलब्ध) क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) आवास क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। वर्ष 2000-2001 में बजट भाषण में भी इस संबंध में कुछ घोषणाएं की गई हैं। उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

* प्रत्येक बैंक को अपनी वृद्धिशील जमाराशियों को 3 प्रतिशत की दर से आवास वित्त आवंटन के अपने हिस्से की संगणना करनी चाहिए। अपने संसाधन की स्थिति को ध्यान में रखकर इस स्तर को बढ़ाने वाले बैंकों के प्रति कोई आपत्ति नहीं है।

* स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत आवासीय इकाईयों के लक्ष्य को 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दिया गया है।

* 32,000 रु० वार्षिक से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत 1 लाख मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

* ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त की उपलब्धता में और सुधार लाने के लिए सरकार ने नौवीं योजनावधि के दौरान हुडको को 350 करोड़ रु० की इक्विटी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इनमें से 200 करोड़ रु० पहले ही जारी किए जा चुके हैं तथा 100 करोड़ रु० की और राशि अगले वर्ष में जारी कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

* सहकारी क्षेत्र और स्वयंसेवी एजेंसियां आदि 1.5 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण में सहायता करेंगी।

* धारा 88 के अंतर्गत कर में छूट अब 20,000 रु० वार्षिक तक के आवास ऋण जो पहले 10,000 रु० वार्षिक थी, की वापसी अदायगी पर भी उपलब्ध होगी।

* करदाता के पास पहले से मकान होने पर भी नये मकान में निवेश के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभों पर छूट की अनुमति दी गई है।

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण सीमा को 5 लाख रु० से बढ़ाकर 10 लाख रु० कर दिया गया है।

विवरण-I

31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास अग्रिमों की राज्यवार बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्यों के नाम/ केन्द्र शासित प्रदेश	1996 राशि	1997 राशि	1998 राशि
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार	8	11	19
आंध्र प्रदेश	23197	31362	32008
अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
असम	179	338	487
बिहार	1329	1992	1745
चंडीगढ़	346	445	2095
दादरा एवं नगर हवेली	0	7	13
दमन एवं दीव	0	2	19
दिल्ली	22981	54656	70228
गोआ	504	558	863
गुजरात	8864	9247	16513
हरियाणा	1793	5120	3477
हिमाचल प्रदेश	537	600	783
जम्मू एवं काश्मीर	277	721	680
कर्नाटक	24153	33898	53165
केरल	13819	21780	36285
लक्षद्वीप	1	1	1
मध्य प्रदेश	3095	3844	6288
महाराष्ट्र	28129	67783	121992
मणिपुर	16	43	47
मेघालय	36	47	109
मिजोरम	2	2	27
नागालैंड	6	9	7
उड़ीसा	6364	11659	5137

1	2	3	4
पांडिचेरी	85	163	71
पंजाब	2737	5258	5346
राजस्थान	6975	12440	23103
सिक्किम	1	1	56
तमिलनाडु	10291	18648	25528
त्रिपुरा	29	12	17
उत्तर प्रदेश	21762	26486	24832
प० बंगाल	2766	8903	13532
कुल योग	180283	316037	444474

विवरण-II

तीन वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्य-वार आवास ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1997-98 राशि	1998-99 राशि	1999-2000 राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	23.71	82.76	51.23
असम	0.10	0.60	0.83
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0
बिहार	0.67	1.95	0.93
गोआ	1.07	2.23	3.54
गुजरात	2.79	11.16	14.43
हरियाणा	0.57	2.80	15.34
हिमाचल प्रदेश	0.27	10.76	17.67
जम्मू एवं कश्मीर	0.0046	0.14	0.9
कर्नाटक	20.42	61.90	51.45
केरल	13.46	69.54	65.17
मध्य प्रदेश	4.78	12.34	6.72
महाराष्ट्र	9.01	24.24	12.81
मणिपुर	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.12	0.07
मिजोरम	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	2.02	8.11	5.23
पंजाब	13.30	31.24	19.32
राजस्थान	4.84	18.12	9.28
सिक्किम	0.00	0.82	0.09
तमिलनाडु	7.79	21.36	37.23
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	6.78	9.31	6.686
प० बंगाल	6.38	24.06	20.05
अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.42	0.008
चंडीगढ़	0.36	2.37	5.61
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.12	0.00
दिल्ली	0.00	0.41	0.05
दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.03	4.21	0.52
कुल योग	118.86	401.09	345.16

पाकिस्तान को चीनी का निर्यात

2404. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को अतिरिक्त चीनी का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार चीनी का निर्यात नहीं करती है। चीनी का निर्यात व्यष्टियों/पार्टियों द्वारा उनके वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार, सरकार द्वारा

*निर्धारित मात्रात्मक उच्चतम सीमा के भीतर एपीडा से पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) प्राप्त करने के पश्चात् किया जा सकता है। यू०एस०ए० और यूरोपीय संघ को अधिमानी कोटे के तहत निर्यात के लिए निर्धारित 30.000 मी० टन की मात्रा के अलावा सरकार ने 1999-2000 के लाइसेंसिंग वर्ष के लिए 2 कि०ग्रा० तक के उपभोक्ता पैकों में मूल्यवर्धित चीनी के निर्यात हेतु 25,000 मीट्रिक टन की मात्रात्मक उच्चतम सीमा निर्धारित की है। पाकिस्तान सहित विश्व के किसी भी देश को इस मूल्यवर्धित चीनी का कोई भी निर्यात कर सकता है।

बंद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का पुनर्वास

2405. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंद सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों का पुनर्वास कर दिया गया है/किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुनर्वास किए गए कर्मचारियों की सरकारी उपक्रमवार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न ट्रेडों, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इत्यादि में फालतू कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें समुचित रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) किसी औद्योगिक उपक्रम को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बंद किया जाता है और उक्त अधिनियम में पुनर्स्थापन संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकारी उद्यमों सहित संगठित क्षेत्र के अतिरिक्त घोषित किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण/पुन: प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रीय नवीकरण कोष के साथ विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर्मचारी सहायता केन्द्रों के माध्यम से 31-3-2000 तक 99,381 कर्मचारियों को सहायता प्रदान की गई है, सर्वेक्षित कामगारों की संख्या 99,381, परामर्श प्राप्त कामगार 59,483, पुन: प्रशिक्षित 41,083 तथा पुनर्नियोजित कामगारों की संख्या 12,985 है।

[हिन्दी]

चाय उत्पादक राज्य

2406. श्री बृजलाल खाबरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय उत्पादक राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य ने चाय का कितना उत्पादन किया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान चाय के उत्पादन में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) देश में पारंपरिक चाय उत्पादक राज्य हैं—असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल। तथापि, कर्नाटक, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि जैसे कुछ अन्य राज्यों में चाय का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है पारंपरिक चाय उत्पादक राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :

(आंकड़े मि०कि०ग्रा० में)

राज्य का नाम	1999*	1998	1997
असम	414.13	460.78	425.43
पश्चिम बंगाल	180.21	197.71	169.95
तमिलनाडु	128.09	125.08	130.59
केरल	67.79	70.62	69.64
अन्य राज्य	15.39	16.21	15.00
समस्त भारत	805.61	870.40	810.61

*अनुमानित स्रोत : चाय बोर्ड

(ग) और (घ) पिछले वर्षों की तुलना में 1997 तथा 1998 के दौरान चाय के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई। तथापि, 1999 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में चाय के उत्पादन में 64.79 मि०कि०ग्रा० की अनुमानित गिरावट दर्ज हुई जिसकी वजह मुख्य रूप से वर्ष 1999 की पहली तिमाही के दौरान भयंकर सूखा और उसके बाद वर्ष के अंतिम भाग में कुछ चाय उत्पादक क्षेत्रों में आई बाढ़ रही थी।

[अनुवाद]

निर्यात जोन

2407. डा० वी० सरोजा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास और विदेशी मुद्रा कमाने हेतु सरकार का निर्यात जोन/केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार विशेषकर तमिलनाडु का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) कृषि उत्पाद के निर्यात लिए अनन्य निर्यात क्षेत्र केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1992 में यह निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के अधीन किसी नये निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना न की जाए। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त/निजी क्षेत्र में निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है।

बिहार की चूना पत्थर खदानों में विस्थापितों को काम

2408. **श्री ब्रजमोहन राम : क्या खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के गढ़वा जिले में स्थित भवनाथपुर चूना पत्थर खदानों में लगभग 200 विस्थापित व्यक्तियों को अब तक काम उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्थापित व्यक्तियों को काम देने की सरकार की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो उन विस्थापित व्यक्तियों को आज तक काम उपलब्ध नहीं कराए जाने के क्या कारण है; और

(घ) विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को कब तक काम दे दिया जाएगा ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल), (इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भावनाथपुर सूचना पत्थर खानों को शुरू करते वक्त बिहार सरकार तथा तत्कालीन बोकारो स्टील लिमिटेड, अब सेल की एक इकाई के बीच सहमति थी। भावनाथपुर खानों की शुरूआत के समय 550 लोगों को रोजगार दिया गया जिनके घर तथा जमीन इन चूनापत्थर खानों के लिए अधिग्रहित किए गए थे। किसी भी विस्थापित व्यक्ति का कोई भी मामला लंबित नहीं है जिसे रोजगार न मिला हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पीतल के समानों का निर्यात

2409. **श्री तेजवीर सिंह चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में पीतल की वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि में इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) पीतल की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित पीतल के कलापात्रों की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	करोड़ रुपए में	अमरीकी मिलियन डालर में
1996-97	1024.89	288.78
1997-98	1191.89	320.63
1998-99	1199.16 (अनंतिम)	285.02 (अनंतिम)

(ग) पीतल के कलापात्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजत करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विदेशों में प्रचार, सूचीपत्रों का प्रकाशन, सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित करना, मुरादाबाद और नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन केन्द्र की स्थापना और वार्षिक कार्यक्रम के रूप में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला आयोजित करना शामिल है।

विद्युत करघा उत्पाद

2410. **श्री रामजी मांझी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के तिरपुर, इरोड़ तथा पालम के विद्युत करघा उत्पादक थानों पर मीटरेज स्टेम्पिंग नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादक का नाम तथा उत्पादन की तिथि को स्टेम्प में शामिल करने के लिए इस विषय पर एक कानून लागू हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा विनिर्मित तैयार फैब्रिक पर वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) अधिनियम, 1988, जो अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युतकरघों पर बने फैब्रिकों पर भी लागू होता है, के अंतर्गत वर्णित किए गए चिन्ह चिन्हित होने आवश्यक हैं। हालांकि, विनियम की धारा 4(ई) के अनुसार, करघा अवस्था फैब्रिक अर्थात् विद्युतकरघों पर विनिर्मित ग्रे-फैब्रिक—अर्थात् किसी भी प्रकार के प्रसंस्करण ले जाने से पूर्व अविकसित ग्रे-क्लॉथ को वर्णित चिन्हों से चिन्हित किए जाने से मुक्त रखा गया है।

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि तिरपुर, इरोड़ तथा पालम के विद्युतकरघा एकक 'तैयार फैब्रिकों' पर अपेक्षित चिन्हों को चिन्हित नहीं कर रहे हैं।

प्रमुख कपड़ा बाजारों में समय-समय पर अप्रत्याशित/परीक्षण जांच की जाती है। जहां भी उक्त अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, वहां कपड़ा जब्त किया जाता है तथा मामला दर्ज किया जाता है। उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ताकि उपभोक्ता अधिनियम तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।

निर्यात/आयात

2411. **श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान देश में कितना निर्यात और आयात हुआ;

(ख) मुख्य रूप से किन-किन उत्पादों का निर्यात किया जाता है और उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में इन उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान विभिन्न उत्पादों के विशेषकर जेम, ज्वेलरी और वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी, 2000 के दौरान 30221.41 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात हुआ है जिसमें गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवधि के दौरान 38142.09 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात हुए थे जिनमें गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी।

(ख) अप्रैल-नवंबर, 1999 अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जिनके ब्यौरे उपलब्ध हैं, निर्यात की मुख्य मदें और उनकी कीमत नीचे दी गई हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर)

मदें	अप्रैल-नवंबर, 1999
बागान उत्पाद	501
कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	2230
समुद्री उत्पाद	771
अयस्क एवं खनिज	514
चर्म एवं चर्म से निर्मित वस्तुएं	1028
रत्न एवं आभूषण	4761
खेल सामान	46
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	2969
इंजीनियरिंग का सामान	2958
इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर	384
वस्त्र	5814
हस्तशिल्प	497
कालीन	408

(ग) निर्यात में आगे और वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—क्रियाविधियों के विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी करना और एग्जिम नीति में यथोलिखित विविध अन्य उपाय। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय उपायों, महत्वपूर्ण सैक्टरों एवं क्षेत्रों को अभिज्ञात कर निर्यात को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए घोषित कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों में शामिल हैं—

(1) निर्यातोन्मुख एककों (ईओयू)/निर्यात संसाधन जोनों (ईपीजैड) के एककों का 7.5 प्रतिशत के न्यूनतम इक्विटी के तहत मरम्मत/पुनर्निर्माण और निर्यात के लिए प्लेन स्वर्ण, प्लेटिनम और रजत आभूषणों के आयात और निर्यात की अनुमति देना। इस प्रकार के निर्यातों के मामले में 2 प्रतिशत अपशिष्ट की अनुमति दी जा सकती है, (2) विदेशी क्रेताओं को सभी ईओयू और ईपीजैडों की इकाईयों से और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई के घरेलू टैरिफ क्षेत्रों में स्थित इकाईयों से व्यक्तिगत तौर पर रत्न एवं आभूषण ले जाने की अनुमति देना, (3) पुन: पूर्ति लाइसेंसों के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत तक उपभोक्ता वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना। वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कुछ उपाय किए गए हैं :

(i) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.99 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना चालू की गई है, (ii) वस्त्र निर्यातों को जारी रखने, इनमें स्थिरता बनाए रखने और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए 2000-2004 की अवधि के लिए हाल ही में नई निर्यात हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है, (iii) निर्यातोन्मुख एकक (ईओयू)/निर्यात संवर्धन जोन (ईपीजैड)/ईपीसीजी एककों द्वारा किए जाने वाले कॉटन यार्न के निर्यात का उदारीकरण किया गया है।

मद्य निर्माण शालाओं को लाइसेंस

2412. श्री एम०ओ०एच० फारूक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पांडिचेरी में कितनी मद्यनिर्माण शालाओं को लाइसेंस दिए गए;

(ख) इसके लाभार्थियों की संख्या और उनके संबंधित उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लाइसेंस देने के क्या मापदंड हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) सितंबर, 1994 से भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आई०एम०एफ०एल०) सहित पेय अल्कोहल की नयी क्षमता के सृजन के लिए कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। आशय पत्र प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए वैध होता है जिसके दौरान आशय पत्र में उल्लिखित शर्तें पूरी करने पर इसे औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कराना पड़ता है। तथापि पांडिचेरी राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान आई०एम०एफ०एल० सहित पेय अल्कोहल के किसी भी आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चमड़े और ग्रेनाइट का निर्यात

2413. श्री पी० कुमारसामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेषकर जापान और पूर्वी देशों में भारत के चमड़ा उत्पादों और ग्रेनाइट की भारी मांग है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश से विशेषकर तमिलनाडु के इरोड जिले से ग्रेनाइट और चमड़ा उत्पादों के निर्यात का है; और

(घ) यदि हां, तो इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) खासकर जापान तथा पूर्वी देशों में चर्म तथा चर्म उत्पादों की मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कुल मांग की तुलना में नगण्य है। भारत से जापान तथा सिंगापुर को बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट का निर्यात किया जा रहा है जबकि अन्य पूर्वी देशों में इसकी मांग नगण्य है। जापान तथा पूर्वी देशों के किए गए चर्म, चर्म उत्पाद तथा ग्रेनाईट के निर्यातों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनमें निर्यातों का मूल्य और भारत से हुए कुल उत्पाद-विशिष्ट निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा भारत से होने वाले चर्म, चर्म उत्पादों तथा ग्रेनाइट के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इरोड जिले में स्थित चर्म उद्योग मुख्य रूप से चर्मशोधन के क्षेत्र में है और जिसका उपयोग मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यातकों के लिए किया जाता है।

भारत सरकार तथा चर्म निर्यात परिषद द्वारा अनेक उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें शामिल हैं—बाजार विकास संबंधी कार्य-योजना, निर्यातकों द्वारा अपने उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों के आयात पर शुल्क छूट के लाभ को सुविधाजनक ढंग से उठाने के लिए वार्षिक अग्रिम लाइसेंस योजना का सरलीकरण तथा चर्म एवं चर्म उत्पाद उद्योग के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के तहत पूंजीगत सामानों के आयात हेतु शून्य शुल्क की सुविधा प्रदान करना। चर्मशोधन क्षेत्र में उत्पाद विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के उन्नयन में सहायत देने के लिए हाल ही में चर्मशोधन आधुनिकीकरण कोष का सृजन किया गया है। भारतीय निर्यातों को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के लिए अधिकांश आवश्यक निविष्टियों पर लगने वाले आयात शुल्क को भी युक्तिसंगत बनाया गया है।

भारत सरकार द्वारा 'ग्रेनाइट' को एक 'प्रमुख क्षेत्र' के रूप में पहचाना गया है और इसकी घोषणा की गई है और इसलिए उसने ग्रेनाइट के बाधा-मुक्त निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय शुरू किए हैं। ग्रेनाइट के खनन सहित खनन तथा विकास, राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं। जहां एक पट्टा, रायल्टी एवं अशोध्य किराए इत्यादि का संबंध है, इसके लिए प्रत्येक राज्य में अलग-अलग नीति का अनुपालन होता है। तथापि ग्रेनाइट उद्योग के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा नवंबर, 1997 में राज्य खनन मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। खान विभाग द्वारा भी पूरे भारत में ग्रेनाइट के सुव्यवस्थित विकास, वैज्ञानिक खनन तथ संरक्षण के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया है।

विवरण

भारत से निर्यात

(करोड़ रुपये में)

देश	1998-99		1997-98	
	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	% हिस्सा	ग्रेनाइट	%
जापान	3.12	0.45%	87.97	9.18
मलेशिया	1.48	0.21%	10.72	1.12
थाइलैंड	0.65	0.09%	6.64	0.69
सिंगापुर	1.45	0.21%	49.36	5.15

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस स्रोत : कैपेन्मिपल

भारत से चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों का कुल निर्यात (1998-99) 6955.77 करोड़ रुपये का हुआ।

भारत से ग्रेनाइट का कुल निर्यात (1997-98) 957.74 करोड़ रुपये का हुआ।

मुद्रा वितरण

2414. **श्री नरेश पुगलिया :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में मुद्रा वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्म को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परामर्शदात्री फर्म को कितनी प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या उक्त परामर्शदात्री फर्म के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों और सिक्कों का मुद्रा तिजोरियों की व्यवस्था के माध्यम से वितरण की विद्यमान प्रणाली की पुनरीक्षा करने और मुद्रा तिजोरियों के अलावा वितरण की एक ऐसी कार्यान्वयनयोग्य योजना का सुझाव देने, जिससे कि यदि आवश्यकता हुई, तो बैंक वितरण नेटवर्क का विस्तार करके मांग की पूर्ति के समय को कम से कम कर सके, के कार्य के लिए एक भारतीय परामर्शदात्री फर्म मैसर्स आर्थर एंडरसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को लगाया है। परामर्शदात्री फर्म के साथ हुए करार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्शदात्री फर्म को कुल 20 लाख रुपये का भुगतान करना

है। यह फर्म 18 सप्ताह की अवधि के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

हस्तशिल्प क्षेत्र में सुधार

2415. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय हस्तशिल्प, विशेषकर जैविक अपघटन वाले पदार्थों से बने हस्तशिल्प के उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रस्ताव लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय हस्तशिल्प विशेषकर जैविक अपघटन वाले पदार्थों से बने हस्तशिल्प के उत्पादन के विस्तार एवं सुधार के लिए सरकार प्रशिक्षण और डिजाइन एवं तकनीकी विकास की योजनाएं कार्यान्वित करती है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पूर्वोत्तर और केरल राज्यों में बेंत और बांस के 20 सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जूट शिल्प के छः शिल्प विकास केन्द्र पहले ही खोले गए हैं।

[हिन्दी]

देश का आर्थिक विकास

2416. श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की बौद्धिक प्रबंधन और उद्यम संबंधी संसाधनों हेतु अपार क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के विकास हेतु इस क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में बसे भारतीय मूल के राष्ट्रिकों के बौद्धिक प्रबंधन और उद्यमशील संसाधनों के विस्तृत भंडार को उपयोग में लाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें विदेशी निवेश मार्ग के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश का और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/अनिवासी भारतीय निवेशों को शासित करने वाली नीतियों एवं प्रक्रियाओं को समय-समय पर सुचारू/सरल बनाया जाता है। इस समय अनिवासी भारतीयों को निम्नलिखित की अनुमति है (i) उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 प्रतिशत तक स्वतः अनुमोदन, (ii) ऐसे क्षेत्रकों में, जिनमें क्षेत्रकवार उच्चतम सीमाएं हैं, जैसे कि हवाई टैक्सी प्रचालन और निजी क्षेत्र के बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतर सीमा, (iii) आवास और अचल संपदा क्षेत्र में, जो अन्यथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुला नहीं है, 100 प्रतिशत तक निवेश और (iv) 5 प्रतिशत की वैयक्तिक सीमा और 10 प्रतिशत की संचित सीमा के अधीन भारतीय शेयर बाजार में निवेश जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवेश सीमाओं के अतिरिक्त और पृथक होगा ताकि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अनिवासी भारतीयों को वंचित न कर दिया जाए। इसके अलावा, सरकार ने अनिवासी भारतीयों से विशेष जमा योजनाओं के माध्यम से भी संसाधनों को आकृष्ट किया है।

मुख्य स्कीमें निम्न प्रकार हैं :

1. **प्रत्यक्ष निवेश**

(क) शत-प्रतिशत निवेश जिसमें निम्नलिखित में प्रत्यावर्तन लाभ :

(i) अनिवासी भारतीयों के निवेशों सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन हेतु औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र; (ii) व्यापारिक कंपनियां; (iii) मुक्त व्यापार जोनों (एफटीजेड)/निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ईपीजेड), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कों (एसटीपी), इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्कों (ईएचटीपी) में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू); (iv) आवास और अचल संपदा विकास क्षेत्रक; (v) हवाई टैक्सी प्रचालन; (vi) रुग्ण औद्योगिक इकाइयां।

(ख) अनिवासी भारतीय निजी बैंकों में चुकता पूंजी का 40 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

(ग) अनिवासी भारतीयों को भारत में वित्त, किराया खरीद, लीजिंग, ट्रेडिंग या अन्य सेवाओं के क्षेत्र में (सिवाय कृषि/बागानी गतिविधियों के) और विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रतिष्ठानों में नई अथवा विद्यमान कंपनियों के इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के नये निर्गमों के 24 प्रतिशत तक ग्राहक बनने की अनुमति है।

(घ) प्रत्यावर्तन लाभों वाले अन्य निवेशों में शामिल हैं :

(i) घरेलू म्यूचुअल फंडों में निवेश; (ii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी बांडों में निवेश; (iii) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयर; (iv) कंपनियों में जमाराशियां; (v) प्रतिभूतियों/शेयरों में निवेश।

(ङ) प्रत्यावर्तन लाभ रहित निवेश में शामिल हैं :

(i) औद्योगिक/व्यापारिक/वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे (कृषि/बागानी कार्यकलापों अथवा अचल संपदा कारोबार को छोड़कर) मलिकाना/साझेदारी निकायों में अनुमेय शत-प्रतिशत इक्विटी; (ii) औद्योगिक/व्यापारिक/वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी (कृषि/बागानी कार्यकलापों अथवा अचल संपदा को छोड़कर) भारतीय कंपनियों के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों में शत-प्रतिशत इक्विटी।

2. **पोर्टफोलियो निवेश**

(क) निवेश सीमा 5 प्रतिशत है। सकल सीमा 10 प्रतिशत है (इसे कंपनी की आम सभा की बैठक के प्रस्ताव द्वारा 24 प्रतिशत

तक बढ़ाया जा सकता है)। यह सीमा विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लागू सीमा से अलग है।

(ख) असूचीबद्ध कंपनियों में निवेश की अनुमति है।

3. बैंक खाते

अनिवासी भारतीयों को निम्नलिखित प्रकार के बैंक खाते खोलने की अनुमति है :

(क) अ-निवासी (बाह्य) रुपया खाते;

(ख) साधारण अ-निवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाते;

(ग) अ-निवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाते;

(घ) विदेशी मुद्रा (अ-निवासी) खाते (बैंक);

(ङ) अ-निवासी (विशेष) रुपया खाते।

लंबित कर

2417. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहली 100 औद्योगिक/वाणिज्यिक इकाइयों के पास वर्ष 1998-99 तथा आज की तिथि तक कितनी राशि का आयकर, संपदा कर और अन्य वाणिज्यिक कर बकाया हैं;

(ख) पिछले 5, 10 और 15 वर्षों के अंत में उक्त इकाइयों के विरुद्ध अलग-अलग कितनी कर राशि बकाया थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी बकाया राशि वसूल की गई; और

(घ) शेष राशि की वसूली न होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) दिनांक 31.03.1999 एवं 30.9.1999 की स्थिति के अनुसार देश के पहली 100 चूककर्त्ता औद्योगिक/व्यावसायिक इकाईयों के विरुद्ध आयकर तथा निगमित कर की राशि क्रमश: 9254.07 करोड़ रुपये एवं 9088.88 करोड़ रुपये है। संपदा शुल्क को वित्त अधिनियम, 1985 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) दिनांक 31.03.1997 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त वर्णित इकाइयों के विरुद्ध आयकर तथा निगमित कर की बकाया रकम 4564.40 करोड़ रुपये है। बकाया तथा प्रत्येक वर्ष में की गई वसूली की रकम के विवरण नहीं रखे जाते।

(घ) पूरी बकाया रकम को वसूल न किए जाने के कारणों में, मामलों का अपीलों में फंसा रहना अथवा अपीलीय अधिकरणों तथा न्यायालयों द्वारा स्थगन लेना, तथा समझौता आयोग अथवा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष दायर किए जा रहे आवेदनों, जो आयोग के निर्देशों के अनुसार अथवा बोर्ड द्वारा मामले के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक के अलावा वसूली कार्यवाहियों को आरंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं करता, शामिल है।

[अनुवाद]

तंबाकू के संबंध में भारत-रूस व्यापार

2418. **श्री वी०वी०एन० रेड्डी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जनवरी, 2000 में दिल्ली में आयोजित भारत-रूस व्यापार वार्ता के दौरान रूस भारतीय तंबाकू खरीदने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च-तकनीक की मदों के संबंध में द्विपक्षीय व्यापार की विविधता और विस्तार हेतु अन्य क्या-क्या निर्णय किए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूसी कार्यदल (डब्ल्यू जी टी ई सी) के छठवें सत्र के दौरान भारत सरकार ने रूसी पक्ष से ऋण शर्तों पर रूसी सिगरेट फैक्टरियों को पर्याप्त धन आवंटित करने का अनुरोध किया है ताकि वे भारतीय तंबाकू की खरीद कर सकें। रूसी पक्ष ने इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। यह भी सहमति हुई थी कि इस मामले की पहल करने और दोनों देशों के तंबाकू उद्योगों के बीच अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही रूस का दौरा करेगा।

इस सत्र के दौरान दोनों पक्ष, विशेषकर उच्च गुणवत्ता तथा उच्च तकनीक वाली मदों के द्विपक्षीय व्यापार के विविधीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमत हुए। रुपया ऋण पुन: भुगतान प्रणाली के अंतर्गत निर्यात की गई वस्तुओं के लिए भारत सरकार द्वारा मूल्यवर्द्धन संबंधी मानदंडों में ढील देने से भारत से उच्च तकनीक वाली मदों के निर्यात हेतु अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।

[हिन्दी]

बिहार को धनराशि का आवंटन

2419. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या बिहार सरकार द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) राज्य की योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा आवंटित केन्द्रीय सहायता राज्यों को सकल ऋण और सकल अनुदान के रूप में जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यय आंकड़ों के

आधार पर समायोजन शर्त पर निधियां मासिक किस्तों में जारी की जाती हैं। हालांकि राज्य सरकारें निधियों के समुचित उपयोग के लिए अपनी राज्य विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की जाती हैं। पिछले दो सालों (1997-98 और 1998-99) के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार को योजना सहायता के रूप में जारी धनराशि और आवंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बिहार को योजना सहायता के लिए जारी धनराशि तथा आवंटन

(करोड़ रुपये में)

मद		1997-98		1998-99	
		आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
	1	2	3	4	5
(i)	सामान्य केन्द्रीय सहायता	1100.82	835.79	1191.76	1309.55*
(ii)	न्यूनतम मूलभूत सेवाओं तथा झोपड़ पट्टी के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	388.52	382.25	407.57	407.57
(iii)	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	238.67	132.26	236.14	112.78
(iv)	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई० बी०पी०) के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता	50.00	14.04	60.00	87.82
(v)	बाढ़ से प्रभावित मूल ढांचे के लिए सहायता			75.00	75.00

*1997-98 का बकाया भी शामिल है।

[अनुवाद]

औद्योगिक लाइसेंस के लिए लंबित आवेदन-पत्र

2420. **श्री दिन्शा पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितने आवेदन-पत्रों का निपटान किया गया;

(ग) सरकार के पास कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(घ) लंबित आवेदन-पत्रों को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमन) : (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक लाइसेंस हेतु 739 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 677 आवेदनों को निपटा दिया गया है और 62 आवेदन आशय पत्र जारी करने हेतु सरकार के विचाराधीन पड़े हैं।

(घ) आवेदनों का त्वरित निपटान करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की क्षेत्रीय नीति तथा विशिष्ट मामलों में उनकी सिफारिशों और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

वेतनमान संशोधन

2421. **श्री रामजीवन सिंह : क्या खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो संशोधित वेतनमान कब से लागू किया गया है; और

(घ) संशोधित वेतनमान को कब से क्रियान्वित किया जा रहा है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों के वेतनमानों पर कोयला उद्योग संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे०बी०मी०सी०आई०) में शामिल केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ बातचीत चल रही है। जहां तक अधिकारियों के वेतन में संशोधन का संबंध है, वह भी कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) में प्रक्रियाधीन है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) कर्मचारियों/कामगारों से संबंधित राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता VI को जे०बी०सी०सी०आई० द्वारा और अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन संशोधन को को०इं०लि० द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही इन्हें कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता

2422. डॉ. (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने जनवरी, 2000 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता में दिल्ली में व्यापार नयाचार (प्रौटोकोल) पर हस्ताक्षर किए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूसी रुपया ऋण निधि का उपयोग करने के लिए क्या कार्रवाई की गई ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के तत्वाधान में जनवरी, 2000 में नई दिल्ली में आयोजित व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूस कार्यदल के छठे सत्र के दौरान एक नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए थे। नयाचार में विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी जिनमें पूर्व में हुए बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग की वर्तमान स्थिति और भावी विकास के लिए उपाय, परिवहन, बैंकिंग एवं वित्त और कृषि क्षेत्र इत्यादि में सहयोग से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

(ग) रूस के रुपया ऋण कोष का उपयोग रूसी परिसंघ की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच आदान-प्रदान किए गए दिनांक 28-29 जनवरी, 1993 और 6 सितंबर, 1993 के पत्रों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए रूसी परिसंघ के बैंक फॉर फारेन इकनामिक अफेयर्स और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुई व्यवस्था के द्वारा शासित होता है। इस व्यवस्था के अनुसार रूस के रुपया ऋण के भुगतान से संबंधित कोष का उपयोग भारत से सामान की खरीद और सेवाओं के लिए किया जाना है। रूस को होने वाला भारत का अधिकांश निर्यात इसी खाते से किया जाता है।

फिल्म उद्योग

2423. श्री के० येरनायडू :
श्री के० ई० कृष्णमूर्ति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग वीडियो चोरी के कारण एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो फिल्म उद्योग को बचाने के लिए और इस बुराई को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) फिल्म उद्योग वीडियो/केबल चोरी के कारण उन्हें नुकसान होने संबंधी मुद्दा समय-समय पर उठाता रहा है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 को लागू करने का दायित्व, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों का है। कॉपीराइट अधिनियम को आधुनिक प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों के अनुसार ढालने तथा दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन उपायों में अधिनियम को लागू करने संबंधी प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करने एवं अधिनियम को लागू करने के संबंध में सुधार करने हेतु उपाय सुझाने के लिए कॉपीराइट सलाहकार परिषद स्थापित करना, पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण/सेमिनारों की व्यवस्था करना एवं कॉपीराइट संबंधी अपराधों से निपटने हेतु विशेष सैल स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डालना, व्यावसायिक या औद्योगिक एसोसिएशनों द्वारा संपर्क करने हेतु नोडल प्राधिकारी नामजद करना आदि शामिल हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने विशेष सैल स्थापित कर लिए हैं।

कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन निर्माताओं के कॉपीराइट विनियमन हेतु एक अलग सोसायटी की स्थापना का प्रावधान है। इस सोसायटी ने वीडियो चोरी को रोकने तथा पुलिस की सहायता से समन्वित कार्रवाई करने हेतु विशेष स्कंध स्थापित किए हैं।

[हिन्दी]

गेहूं पर राजसहायता

2424. श्री सुकदेव पासवान :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित गेहूं को उसके ऊंचे मूल्य के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेचा जाता;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेंहूं को बेचने के लिए सरकार द्वारा राजसहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं और इस प्रकार की मदों का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की घरेलू क्षमता, व्यापार की जाने वाली किस्मों, उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और व्यापार-कारकों की अन्य शर्तों पर निर्भर करता है, जिन पर सरकार ध्यान देती है।

(ग) इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर अपवंचन

2425. **श्री शीश राम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या व्यापारी वर्ग अपनी आय छुपाने और सरकार को करों के भुगतान से बचने के उद्देश्य से जो उन पर वैधानिक रूप से देय है। जाली बिलों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिलों के जारी न करने और जाली बिलों के उपयोग से वास्तविक आय तथा आयकर अन्य करों के भुगतान से बचने में सहायता होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का कर अपवंचन और आय को छुपाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) व्यापारी वर्ग द्वारा बिलों को जारी न करने अथवा जाली बिलों के उपयोग के उदाहरण रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय को छुपाया जाता है एवं अनुवर्ती रूप से आयकर अपवंचन किया जाता है।

(ग) सरकार, आय को छुपाने तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए समय-समय पर विधायी, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपाय करती रही हैं।

बीड़ी निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

2426. **डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बीड़ी निर्माताओं द्वारा मनगढ़ंत आंकड़े प्रस्तुत करने के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सरकार को प्रतिदिन एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों द्वारा किया जाने वाला उत्पाद कभी भी दर्शाया नहीं जाता है और उसे स्थानीय बाजार में बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बीड़ी से प्राप्त होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। बीड़ी निर्माताओं द्वारा मनगढ़ंत आंकड़े प्रस्तुत कर लगभग 1 करोड़ रुपये का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन करने का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। कागज में बंद बीड़ियों को छोड़कर बिना ब्रांड वाली बीड़ियों पर जिनका विनिर्माण विद्युत के प्रयोग के बगैर किया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये के मूल्य तक शून्य दर से शुल्क लगता है। ऐसी बीड़ियों को स्थानीय बाजार में बेचना राजस्व अपवंचन अथवा क्षति नहीं कहलाता है। बीड़ियों के अन्य निर्माताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोका जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में हीरे की खान

2427. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अंग्रेजों द्वारा खनन की गई हीरे की पुरानी खानें परित्यक्त पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) खान विभाग के एक अधीनस्थ संगठन, भारतीय खान ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा खनन की गई हीरे की पुरानी परित्यक्त खानों के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

मसालों का निर्यात

2428. **श्री के० मुरलीधरन :**
श्री संजय लाल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान भारत से कुल कितने मूल्य के मसालों का निर्यात हुआ;

(ख) इन मसालों के नाम तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इन मसालों का निर्यात किया गया, तथा इनकी मात्रा कितनी थी;

(ग) मसालों के निर्यात के लिए सरकार की निर्यात-नीति संबंधी विवरण क्या है;

(घ) क्या कुछ मसालों का आयात भी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन मसालों का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया, तथा इनका मूल्य क्या था ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित मसालों की कुल मात्रा एवं उसका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1996-97	225294.65	1230.72
1997-98	242070.75	1460.82
1998-99*	231389.51	1758.02

*अनंतिम

स्रोत : मसाला बोर्ड

निर्यातों के देश-वार और मद-वार ब्यौरे डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को उपलब्ध की जाती हैं।

(ग) सरकार की निर्यात नीति के अनुसार सभी मसालों का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान आयातित मसालों की मात्रा एवं उसके मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

वर्ष	आयात	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1996-97	28997.32	9710.82
1997-98	35223.51	13182.82
1998-99*	67436.97	29358.25

*अनंतिम

स्रोत : मसाला बोर्ड

आयात के देश-वार और मद-वार ब्यौरे डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंकों में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को उपलब्ध की जाती है।

[हिन्दी]

हथकरघा से तैयार किए गए कपड़े

2429. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा में हाथ से बुने हुए कपड़े का उत्पादन हुआ है;

(ख) उक्त विधि के दौरान हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) जन-जातीय क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) हथकरघा उद्योग विकेन्द्रीकृत स्वरूप का है तथा इस क्षेत्र में वस्त्रों के उत्पादन (राज्यवार) संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में उत्पादित हथकरघा वस्त्रों की मात्रा नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	कुल उत्पादन (लाख वर्ग मीटर में)
1996-97	7456
1997-98	7604
1998-99	6792

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान (राज्यवार) हथकरघा उद्योग के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों सहित समग्र देश में हथकरघा उद्योग के लाभ के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

1. विपणन विकास सहायता स्कीम।
2. निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास और उनके विपणन की स्कीम।
3. राष्ट्रीय/लघु हथकरघा एक्सपो।
4. शिल्प मेले, जिला स्तर के मेले और त्यौहार।
5. कार्यशाला-सह-आवास स्कीम।
6. थ्रिफ्ट फंड स्कीम।
7. समूह बीमा स्कीम।
8. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम।
9. प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम।
10. अनुसंधान तथा विकास स्कीम।
11. स्वतंत्र डिजाइनर स्कीम।
12. विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम।
13. मिल गेट मूल्य पर यार्न की आपूर्ति।

विवरण

पिछले तीन वर्षों का विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	100.66	28.90
2.	आंध्र प्रदेश	3056.17	1390.85	1205.56
3.	असम	1200.44	1287.75	1405.56
4.	बिहार	97.22	93.80	28.33
5.	गुजरात	247.10	104.71	124.39
6.	हरियाणा	103.38	41.73	44.35
7.	हिमाचल प्रदेश	147.61	118.14	104.37
8.	जम्मू व कश्मीर	135.69	371.30	74.25
9.	कर्नाटक	1279.77	996.65	318.95
10.	केरल	452.61	855.32	967.55
11.	मध्य प्रदेश	299.92	626.10	170.06
12.	महाराष्ट्र	426.13	263.41	260.92
13.	मणिपुर	195.83	—	190.28
14.	मिजोरम	0.50	20.00	23.60
15.	नागालैंड	848.63	1242.44	134.49
16.	उड़ीसा	776.83	456.45	466.21
17.	पांडिचेरी	21.68	1.76	28.53
18.	पंजाब	29.35	35.22	147.89
19.	राजस्थान	161.94	202.62	44.34
20.	तमिलनाडु	3504.10	2765.52	2298.74
21.	त्रिपुरा	110.09	63.42	60.16
22.	उत्तर प्रदेश	801.02	760.60	713.50
23.	पश्चिम बंगाल	551.44	688.85	503.63
24.	दिल्ली	103.82	123.24	71.47
25.	मेघालय	1.66	—	8.56
26.	सिक्किम	—	18.80	100.00

कोयला नियंत्रण मुक्त करना

2430. श्री रामशकल : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कोयले की कीमतों को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कोयले की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनियों को इसके फलस्वरूप अब तक कितनी अतिरिक्त राशि अर्जित होने की अपेक्षा है;

(ङ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में और अधिक प्रतियोगिता लाने के लिए कोयले के उत्पादन को नियंत्रण से मुक्त करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोयला उद्योग को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कोककर कोयले तथा ए, बी तथा सी ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतें मार्च, 1996 से और डी ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतें मार्च, 1997 से विनियंत्रित की गई थीं। कोयला कीमतों का पूर्ण विनियंत्रण दिनांक 1 जनवरी, 2000 से प्रभावी हुआ।

(ग) कोल इंडिया लि० द्वारा निर्धारित कोयला कीमतों में वर्तमान की तुलना में प्रतिशतता में हुई वृद्धि को तिथिवार नीचे दर्शाया गया है :

1.4.96	विनियंत्रित कोयला	ग्रेड	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (वेकोलि) तथा महानदी कोलफील्ड्स लि० (मकोलि) के अतिरिक्त सभी अनुषंगी कंपनियां	वे०को०लि० में	म०को०लि० में
1	2	3	4	5	6
		ए	20%	23%	15%

1	2	3	4	5	6
		बी	18%	25%	13%
		सी	15%	29%	10%
		कोककर	20% - 25%	20% - 25%	20% - 25%
20.10.96		ए	12%	0%	12%
		बी	12%	0%	12%
		सी	8%	0%	8%
		कोककर	8% - 12%	8%	

1.4.97	विनियंत्रित कोयला	ग्रेड	म०को०लि० के अतिरिक्त सभी अनुषंगी कंपनियां	म०को०लि० में
		डी	29%	24%
1.10.97	विनियंत्रित कोयला	ग्रेड	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ईसीएल)	भारत कोकिंग कोल लि०
		ए	5%	—
		बी	5%	—
		सी	5%	—
		कोककर	—	5%
21.8.98	विनियंत्रित कोयला	ग्रेड	वे०को०लि० के अतिरिक्त सभी अनुषंगी कंपनियां	वे०को०लि० में
		ए, बी, सी	5%	4%
		डी	7%	6%
		कोककर सेकोलि कोयले का 5%		
5.1.99	विनियंत्रित कोयला		ई०को०लि० पं० बंगाल की खानों में	5% से 13%
31.5.99	विनियंत्रित कोयला	ग्रेड	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में	नार्दर्न कोल-फील्ड्स लि० में
		ए से डी	5%	6%
		कोककर	4%	—

(घ) कोयला उत्पादक कंपनियों द्वारा अभी तक अर्जित संभावित अतिरिक्त राशि इस प्रकार है :

1996-97	1280 करोड़ रु०
1997-98	2200 करोड़ रु०
1998-99	2630 करोड़ रु०
1999-2000 (संभावित)	3100 करोड़ रु%

(ङ) और (च) गृहित खपत के विद्यमान प्रतिबंध के बिना कोयले के खनन में निजी भारतीय कंपनियों को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस उद्देश्य के लिए, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा राजस्थान को ऋण

2431. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जिला-वार राजस्थान को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या प्रतिवर्ष निधियों में वृद्धि के बावजूद ग्रामीण ढांचागत विकास निधि (आर आई डी एफ) नाबार्ड द्वारा ऋण वितरण में लगातार कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नाबार्ड में स्थापित आर आई डी एफ में संग्रहित निधि से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास हेतु ऋण राशि में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गई अल्पावधि ऋण सीमाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर अल्पावधि ऋण सीमाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए दीर्घावधि ऋण के तहत कृषि और कृषीतर क्षेत्र के तहत पुनर्वित्त के राज्यवार संवितरण के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। राजस्थान में ग्रामीण आधारित विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत किए गए वर्ष-वार एवं जिला-वार संवितरणों के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 में राजस्थान में आर आई डी एफ के तहत ऋण संवितरण 68.52 करोड़ रु० थे, जो वर्ष 1998-99 के दौरान बढ़कर 103.57 करोड़ रु० के हो गए थे। अत: संवितरण में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ङ) आर आई डी एफ का गठन मुख्यत: राज्य सरकारों को अपनी अपूर्ण परियोजनाएं पूरी करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नई आधारभूत परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता देने के लिए किया गया है। आर आई डी एफ के अंतर्गत शुरू की जा सकने वाली परियोजनाओं का क्षेत्र बढ़ाया गया है, वापसी अदायगी अवधि पांच से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी गई है तथा पंचायत राज संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों (एस एच जी)/गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाओं के रूप में शामिल किया गया है। आशा है कि जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण मांग बढ़ेगी तथा उच्च स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप शुरू होंगे।

विवरण-I

राजस्थान में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा मंजूर अल्पावधि ऋण के जिला-वार ब्यौरे

(लाख रुपये)

क्र० सं०	डीसीसीबी के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	895	1125	—
2.	अलवर	3280	3435	3459
3.	बांसवाड़ा	600	900	900
4.	बारमेर	545	350	100
5.	भरतपुर	2270	2420	2420
6.	भीलवाड़ा	710	1200	1200
7.	बीकानेर	655	735	885
8.	बूंदी	1200	1190	1120
9.	चित्तौड़गढ़	1100	1520	1530
10.	चुरू	785	1170	1170
11.	डूंगरपुर	—	84	84
12.	जयपुर	2200	2380	2600
13.	जैसलमेर	190	190	—
14.	जालौर	1500	1680	—
15.	झालवाड	1900	2200	2200
16.	झुंझुनू	1375	1750	2000
17.	जोधपुर	1300	1450	1450
18.	कोटा	—	2050	2050
19.	नागपुर	2200	2400	2880
20.	पाली	1600	1840	1840
21.	सवाई माधोपुर	2375	3120	3500
22.	सीकर	1675	1750	2010
23.	सिरोही	260	440	440
24.	श्री गंगा नगर	4250	4650	5347
25.	टोंक	1250	1480	1700
26.	उदयपुर	1075	1600	—
	कुल	35170	43119	42565

विवरण-II

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा मंजूर अल्पावधि ऋण सीमाओं के ब्यौरे

(लाख रुपये)

क्र० सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर	40.00	100.00	69.00
2.	मेवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली	525.00	800.00	800.00
3.	शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर	0.00	18.00	16.00
4.	मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू	3.00	42.00	24.00
5.	अलवर भरतपुर ग्रामीण बैंक, भरतपुर	115.00	250.00	180.00

1	2	3	4	5
6.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर	50.00	130.00	109.00
7.	हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा	175.00	275.00	209.00
8.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर	15.00	0.00	8.50
9.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर	2.40	0.00	2.00
10.	बुंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बुंदी	150.00	225.00	190.00
11.	भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा	75.00	125.00	98.00
12.	डुंगरपुर बनासवाडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डुंगरपुर	40.00	125.00	65.00
13.	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर	250.00	400.00	330.00
14.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर	22.00	50.00	45.00
	कुल	1462.40	2548.00	1945.50

विवरण-III

राजस्थान में दीर्घावधि ऋणों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा कृषि एवं कृषीतर क्षेत्र के तहत पुनर्वित्त के संवितरण के जिलावार ब्यौरे

(लाख रुपये)

क्र० सं०	जिले का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	822.46	955.88	1737.06
2.	अलवर	768.54	859.21	1148.99
3.	बनासवाड़ा	479.25	383.92	427.72
4.	भरतपुर	1182.75	1315.24	1180.47
5.	बीकानेर	853.20	1407.90	1360.22
6.	चित्तौड़गढ़	1009.80	1085.23	1009.26
7.	दौसा	174.32	266.73	309.97
8.	झुंझुनू	856.50	884.66	1577.58
9.	जोधपुर	670.18	897.17	1391.10
10.	कोटा	1079.67	1129.27	1374.13
11.	नागौर	884.32	1099.48	1441.17
12.	पाली	847.64	941.50	732.74
13.	श्रीगंगानगर	946.59	975.78	1552.44
14.	सीकर	865.58	1016.83	1411.46
15.	सीरोही	691.81	722.89	753.44
16.	सवाई माधोपुर	1216.85	1355.75	2245.78
17.	उदयपुर	894.12	1060.01	1107.00
18.	हनुमानगढ़	872.15	639.02	802.46
19.	बारान	401.11	845.66	789.87
20.	बारमेर	934.67	728.64	1015.68
21.	भीलवाड़ा	1124.16	1109.87	1468.65
22.	बुंदी	859.00	1167.68	1077.24
23.	चुरू	745.12	957.25	1343.59
24.	धोलपुर	493.78	364.34	589.32
25.	डुंगरपुर	366.17	466.81	623.85
26.	जयपुर	1108.49	1243.99	1815.05
27.	जैसलमेर	364.12	280.13	363.50
28.	जालौर	734.81	1014.55	967.18
29.	झालवाड़	750.42	1020.20	1114.86
30.	राजस्मन्द	118.17	236.53	111.42
31.	टॉक	982.92	1178.70	1336.81
	कुल	24098.67	27610.82	34240.01

विवरण-IV

राजस्थान में आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किए गए संवितरण के वर्ष-वार एवं जिले-वार ब्यौरे

(लाख रुपये)

क्र० सं०	जिले का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	85.47	80.32	129.18	294.97

1	2	3	4	5	6
2.	अलवर	139.46	131.05	210.79	481.30
3.	बनासवाड़ा	220.93	207.62	333.94	762.49
4.	बारान	764.78	718.70	1155.96	2639.43
5.	बारमेर	43.86	41.22	66.30	131.39
6.	भरतपुर	86.70	81.48	131.05	288.22
7.	भीलवाड़ा	190.44	178.97	287.65	657.26
8.	बीकानेर	299.68	281.63	452.97	1034.28
9.	बुंदी	247.38	232.46	373.92	853.77
10.	चित्तौड़गढ़	273.31	256.84	413.10	943.25
11.	चुरू	166.04	156.03	250.97	573.03
12.	दौसा	111.58	104.86	168.66	385.09
13.	धोलपुर	23.05	21.66	34.84	79.56
14.	डुंगरपुर	1251.17	1175.79	1691.15	4318.10
15.	हनुमानगढ़	9.99	9.39	15.10	34.47
16.	जयपुर	266.15	250.12	402.29	918.57
17.	जैसलमेर	82.92	77.93	125.34	286.19
18.	जालौर	142.18	133.61	214.90	490.70
19.	झालवाड़	167.48	157.39	253.14	578.01
20.	झुंझूनू	15.27	14.35	23.08	52.70
21.	जोधपुर	100.94	94.86	152.57	348.37
22.	करौली	55.71	52.35	84.20	192.26
23.	कोटा	512.71	481.82	774.90	1769.48
24.	नागौर	76.44	71.84	115.54	263.82
25.	पाली	220.99	207.66	334.03	762.70
26.	राज समन्द	238.33	223.97	360.24	822.54
27.	सीकर	84.48	79.39	127.69	291.56
28.	सीरोही	124.46	116.96	188.12	428.54
29.	सवाई माधोपुर	49.97	46.98	75.54	172.47
30.	श्रीगंगानगर	230.04	216.18	347.71	793.93
31.	टोंक	133.09	125.18	201.18	459.43
32.	उदयपुर	436.94	410.62	880.44	1508.00
	कुल	6851.93	6439.21	10356.73	23647.87

[हिन्दी]

कॉफी का निर्यात

2432. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कॉफी के निर्यात से कितना मुनाफा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने कॉफी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कॉफी के निर्यातों से क्रमश: 1467 करोड़ रुपये, 1708 करोड़ रुपये और 1752 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ था।

(ख) और (ग) कॉफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए अनेक योजना कार्यक्रम और विकासात्मक कार्यकलाप चलाती है जिनका उद्देश्य गहन खेती, पुनर्रोपण, गुणवत्ता उन्नयन और जल की उपलब्धता को बढ़ाना है। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड द्वारा (क) कृषि अनुसंधान (ख) विस्तार (ग) ऋण एवं वित्त की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सामग्री जैसे कॉफी के बीज इत्यादि की आपूर्ति के रूप में भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड यूएसए, जापान, रूस और मध्यम पूर्व के देशों इत्यादि जैसे लक्षित बाजारों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। बोर्ड विदेशों में चुनिंदा खाद्य मेलों/प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है, विदेश व्यापार पत्रिकाओं में भारतीय कॉफी के अनुपम गुणों के बारे में विज्ञापन जारी करता है, व्यापार शिष्टमंडल भेजता है। भारत में सभी लक्षित बाजारों से रोस्टर शिष्टमंडलों को आमंत्रित करता है। भारतीय कॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिए वे विदेशों में भारतीय कॉफी को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करते हैं और विशेष अवसरों और त्यौहारों पर हमारे दूतावासों के जरिए भारतीय कॉफी के उपहार पैकेटों का वितरण करते हैं और भारतीय कॉफी से संबंधित सामग्री का प्रकाशन एवं उसका विवरण करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कृषि वस्तुओं का आयात

2433. श्री अनिल बसु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कृषि वस्तुओं के आयात की अनुमति है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई वस्तुओं और उनकी मात्रा का (महीनावार) ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आयात से कृषि वस्तुओं के घरेलू मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) कृषि वस्तुओं को निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 1 से 24 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से 781 मदों का इस समय मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है। वस्तुओं और उनसे संबंधित आयात नीति के ब्यौरे 'निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण' नामक पुस्तिका और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं में उपलब्ध हैं।

(ख) सभी वस्तुओं की निर्यातित मात्रा के बारे में मदवार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा संकलित किए जाते हैं और उन्हें 'भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खंड-1 आयात' नामक पुस्तिका में प्रकाशित किया जाता है। अद्यतन आंकड़े केवल फरवरी, 99 तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं।

(ग) किसी अन्य वस्तु की कीमतों के समान कृषि वस्तुओं की घरेलू कीमतें उक्त वस्तु की मांग और आपूर्ति पर प्रभाव डालने वाले अनेक कारकों पर निर्भर होती हैं। अत: कृषि वस्तुओं की घरेलू कीमतों पर आयातों के प्रभाव का वास्तविक मूल्यांकन करना संभव नहीं हो सकता। तथापि कृषि क्षेत्र के संबंध में जब कभी आयातों के किसी प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी मिलती है तो आयात शुल्कों का समुचित ढंग से समायोजन किया जाता है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

2434. **श्री कमल नाथ** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के बीच बकाया धनराशियों के भुगतान को लेकर उत्पन्न गतिरोध दूर कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। मुद्दों का निर्धारण करने के विचार से मामला दो पार्टियों के बीच चर्चाधीन है।

बौद्धिक संपदा

2435. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरण** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समान प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित करने और बौद्धिक संपदा और पेटेंट अधिकारों के प्रयोग में अवांछनीय एकाधिकार समाप्त करने के लिए कारगर प्रतिस्पर्धारोधी कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विधेयक का प्रारूप तैयार करने में अंतर्ग्रस्त बारीकियों का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति का कब तक गठन का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) भारत के पास एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार के पहलुओं को शामिल करते हुए एक सामान्य विधान है नामत: एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969। सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम की जांच करने तथा कानून का ध्यान एकाधिकार से प्रतियोगिता की ओर केन्द्रित करने तथा भारतीय स्थितियों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों के अनुरूप एक आधुनिक प्रतियोगिता कानून का सुझाव देने के मद्देनजर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, संविदात्मक लाइसेंसों में कतिपय प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों को दूर करने संबंधी पहलुओं को शामिल करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 140 के अंतर्गत एक प्रावधान विद्यमान है। पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 में भी प्रतिस्पर्द्धात्मक विरोधी व्यवहार के प्रति उपायों को सुदृढ़ करने के लिए धारा 85, 95 तथा 140 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-विनिर्मित चमड़े का निर्यात

2436. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्द्ध-विनिर्मित चमड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि ऐसे चमड़े का आयात करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप लघु चर्म उद्योग के कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। निर्यात-आयात नीति 1997-2002 के अनुसार सभी प्रकार के प्रसंस्कृत चमड़े के निर्यात, निर्यात की प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तथापि, अर्द्ध-प्रसंस्कृत चमड़े की कुछ श्रेणियां, जैसे ईआई टैंड का निर्यात 13.1.2000 से निर्यात शुल्क के साथ मुक्त रूप से करने की अनुमति दे दी गई है। अर्द्ध-परिष्कृत चमड़े के मुक्त आयात की अनुमति है।

(ग) से (च) ऐसी कोई समस्या सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सुझाव

2437. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आई०एम०एफ० द्वारा किए गए वित्तीय व्यवस्था स्थायित्व आकलन से सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक वित्तीय क्षेत्र के संयुक्त मूल्यांकन कार्यक्रम पर सहमत हो गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके बोर्ड के लिए वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन नामक एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा जो मानकों के विस्तृत मूल्यांकन की संक्षिप्त व्याख्या सहित उनकी खामियों को कम करने के लिए वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित होगी।

ऐस्सार में आई०डी०बी०आई० की निधियां

2438. **श्री के० करुणाकरन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'ऐस्सार डीफाल्ट-बरडन सैट टू फाल आन आई०डी०बी०आई०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आई०डी०बी०आई० ने ऐस्सार में अपने निवेश हितों की संरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) से (घ) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 31 जनवरी, 2000 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के संदर्भ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि ऐस्सार स्टील लि० द्वारा जुटाए गए अस्थायी दर वाले नोटों अपरक्राम्य वचन पत्रों (फ्लोटिंग रेट नोट्स) के पुनर्वित्त पोषण के लिए आंशिक रूप से निधि सहायता प्रदान करने का मामला वित्तीय संस्थाओं के विचाराधीन है। आईडीबीआई ने आगे सूचित किया है कि उसने अपने हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने या ऋणों की पुनर्संरचना करने आदि का निर्णय संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने सुविचारित वाणिज्यिक निर्णय और इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के आधार पर लिया जाता है।

बुने-बुनाए कपड़ों का निर्यात

2439. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बुने-बुनाए कपड़ों, सूत, कपास और वस्त्र का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन मदों के निर्यात में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) वर्ष 1998-99 के दौरान वस्त्र मदों जैसे परिधान, फैब्रिक्स, मेड-अप्स तथा यार्न का निर्यात 10635.7 मिलियन अमरीकी डालर था और अप्रैल-जनवरी, 2000 की अवधि के दौरान यह 9043.7 मिलियन अमरीकी डालर हुआ है। कपास वर्ष 1998-99 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 83.60 करोड़ रु० की राशि का कपास निर्यात हुआ और अक्टूबर-फरवरी, 1999-2000 की अवधि के दौरान यह राशि 6.68 करोड़ रु० रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1998-99 के दौरान, जब वस्त्र निर्यात के विकास में यथेष्ठ शिथिलता आ गई थी, तब अप्रैल-जनवरी, 1999-2000 के दौरान वस्त्र निर्यात में 3.4% की एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी तुलना में विगत वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 1.1% थी। कपास के निर्यात में गिरावट का एक प्रमुख कारण घरेलू कीमतों का अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अधिक बना रहना था।

(घ) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार है :

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना लागू की गई है।

2. स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने तथा वस्त्र निर्यात में स्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में 2000-2004 की अवधि के लिए नई निर्यात हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है।

3. कोटा और गैर-कोटा देशों को गैर-कोटा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-कोटा हकदारी (एन०क्यू०ई०) प्रणाली को बनाए रखा गया है ताकि भारतीय वस्त्रों के अपैरल क्षेत्र-मूल्यवर्द्धित क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

4. कुछ निर्धारित वस्त्र मशीनरी के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान (ई०पी०सी०जी०) योजना की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 1 करोड़ रु० करना।

5. निर्यातोन्मुख एकक (ई०ओ०यू०)/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र (ई०पी०जैड०)/ई०पी०सी०जी० एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात का उदारीकरण किया गया है।

6. ट्रिमिंग और अलंकरण की कुछ श्रेणियों को शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है।

7. अनुसंधान, किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रसार, विपणन अध्यसंरचना में सुधार तथा कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से जिनिंग व प्रैसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण जैसे उद्देश्यों के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना

2440. श्री बीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए अनुकूल साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कौन-से उद्योग हैं जिन्हें अगस्त, 1991 के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण ठोस बढ़ोत्तरी प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित विभिन्न सह-संबंधी कारकों पर निर्भर करता है। 1991-2000 की अवधि के दौरान विकास-दर नीचे दी गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विशेष संदर्भ में औद्योगिक विकास संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश के सम्पूरक के रूप में देखा जाता है।

उद्योग की वार्षिक विकास दर (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक द्वारा यथा-मापित)

वर्ष	खनन	विनिर्माण	विद्युत	सामान्य
1	2	3	4	5
1991-92	0.6	-0.8	8.5	0.6
1992-93	0.5	2.2	5.0	2.3
1993-94	3.5	6.1	7.4	6.0
1994-95	7.6	8.5	8.5	8.4
1995-96	9.6	13.8	8.1	12.8
1996-97	-2.0	6.7	4.0	5.6
1997 98	5.9	6.6	6.6	6.6
1998-99	-1.7	4.3	6.5	4.0
1999-2000 (अप्रैल-दिसंबर)	0	6.7	7.7	6.2

टिप्पण : 1994-95 से विकास-दरें आई आई पी आधार के अनुसार 1993-94 = 100 तथा पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आई आई पर आधार 1980-81 = 100

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000

[हिन्दी]

उद्योग और व्यापार क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

2441. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियां देश के उद्योग और व्यापार क्षेत्र में प्रवेश कर गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की उदारीकृत आर्थिक नीतियों के तहत राज्यवार और क्षेत्रवार स्थापित की गई कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्थिति के चलते देश के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त वृद्धि में इन कंपनियों द्वारा किस सीमा तक अंशदान किया गया;

(ङ) क्या भारत में विदेशी कंपनियों के प्रवेश के कारण हुए लाभ के बारे में कोई आकलन किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन कंपनियों से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) उदारीकरण की आर्थिक नीति के अंतर्गत् उद्योग तथा व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 16,454 विदेशी सहयोग-अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। क्षेत्रवार अनुमोदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ विशेष संदर्भ में, निर्यात संबंधी आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) विदेशी मुद्रा की निकासी (आउटगो) और इसके अर्जन से संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं।

विवरण

नीति के बाद की अवधि (1.8.1991 से 31.12.1999) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्रवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	अनुमोदित कुल राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	ईंधन	673	215	458	53453.12	30.26
2.	दूरसंचार	586	113	473	36642.63	17.48
3.	परिवहन उद्योग	1112	498	614	17430.39	8.31
4.	सेवा क्षेत्र	726	42	684	13857.46	6.61
5.	धातुकर्मी उद्योग	595	320	275	12549.84	६ ००
6.	विद्युत उपकरण	2957	1052	1905	12062.41	5.75
7.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	1489	736	753	12040.58	5.74
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	749	138	611	3482.02	4.05
9.	होटल तथा पर्यटन	395	135	260	4275.12	2.04
10.	विविध उद्योग	1322	643	679	3344.74	1.60
11.	वस्त्र (रंजित, छपे वस्त्र सहित)	625	124	501	3129.67	1.49
12.	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुग्दी	168	63	105	2994.54	1.43
13.	उद्योग मशीनरी	1265	776	489	2227.82	1.06
14.	परामर्शदायी सेवा	518	90	428	1961.85	0.94
15.	कांच	93	32	61	1767.01	0.84
16.	व्यापार	405	18	391	1457.11	0.69
17.	विविध मैकेनिकल तथा इंजीनियरिंग	694	290	404	1395.30	0.67
18.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	90	37	53	1383.69	0.66
19.	रबड़ गूड्स	194	98	96	1181.20	0.56
20.	खमीर उद्योग	61	19	42	1127.73	0.54
21	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	76	29	47	1067.11	0.51
22.	चीनी	7	1	6	1000.75	0.48
23.	औषध तथा भेषज	351	195	156	851.76	0.42
24	जिरेनिक	200	57	143	858.46	0.41

1	2	3	4	5	6	7
25.	कृषि मशीनरी	41	30	11	434.84	0.21
26.	मशीन टूल्स	185	85	100	375.76	0.18
27.	साबुन, शृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन	51	16	35	337.42	0.16
28.	चर्म, चर्म वस्तुएं तथा पिर्कस	176	35	141	300.79	0.14
29.	उर्वरक	64	57	7	246.88	0.12
30.	चिकित्सा तथा सल्यचिकित्सा उपकरण	73	24	49	245.66	0.12
31.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	40	3	37	242.23	0.12
32.	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म तथा कागज	23	10	13	229.79	0.11
33.	बॉयलर तथा स्टीम तेल रिफाईनरी	75	42	33	146.66	0.07
34.	औद्योगिक मशीनरी	167	95	72	121.52	0.06
35.	रंजक सामग्री	19	3	16	111.22	0.05
36.	विद्युत के अलावा प्राइम मुवर्स	61	38	23	91.72	0.04
37.	अर्थ मूवींग मशीनरी	58	35	23	85.19	0.04
38.	वैज्ञानिक इस्ट्रूमेंट्स	41	14	27	61.73	0.03
39.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग	6	2	4	38.37	0.02
40.	कास्ट उत्पाद	12	2	10	16.32	0.01
41.	रक्षा उद्योग	5	4	1	3.47	0.00
42.	गूल तथा जिलेटिन	2	0	2	1.20	0.00
	योग :	16454	6216	10238	209663.08	

[अनुवाद]

तंबाकू बोर्ड का बंद होना

2442. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंबाकू बोर्ड का गठन किस तारीख को किया गया;

(ख) तंबाकू बोर्ड कर्नाटक के तंबाकू उत्पादकों की किस रूप में सहायता कर रहा है;

(ग) क्या तंबाकू बोर्ड को बंद करने तथा गैर-सरकारी पक्षों को तंबाकू का व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तंबाकू बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का-4) के तहत किया गया और यह 1.1.1976 से अस्तित्व में आया।

(ख) तंबाकू बोर्ड कर्नाटक के उपजकर्त्ताओं सहित भारत में एफसीबी तंबाकू के उपजकर्त्ताओं की मदद करता है। पंजीकृत कृषकों को उचित कीमत पर उर्वरकों तथा कोयले जैसी निविष्टियों की समय पर आपूर्ति करके, बैंकों से फसल ऋण तथा अल्पावधि ऋण प्राप्त करने में कृषकों की सहायता करके, बीमा कंपनियों के पास तंबाकू क्यूरिंग वार्नस् का बीमा करने में उपजकर्त्ताओं की सहायता करके, उपज की उचित ग्रेडिंग सुनिश्चित करके सहयता प्रदान कर रहा है ताकि किसानों को लाभकारी कीमतें मिल सकें, तंबाकू बोर्ड द्वारा स्थापित नीलामी मंचों पर एफ. सी.बी. तम्बाकू की बिक्री के लिए व्यवस्था करके, व्यापारियों तथा उपजकर्त्ताओं के साथ परामर्श करके न्यूनतम गारंटी कीमत निर्धारित करके, क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना के लिए प्रेरित करके तथा अगली तारीख के चैक जारी करके उपजकर्त्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करके उनकी सहायता कर रहा है।

(ग) तंबाकू बोर्ड को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

2443. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुखी इकाइयों को स्थापित करने के बारे में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भी नई इकाइयां चालू नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार इन इकाइयों की संख्या कितनी थी; और

(ग) इन इकाइयों को चालू न करने का क्या कारण है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) दिसंबर, 1999 तक कुल स्वीकृत 4311 निर्यातोन्मुखी इकाइयों में से 1348 इकाईयां प्रचालन में थी और 600 इकाईयां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत थीं। शेष इकाईयां अभी तक कार्यान्वयन/प्रचालन शुरू नहीं कर सकी हैं।

(ग) इसके कारण क्रियाविधिक और कार्यचालन समस्याओं से संबंधित हैं। स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् एक निर्यातोन्मुखी इकाई को वित्तीय संस्थान से संपर्क करना होता है, जिसमें स्वीकृति के लिए कुछ समय लगता है। राज्य सरकार एजेंसियों से विभिन्न अन्य क्लीयरेंस और स्वीकृतियां लेने की आवश्यकता होती है। उत्पादन शुरू करने से पहले व्यवसाय विकास योजना तथा अन्य प्रबंधकीय व्यवस्था करने की भी आवश्यकता होती है।

नये प्रकाशन

2444. श्री चन्द्रेश पटेल :
डा० वी० सरोजा :
श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्र पंजीयक के पास राज्य-वार और श्रेणी-वार कितने समाचारपत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत हैं;

(ख) कितने समाचारपत्रों, पत्रिकाओं का प्रकाशन वास्तव में नहीं हो रहा है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार सरकार को देश में विभिन्न भाषाओं के नये दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचारपत्र और पत्रिकाएं शुरू करने के लिए राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय राज्य-वार कितने आवेदनपत्र स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए हैं और कितने विचाराधीन हैं;

(ङ) इस संबंध में आवेदन स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(च) लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकार किए जाने की संभावना है;

(छ) केबल नेटवर्क के युग में प्रिंट मीडिया किन समस्याओं से जूझ रहा है; और

(ज) सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) 31.12.98 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों, पत्रिकाओं की राज्यवार श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। अप्रचलित वास्तविक प्रकाशनों का ब्यौरा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) दिनांक 1.1.99 से 31.12.99 की अवधि के दौरान प्राप्त, अनुमोदित, अस्वीकृत आवेदनपत्रों की संख्या और विसंगतियों के संबंध में जारी पत्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। विसंगति पत्रों को उन आवेदनपत्रों के बारे में जारी किया है। जिन्होंने अपेक्षित दस्तावेज नहीं भेजे हैं और प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में यथा-निर्धारित प्रावधानों को पूरा नहीं करते हैं। आवेदनपत्रों को निरस्त कर दिया था क्योंकि प्रस्तावित शीर्षक उसी भाषा में अथवा उसी राज्य में मौजूद शीर्षकों की तरह या एक समान थे।

(च) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में कोई आवेदन-पत्र लंबित नहीं है।

(छ) प्रिंट मीडिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संघ के जरिए इस मंत्रालय को ऐसी समस्या की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31.12.98 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों की कुल संख्या

(राज्य/सं०प्र० एवं आवधिकवार)

राज्य/सं०प्र०	दैनिक	त्रै/द्वि साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	द्विमासिक/ छमाही	वार्षिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान एवं निकोबार	4	0	17	8	9	2	2	0	42
आंध्र प्रदेश	284	7	594	323	662	76	45	6	1997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अरुणाचल प्रदेश	3	1	3	0	1	2	0	0	10
असम	31	10	170	59	86	27	18	2	403
बिहार	401	33	693	149	250	58	22	2	1608
चंडीगढ़	35	1	71	28	126	39	19	3	322
दादर एवं नगर हवेली	0	0	1	0	0	0	0	0	1
दमन और दीव	0	0	0	1	0	0	0	0	1
दिल्ली	271	50	1079	828	2645	691	339	64	5967
गोवा	13	0	15	10	27	9	5	1	80
गुजरात	114	5	579	156	415	66	60	4	1399
हरियाणा	95	8	321	189	201	44	15	2	875
हिमाचल प्रदेश	9	0	53	21	41	18	8	1	151
जम्मू और कश्मीर	76	4	192	35	30	6	7	0	350
कर्नाटक	386	11	467	291	761	102	56	5	2079
केरल	210	5	186	189	861	109	64	17	1637
लक्षद्वीप	0	0	0	1	1	1	0	0	3
मध्य प्रदेश	450	8	2321	148	396	79	45	6	3453
महाराष्ट्र	452	37	1466	386	1353	435	213	178	4520
मणिपुर	47	3	12	11	38	9	10	4	134
मेघालय	4	4	32	6	15	5	4	1	71
मिजोरम	40	11	34	7	17	5	4	0	118
नागालैंड	2	0	9	0	1	2	0	0	14
उड़ीसा	93	2	148	89	292	118	39	10	791
पांडिचेरी	3	1	10	4	18	17	5	1	59
पंजाब	123	13	397	137	299	38	36	7	1050
राजस्थान	408	22	1008	1086	331	99	30	3	2987
सिक्किम	0	2	10	1	1	1	1	0	16
तमिलनाडु	360	50	437	260	1020	128	68	18	2341
त्रिपुरा	23	2	53	7	11	3	1	0	100
उत्तर प्रदेश	805	31	4567	909	1153	305	109	16	7895
प० बंगाल	148	10	700	578	1004	633	249	32	3354
कुल	4890	331	15645	5913	12065	3127	1474	383	43828

विवरण-II

दिनांक 1.1.99 से 31.12.99 तक की शीर्षक संबंधी सूचना

क्र० सं०	राज्य एवं स०प्र० का नाम	अनुमोदित	अस्वीकृत	जारी किसंगति पत्र	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	596	216	54	866
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	46	25	8	79
4.	बिहार	88	25	18	131
5.	गोवा	11	3	0	14
6.	गुजरात	591	191	53	835
7.	हरियाणा	248	101	1	350
8.	हिमाचल प्रदेश	35	24	9	68
9.	जम्मू और कश्मीर	49	15	11	75
10.	कर्नाटक	906	413	324	1643
11.	केरल	513	289	33	835
12.	मध्य प्रदेश	751	424	36	1214
13.	महाराष्ट्र	2664	1991	18	4673
14.	मणिपुर	21	7	0	28
15.	मेघालय	8	5	1	14
16.	मिजोरम	52	15	0	67
17.	नागालैंड	0	1	0	1
18.	उड़ीसा	241	126	15	382
19.	पंजाब	158	40	10	208
20.	राजस्थान	299	105	41	445
21.	सिक्किम	18	7	1	26
22.	तमिलनाडु	877	012	23	912
23.	त्रिपुरा	6	3	0	9
24.	उत्तर प्रदेश	1360	931	180	2471
25.	प० बंगाल	509	381	8	898
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	8	0	24
27.	चंडीगढ़	58	39	4	101
28.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0
29.	दिल्ली	1359	875	8	2242
30.	दमन और दीव	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
31.	पांडिचेरी	13	2	1	16
	कुल	11496	6274	857	18627

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2445. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए तैयार की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपना आकर्षण खोती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने कर्मचारियों ने 1993 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाया है तथा वर्तमान में, उन उपक्रमों में अतिरिक्त कर्मचारियों की क्या स्थिति है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) वर्ष 1993 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या 2.31 लाख थी तथा 31 मार्च, 1999 तक यह संख्या 2,31,885 (अनंतिम) थी। अप्रैल, 1998 से मार्च, 1999 के दौरान अनंतिम रूप से केवल 4772 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना। समय के साथ-साथ तथा अतिरिक्त कर्मचारियों में कमी होने से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी होती चली गई। इसलिए, कर्मचारियों के लिए योजना को और आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।

प्रबन्धन समय-समय पर अतिरिक्त कर्मचारियों को अभिज्ञात करते हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त कर्मचारी लगातार कम हो रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अलावा स्थिति में सुधार करने के लिए रिक्तियों पर और भर्ती करने पर प्रतिबंध तथा नई परियोजनाओं, तथा कार्यों पर अतिरिक्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन इत्यादि जैसे अन्य उपाय भी किए जाते हैं।

रांची दूरदर्शन केन्द्र से क्षेत्रीय समाचार

2446. श्री रामटहल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची दूरदर्शन केन्द्र से क्षेत्रीय समाचार प्रसारण की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन केन्द्र, रांची से समाचार प्रसारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो समाचार के कब से प्रसारित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्र, पटना से प्रसारित किए जा रहे दो क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों (हिन्दी और उर्दू प्रत्येक में एक-एक) को दूरदर्शन केन्द्र, रांची द्वारा रिले किया जा रहा है। आधारभूत सुविधाओं, जनशक्ति आदि संबंधी विभिन्न प्रकार की कमियों के कारण दूरदर्शन केन्द्र, रांची से समाचारों के प्रसारित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अल्युमिना और अल्युमिनियम का उत्पादन

2447. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अल्युमिना और अल्युमिनियम का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इन्हें प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) एल्यूमिनियम क्षेत्र में, दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात् नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बालको) और निजी क्षेत्र में तीन कंपनियां अर्थात् हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लि० (हिन्डालको), इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि० (इंडाल) और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि० (मालको) हैं। बालको और नालको, सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने-अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करती हैं। निजी कंपनियों के मामले में उत्पादन लक्ष्य प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कार्यनिष्पादन, उनके उत्पादन लक्ष्यों आदि की समीक्षा की जाती है।

बालको अपने प्रगालक की आवश्यकताओं के अनुसार एल्यूमिना का उत्पादन करता है क्योंकि एल्यूमिना का उत्पादन उसकी अपनी खपत के लिए ही किया जाता है। एल्यूमिनियम के मामले में, वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में, वास्तविक उत्पादन पिछले पांच वर्षों के दौरान 92 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के बीच ही रहा है। उत्पादन में मामूली कमी मुख्य रूप से ग्रिड में खराबी आ जाने के कारण/बिजली की आपूर्ति फेल हो जाने की वजह से व्यवधान उत्पन्न होने के कारण हुई है।

नालको प्रगालक अपनी खपत तथा निर्यात के लिए भी एल्यूमिना का उत्पादन करता है। नालको ने पिछले पांच वर्षों के दौरान लक्ष्यों से अधिक एल्यूमिना का उत्पादन किया है। एल्यूमिनियम के उत्पादन के संबंध में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के दौरान और चालू वर्ष के दौरान (आज तक) उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में, 91 प्रतिशत से 102 प्रतिशत तक उपलब्धि प्राप्त की है। वर्ष 1998-99 में एल्यूमिनियम प्रगालक में बड़ी खराबी आ जाने के कारण उत्पादन में भारी कमी आई और वास्तविक उत्पादन लक्ष्य का मात्र 67 प्रतिशत रह गया। सरकार ने अब सुधारात्मक कदम उठा लिए हैं और चालू वर्ष के दौरान स्थिति पुनः सामान्य हो गई है।

निजी क्षेत्र में हिन्डालको ने वर्ष 1996-97 को छोड़कर, जबकि बिजली व्यवधान के कारण धातु उत्पादन में कमी आई और प्राप्त लक्ष्य मात्र 96 प्रतिशत रहा, पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इंडाल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। मालको ने वर्ष 1998-99 को छोड़कर, जबकि एल्यूमिना के मामले में लक्ष्यों की तुलना में एल्यूमिना उत्पादन 62 प्रतिशत और एल्यूमिनियम उत्पादन 69 प्रतिशत था, पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2448. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विनिवेश के लिए कई सरकारी/अर्ध-सरकारी/उपक्रमों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विनिवेश एक अनवरत प्रक्रिया है तथा यह विनिवेश आयोग की सिफारिशों, सरकारी नीति, बाजार की परिस्थितियों, उद्योग के सामरिक अथवा सामरिक भिन्न के रूप में वर्गीकरण, कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखकर तथा संबंधित मंत्रालयों की सलाह से किया जाता है।

कोको उत्पादन

2449. **श्री पी०सी० थॉमस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोको का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोको अथवा कोको उत्पादों का निर्यात करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कोको का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(च) किसानों के लिए कोको की उचित कीमतें सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान कोको की औसत कीमतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोको का राज्यवार उत्पादन निम्नानुसार रहा है :

(मात्रा मी०टन में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
केरल	5800	3500	3800
कर्नाटक	800	1300	1400
आंध्र प्रदेश	—	600	700
तमिलनाडु	—	नगण्य	नगण्य
योग	6600	5400	5900

(ग) सरकार कोको अथवा कोको के उत्पादों का निर्यात नहीं करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से ही कोको के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र विस्तार पौधरोपण सामग्री का संवितरण तथा पुराने फलोद्यानों का पुनर्नवीकरण करना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था। नौवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को 130 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए 50 लाख रुपये तथा नौवीं योजना के लिए 6.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

सरकार कोको सहित बागान उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इन क्रियाकलापों में ये शामिल हैं : संभाव्यता अध्ययन करने, सर्वेक्षण, अवस्थापना विकास गुणवत्ता व गुणवत्ता नियंत्रण के संवर्धन पैकेजिंग का विकास, निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोको की औसत कीमत निम्नानुसार रही है :

वर्ष	रु०/प्रति किग्रा०
1996-97	17.50
1997-98	16.70
1998-99	16.00

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

[हिन्दी]

'गैट' समझौता

2450. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने 'गैट' समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए थे;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इस समझौते के अंतर्गत कितनी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए आयात शुल्क में कटौती करनी पड़ी थी और इस संबंध में कितनी कटौती की गई थी तथा इस अवधि के दौरान उक्त के परिणामस्वरूप देश को कितना राजस्व घाटा हुआ और देश में लघु उद्योगों व रोजगार के अवसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) इस समझौते के अंतर्गत देश के घरेलू बाजार में अब तक कितनी विदेशी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी गई और इनके द्वारा लाभ या अन्य रूप में कुल कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जाई गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इस समझौते के प्रभाव की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारत टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट), 1947 का एक मूल हस्ताक्षर कर्ता देश है। भारत ने 15 अप्रैल, 1994 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना करने वाले मराकेश करार पर भी हस्ताक्षर किए थे। जिसकी औपचारिक रूप में, 1 जनवरी, 1995 को स्थापना हुई थी। गैट, जिसे अपने संशोधित रूप में गैट, 1994 के नाम से जाना जाता है, वह डब्ल्यूटीओ करार का एक हिस्सा भी बन गया। भारत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का हमेशा से समर्थक रहा है। इसके अलावा, ऐसे सभी करारों पर हस्ताक्षर, रियायतों के संतुलन और उनसे हमें मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखने के बाद किए जाते हैं।

(ख) गैट 1994 के अनुच्छेद-II के तहत डब्ल्यूटीओ के प्रत्येक सदस्य देश ने टैरिफ लाइनों के भिन्न-भिन्न अनुपातों के लिए भिन्न-भिन्न स्तरों पर अपनी टैरिफ सीमाएँ निर्धारित की हैं। प्रत्येक सदस्य देश ऐसे टैरिफ अथवा अन्य शुल्क अथवा प्रभार न लगाने के लिए बाध्य है जो उसकी अनुसूची में निर्धारित इन सीमाओं से अधिक हैं। उरूग्वे दौर की वार्ताओं से पहले भारत ने अपनी टैरिफ लाइनों के लगभग 6% को सीमाबद्ध किया था। उरूग्वे दौर की वार्ताओं के परिणामस्वरूप भारत ने अब सभी कृषि लाईनों को सीमाबद्ध करते हुए अपने टैरिफ लाइनों के लगभग 67% को और गैर कृषि वस्तुओं के आयात हेतु लगभग 62% लाइनों को सीमाबद्ध किया है। सीमाबद्ध न की गई शेष उपभोक्ता उत्पाद और कुछ औद्योगिक मदें शामिल हैं। भारत ने गैर-कृषि वस्तुओं के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर परिष्कृत वस्तुओं पर मूल्यानुसार 40% और मध्यवर्ती सामानों, मशीनरी और उपकरणों पर 25% की अधिकतम सीमाएं निर्धारित की हैं। कृषि क्षेत्र में ऐसे कुछ उत्पादों को छोड़कर जिन पर काफी पहले से ही निम्नस्तर निर्धारित किए थे, भारत की सीमाबद्ध दरें 100 से लेकर 300 प्रतिशत के बीच हैं। सभी कृषि मदों के लिए इन सीमाबद्ध दरों में कमी 1.3.2004 तक की जानी है, वस्त्र मदों के लिए 1.3.2005 तक की सभी अन्य उत्पादों के लिए की गई कमी संबंधी वचनबद्धता को 1.3.2000 तक पूरा किया जाना है। जहां तक लागू टैरिफ दरों का संबंध है, ये हमारी समग्र आर्थिक नीति के एक भाग में स्वतंत्र रूप से निर्धारित की जाती हैं और इसलिए उपभोक्ता मदों पर टैरिफों की कमी के किसी प्रभाव का कुल मिलाकर डब्ल्यूटीओ में वचनबद्ध निर्धारित स्तरों से कोई संबंध नहीं रखा गया है।

(ग) गैट, 1947 और 1994 का इसका संशोधित रूप वस्तुओं की बाजार पहुंच से संबंधित है और इसमें घरेलू बाजार में विदेशी कंपनी के प्रवेश के मुद्दे पर विचार करने की व्यवस्था नहीं है।

(घ) से (च) सरकार, हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित कार्य योजनाएं तैयार करने की दृष्टि से इस करार के विभिन्न पहलुओं के प्रभाव की समय-समय पर समीक्षा करती रहती हैं।

[अनुवाद]

विनिवेश आयोग

2451. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र या उपक्रम की इक्विटी के विनिवेश के मामले में वित्त मंत्रालय और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०, इंडियन एयरलाइंस, मार्डन फूड इत्यादि के विनिवेश के मामलों में उक्त निर्देशों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है तथा वित्त मंत्रालय की इसमें समुचित भूमिका होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, मार्डन फूड, इंडियन एयरलाइंस इत्यादि के विनिवेश प्रस्तावों के मामले में संगत विशिष्टियां उपलब्ध की हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों पर विश्व व्यापार संगठन समझौते का प्रभाव

2452. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसंबर, 1999 को दैनिक हिन्दी समाचार पत्र 'जनसत्ता' में 'आर्थिक गुलामी में फंसने का फंडा है डब्ल्यूटीओ' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में 'फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र' और बंबई लघु उद्योग संघ (बी०एस०एस०आई०ए०) से कोई अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ख) जी, हां। इस लेख का मुख्य आशय यह है कि भारतीय व्यापार और उद्योग, खासकर खुदरा व्यापार और लघु उद्योग क्षेत्र डब्ल्यूटीओ प्रणाली के परिणामस्वरूप मुक्त वैश्विक व्यापार प्रवाह के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस लेख में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि यद्यपि डब्ल्यूटीओ प्रणाली में आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने की व्यवस्था है, जब तक कि डब्ल्यूटीओ करार के किन्हीं विशेष उपबंधों के तहत ये प्रतिबंध न लगाए गए हों, तथापि घरेलू उद्योग को टैरिफ के जरिए समुचित संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा, कतिपय परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यापार संरक्षण उपाय किए जा सकते हैं जैसे—पाटनरोधी कार्रवाई, सुरक्षोपाय और इमदाद-रोधी कार्रवाई। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत भारतीय निर्यातों को भी इसी तरह का मुक्त प्रवाह प्रदान करना संभव है जिसके जरिए सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य एक-दूसरे को 'परम मित्र राष्ट्र' और 'राष्ट्रीय व्यवहार' प्रदान करते हैं। डब्ल्यूटीओ करारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिकारों और दायित्वों के बीच एक संतुलन निहित है।

(ग) और (घ) दिनांक 10 फरवरी, 2000 का बंबई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अभ्यावेदन और 7 फरवरी, 2000 का फेडरेशन ऑफ एसोसिशन ऑफ महाराष्ट्र का एक अन्य अभ्यावेदन इस मंत्रालय

में प्राप्त हुआ है। इन दोनों अभ्यावेदनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि विदेश प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति खुदरा व्यापार के क्षेत्र में नहीं दी जानी चाहिए।

(ङ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति खुदरा स्टोरों, सुपर बाजारों इत्यादि की स्थापना सहित घरेलू खुदरा व्यापार के लिए नहीं दी जा रही है।

वस्त्र का निर्यात

2453. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान और आज तक कितना वस्त्र निर्यात किया गया;

(ख) क्या यूरोपीय संघ द्वारा विभिन्न भारतीय वस्त्रों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) वर्ष 1998-99 के दौरा तथा अप्रैल-दिसंबर, 1999 की अवधि में हुए वस्त्र निर्यात की मात्रा (अनंतिम) का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	मद	निर्यातों की मात्रा		
		1998-99	1999-2000 (अप्रैल-दिसंबर)	एकक
1.	सिले सिलाए परिधान	9533	9655	लाख नग
2.	सूती वस्त्र (क + ख + ग)			
	(क) सूती फैब्रिक्स	1945.21	1680.16	मि० वर्ग मीटर
	(ख) सूती यार्न	487.19	409.57	मि० कि०ग्रा०
	(ग) सूती मेड अप्स	लागू नहीं	लागू नहीं	
3.	मानव-निर्मित वस्त्र	254244.42	217959.39	टन
4.	ऊन और ऊनी वस्त्र (क + ख + ग + घ)			
	(क) ऊनी/वर्स्टेड फैब्रिक्स	0.41	0.11	करोड़ वर्ग मी०
	(ख) ऊनी निटवियर	1.72	1.32.	करोड़ नग
	(ग) मेड-अप्स	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(घ) यार्न	0.27	0.08	करोड़ कि०ग्रा०
5.	रेशम (क + ख)			
	(क) रेशम सामान	285.58.	295.86	लाख वर्ग मी०
	(ख) रेशम यार्न/अपशिष्ट	8.65	14.50	लाख कि०ग्रा०

(ख) जी हां।

(ग) विगत कुछ वर्षों से भारत के तीन वस्त्र उत्पाद श्रेणियों, नामत: (1) न धुला हुआ सूती फैब्रिक्स (यू०सी०एफ०), (2) सूती किस्म की बेड लिनन तथा (3) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न (पी०टी०एफ०वाई०) को यूरोपीय संघ (इ०सी०) द्वारा प्रतिपाटन कार्यवाही के अधीन रखा गया है। जबकि यूरोपीय संघ ने यू०सी०एफ० तथा पी०टी०एफ०वाई० पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्कों को नहीं लगाती है, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ दिसंबर, 1997 में भारत में पैदा की जा रही सूती टाइप बेड-लिनन पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत सूती टाइप बेड लिनन पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने के यूरोपीय संघ की कार्रवाई को चुनौती दी है।

चावल, अन्न और दालों का निर्यात

2454. डा० बलिराम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चावल के निर्यात पर लगाए निर्यात शुल्क की दर क्या रही है और किस-किस किस्म के चावल के निर्यात किए गए;

(ग) क्या घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अन्य अनाजों और दालों का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और किन-किन किस्मों के अनाजों और दालों का आयात किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) चावल (बासमती तथा गैर-बासमती चावल, दोनों) के निर्यात की अनुमति कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीड़ा) के पास संविदाओं के पंजीकरण के अधीन मुक्त रूप से प्रदान की जाती है। चावल के निर्यातों पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित खाद्यानों एवं दालों की कुल मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार रहा है :

आयात

मात्रा : मी०टन में

मूल्य : करोड़ रुपये में

मदें	1996-97		1997-98		1998-99 (अनं०)		1999-2000 (अनं०) अप्रैल-नवंबर, 1999	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गेहूं	612676	403.76	1485781	988.98	1346932	939.51	688317	410.93
गैर-बासमत चावल	2	0.02	54	0.06	6213	5.69	2190	3.65
मोटे अनाज	1955	0.50	1124	0.34	2038	1.06	129405	86.61
दालें	654908	890.34	1008161	1194.64	312744	404.52	137339	183.24

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता)

क्षेत्रीय प्रसारण का बंद किया जाना

2455. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 दिसंबर, 1999 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'छोटे निर्माताओं को बाहर कर रहा है दूरदर्शन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय चैनल हेतु कार्यक्रम बनाने के लिए निर्माताओं को डी०डी०-1 पर दिया जाने वाला 30 सेकेन्ड का बैंकिंग स्लॉट देना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूरदर्शन द्वारा दिल्ली, जयपुर, भोपाल और पटना केन्द्रों से 7.30 से 8.30 के बीच होने वाले क्षेत्रीय प्रसारण को भी बंद कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार में यह रिपोर्ट दी गई है कि दूरदर्शन ने हाल ही में उस बैंकिंग सुविधा को समाप्त कर दिया है जो पहले डी०डी० अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए निर्माताओं को उपलब्ध था। आगे यह बताया गया है कि दिल्ली, जयपुर, भोपाल और पटना केन्द्रों से सायं 7.30 बजे और 8.30 बजे के बीच के क्षेत्रीय प्रसारणों को बंद कर दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि इन कार्यवाहियों से लघु निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बैंकिंग सुविधा समाप्त कर दी गई है क्योंकि यह दूरदर्शन की राजस्व आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी।

(ङ) और (च) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि दर्शकों की संख्या बढ़ाने और निर्माण गुणवत्ता में सुधार लाने तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को साफ-सुथरा रूप देने के उद्देश्य से केन्द्रीयकृत कार्यक्रमों के लिए सायं 7.30 बजे से 8.00 बजे तक का समय-स्लॉट आवंटित किया गया है जबकि राष्ट्रीय समाचारों को सायं 8.00 बजे से 8.30 बजे का समय स्लॉट दिया गया है।

[अनुवाद]

दृश्य माध्यम द्वारा एक पंक्ति वाले प्रचार को बढ़ावा देना

2456. श्री वी० वेद्रिसेलवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दृश्य माध्यम एजेंसियां स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, महिलाओं के प्रति अपराध, दहेज समस्या आदि जैसे सामाजिक कल्याण उपायों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक पंक्ति वाले प्रचार को बढ़ावा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, एड्स जैसे सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक विषयों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय विज्ञापन जारी करने, हार्डिंग, वॉल पेंटिंग एवं प्रदर्शनी लगाने और वीडियो तथा ऑडियो स्पॉट का निर्माण करने संबंधी कार्य करता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, दूरदर्शन और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के माध्यम से इनका प्रचार किया जाता है। दूरदर्शन भी उपर्युक्त विषयों पर लघु अवधि के कैपसूल प्रसारित कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीन, रूस और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौता

2457. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 2000 के 'नवभारत टाइम्स' में 'चार देशों के बीच बाजौर साझेदारी बढ़ाने का इंडोनेशिया का सुझाव' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके संबंध में इन चारों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसे किस तिथि से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने 9.2.2000 को नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित एक बैठक में यह टिप्पणी की थी कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस और अन्य पड़ोसी देशों को शामिल करके एक बड़ा बाजार तैयार किया जा सकता है। तथापि, इस प्रकार की किसी व्यवस्था के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कृषि ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज

2458. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाए जाने की व्यवस्था को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज प्रभारित करने संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों पर साधारण ब्याज प्रभारित करें और चक्रवृद्धि ब्याज तभी लें जबकि देय तिथि जो कि उधारकर्ता के साथ तरलता तथा फसल कटाई/विपणन मौसम को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, को बैंक को ऋण की वापसी अदायगी न की जाए।

[हिन्दी]

गरीब लोगों का बीमा

2459. श्री रामजीलाल सुमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को बाढ़, चक्रवात, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुए घरों को बनाने के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार गरीबों के लाभ के लिए कुछ योजनाएं बनाने का इरादा रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जी, हां। विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर, भारतीय साधारण बीमा निगम के अनुषंगी कंपनियों ने 'गरीबी रेखा से नीचे' जीवनयापन करने वाले लोगों को आवासों के संबंध में कतिपय विशेष बीमा सुरक्षा योजनाएं बनाई हैं और ये योजनाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में पहले से ही शुरू की जा चुकी हैं। इन योजनाओं में विभिन्न बीमित जोखिमों, जिनमें बाढ़, चक्रवात, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, के कारण आवासों को हुई हानि या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति मुहैया कराने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी

2460. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंक-वार धोखाधड़ी के कितने मामले हुए हैं;

(ख) इस विषय पर विनियमनों का पालन नहीं करने वाले कितने बैंक अधिकारी त्रुटियों हेतु दोषी पाए गए हैं तथा इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) बैंक अधिकारियों द्वारा कितने मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई तथा शेष मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में धोखाधड़ियों की संख्या तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि सहित वर्ष 1997 से 1999 के लिए (सितंबर, 1999 तक) धोखाधड़ियों से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा निगरानी प्रणाली से पूछे गए तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित बैंकों द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों एवं सेवा शर्तों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखकर इस विषय पर विनियमनों का अनुपालन करने में चूक करने के लिए दोषी पाए गए बैंक-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

विवरण

वर्ष 1997 से 1999 के लिए (सितंबर तक) धोखाधड़ियों से संबंधित आंकड़े

(राशि लाख रु० में)

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	1997		1998		1999 (सितंबर तक)	
	धोखाधड़ियों की सं०	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की सं०	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की सं०	अंतर्ग्रस्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
बैंक ऑफ मदुरा लि०	7	12.81	8	731.34	4	38.26
बैंक ऑफ पंजाब लि०	1	0.42	0	0.00	7	113.23
बैंक ऑफ राजस्थान लि०	4	5.11	10	714.47	6	30.44
बरेली कारपोरेशन बैंक लि०	2	1.60	2	56.77	0	0.00
बनारस स्टेट बैंक लि०	5	1.37	6	498.27	9	334.18
भारत ओवरसीज बैंक लि०	5	47.51	7	183.36	3	0.49
कैथोलिक सिरियन बैंक लि०	17	817.85	9	424.8	7	61.85
सेंचुरियन बैंक लि०	2	601.06	1	0.17	0	0.00
सिटी यूनियन बैंक लि०	3	0.86	1	63.12	2	0.65
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि०	9	121.71	4	13.36	3	21.49
धनलक्ष्मी बैंक लि०	8	152.34	13	44.07	7	35.19
फेडरल बैंक लि०	33	49.04	25	1352.34	19	3179.55
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि०	3	0.89	9	7.34	2	1.06
एचडीएफसी बैंक	5	8.69	2	11.81	3	34.19
आईसीआईसीआई बैंकिंग	0	0.00	2	0.98	3	26.58
आईडीबीआई बैंकिंग कारपोरेशन लि०	0	0.00	0	0.00	2	1.55
आईडीबीआई बैंक लि०	0	0.00	3	3153.39	1	951.00*
जम्मू एवं कश्मीर बैंक	23	329.85	11	315.20	14	50.47
कर्नाटक बैंक लि०	28	158.98	24	470.23	16	97.18
करूर वैश्य बैंक लि०	14	56.67	8	286.81	8	22.03
लक्ष्मी विलास बैंक लि०	20	1100.72	6	2.46	6	8.80

1	2	3	4	5	6	7
लार्ड कृष्णा बैंक लि०	5	409.51	4	96.10	0	0.00
नैनिताल बैंक लि०	0	0.00	2	12.88	1	0.65
नेडुंगडी बैंक लि०	9	35.47	5	29.48	4	37.85
सांगली बैंक लि०	11	169.47	8	16.81	8	7.31
साउथ इंडियन बैंक लि०	13	30.47	21	677.84	11	469.97
तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि०	13	1809.21	24	44.61	11	41.70
टाइम्स बैंक	2	350.61	1	1.79	3	313.51
यूटीआई बैंक लि०	0	0.00	1	177.50	3	12.62
युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि०	7	97.39	7	3.90	7	29.89
वैश्य बैंक लि०	21	3222.34	5	51.21	10	29.68

*2583.00 लाख रु० से संशोधित की गई धोखाधड़ी की राशि।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना आवंटन

2461. श्री अब्दुल हमीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र सरकार की योजनाओं हेतु योजना आवंटन से 10 प्रतिशत की कटौती कर इसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी धनराशि की कटौती की गई और कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों को योजनागत स्कीमों का कम-से-कम 10 प्रतिशत भाग पूर्वोत्तर से संबंधित योजनाओं पर खर्च करने को कहा गया है। इस खाते में कोई भी बचत पूर्वोत्तर राज्यों की वित्तपोषित योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल में अभ्यर्पित की जानी चाहिए।

(ख) वर्ष, 1998-99 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 121.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।

मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

2462. श्री होलखोमांग हैकिप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बैंक कार्य कर रहे हैं और इनमें से प्रत्येक में कुल कितनी जमा और कार्य पूंजी है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान इन बैंकों से किसानों और कारीगरों सहित कितने ग्राहक लाभान्वित हुए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंक ने अलग-अलग कितना ऋण दिया और वसूल किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक सहित 10 बैंक कार्यरत हैं। मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशियों का ब्यौरा दिनांक 30.6.99 की स्थिति और इन बैंकों की कुल आस्तियों का विवरण (31 मार्च, 1999 की स्थिति) नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

बैंकों के नाम	जमाराशियां	कार्यकारी निधियां
भारतीय स्टेट बैंक	40.50	222509.02
बैंक ऑफ बड़ौदा	1.53	52232.40
यूको बैंक	0.22	20752.48
आंध्रा बैंक	0.81	11556.73
विजया बैंक	1.30	11095.67
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.16	35328.80
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	13.45	17215.23
पंजाब नेशनल बैंक	3.48	46323.48
मणिपुर ग्रामीण बैंक	*13.92	20.86
मणिपुर राज्य सहकारी बैंक	*10.03	48.58

*31.3.99 की स्थिति के अनुसार।

(ख) और (ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों के लिए मणिपुर में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण खातों की कुल संख्या, किसानों और कारीगरों को ऋण सहित प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कुल बकाया ऋण और मांग की प्रतिशतता के अनुसार कुल वसूली के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

(राशि : लाख रु०)

वर्ष	प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कुल बकाया ऋण		मांग के % के अनुसार कुल वसूली
	खाते	राशि	
1997-98 (30.9.97 की स्थिति के अनुसार)	63750	15609.34	5.1
1998-99 (31.3.99 की स्थिति के अनुसार)	60260	16870.51	4.8
1999-2000 (30.06.99 की स्थिति के अनुसार)	61493	16687.94	4.43

'क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेंस' योजना

2463. श्री भीम दाहाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेंस' योजना प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगले वित्तीय वर्ष में कोई परियोजना स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्ताव जब भी राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर योजना के तहत विचार किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

परियोजना	राज्य	स्वीकृति वर्ष	कुल लागत	आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना से अंशदान	जारी की गई राशि
करीमगंज से सुतारखंडी सीमा तक सुरमा ट्रंक रोड का विकास	असम	98-99	11.00	5.50 (50%)	1.85
सुतारखंडी में व्यापार केन्द्र का विकास	असम	99-2000	8.16	6.53* (80%)	1.00
ई पी आई पी, अमीनगांव में बुनियादी सुविधाओं का विकास	असम	98-99	3.4547	3.4547 (100%)	2.50
ई पी आई पी, बर्नीहाट के निकट सड़क में सुधार	मेघालय	97-98	0.65	0.65 (100%)	0.65
ई पी आई पी, बर्नीहाट में एक सब-स्टेशन की स्थापना	मेघालय	97-98	2.43	2.43 (100%)	2.43
जोखवाथार में एक कम्पोजिट भवन का निर्माण	मिजोरम	97-98	उपलब्ध नहीं	2.00	2.00
फायर स्टेशन, चौमुहानी से अखुरा चैकपोस्ट तक सड़क का सुधार	त्रिपुरा	98-99	0.82	0.41 (50%)	0.41
पुराना रघाना बाजार एल सी एस में बुनियादी सुविधाओं का विकास	त्रिपुरा	99-2000	11.20	8.96* (80%)	शून्य
अखुरा और रघाना एल सी एस, त्रिपुरा में वे-ब्रिज	त्रिपुरा	98-99	0.27	0.27 (100%)	0.27
मोरेह में बुनियादी सुविधाओं का विकास	मणिपुर	99-2000	0.95	0.95 (100%)	0.95

*परियोजना के लिए भूमि की लागत, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी, इस राशि में से निकाल दी जाएगी।

विनिवेश नीति

2464. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश विभाग ने विनिवेश नीति में कई आमूलचूल परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आयोग नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस आयोग की सिफारिशों से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) विनिवेश विभाग द्वारा 1998-99 के बजट भाषण में घोषित सरकारी नीति के अनुसार निम्न प्रकार विनिवेश किया जा रहा है :

> "सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सामान्यत: मामलों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयर धारिता कम करके 26 प्रतिशत तक लाई जाएगी। सामरिक विचारणाओं को समाहित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में, सरकार अधिकांश धारिता बनाए रखना जारी रखेगी। सभी मामलों में कामगारों के हित का संरक्षण किया जाएगा।"

(ग) और (घ) विनिवेश आयोग का गठन सरकार द्वारा 23 अगस्त, 1996 को किया गया था। आयोग ने अब तक 12 रिपोर्टें दी हैं जिनमें इसने 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं।

कोयला-खनन में कमी

2465. श्री जी०जे० आचिया : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में कोयला-खनन कम हो रहा है।

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक इसमें कमी आई है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितनी मात्रा में कमी होगी और इससे रेलवे तथा विद्युत परियोजनाओं को होने वाली कोयला आपूर्ति कितनी प्रभावित होगी; और

(घ) इससे रेलवे की कार्य-प्रणाली पर किस सीमा तक विपरीत प्रभाव पड़ेगा और साथ ही विद्युत उत्पादन में कमी होगी ?

खान और खनिज मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 को छोड़कर पिछले 5 वर्षों में कोयला उत्पादन में सकरात्मक वृद्धि हुई है। वर्ष 1998-99 में उपभोक्ताओं द्वारा मांग में कमी तथा कम उठान के कारण कोयले के उत्पादन को नियंत्रित कर दिया था। 1998-99 में इसका उत्पादन 306.50 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 292.27 मि०टन हुआ।

(ग) और (घ) विद्युत तथा रेलवे सहित सभी उपभोक्ताओं की कायेला आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा तथा उत्पादन को नियंत्रित करने से रेलवे तथा विद्युत क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

कोयला में राख का अधिक प्रतिशत

2466. श्री दिलीप संघाणी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देसी कोयला में राख का प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोलियरियों को 'पिट होल' में कोयला धोवनशाला स्थापित करने पर जोर देती है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कितनी कोयला धोवनशालाएं स्थापित की गई हैं तथा कार्य कर रही हैं; और

(घ) कोलियरियों द्वारा इन आदेशों को क्रियान्वित किए जाने हेतु कौन-से कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस बात पर जोर नहीं देती है कि कोलियरियों में कोयला वाशरियां पिट-हैड पर ही हों।

(ग) अद्यतन स्थिति तक को०इं०लि० के अंतर्गत 19 वाशरियों को स्थापित तथा प्रचालित किया गया है।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पिटहैड से 1000 कि०मि० से अधिक की दूरी पर स्थित अथवा बिना दूरी पर ध्यान दिए शहरी क्षेत्रों/संवेदनशील क्षेत्रों/अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित सभी तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए 1 जून, 2001 को तथा से 34% अथवा उससे कम राख तत्व वाले कोयले का उपयोग करना अनिवार्य है। विद्युत मंत्रालय ने उपर्युक्त एम०ओ०ई०एफ० अधिसूचना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पक्षों की जांच करने के लिए तापीय सदस्य, सी०ई०ए० की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर सभी संबद्ध अधिकरणों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्यात से होने वाली आय

2467. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सैकड़ों निर्यातक जानबूझकर विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास उन निर्यातकों की सूची उपलब्ध है जिनको निर्यात से होने वाली आय प्राप्त नहीं हुई है और यह भुगतान किस अवधि से लंबित पड़ा है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी कोई सूची वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ निर्यातकों के मामले में कुछ निर्यात बिल बकाया हैं।

(ख) इसकी सूचना प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के पास रहती है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक बकाया निर्यात बिलों का अर्द्ध-वार्षिक विवरण संबंधित नोडल सीमाशुल्क गृहों को भेजता है। भारतीय रिजर्व बैंक, उन चूककर्त्ताओं के नाम प्रवर्तन निदेशालय को समय-समय पर अग्रेषित करता है, जिनके मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात आगमों की वसूली हेतु नियत अवधि से आगे समय बढ़ाने से इंकार कर दिया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी करना, न्याय निर्णयन तथा दंड लगाया जाना शामिल है।

डनलप इंडिया लिमिटेड

2468. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के साहागंज स्थित डनलप इंडिया लि० का अधिग्रहण करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्थित साहागंज में डनलप इंडिया को अपने अधिकार में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई अनुमति नहीं मांगी हैं। तथापि, इसने सभी संभावनाओं का पता लगाने तथा कंपनी की प्रबंध-व्यवस्था हाथ में लेने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर दिया था कि टायर तथा ट्यूब उद्योग (मै० डनलप इंडिया लि०. के मामले में संबंधित अनुसूचित उद्योग) की सामान्य स्थिति अच्छी है। जैसा कि उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1996 97 की वार्षिक रिपोर्ट में संसद को बताया गया था, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किसी भी रुग्ण इकाई को अधिकार में लेने की सरकार की नीति नहीं है।

उपर्युक्त विचार राज्य सभा के दिनांक 1.6.98 में तारांकित प्रश्न सं. 61 के उत्तर में व्यक्त किए गए थे। विवरण के रूप में (प्रतिलिपि संलग्न है)।

विवरण

डनलप इंडिया लिमिटेड में सरकार का नियंत्रण

***61. श्री दीपांकर मुखर्जी :**
श्री गोलोपल बसु :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डनलप इंडिया लिमिटेड का नियंत्रण अपने हाथ में रखने के लिए इस कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति करना चाहती है;

(ख) क्या डनलप के कार्यकलापों की कराई गई जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता लगने के पश्चात् यह कदम उठाया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क क के अधीन उक्त कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ख) कंपनी कार्य विभाग ने डनलप कामगार यूनियन से प्राप्त शिकायत के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 'क' के अंतर्गत मै० डनलप इंडिया लि० के लेखों की पुस्तिकाओं की जांच करने के आदेश दिए थे। इस जांच के दौरान ध्यान में आए उल्लंघन तथा अनियमितताओं को दृष्टिगत करते हुए केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 408 के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के सम्मुख एक याचिका प्रस्तुत की। वर्तमान में यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा-18 'क क' में कतिपय मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रमों को अपने अधीन लेने का प्रावधान है। जैसा कि उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में संसद को सूचित किया गया था कि भारत सरकार की नीति उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी रुग्ण एकक को अपने अधीन लेने की नहीं है। अत: उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा-18 'क क' के अंतर्गत किसी कंपनी को अपने अधीन लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महानदी कोलफील्ड्स लि० द्वारा रेलवे को भुगतान

2469. श्री पर्शुहरि महताब : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी कोलफील्ड्स लि० द्वारा 1997 98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आज तक विशेषकर तालचर एवं आई०बी० क्षेत्रों में लेप्ट बिहाइंड, वारफेज विलंब-शुल्क तथा अन्य कारणों से रेलवे को कितनी राशि अदा की गई;

(ख) उसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि० की प्रत्येक खान को कितनी हानि हुई;

(ग) इस हानि के लिए दोषी प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई; और

(घ) कंपनी में मितव्ययिता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड्स लि० द्वारा तलचर और ईब कोलफील्ड्स में रेलवे को दिए गए विलंब-शुल्क, लेफ्ट बिहाइंड, वारफेज के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपये में)

कोयला क्षेत्र	प्रदत्त राशि		
	1997-98	1998-99	1999-2000
तलचर	0.00	0.00	0.00
ईब घाटी	10.03	11.00	1.80 (रेलवे अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के अंतर्गत)

चूंकि प्रति टन प्रेषण से संबंधित राशि केवल 2 से 3 पैसा है, अत: उठाया गया घाटा न्यूनतम है।

(ग) और (घ) म०को०लि०, विलंब-शुल्क और लेफ्ट बिहाइंड वैगनों को कम करने के प्रयास कर रही है, जो इस प्रकार है :

(i) साइडिंग पर और अधिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।

(ii) सी०एच०पी०/रैक लोडिंग उपकरणों की मशीन कम बंद हों, इसे सुनिश्चित करना।

(iii) साइडिंग्स पर कोयले की और अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना।

(iv) ऐसी कटौतियों के मामले में गहराई से जांच करना और इस प्रकार की भूल-चूक, जिससे विलंब-शुल्क देना पड़ता है, से होने वाले घाटे से बचने के लिए अथवा कम करने के लिए उपयुक्त नैदानिक उपाय किए जाते हैं।

उपर्युक्त किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, जहां तक विलंब-शुल्क का संबंध है, चालू वर्ष में इसमें काफी कमी आई है।

[हिन्दी]

भारतीय चाय व्यापार निगम

2470. **श्री एस०पी लेपचा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चाय व्यापार निगम के अंतर्गत दार्जिलिंग जिले में चल रहे पुतुदंग, भातकभर और पेशोक चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक, राशन और अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें पारिश्रमिक और अन्य स्वीकार्य सुविधाएं शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से इस संबंध में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारतीय चाय व्यापार निगम लि० (टी टी सी आई), जो कि एस टी सी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जो पोतोंगवाह-तुकवार और पाशोक सहित पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों में 5 चाय बागानों के प्रशासन का प्रबंध देखती है। घाटे में चल रही कंपनी होने के कारण यह गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है और वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रही है। 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल देनदारी लगभग 36 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

टी टी सी आई के प्रबंधक वर्ग ने कंपनी को समाप्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। मामला न्यायालय में अनिर्णित है। टी टी सी आई अपने बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियां जुटाने में असमर्थ है।

[अनुवाद]

'वाटर' फिल्म के निर्देशक के साथ बैठक

2471. **श्री पवन कुमार बंसल**
श्री मोहन रावले :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 'वाटर' फीचर फिल्म के निर्देशक ने उनसे मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) उनके अभ्यावेदन/विमर्श की विषय-वस्तु क्या थी और इसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय ने कनाडा की मैसर्स फ्लैगशिप इंटरनेशनल लिमिटेड से फिल्म 'वाटर' की शूटिंग के लिए अनुमति देने हेतु प्राप्त प्रस्ताव को विदेशियों द्वारा भारत में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शूटिंग के संबंध में विदेश मंत्रालय की वीजा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किया था। गृह मंत्रालय के साथ विधिवत परामर्श के बाद ही कंपनी को 6 जनवरी, 2000 के पत्र द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने फिल्म की पटकथा की अंतर्वस्तु के प्रति वाराणसी में विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रकट करने की सूचना दी थी और भारत सरकार द्वारा पटकथा की पुन: जांच का सुझाव दिया था। विदेशियों द्वारा भारत में फीचर फिल्मों की शूटिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अनुमोदित पटकथा में किसी भी प्रमुख बदलाव के लिए इस मंत्रालय की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक

है। तदनुसार, सुश्री दीपा मेहता ने हिन्दी संवादों और कुछ संशोधनों/विलोपनों सहित पटकथा के संशोधित रूपांतर के अनुमोदन हेतु इस मंत्रालय से संपर्क किया था। सरकार ने संशोधित रूपांतर को दिनांक 2.2.2000 को अनुमोदित किया था। शूटिंग 5 फरवरी को पुन: शुरू हुई परंतु कई संगठनों तथा व्यक्तियों के जन-समूहों द्वारा लगातार प्रदर्शनों के फलस्वरूप शहर में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के कारण जिला प्रशासन ने अपने 7 फरवरी, 2000 के आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत फिल्म की शूटिंग पर 15 दिन तक के लिए रोक लगा दी।

इस मंत्रालय द्वारा किसी आवेदक को शूटिंग की मंजूरी इस शर्त के अधीन दी जाती है कि स्थलों पर शूटिंग संबंधित नियंत्रण प्राधिकारियों की पूर्व स्वीकृति से की जाएगी। वाराणसी में शूटिंग की अनुमति, जिला प्रशासन की स्वीकृति के अधीन है।

रुग्ण इकाइयों को सहायता

2472. प्रो० रासासिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी रुग्ण इकाइयां हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान देश में रुग्ण इकाइयों को राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) केन्द्र सरकार के पास रुग्ण इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(घ) इन प्रस्तावों का निपटान कब तक किए जाने का अनुमान है;

(ङ) क्या सरकार का विचार, इन रुग्ण इकाईयों में से कुछ को बंद करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन इकाईयों को बंद करने के लिए क्या मानदंड हैं और ऐसी इकाईयों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1996, मार्च, 1997 तथा मार्च, 1998 तक बकाया राशि समेत रुग्ण गैर-लघु उद्योग तथा लघु उद्योग इकाइयों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) के पास दर्ज की गई रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार किए जाते हैं। बाइफर अपने पास दर्ज रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता है। तथापि, जहां कहीं भी संभाव्य हो, रुग्ण कंपनियों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं मंजूर की जाती हैं जिनमें विभिन्न उपाय शामिल हैं जैसे इक्विटी की पुनर्संरचना, प्रवर्तकों, द्वारा नई निधियों की पुर:स्थापना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंध तंत्र में परिवर्तन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी एवं मीयादी ऋणों का प्रावधान। विभिन्न पक्षों द्वारा राहतें तथा छूटें भी योजना का एक हिस्सा होती हैं।

(ङ) और (च) यदि किसी मामले की संभाव्यता एवं तकनीकी रूप से अर्थक्षमता के प्रस्ताव उभरकर सामने नहीं आते हैं तो बाइफर, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालय से समापन किए जाने की सिफारिश करता है।

विवरण-I

मार्च, 1996, 1997, 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर एककों की राज्यवार अर्थक्षमता की स्थिति

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च		मार्च		मार्च	
		एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	19831	51.85	10133	54.18	15774	60.02
2.	मेघालय	4985	15.80	5531	8.20	4076	6.52
3.	मिजोरम	62	1.81	1199	2.76	615	2.45
4.	बिहार	16695	97.54	22702	120.62	24935	142.74
5.	अरुणाचल प्रदेश	104	0.96	26	0.12	456	0.94
6.	पश्चिम बंगाल	56214	388.26	53451	371.67	53617	378.32

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	नागालैंड	1445	11.39	2738	9.44	1386	4.98
8.	मणिपुर	913	8.06	2707	9.85	1919	8.79
9.	उड़ीसा	7826	47.57	3408	45.08	1889	35.63
10.	सिक्किम	116	0.58	30	0.14	33	0.11
11.	त्रिपुरा	1356	2.73	3171	4.46	2011	6.26
12.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	41	0.18	13	0.08	45	1.60
13.	उत्तर प्रदेश	38349	340.72	23286	299.39	14294	299.66
14.	दिल्ली	6045	247.46	3943	264.81	3580	298.59
15.	पंजाब	2362	64.16	2466	84.44	2376	91.70
16.	हरियाणा	2332	97.76	2574	63.95	2149	92.41
17.	चंडीगढ़	205	12.51	170	14.41	163	16.69
18.	जम्मू एवं कश्मीर	3728	25.62	761	8.10	1627	25.15
19.	हिमाचल प्रदेश	567	18.01	2206	17.68	735	22.15
20.	राजस्थान	15668	84.11	14561	97.51	15655	108.62
21.	गुजरात	7476	228.37	6510	196.80	6806	224.63
22.	महाराष्ट्र	20100	744.14	19360	764.53	17925	749.94
23.	दमन एवं दीव	5	1.88	4	1.41	5	3.83
24.	गोवा	717	15.39	604	13.86	670	16.15
25.	दादर एवं नागर हवेली	1	0.90	1	0.90	2	1.16
26.	मध्य प्रदेश	11748	172.30	12070	151.44	8348	141.86
27.	आंध्र प्रदेश	14794	296.41	15460	214.39	12074	218.77
28.	कर्नाटक	11196	247.24	6937	203.26	6680	223.19
29.	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	.0.0	0.0
30.	तमिलनाडु	8293	326.97	9809	398.82	12289	456.93
31.	केरल	8984	163.50	8908	168.28	8969	190.12
32.	पांडिचेरी	218	7.78	293	18.64	431	26.13
	जोड़	262376	3721.94	235032	3609.20	221536	3856.64

विवरण-II

मार्च, 1996, 1997, 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग एककों (रुग्ण) की राज्यवार अर्थक्षमता की स्थिति

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च		मार्च		मार्च	
		एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	37	116.57	38	166.03	44	157.97
2.	मेघालय	2	1.31	1	0.89	2	1.39
3.	बिहार	56	103.19	55	116.62	63	358.24
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	1.77	2	2.47	2	2.47
5.	पश्चिम बंगाल	225	1080.37	216	1033.43	240	1126.21
6.	नागालैंड	1	1.30	1	1.30	2	2.48
7.	मणिपुर	1	2.37	1	2.45	2	2.42
8.	उड़ीसा	53	194.72	55	260.67	57	210.64
9.	सिक्किम	1	6.35	1	6.35	1	6.35
10.	त्रिपुरा	6	9.13	6	9.95	6	9.41
11.	उत्तर प्रदेश	173	993.58	170	915.85	208	1198.97
12.	दिल्ली	26	125.97	21	134.05	34	233.51
13.	पंजाब	37	137.35	51	146.19	69	203.01
14.	हरियाणा	63	305.56	66	304.11	86	394.87
15.	चंडीगढ़	12	32.85	10	22.73	3	7.54
16.	जम्मू एवं कश्मीर	7	27.89	7	13.58	7	8.91
17.	हिमाचल प्रदेश	20	38.72	21	26.76	32	54.30
18.	राजस्थान	61	229.58	67	249.73	87	371.33
19.	गुजरात	177	670.07	174	583.67	215	881.34
20.	महाराष्ट्र	337	1688.84	340	1614.88	410	2092.11
21.	दमन एवं दीव	1	1.90	1	1.84	5	27.77
22.	गोवा	4	11.42	3	7.71	13	51.66
23.	दादर एवं ना० हवेली	2	4.22	1	4.03	8	18.47
24.	मध्य प्रदेश	99	323.86	91	300.11	116	491.68

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	आंध्र प्रदेश	234	1037.42	225	1060.67	295	1264.15
26.	कर्नाटक	114	493.34	110	556.06	171	1001.85
27.	तमिलनाडु	129	762.63	141	622.93	198	1114.43
28.	केरल	69	412.38	64	409.15	85	495.73
29.	पांडिचेरी	8	8.54	9	39.76	15	34.04
	जोड़	1956	8823.19	1948	8613.95	2476	11825.25

[हिन्दी]

सड़कों के निर्माण हेतु निविदाएं

2473. डा० चरणदास महंत : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के अंतर्गत कोयला कंपनियों के द्वारा खान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी निर्माण कंपनियों में सड़कों के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के लिए भी यही प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने इस वर्ष जनवरी में इससे पहले आमंत्रित की गई निविदाओं के विरुद्ध निविदाएं आमंत्रित करने के मानदंडों में परिवर्तन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) कोल इंडिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोल इंडिया लि० की सभी अनुषंगी कंपनियां सामुदायिक विकास कार्य करने के लिए प्रति वर्ष बजट में कुछ धनराशि अलग रखती हैं। इसके माध्यम से, कोयला पी०एस०यू० के प्रतिष्ठानों तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाएं, सड़कों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, इत्यादि विकास के क्रिया-कलापों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता

2474. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास, विभिन्न राज्य सरकारों से विविध शीर्षों में केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त हुए कई अनुरोध लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त हुए अनुरोधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों के अनुरोधों पर कार्यवाही करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों का निपटान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जैसा कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित है, राज्यों को केन्द्रीय सहायता सकल ऋण और सकल अनुदान के रूप में राज्य योजना के लिए जारी की जाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अंतरण और योजना सहायता के अलावा भारत सरकार राज्य सरकारों को वर्ष के दौरान आय और व्यय के बीच किसी अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम सहायता उपलब्ध कराती है।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप पड़ने वाले राजकोषीय दबाव को झेल रही कुछ राज्य सरकारों ने अतिरिक्त सहायता/मध्यम आवधिक ऋण के लिए अनुरोध किया है। भारत सरकार ने राजकोषीय दबाव झेल रहे राज्यों को, राज्यों द्वारा शुरू किए जा रहे राजकोषीय सुधार से जुड़े पैकेज के रूप में योजनागत और गैर-योजनागत अग्रिम सहायता पहुंचायी है। चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने उन राज्यों को विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम की सहायता भी उपलब्ध कराई है जिन्होंने स्वीकार्य और प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी

2475. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को माल डब्बा, रेल उपस्कर जैसे अपने उत्पादों के लिए नियमित रूप से निर्यात-आदेश मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी को पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी निर्धारित समय के भीतर सभी निर्यात आदेशों का पालन करने में सफल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) यद्यपि बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड वैगनों, रेलवे उपस्करों आदि जैसे अपने उत्पादों के लिए क्रयादेश प्राप्त करती रही है और निर्यात क्रयादेशों को पूरा करती रही है, फिर भी, इस समय वैगनों और रेलवे उपस्करों के क्रयादेश प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(ख) विस्तृत ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) कंपनी ने निर्यात संबंधी सभी आदेशों का निष्पादन आमतौर पर प्राथमिकता और बिना विलंब के पूरा किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	ग्राहक	मद	माप की इकाई	अप्रैल, 1999-फरवरी 2000 के दौरान प्राप्त क्रयादेश		अप्रैल 1998-मार्च 1999 के दौरान प्राप्त क्रयादेश	
				मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	वास्तविक निर्यात						
1.	कतार स्टील	रिफ्रेक्टरी मर्दे	मी०टन०	504	40.32	1200	135.15
2.	कतार स्टील	-वही-	मी०टन०	1491	126.01	1806	154.28
3.	मितसुबिसी (जापान)	-वही-	मी०टन०	40	3.10	20	1.43
4.	गल्फ मेटल फाउंड्री, दुबई	-वही-	मी०टन०	21.5	2.79	64.5	7.20
	अप्रत्यक्ष निर्यात						
1.	जे फूलचंद एंड कंपनी, वियतनाम	-वही-	मी०टन०	21.5	1.55		
2.	पीके ओवरसीज, दुबई	-वही-	मी०टन०	59.5	5.47	7.5	0.80
3.	ईस्ट वेस्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, श्रीलंका	-वही-	मी०टन०	126.1	11.97		
		-वही-	मी०टन०	39.48	6.52	104.67	12.58
		-वही-	मी०टन०	19.74	3.62		
4.	वीजन रिफ्रेक्टरी, दुबई	-वही-	मी०टन०	1.77	4.01		
5.	फेयर ट्रेड कारपोरेशन, दुबई	-वही-	मी०टन०	18	1.38		
6.	कोयम्बटूर पोटरीज, दुबई	-वही-	मी०टन०	2	0.26	4.5	0.47
			कुल	2344.59	207.00	3207.17	311.91

जम्मू और कश्मीर द्वारा धन का उपयोग

2476. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न केन्द्रीय अनुदानों, विशेष सहायता और ऋणों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या राज्य ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया है और इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कारण बतलाए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए करती रही;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र अभी दिया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय सकल अनुदानों तथा सकल ऋणों के रूप में जम्मू व कश्मीर समेत सभी राज्यों को योजना आयोग द्वारा आवंटित राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करता है। जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता सहित जारी सकल ऋणों और सकल अनुदानों का विवरण आज की तारीख तक चालू वर्ष समेत पिछले तीन सालों में निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सकल अनुदान	सकल ऋण
96-97	1636.36	279.51
97-98	2034.83	224.89
98-99	2148.53	235.19
99-00	2399.34	267.60

संचित बिलों के कारण नकदीकरण की समस्या से जूझ रही राज्य सरकार प्राय: इस मंत्रालय से अग्रिम जारी किए जाने का अनुरोध करती रही है। नकदी समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार को पेशगी जारी कर दी गई है।

(ग) से (च) राज्य योजना के तहत जारी निधियों के समुचित उपयोग के लिए राज्य सरकार अपने राज्य विधान सभा के प्रति संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार राज्य की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए जिम्मेदार है। फिर भी, अगर अनुमोदित/संशोधित योजना परिव्यय के योजनागत व्यय में कमी रह गई हो तो राज्य को जारी केन्द्रीय सहायता में से अनुपातिक कमी की जाती है। हाल के वर्षों में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना परिव्यय के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा व्यय में किसी कमी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

खनन क्षेत्र का विनियंत्रण

2477. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी** : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने 1998 में खनन-क्षेत्र से यह सिफारिश की थी कि सरकारी इक्विटी को घटाकर 26 प्रतिशत और कुछ समय बाद शून्य कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक सरकारी इक्विटी में कितनी कमी की गई है;

(घ) क्या सरकार का खनन क्षेत्र को पूरी तरह विनियंत्रित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक कम की गई कुल सरकारी इक्विटी नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) में 87.15 प्रतिशत; हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच०जेड०एल०) में 76 प्रतिशत तथा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच०सी०एल०) में 98.92 प्रतिशत है। खनन विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में 100 प्रतिशत इक्विटी भारत सरकार के पास है।

(घ) और (ङ) संविधान केन्द्रीय सरकार को उस सीमा तक खान तथा खनिज विकास को विनियमित करने की शक्तियां देता है जहां तक केन्द्र के नियंत्रणाधीन ऐसे विनिमय तथा विकास संसद द्वारा कानूनी रूप से जनहित में उचित घोषित किए गए हों। सामरिक-भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के लिए कोई क्षेत्रक विशिष्ट नीति नहीं है।

आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2478. **श्री मोहन रावले** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०ए०एस० अधिकारियों द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आई०ए०एस० अधिकारियों की जगह व्यावसायिक विशेषज्ञों को लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घटिया कार्यनिष्पादन के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के अध्यक्ष नियमित आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें ऐसे उपक्रम शामिल नहीं हैं, जिनमें अंतरिम या कामचलाऊ व्यवस्था कर ली गई है।

(ख) से (घ) सरकारी उपक्रमों की आवश्यकताओं, उसके क्रियाकलापों के स्वरूप, उपक्रम-विशेष की स्थिति के कारण अध्यक्ष पद के लिए अन्य योग्य उम्मीदवार न मिल पाने आदि कारणों से सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष के पदों पर अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है और जब तक छूट नहीं दी जाए, तब तक सामान्यत: यह नियुक्ति स्थायी आमेलन के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त जिन उपक्रमों में नियमित नियुक्ति लंबित रहने तक अंतरिम व्यवस्था करना आवश्यक होता है, उनको छोड़कर अन्य उपक्रमों में निदेशक मंडल स्तर के पदों पर नियुक्ति कार्यकाल के आधार पर की जाती है।

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 236 चालू उद्यमों में से 134 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया तथा 100 उपक्रमों ने घाटा उठाया। घाटे के कारण उद्यम-सापेक्ष हैं। तथापि, पुराने संयंत्र व मशीनरी,

अप्रचलित प्रौद्योगिकी, क्षमता का कम उपयोग, अत्यधिक श्रमशक्ति, निविष्टि लागत में वृद्धि, संसाधनों की कमी, ब्याज का भारी बोझ आदि सामान्य कारण हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की सूची जिनके अध्यक्ष नियमित आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं

क्र०सं०	सरकारी उपक्रम का नाम
1.	निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम
2.	भारतीय खाद्य निगम
3.	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
4.	इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड
5.	राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम
6.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
7.	नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड
8.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लिमिटेड
9.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़िसा) लिमिटेड
10.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
11.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा के लिए बिहार को विश्व बैंक से सहायता

2479. **श्री राजो सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) उक्त प्रस्ताव को विश्व बैंक को भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) विश्व बैंक से कब तक वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बिहार में वर्ष 1997-98 से प्रचालन में है और यह वर्ष 2002-03 तक की परियोजना-अवधि तक अस्तित्व में रहेगा। यह कार्यक्रम बिहार के 27 राजस्व जिलों से संबद्ध 17 शैक्षिक जिलों में प्रचालन है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III (बिहार) का कुल ई०एफ०सी० खर्च 651.17 करोड़ रुपये का होगा।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

संत गुरू घासी दासजी पर फिल्म/धारावाहिक

2480. **श्री पी०आर० खुंटे :**
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की महान हस्तियों/साधु-संतों के जीवन पर फीचर फिल्म/धारावाहिक बनाने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या महान संत गुरू घासी दासजी के जीवन पर फीचर फिल्म/धारावाहिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) देश की महान हस्तियों/साधु-संतों के जीवन पर फीचर फिल्म/धारावाहिक बनाने के संबंध में सरकार के कोई दिशा-निर्देश नहीं है।

देश में अच्छी गुणवत्ता वाले सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० के पास देश की महान हस्तियों/साधु-संतों के जीवन पर फीचर फिल्म/धारावाहिक बनाने के लिए अलग से कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। तथापि, विभिन्न भाषाओं में फीचर फिल्मों के निर्माण करने, फिल्मों के निर्माण एवं सह-निर्माण करने के लिए ऋणों, 100 प्रतिशत वित्त-पोषण हेतु आवेदन करने के लिए दिशा-निर्देश/उप-नियम मौजूद हैं।

दूरदर्शन फिल्मों का निर्माण भी नहीं करता है। दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली फिल्में न्यूनतम गारंटीशुदा राजस्व आधार पर निजी निर्माताओं अथवा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जरिए प्राप्त की जाती हैं।

(ख) से (ग) दूरदर्शन ने रायपुर केन्द्र से रायल्टी श्रेणी के अंतर्गत मैसर्स कला दर्पण द्वारा निर्मित 'सतगुरू श्री घासीदास बाबा—एक संगीत फीचर' नामक कार्यक्रम प्रसारित किया है। दूरदर्शन ने दिनांक 17.12.99 को भोपाल एवं कानपुर दोनों केन्द्रों से 'संत पुरुष बाबा गुरू घासीदास' नामक अपना घरेलू कार्यक्रम भी प्रसारित किया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 24.12.99 को दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर ने 'हमारे आस-पास' कार्यक्रम पर आधारित साप्ताहिक समाचार में संत के जन्मोत्सव समारोहों को कवर किया था।

[अनुवाद]

वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण

2481. **श्री विकास चौधरी :**
श्री सुनील खां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेबी के अध्यक्ष द्वारा दिए गए उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि उन वित्तीय कंपनियों को स्टॉक मार्किट में सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, जिनका पंजीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी बाजार में कुछ वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण करने से इंकार कर दिया है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों ने हाल ही में अपने शेयरों के मूल्य में वृद्धि कर दी है; और

(घ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके शेयर मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1468 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन०बी०एफ०सी०) के पंजीकरण हेतु आवेदनपत्र रद्द कर दिए हैं। सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसी सभी सूचीबद्ध कंपनियों से सूचना प्राप्त करने की सलाह दी है। एक्सचेंजों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है जिसमें उन कंपनियों, जिन्होंने सही तथा समय पर पूर्ण सूचना नहीं दी है, को कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है। एक्सचेंजों को निवेशकों/बाजार भागीदारों को सही सूचना प्रसारित करने के निदेश भी दिए गए थे। सेबी ने प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए निवेशकों को चेतावनी दी है कि वे प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय सतर्क रहें।

(ग) और (घ) स्टॉक बाजारों में मूल्य वृद्धि का पैटर्न व्यापक है तथा ऐसी स्क्रिपों तक सीमित नहीं है।

राष्ट्रीय महत्व का उद्योग

2482. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को राष्ट्रीय महत्व के उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार निर्यातों को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता प्रदान करती है और यह वस्तु एवं क्षेत्र विशेष पर ध्यान देने के अलावा बजटीय और एग्जिम नीतिगत उपायों, विभिन्न बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय पहलों के जरिए निर्यात संवर्धन के कार्यकलापों को अधिकतम महत्व देने की कोशिश कर रही है।

[हिन्दी]

खनन के लिए विदेशी कंपनियों से अनुबंध

2483. **श्री विजय गोयल :** क्या **खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की देव भोग खानों में खनन का अनुबंध विदेशी कंपनियों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इन कंपनियों को अनुबंध देने की प्रक्रिया में अनियमितताएं बरतने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) विदेशी कंपनियों को अनुबंध देने के संबंध में सरकार ने क्या मानदंड अपनाए हैं;

(छ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस मानदंड का पूर्णतया पालन किया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत किसी भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उप-धारा (1) में परिभाषित केवल किसी कंपनी को ही खनिजों के विदोहन के लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है। अत: खनन विधेयक की मौजूदा स्कीम के तहत किसी विदेशी कंपनी को खनन प्रचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ख) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण

2484. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी संघों ने सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ यूनिटों का निजीकरण करने के लिए सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है और सरकार से इस निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारी संघों ने कंपनी की कुछ अजैव्य इकाइयों

की प्रस्तावित बिक्री के खिलाफ सरकार और साथ ही साथ बीआईएफआर को प्रतिवेदन दिया था और अनुरोध किया कि इकाइयों को सरकार की सहायता से पुनर्जीवित किया जाए। चूंकि, सीसीआई को पहले ही एसआईसीए के प्रावधानों के तहत बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया है और कंपनी के पुनरुद्धार से संबंधित निर्णय बीआईएफआर के आदेश पर निर्भर हैं।

आंध्र प्रदेश में तंबाकू भंडार

2485. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में जमा तंबाकू भंडारों को खरीदने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने राज्य व्यापार निगम में भंडारों के जमा होने के कारण किसानों को हो रही समस्या के प्रति केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का किस हद तक राज्य के तंबाकू किसानों की सहायता करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश में तंबाकू की नीलामियां तंबाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर 22 फरवरी, 2000 को आरंभ हुई और बैंकरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिनसे कहा गया है कि व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराए जाएं ताकि तंबाकू के विपणन को सुकर बनाया जा सके। आंध्र प्रदेश से तंबाकू के निर्यात के लिए नये बाजारों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 6 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में फरवरी, 2000 में लीबिया, जोर्डन, मिस्र और अल्जीरिया का दौरा किया ताकि इन देशों में तंबाकू के भारतीय निर्यातों को बढ़ाया जा सके। तंबाकू निर्यातकों के एक दूसरे प्रतिनिधिमंडल का जल्दी ही रूस का दौरा करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

तंबाकू का निर्यात

2486. **श्री राजैया मल्याला** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तंबाकू डीलरों को उनके पास भारी मात्रा में नहीं बिकी हुई तंबाकू के भंडार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात स्टॉक में देकर सहायता करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों को खोलना

2487. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के बैंक खोलने के लिए निर्धारित विद्यमान नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1998-99 के दौरान बिहार के चन्द्रपुरा, बोकारो और कुटुम्ब-अम्बा जिलों में बैंक खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) विभिन्न प्रकार के बैंकों को खोले जाने से संबंधित विद्यमान नीति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. **गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक**

भारतीय रिजर्व बैंक, गैर-सरकारी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों को इस संबंध में जारी 22 जनवरी, 1993 के मार्गनिर्देशों के अनुसार लाइसेंस देने पर विचार करता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने हेतु न्यूनतम पूंजी अपेक्षा 100 करोड़ रु० है जिसमें से न्यूनतम 40 करोड़ रु० का प्रवर्तकों द्वारा अंशदान किया जाना होता है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश की अनुमति देते समय, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है :

* वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों में निहित लक्ष्यों में सहायक हैं जिन्हें आमतौर पर समाज के लिए प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यक्षम और निम्न लागतवाली वित्तीय मध्यवर्ती सेवाएं प्रदान करनी है।
* वे वित्तीय रूप से अर्थक्षम हों।
* वे बैंकिंग क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करें।
* वे अनुचित पूर्वक्रय तथा ऋण का संकेन्द्रण, आर्थिक शक्ति का एकाधिकार औद्योगिक समूहों के साथ प्रतिधारिता आदि जैसी कमियों से बचें।

2. **विदेशी बैंक**

भारतीय रिजर्व बैंक भारत में नई शाखाएं खोलने संबंधी विदेशी बैंकों से प्राप्त अनुरोध पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विचार करता है :

* बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता।
* अंतर्राष्ट्रीय और अपने देश में स्थान ('रैंकिंग')

* कोटि निर्धारण ('रैटिंग')
* दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध।
* अपने देश के विनियम तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण।
* भारत में शाखाएं खोलने हेतु अपने देश के विनियामक का अनुमोदन।

नई शाखा खोलने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा 10 मिलियन अमेरिकी डालर तथा अतिरिक्त क्षमता, दूसरी शाखा खोलने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डालर अतिरिक्त और तीसरी या उत्तरवर्ती शाखाओं के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डालर।

3. गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र बैंकिंग

ग्रामीण बचत को बढ़ावा देने तथा स्थानीय क्षेत्रों में अर्थक्षम आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण का प्रावधान करने के लिए संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना संबंधी आवेदन पर विचार करता है। ऐसे बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 5 करोड़ रु० है। ऐसे बैंक के लिए प्रर्वतकों का अंशदान कम-से-कम 2 करोड़ रु० होगा। बैंक अधिकतम तीन भौगोलिक रूप से सटे हुए जिलों में परिचालन करेगा और इसका प्रधान कार्यालय इसके परिचालन क्षेत्र के केन्द्र में स्थित होगा। इन बैंकों से ऋण उपलबधता के अंतर को दूर करने तथा ग्रामीण एवं अद्धशहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण ढांचे में सुधार लाने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में या विदेशी बैंकों द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान बिहार के चन्द्रपुरा, बोकारो, कुटुम्बा-अम्बा में नये बैंक खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के संयंत्रों को बंद किया जाना

2488. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे** : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अपने कुछ संयंत्रों को बंद करने पर विचार कर रहा है क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण मशीन की कीमत बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शीशा पर आयात शुल्क को कम किए जाने से घरेलू उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है जो बंदी के कगार पर है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू शीशा उद्योग को बंदी से बचाने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निषेधात्मक लागत के कारण तथा आर्थिक अव्यवहार्यता की वजह से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच०जैड०एल०) के विशाखापत्तनम स्थित सीसा प्रगालक के प्रचालन, 1.8.1999 से बंद कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) घरेलू सीसा उद्योग मुख्यत: देश में निम्न ग्रेड अयस्क तथा सीसे के मूल्य में तीव्र गिरावट के कारण, प्रभावित हुआ है। सीसे का लंदन धातु विनियम (एल०एम०ई०) मूल्य 1991 में 737 अमरीकी डालर प्रति टन था जो फरवरी, 2000 में 451 अमरीकी डालर प्रति टन हो गया है। इसके अलावा, यह सीसा उद्योग, इस उद्योग से जुड़े पर्यावरणात्मक पहलुओं से भी प्रभावित हुआ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ रहे हैं। सरकार द्वारा कर सुधारों के लिए नियुक्त प्रोफेसर राजा जे० चलैया समिति ने, 1993 में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि सीसे के आयात पर सीमा शुल्क को 1997-98 तक 20% तक कम कर देना चाहिए। फिलहाल, सीसे के आयात पर प्राथमिक सीमा शुल्क 35%, अधिप्रभार 10% तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस०ए०डी०) 4% है। इस प्रकार यह कुल मिलाकर 42.5% हैं सीसे के प्राथमिक उत्पादकों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सीसा सांद्र के आयात को, खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के तहत रखा गया है। इसके अलावा, पर्यावरण अनुकूल सैकण्डरी रूट से सीसे का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर, 1999 से, केवल वे इकाइयां जो कि वास्तविक प्रयोक्ता हैं तथा जो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में सूचीबद्ध हैं उन्हें ही विभिन्न सार्वजनिक/निजी तथा सरकारी (राज्य/केन्द्रीय/संघ शासित प्रदेश) संगठनों द्वारा पुरानी/प्रयुक्त-सीसा-एसिड बैटरियों की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

उड़ीसा में रुग्ण खानें

2489. **श्री अनन्त नायक** : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में लौह अयस्क मैगनीज तथा बाक्साइट की कितनी खानें रुग्ण हो गई हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में हाल ही में कतिपय क्रोमाइट की खानें बंद की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त खानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन खानों के बंद होने के कारण भारी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) रुग्ण खानों के बारे में खान मालिकों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के बारे में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में अस्थायी रूप से बंद की गई लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और बाक्साइट खानों की संख्या इस प्रकार है :

	खनिज	पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्थायी रूप से बंद की गई खानों की संख्या
1.	लौह अयस्क	8
2.	मैग्नीज अयस्क	7
3.	बाक्साइट	1
	कुल :	16

(ख) और (ग) खान विभाग के एक अधीनस्थ संगठन, भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में हाल ही में कोई क्रोमाइट खान बंद नहीं की गई है। तथापि, उड़ीसा में 5 क्रोमाइट खानों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है।

(घ) और (ङ) बंद या अस्थायी रूप से बंद खानों के पुनरुद्धार या इन खानों के बंद होने से प्रभावित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के बारे में सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, मांग की कमी के कारण जहां ये खानें बंद या अस्थायी रूप से बंद की गई हैं वहां यह महसूस किया गया कि अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए उठाए गए कदमों से खनिजों की मांग में वृद्धि होगी और इन खानों का प्रचालन किफायती होगा।

नए कर-निर्धारिती

2490. **श्री रघुनाथ झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए आयकर-निर्धारितियों को आयकर के दायरे में लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) से (घ) जी, नहीं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कर निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। 31.1.2000 तक कुल 23,61,271 नए कर निर्धारिती शामिल किए गए हैं। देश का कर-आधार अक्तूबर, 1999 में 20 मिलियन के लक्ष्य को पहले ही पार कर चुका है और 31.1.2000 को देश में कर-निर्धारितियों की कुल संख्या 20.59 मिलियन बैठती है।

लौह अयस्क का निर्यात

2491. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए कर्नाटक सरकार से कुल कितनी मात्रा में लौह-अयस्क की खरीद की गई;

(ख) क्या इस राज्य से लौह-अयस्क की खरीद में लगातार कमी होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्नाटक से लौह-अयस्क की खरीद और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एम एम टी सी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक से खरीदे गए लौह अयस्क की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

(मात्रा : लाख टन में)

वर्ष	खरीद
1997-98	67.87
1998-99	57.50
1999-2000 (अनंतिम)	60.00

(ख) और (ग) वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक से लौह अयस्क की खरीद में गिरावट आने के निम्नलिखित कारण थे :

(i) एम एम टी सी द्वारा कर्नाटक से लौह अयस्क की खरीद प्रत्येक वर्ष के दौरान किए जाने वाले निर्यात की मात्रा से जुड़ी होती है। विश्व भर में इस्पात उद्योग में आई मंदी के कारण जापानी और दक्षिण कोरियाई इस्पात मिलों द्वारा कम मात्रा में माल लेने के कारण निर्यात में कमी आई थी;

(ii) एम एम टी सी द्वारा लौह अयस्क की खरीद में गिरावट आने का दूसरा कारण यह है कि भारत सरकार ने कर्नाटक के खान मालिकों को सीधे निर्यात करने की अनुमति दे दी है। कर्नाटक से वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (7.3.2000 तक) के दौरान सीधे निर्यात की गई मात्रा क्रमशः 7.19 और 12.05 लाख टन की थी;

(घ) कर्नाटक से लौह अयस्क की खरीद और इसका निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) एम एम टी सी निर्यात के लिए नए बाजार विकसित करने और लागत में कमी करके और गुणवत्ता पर अधिक जोर देकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के निरन्तर प्रयास कर रहा है। चीन के उभरते हुए बाजार को निम्न/मध्यम ग्रेड के लम्पों और उच्च ग्रेड/निम्न ग्रेड के फाइन्स के निर्यात के लिए अभिज्ञात किया गया है।

(ii) एम एम टी सी के जापानी और दक्षिण कोरियाई इस्पात मिलों के साथ दीर्घावधिक संविदाएं की हैं जो 31.3.2001 तक वैध हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घावधि करार की अवधि को आगे और पांच वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(iii) ताइवान जैसे नए बाजारों में प्रवेश करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(iv) सरकार ने कर्नाटक से उच्च ग्रेड के फाइन्स के निर्यात की उच्चतम सीमा बढ़ा दी है।

बैंक ऋणों पर ब्याज दर

2492. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों पर ब्याज की दर को कम करने के पश्चात भी राष्ट्रीयकृत बैंक उच्च ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) बैंक अपनी उच्चतर ब्याज दर (पीएलआर) निम्नलिखित कारकों के आलोक में निर्धारित करते हैं जैसे निधियों की लागत, संचालन की लागत तथा दूसरे क्षेत्रों में व्याप्त ब्याज दरें आदि। भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 मार्च, 1999 से बैंक ब्याज दर 9 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की पीएलआर जो कि मार्च, 1999 में 12 से 14 प्रतिशत के बीच थी, फरवरी, 2000 में घटकर 12 से 13.5 प्रतिशत के बीच रह गई।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

आई०एफ०सी०आई० में सुधार

2493. **श्री कृष्णमराजू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०एफ०सी०आई० केन्द्र प्रमुख ने आई०डी०बी०आई० के साथ विलय से इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आई०एफ०सी०आई० के सुधार में किस प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० (आई०एफ०सी०आई०) का विलय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) में करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आई०एफ०सी०आई० ने सूचित किया है कि अपने परिचालन में सुधार लाने में उन्हें होने वाली प्रमुख समस्याएं ये हैं : उधार की उच्च लागत, अनुपयोज्य आस्तियों का उच्च स्तर तथा निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात।

(घ) आई०एफ०सी०आई० ने सूचित किया है कि समस्याओं से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं : अनुपयोज्य आस्तियों का अक्रामक पुनर्गठन, चलनिधि में सुधार, शुल्क आधारित आय के शेयरों में वृद्धि, बिल भुनाई तथा कार्यशील पूंजी आदि के रूप में अल्पावधि उत्पादों पर अधिकाधिक ध्यान देना।

[हिन्दी]

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम०पी०ई०डी०ए०)

2494. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम०पी०ई०डी०ए०) ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में निर्यातोन्मुख सभी जलचर पालन (एक्वाकल्चर) केन्द्रों में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में निर्यातोन्मुख जलचर पालन के रूप में पहचानशुदा टैंक कितने एकड़ भूमि पर है;

(ग) क्या इन टैंकों को एम०पी०ई०डी०ए० द्वारा कोई तकनीकी सहायता की पेशकश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में जलचर पालन के विकास में सहायता करने हेतु एम०पी०ई०डी०ए० द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य में एम्पीडा द्वारा मत्स्य पालन के विकास में सहायता देने के लिए किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है : हेचरीज की स्थापना और नए श्रिम्प फार्मों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, श्रिम्प फार्मों में रोगों की रोकथाम के लिए रोग निवारक उपाय अपनाने के लिए किसानों को सलाह देना, रोगमुक्त बीजों का चयन करने के लिए पी सी आर/डॉट ब्लाट परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करना, उपयुक्त प्रबंधकीय व्यवस्थाओं का अनुसरण करने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसानों के तालाबों की निगरानी करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसानों की बैठकें तथा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करना, किसानों को बाजार प्रवृति की जानकारी देना और कल्चर्ड श्रिम्पों में कीटनाशकों एवं कृमिनाशकों के अवशिष्ट स्तरों की निगरानी करना।

[अनुवाद]

आई०एफ०सी०आई० का आई०सी०आई० सी०आई० के साथ विलय

2495. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०एफ०सी०आई० अत्यधिक एन०पी०ए० अकाउन्ट के भारी बोझ का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए आई०एफ० सी०आई० को कितना अतिरिक्त वित्त पोषण की आवश्यकता है;

(ग) क्या आई०एफ०सी०आई० का आई०सी०आई०सी०आई० या अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ विलय के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० (आई०एफ०सी०आई०) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, आई०एफ०सी०आई० की निवल अनुपयोज्य आस्तियां (एन०पी०ए०) 4230.7 करोड़ रुपये बैठती हैं तो कुल ऋण आस्तियों का 21.44 प्रतिशत है। अपने पूंजी आधार में सुधार लाने के लिए आई०एफ०सी०आई० को 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) आई०सी०आई०सी०आई० लि० सहित किसी वित्तीय संस्था के साथ आई०एफ०सी०आई० लि० का विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान से चावल का आयात

2496. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय राज्यों के व्यापारियों को स्थानीय बाजार से चावल खरीदने की बजाए पाकिस्तान से आयात करना ज्यादा सस्ता पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुम्बई में व्यापारियों द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाजारों में बिक्री हेतु 50000 टन से भी अधिक के चावल के आयात का अनुबंध करा लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने 50 प्रतिशत और उससे भी अधिक टूटे चावल के नि:शुल्क आयात की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारी उपज के मद्देनजर चावल के आयात को बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पाकिस्तान से चावल के आयात को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) व्यापार की गई किस्मों तथा उपभोक्ताओं की प्रचलित प्राथमिकताओं संबंधी सूचना के अभाव में इस बात की पुष्टि करना गलत होगा कि आयातित पाकिस्तानी चावल स्थानीय बाजारों से खरीदे गए चावल से सस्ता है।

(ख) चावल के आयात के संबंध में व्यापारियों द्वारा की गई संविदाओं से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) एक्जिम नीति के अनुसार चावल के आयात का सरणीयन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया गया है। चावल की सामान्य/घटिया किस्मों और 50% या इससे अधिक टूटे हुए चावल का आयात इस समय 27.5.97 से खुलेआम लाइसेंस के अंतर्गत है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) संबंधितों को इस बात की जांच/सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं कि आयात की जा रही किस्में सामान्य/घटिया हैं और यह कि टूटे हुए चावल का प्रतिशत अनुपात 50% या अधिक होता है।

[हिन्दी]

आभूषणों का निर्यात

2497. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
योगी आदित्यनाथ :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने और चांदी के आभूषणों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन देशों को इन आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ग) आभूषणों का निर्यात करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार सोने और चांदी के आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जी०जे०ई०पी०सी०) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात संबंधी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान रत्न एवं आभूषणों के कुल निर्यात 6212 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए थे और रत्न एवं आभूषणों के इस कुल निर्यात में सोने एवं चांदी के आभूषणों का हिस्सा क्रमश: 846.15 मिलयन अमरीकी डालर और 58 मिलियन अमरीकी डालर का था।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येकवर्ष के दौरान भारतीय सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्यात के प्रमुख बाजार ये रहे हैं—संयुक्त राज्य अमरीका, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्यात के जरिए अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का मूल्य निम्नानुसार रहा है :

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	स्वर्ण आभूषण	चांदी के आभूषण
1996-97	511.80	15.14
1997-98	802.97	24.75
1998-99	846.15	58.00

स्रोत : वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता तथा 1998-99 के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार मौजूदा एक्जिम नीति में संशोधन करके नई नीतिगत उपायों को लागू करने के रूप में सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती आ रही है ताकि निर्यातक वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकें। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से किए गए कुछ नीतिगत उपाय ये हैं : (i) निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों को न्यूनतम 7.5% एन०एफ०ई०पी० के अधीन मरम्मत करने/पुन: निर्माण करने और निर्यात करने के लिए सामान्य स्वर्ण, प्लेटेनियम और रजत आभूषणों का आयात और बाद में उनका निर्यात करने की अनुमति देना, (ii) विदेशी क्रेताओं द्वारा सभी ई०ओ०यू० और ई०पी०जेड० एककों तथा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित घरेलू टैरिफ क्षेत्र के एककों से रत्न एवं आभूषण के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति देना, (iii) 20 लाख रु० प्रति खेप के मूल्य तक चुनिंदा पत्तनों से कुरियर द्वारा रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात की अनुमति देना, (iv) आभूषण एवं हीरा प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अपेक्षित खपत योग्य वस्तुओं का पूर्ववर्ती वर्ष में रत्न एवं आभूषण के निर्यातों के एफ०ओ०बी० मूल्य के 1% तक शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देना, (v) पूर्ण रूप से यांत्रिकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित 'चुड़ियों' और 'मंगलसूत्र' जैसे आभूषणों के लिए मूल्यवर्धन संबंधी मापदंडों को युक्तिसंगत बनाना, (vi) मोम के माडल में, चांदी के माडल में और रबड़ के खांचे में बनाए नमूनों का विकास आयुक्त को सूचित करते हुए निर्यात करने की अनुमति देना, बशर्ते कि उनका मूल्य किसी वर्ष में 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं हो, (vii) ई०ओ०यू० और ई०पी०जेड० एककों को सोने की स्क्रैप/डस्ट/झाड़न को परिष्कृत कर उन्हें बाद में मानक स्वर्ण की छड़ों में बदलने के लिए सरकारी टकसाल के अलावा निजी टकसालों को भी भेजने की अनुमति देना। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण की ऐसी स्क्रैप/डस्ट/झाड़न को सीमा-शुल्क विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट स्वर्ण की मात्रा के आधार पर लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने पर डी०टी०ए० में भी बेचा जा सकता है।

[अनुवाद]

मालडिब्बों के लिए ऑर्डर

2498. **श्री वसुदेव आचार्य : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जेसप, ब्रेथवेट और बर्न स्टैंडर्ड की पुनरुद्धार योजनाएं अपर्याप्त आर्डर के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मालडिब्बों का पर्याप्त ऑर्डर सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जेसप, ब्रेथवेट और बर्न स्टैंडर्ड की पुनरुद्धार योजनाएं वैगन तथा अन्य उत्पादों के क्रयादेशों की कमी, निम्न उत्पादकता, कामगारों का अधिक होना आदि कारणों की वजह से जैसा कि आशा की गई है, सफल नहीं रही है। निम्नलिखित लक्षित ब्यौरों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में उपलब्ध वैगन क्रयादेश अपेक्षा से कम हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	बीआईएफआर का लक्ष्य	उपलब्ध क्रयादेश
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि०	4437.5	3910.0
जेसप एंड कंपनी लि०	1800.0	420.0
ब्रेथवेट एंट कंपनी लि०	3075.0	2520.0

(आंकड़े चारपहिए इकाइयों के हैं)

(ग) मंत्रालय, सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को वैगनों के पर्याप्त क्रयादेश देने के संबंध में मामले को सतत् रूप से रेलवे के साथ उठा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2499. **श्री सुनील खां : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राऊरकेला इस्पात परियोजना तथा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड हरियाणा का विनिवेश होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश से कितनी धनराशि के आने की संभावना है; और

(ग) ऐसा कोई निर्णय लेते समय किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में धारित इक्विटी के 51 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। सरकार ने राऊरकेला स्थित उर्वरक संयंत्र सहित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय भी किया है।

(ख) विनिवेश से वसूल होने वाली राशि के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाए जा सकते।

(ग) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में विनिवेश कृषकों के हित को प्रभावित नहीं करेगा।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की पुनरीक्षा हेतु समिति

2500. **श्री शिवाजी माने :**
श्री जी०जे०जावीया :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के श्रमिकों के अधिकारों की पुनरीक्षा की है अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु गठित समिति ने, जिसमें श्रम, व्यय और लोक उद्यम विभागों के सचिव शामिल हैं, अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० बल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के संबंध में जो कि वित्तीय रूप से कमजोर है, सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, कामगारों को मजूरी और वेतन की अदायगी पर खर्च को पूरा करने के लिए आयोजना-भिन्न सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार ने मंत्रियों के समूह का गठन किया है, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में प्रस्तावों की जांच करेगा– (i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन, (ii) भारत में ठेके पर मजदूरी के रोजगार और सेवा की शर्तों के विनियम के लिए नए कानून और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों की मजूरी, वेतन और सांविधिक देनदारी की समस्याओं के संबंध में सिफारिश करना।

मंत्रियों के समूह के सेवार्थ सचिवों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति की पहली बैठक 14-2-2000 को हुई थी। सचिवों की समिति की सिफारिशों को मंत्रियों के समूह को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्यों के लिए दूरदर्शन के चैनल

2501. **श्री वैको** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों को अपने दूरदर्शन चैनल शुरू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है जिस पर अन्य चीजों के अलावा राज्यों द्वारा प्रायोजित कल्याण कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं;

(ख) क्या इस विषय में कुछ अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना स्वयं का टी०वी० चैनल शुरू करने का एक प्रस्ताव दिया था जिसे सहमति नहीं दी जा सकी क्योंकि यह वर्तमान नीति के अंतर्गत नहीं आता।

नई औद्योगिक नीति

2502. **श्रीमती रानी नरह** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र की उद्योग और वाणिज्य फैडरेशन की ओर से सरकार द्वारा घोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक नीति की मुख्य खामियों की ओर संकेत करने वाला अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग तथा वाणिज्य परिसंघ (एफ आई एन ई आर) ने यह उल्लेख किया है कि नीति में मुख्य कमियां ये हैं–अधिसूचित क्षेत्रों के लिए भूमि की अनुपलब्धता तथा उत्पाद शुल्क की वापसी केवल नकद भुगतान तक ही सीमित है और पूर्ण मोडवेट क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है।

(ग) इस विभाग ने योजना आयोग, राजस्व विभाग, तथा गृह मंत्रालय से एफ आई एन ई आर की अभ्युक्तियों सुझावों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पत्र लिखा है।

भारतीय स्टेट बैंक के जोनल कार्यालय

2503. **श्री अनन्त गुढे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे विदर्भ क्षेत्र के लिए भारतीय स्टेट बैंक का एक ही जोनल क्षेत्रीय कार्यालय है जिसके कारण पश्चिम विदर्भ के क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी विदर्भ में अमरावती स्थित भारतीय स्टेट बैंक के विभागीय मुख्यालय में नया जोनल क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अमरावती में जोनल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विदर्भ क्षेत्र के लिए भारतीय स्टेट बैंक का केवल एक आंचलिक कार्यालय है जो केन्द्रीय रूप में नागपुर में स्थित है। अमरावती जिले की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताएं बैंक की 36 शाखाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को अमरावती जिले की विशिष्ट रूप से जिम्मेवारी सौंपी गई है।

(ख) से (घ) अमरावती जिले में आंचलिक कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बैंक को जनवरी 1996 में अमरावती वाणिज्य और उद्योग मंडल से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने मामले की जांच की थी और अनुरोध को इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया था कि शाखाओं का विद्यमान नेटवर्क और नागपुर में प्रशासनिक व्यवस्था क्षेत्र में सभी बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त माना गया था। इस निर्णय से अमरावती व्यापार और उद्योग मंडल को अवगत करा दिया गया था।

कोल इंडिया लि० का कार्य-निष्पादन

2504. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों के समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित लक्ष्य और इन्हें प्राप्त करने के संदर्भ में इनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायक कंपनियों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति और इसमें कमी के संदर्भ में प्रमुख प्रवृत्ति क्या उभरती है; और

(घ) मुख्यत: पहचानी गई समस्याएं और वर्ष 2000-2001 के लिए कार्य योजना सहित उन्हें दूर करने के लिए तैयार की गई रणनीति क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। कोयला विभाग प्रत्येक वर्ष केवल को०इं०लि० के साथ ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है, न कि कोल इंडिया लि० की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के साथ। कोल इंडिया लि० तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा कोयला विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्रवाई योजना दस्तावेज में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में की जाती है। पिछले 3 वर्षों के लिए को०इं०लि० और उसकी अनुषंगी कंपनियों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

कंपनी	1996-97		1997-98		1998-99	
	लक्ष्य सं०अनु०	वास्तविक	लक्ष्य सं०अनु०	वास्तविक	लक्ष्य सं०अनु०	वास्तविक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	31.50	29.65	32.50	27.42	27.00	27.16
भारत कोकिंग कोल लि०	29.50	27.13	30.70	30.92	27.40	27.17
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	32.80	32.18	33.50	33.08	33.10	32.18
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	37.00	37.01	37.00	37.12	37.00	36.52
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	29.70	31.23	30.50	32.52	32.00	31.75
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	53.70	55.30	55.50	56.63	57.00	57.56
महानदी कोलफील्ड्स लि०	37.00	37.37	39.50	42.17	42.50	43.51
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	0.80	0.75	0.80	0.69	00.60	00.64
कोल इंडिया लि०	252.00	250.62	260.00	260.55	256.60	256.49

योजनागत व्यय

(करोड़ रु० में)

कंपनी	1996-97		1997-98		1998-99	
	लक्ष्य सं०अनु०	वास्तविक	लक्ष्य सं०अनु०	वास्तविक	लक्ष्य सं०अनु०	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	190.00	273.09	150.00	173.68	115.00	131.23
भारत कोकिंग कोल लि०	215.00	213.85	168.00	158.62	110.00	172.02
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	130.83	234.74	235.00	305.86	180.00	181.46

1	2	3	4	5	6	7
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	150.00	127.78	262.00	221.08	366.00	342.73
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	170.00	228.91	300.00	291.77	280.00	359.82
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	240.00	248.50	350.00	397.80	330.00	309.74
महानदी कोलफील्ड्स लि०	200.00	183.81	300.00	240.10	310.00	326.57
सी०एम०पी०डी०आई०एल० तथा सी०आई०एल०	15.00	19.77	14.56	35.64	9.00	8.40
जोड़ (सी०आई०एल०)	1310.83	1530.45	1779.55	1824.55	1700.00	1831.97

(ग) और (घ) को०इं०लि० ने अपने कोयला उत्पादन लक्ष्यों का 99.45% (1996-97), 100.21% (1997-98) तथा 99.96% (1998-99) प्राप्त कर लिया है। को०इं०लि० ने 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अपने वित्तीय व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था।

को०इं०लि० के सामने आ रही प्रमुख समस्याएं नीचे दी गई हैं :

(i) उद्योगों, प्रमुखत: सीमेंट संयंत्रों द्वारा कोयले/कोक के आयात में वृद्धि, कोयला आधारित उत्पादन में धीमी वृद्धि के कारण कोयले की कम उठान।

(ii) नई तथा चालू परियोजनाओं हेतु भूमि के अधिग्रहण के साथ-साथ वनीय भूमि के अधिग्रहण में विलंब।

(iii) कोयला बिक्री देय राशि की वसूली एक अन्य चिंता का विषय है। दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कुल देय बकाया राशि 5799 करोड़ रु० है, जिसमें से विद्युत क्षेत्र (एस०ई०बी०) का भाग 4806 करोड़ रु० है।

(iv) को०इं०लि० की 3 अनुषंगी कंपनियां, नामत: ई०को०लि०, भा०को०को०लि० तथा से०को०लि० लगातार घाटे में चल रही हैं।

किन्तु, को०इं०लि० के कार्य-निष्पादन में और सुधार करने तथा देश की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रभाव क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है :

(i) नई खानें खोलना तथा आधुनिकीकरण, नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने के द्वारा विद्यमान खानों में कार्यकुशलता तथा उत्पादकता को बढ़ाना और निवेश तथा संरचनात्मक सुविधाओं की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

(ii) कोयला परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण तथा वनीय भूमि की स्वीकृति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाना।

(iii) दोषी राज्य विद्युत बोर्डों (एस०ई०बी०) की ओर कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी०एस०यू०) की बकाया कोयला बिक्री देय राशि की वसूली के लिए कदम उठाना।

(iv) उत्पादन में वृद्धि की संभावना वाले कोयलाधारी क्षेत्रों में परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए रेलवे के साथ सहयोगात्मक कदम उठाना।

(v) उपर्युक्त के अलावा, कोल इंडिया लि० विभिन्न उपायों को अपनाए जाने के माध्यम से, जैसे श्रमशक्ति का युक्तिकरण, क्षमता उपयोगिता में सुधार, कोयला परियाजनाओं की समय से समाप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करके, न्यायोचित आयोजन, व्यय में किफायत तथा अच्छे औद्योगिक संबंधों को बनाकर कोयले की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए सतत प्रयास कर रही है।

(vi) चयनित खनन और परिष्करण के माध्यम से कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाना।

(vii) नई परियोजनाओं में निवेश के लिए अपेक्षित संसाधनों का संपूरण करना तथा ग्रीन फील्ड परियोजना के विकास हेतु संयुक्त उपक्रम के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन व्यवस्थाओं को आरंभ करना।

(viii) खान विकास योजनाओं के साथ पर्यावरणीय तथा सामाजिक न्यूनीकरण उपायों को एकीकृत करना।

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का विनिवेश

2505. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में 51 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इक्विटी का विनिवेश करने से राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के कार्यकरण में कितना सुधार और उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) कर्मचारियों के हितों की किस प्रकार रक्षा की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में सरकार द्वारा धारित इक्विटी के कुल 51 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश किसी अनुकूल क्रेता को प्रबंध नियंत्रण अंतरण सहित अनुकूल बिक्री के जरिए करने का निर्णय किया है। यह सभी सामरिक-भिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या उससे कम करने की नीति के अनुसरण में है।

(ग) विनिवेश की प्रक्रिया तथा स्वामित्व के परिणामी विखंडन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर अपने निष्पादन को सुधारने, दक्षता को बढ़ाने, लाभ अर्जन करने तथा लाभांश घोषित करने के लिए आवश्यक दबाव पड़ेगा।

(घ) कर्मचारियों के हित का संरक्षण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपनी हाल के बजट भाषण में इस पहलू को दोहराया है।

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में भावों को तेज करने का घोटाला

2506. **श्री किरीट सोमैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में लघु पूंजी के स्टॉकों में बड़े पैमाने पर भाव तेज करने का घोटाला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कंपनियां जिनकी गत दो से चार वर्षों के दौरान कोई खरीद-फरोख्त नहीं की गई थी, और जिनके शेयर का मूल्य 10 रुपये पर था ऐसे शेयरों के मूल्य बढ़कर 20 से 120 रुपये हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या निवेशक शिकायत मंच (इन्वेस्टर्स ग्रीवेंश फोरम) के अध्यक्ष ने इस संबंध में वित्त मंत्री को अभ्यावेदन दिया था;

(घ) यदि हां, तो 'सेबी' स्टॉक एक्सचेंज और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या भावों को तेज करने के घोटाले के कारण लघु निवेशकों को ठगा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो क्या भावों को तेज करने के घोटाले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) स्टॉक बाजारों में समग्र रूप से तेजी के रुख और तेजी पर चलते आ रहे स्टॉक बाजारों के सार्वभौमिक प्रभाव के कारण स्टॉक की कीमतों में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। इसके अलावा एक सकारात्मक आर्थिक निष्पादन की आम प्रत्याशा एवं भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की अधिक रुचि की उम्मीद ने भी अधिकांश क्षेत्रकों में स्टॉक की कीमतों में वृद्धि का कार्य किया है।

(ग) से (छ) निवेशक शिकायत मंच (इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस फोरम) के अध्यक्ष ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है। सेबी ने सूचित किया है कि उसने बाजार के ऊपर अत्यधिक निगरानी रखने और जब आवश्यक हो, सक्रिय रूप से कार्रवाई करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को समय-समय पर सावधान किया है। एक्सचेंजों ने उनके द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाईयों के बारे में सेबी को सूचित किया है जिनमें अधिक मार्जिन लगाना, सर्किट फिल्टर्स में कटौती आदि भी शामिल हैं। सेबी ने प्रतिभूतियों के लेन-देन में सावधानी बरतने तथा उचित ध्यान रखने के लिए प्रेस-विज्ञप्ति के द्वारा भी निवेशकों को सावधान किया है।

केन्द्रीय क्षेत्रीय सेंसर बोर्डों का पुनर्गठन

2507. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कार्यक्रमों की समाप्ति/रिक्तियों को भरने के बाद जल्दी ही केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और क्षेत्रीय सेंसर बोर्डों का पुनर्गठन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित सेंसर बोर्ड में सदस्यों के नामांकन के लिए दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) जनता और फिल्म उद्योग से इन बोर्डों के कार्यकरण के बारे में प्राप्त आम शिकायतें क्या हैं; और

(घ) सेंसर बोर्डों के प्रभावी कार्यकरण के लिए की गई प्रस्तावित पहल का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के परामर्श पैनलों का कार्यकाल क्रमश: 3 वर्ष और 2 वर्ष अथवा अगले आदेशों तक नियत किया जाता है। वर्तमान बोर्ड और इसके क्षेत्रीय पैनलों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। चलचित्रीकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति, जो केन्द्र सरकार के विचार में औसत दर्शक पर फिल्म के प्रभाव का निर्णय करने के लिए योग्य होता है तो उसे बोर्ड अथवा केन्द्रीय प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय केन्द्रों के परामर्श पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) बोर्ड के क्रिया-कलाप के बारे में कुछ आम शिकायतों के विचार से प्रमाणन मार्गनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) प्रक्रिया में व्यापक लैंगिक जागरूकता लाने के लिए जांच एवं संशोधन समितियों में 50% महिला सदस्य रखे जाने का प्रावधान करना;

(2) बार-बार उल्लंघन किए जाने वाले मार्गनिर्देशों के विवेचन के बारे में बोर्ड द्वारा विशेष स्पष्टीकरणों को जारी करना; और

(3) किसी फिल्म को दिए प्रमाणपत्र पर जांच अथवा संशोधन समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के उन सदस्यों के नामों को निर्दिष्ट करना जिसकी सिफारिशों पर फिल्म को प्रमाणपत्र दिया गया एवं फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृत किया गया, ताकि अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

सरकारी निधि का प्रयोग

2508. **श्री पी० कुमारासामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्र और राज्यों की सरकारी निधि के अकुशल उपयोग के लिए आलोचना की है तथा कहा है कि वे वेतनों, दिहाड़ियों, राज सहायताओं तथा ब्याज भुगतानों के लिए होने वाले चालू खर्चों के लिए भी निधि उधार ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है क्योंकि प्राय: सभी राज्य उन निदेशों के लिए पर्याप्त निधि न जुटा पाने की स्थिति में हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यावश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकार और योजना आयोग भी आयोजना व्यय के सक्षम प्रयोग को महत्व देता है। योजना आयोग विभिन्न स्कीमों के लिए निधियां आवंटित करता है और आयोजना के कार्यान्वयन का भी अनुवीक्षण करता है। इस परिपेक्ष्य में राज्यों द्वारा उनकी वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय वित्तपोषण की समीक्षा करते हुए दृष्टिगोचर किसी तरह की खराब प्रवृतियों पर भी योजना आयोग द्वारा चिंता व्यक्त की जाती है।

यह तथ्य है कि केन्द्र और राज्यों दोनों का चालू व्यय उनके चालू राजस्व से अधिक होता है, जो निवेश प्रयोजनों के लिए निधियों की उपलब्धता पर दबाव उत्पन्न करता है। अत्यधिक उधार और ब्याज का बढ़ता हुआ बोझ चालू व्यय की मुख्य मदें हैं। सरकार को राजकोषीय समेकन के प्रयोजनों के लिए राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भी कम करना आवश्यक है। वर्ष 2000-2001 के बजट में राजस्व घाटे की वृद्धि नियंत्रण में करने के उपाय विहित हैं और राज्यों में भी राजकोषीय सुधारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

2509. **श्री नरेश पुगलिया** :
श्री शमशेर सिंह सूलो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी में लिप्त होने के मामले दर्ज किए गए हैं, उनका बैंक-वार विवरण क्या है;

(ख) उन बैंक धोखाधड़ियों में बैंक-वार कितनी राशि शामिल है;

(ग) सरकार ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस प्रकार की धोखाधड़ियां रोकने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996, 1997, 1998 और 1999 (जून 1999 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के दोषी कर्मचारियों को धोखाधड़ियों में शामिल होने के लिए उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की बैंकवार स्थिति तथा धोखाधड़ियों की संख्या का बैंकवार ब्यौरा और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि को दर्शानेवाला ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

(घ) बैंक, धोखाधड़ियों को रोकने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी व्यापक मार्ग-निर्देशों को क्रियान्वित कर रहे हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आंतरिक नियंत्रण तंत्रों को सुदृढ़ करना, निरंतर आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की पुनरीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा करना जिसमें बैंक कारोबार के 50 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी शाखाएं शामिल हों, नकदी जमाराशियों और 10 लाख रुपये और उससे अधिक के आहरणों की संवीक्षा, आंतरिक तथा कार्य और व्यवस्था में सुधार करना तथा परिचालनात्मक कार्यों से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 1996, 1997, 1998 तथा 1999 (जून 1999 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक-वार कृत कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	दोष सिद्ध				बड़े/छोटे दंड प्राप्त				(3) में से पदच्युत/बरखास्त/हटाए गए			
	1996	1997	1998	1999*	1996	1997	1998	1999*	1996	1997	1998	1999*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय स्टेट बैंक	37	34	22	07	221	306	344	29	51	75	65	09
स्टेट बैंक ऑफ बीका० एंड जयपुर	00	06	08	00	07	15	09	01	02	04	04	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	00	00	00	00	13	12	07	07	03	02	00	03
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	00	00	00	01	07	16	22	09	02	06	03	03
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	01	00	02	00	23	22	11	10	02	02	02	01
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	00	00	00	00	08	21	09	05	05	04	05	03
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	00	00	00	00	18	19	11	08	02	06	03	02
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	00	00	00	00	04	17	13	03	01	04	03	02
इलाहाबाद बैंक	00	01	00	00	17	54	25	22	01	04	08	08
आंध्रा बैंक	00	06	04	00	36	30	44	13	11	15	16	08
बैंक ऑफ बड़ौदा	00	01	04	01	34	71	52	22	09	17	09	01
बैंक ऑफ इंडिया	00	00	00	00	44	45	104	71	28	29	18	13
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	00	00	00	00	34	35	57	23	14	09	18	04
केनरा बैंक	00	03	00	00	101	83	82	28	24	33	40	21
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	00	00	01	00	84	71	43	18	34	29	21	14
कार्पोरेशन बैंक	01	01	00	00	18	07	08	04	10	03	07	02
देना बैंक	00	00	00	00	25	41	101	51	08	13	14	11
इंडियन बैंक	01	00	03	00	86	95	86	114	06	04	11	15
इंडियन ओवरसीज बैंक	00	00	01	00	32	53	35	22	12	11	23	16
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	00	00	00	00	10	24	45	16	01	08	18	04
पंजाब नेशनल बैंक	00	00	01	01	220	243	376	227	36	24	47	30
पंजाब एंड सिंध बैंक	02	03	01	01	26	30	44	25	07	05	04	04
सिंडिकेट बैंक	02	01	04	00	39	54	75	35	21	31	53	33
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	00	00	00	00	20	16	10	15	16	12	07	13
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	00	00	00	00	15	27	35	13	07	07	05	06
यूको बैंक	00	00	00	00	45	38	94	28	15	18	32	04
विजया बैंक	02	01	04	00	20	41	53	20	03	13	18	07

*(जून 1999 तक) (आंकड़े अनंतिम)

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996, 1997, 1998 तथा 1999 (जून 1999 तक) के दौरान धोखाधड़ियों की बैंक-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या				अंतर्ग्रस्त धनराशि			
	1996	1997	1998	1999#	1996	1997	1998	1999#
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारतीय स्टेट बैंक	468	391	474	215	30.87	92.28	157.70	12.60
	*7	*4	*2	*2	20.15	9.70	0.26	3.09
स्टेट बैंक ऑफ बी० एंड जयपुर	13	17	06	09	0.42	2.52	0.02	3.78
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	36	24	35	22	12.87	2.29	2.57	39.99
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	16	25	17	02	4.83	1.28	2.95	0.31
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	23	31	22	05	6.10	15.60	0.44	0.16
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	19	18	17	10	14.32	0.62	2.80	0.30
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	13	6	04	07	0.94	1.39	1.15	0.20
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	29	22	34	18	20.68	1.32	17.24	12.53
इलाहाबाद बैंक	59	44	46	15	68.06	0.61	1.21	0.12
आंध्रा बैंक	37	41	61	20	2.01	4.89	8.34	1.91
बैंक ऑफ बड़ौदा	101	99	93	31	9.49	9.08	13.21	1.07
		*07	*03			0.22	0.10	
बैंक ऑफ इंडिया	158	168	156	74	3.89	8.39	5.90	13.94
		*05	*05	*6		0.43	26.29	13.78
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	34	39	30	10	0.80	1.40	0.28	0.18
केनरा बैंक	213	193	181	88	8.61	17.36	122.85	80.57
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	142	99	58	32	59.60	3.45	9.28	11.93
कार्पोरेशन बैंक	23	25	14	04	1.17	2.28	1.04	0.30
देना बैंक	27	41	28	13	0.70	40.14	6.27	27.62
इंडियन बैंक	34	66	71	43	1.03	2.60	7.87	12.86
इंडियन ओवरसीज बैंक	49	49	47	26	1.13	2.02	3.43	0.87
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	30	38	43	08	13.07	24.08	24.49	0.24
पंजाब नेशनल बैंक	66	62	42	33	15.19	7.95	19.77	13.01
पंजाब एंड सिंध बैंक	24	16	31	03	2.52	1.10	1.57	9.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिंडिकेट बैंक	154	104	145	50	4.85	11.15	3.90	0.80
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	79	65	72	31	7.70	7.29	6.16	0.72
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3*	32	40	16	6.91	0.60	0.88	1.02
यूको बैंक	39	37	43	15	1.08	1.97	1.42	0.62
विजया बैंक	28	28	35	05	0.35	15.98	31.59	3.43

*भारत से बाहर, #जून 1999 तक। (आंकड़े अनंतिम)

[हिन्दी]

डब्ल्यू०टी०ओ० व्यवस्था में सुधार

2510. श्री नवल किशोर राय :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने डब्ल्यू०टी०ओ० व्यवस्था में कोई सुधार की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सटीक उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सुधार लाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या 'गैट' (जी०ए०टी०टी०) समझौते के तहत विकासशील देश उन व्यापार रियायतों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें डब्ल्यू०टी०ओ० व्यवस्था के तहत प्रदान नहीं किया जा रहा या कम किया जा रहा है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ख) भारत डब्ल्यू टी ओ के अनेक करारों में मौजूदा असंगतियों और असमानताओं को दूर कर डब्ल्यू टी ओ प्रणाली में सुधार की मांग करता रहा है और यह भी मांग करता रहा है कि आम तौर पर विकासशील देशों और खास तौर पर भारत को वस्त्र और कृषि जैसे करारों से अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहे हैं। भारत ने डब्ल्यू टी ओ करारों के विशेष एवं अधिमानी व्यवहार संबंधी उपबंधों को वास्तव में निष्क्रिय बनाए रखने के तरीके को भी जोरदार ढंग से स्पष्ट किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि उन क्षेत्रों में भी, जहां विकासशील देशों को प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है वहां इन देशों को बाजार पहुंच की मनाही करने के लिए विकसित देशों द्वारा किस प्रकार पाटनरोधी अथवा इमदाद रोधी जांच की शुरुआत के मामलों में वृद्धि की जा रही है। भारत ने डब्ल्यू टी ओ करारों के अंतर्गत श्रम और व्यापार के बीच किसी संबंध अथवा पर्यावरणीय मानकों के क्षेत्र का आगे और विस्तार करने के किसी प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी किया है, क्योंकि इसकी परिणति अप्रत्यक्ष संरक्षणवाद में हो सकती है जिससे विकासशील देशों की बाजार पहुंच प्रभावित होगी। इन प्रयासों के जरिए जो प्रमुख लक्ष्य प्राप्त किया जाना है वह है—विकासात्मक आयामों को सामने लाना ताकि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली "जीवन स्तर को उठाने, पूर्ण रोजगार एवं बड़ी और निरंतर बढ़ती हुई वास्तविक आमदनी तथा प्रभावी मांग को सुनिश्चित करने तथा वस्तुओं और सेवाओं के व्यापारिक उत्पादन के विस्तार संबंधी डब्ल्यू टी ओ करारों के कथित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके।

(ग) भारत इस बारे में द्वि आयामी कार्यनीति अपनाता रहा है। एक ओर, तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारी प्रक्रिया में जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, उन पर उद्योग, राष्ट्रीय स्तर की राजनैतिक पार्टियों और व्यापार संघों, अनुसंधान संस्थानों, व्यापार विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी समेत प्रमुख सहभागियों के परामर्श से एक राष्ट्रीय सहमति तैयार की गई है। दूसरी ओर सार्क, सत्रह देशों के जी-15 समूह और विकासशील देशों के जी-77 समूह जैसे समान विचारों वाले देशों से समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनयिक पहल की गई थी।

(घ) केनेडी दौर तक गैट के पूर्ववर्ती दौरों के दौरान विकासशील देशों से ऐसे अनेक दायित्व लेने की आशा नहीं की गई थी, जो विकसित देशों को सौंपे गए थे। तथापि, उरुग्वे दौर में, जिसने डब्ल्यू टी ओ को जन्म दिया, विकासशील देशों ने वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार के बारे में पर्याप्त दायित्व ले लिए थे। अधिकांश डब्ल्यू टी ओ करारों में यथा निहित विकासशील देशों के पक्ष में दीर्घ संक्रमण अवधि अथवा अधिक आयामों की व्यवस्था संबंधी उपबंधों से इतर विशेष और अधिमानी व्यवहार संबंधी उपबंध केवल 'सर्वोत्तम प्रयास' के रूप में हैं और इन्हें निष्ठापूर्वक लागू नहीं किया गया है क्योंकि इन 'सर्वोत्तम प्रयास' संबंधी खंडों को डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान तंत्र के जरिए लागू नहीं किया जा सकता है।

चावल का आयात

2511. श्री बृजलाल खाबरी :
श्री छत्रपाल सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल या चावल के टुकड़े का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1999-2000 के दौरान कितनी मात्रा में चावल का आयात किया गया;

(घ) किन-किन देशों से चावल का आयात किया गया तथा इसे कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ङ) यह आयात किस दर पर किया गया;

(च) क्या इससे भारतीय बाजार पर असर पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो आयात के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) एक्जिम नीति के अनुसार, चावल के आयात को भारतीय खाद्य निगम के जरिए सरणीकृत किया जाता है। तथापि, चावल की सामान्य/मोटी किस्मों और 50% अथवा उससे अधिक टूटे हुए चावल के आयात को 27.5.97 से मुक्त कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित चावल के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु०)
1997-98	54	6.16
1998-99	6213	568.96
1999-2000 (अप्रैल, 99 से नवंबर, 99)	2190	364.72

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान आस्ट्रेलिया से 3.63 करोड़ रुपये के मूल्य के 2190 मी० टन चावल का आयात किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1999-2000 के दौरान जर्मन संघीय गणराज्य से 1.54 लाख रुपये के मूल्य के चावल का आयात किया गया है।

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान चावल का आयात 16700/- रुपये (लगभग) की दर पर किया गया था।

(च) इस मामूली आयात से स्वदेशी बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदें

2512. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय चमड़ा उद्योगों का राज्य-वार कार्यनिष्पादन क्या है; और

(ग) कुल कितने मूल्य का निर्यात हुआ ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राष्ट्रीय स्तर पर चमड़ा निर्यात परिषद् स्थापित की गई है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और कानपुर में हैं और एक विस्तार कार्यालय आगरा में है।

(ख) और (ग) चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यातों पर निगरानी अखिल भारतीय आधार पर रखी जाती है और राज्य-वार आधार पर नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यातों का निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों का निर्यात

(करोड़ रुपये में, मिलियन यू एस डालर में)

मदें	अप्रैल-मार्च 1996-97		अप्रैल-मार्च 1997-98		अप्रैल-मार्च 1998-99	
	रुपया	यूएस डालर	रुपया	यूएस डालर	रुपया	यूएस डालर
1	2	3	4	5	6	7
परिष्कृत चमड़ा	1068.77	301.06	1099.44	295.83	1131.64	268.99
चमड़े से बने सामान	1044.54	294.24	1439.47	387.32	1830.49	435.10
चमड़ा वस्त्र	1506.5	424.37	1580.28	425.21	1572.82	373.85
चमड़ा फुटवियर	1197.96	337.45	1047.68	281.90	1238.38	294.36

1	2	3	4	5	6	7
फुटवियर संघटक	790.72	222.74	893.73	240.48	1040.04	247.21
जीन-सज्जा तथा साज-सामान	92.15	25.96	96.47	25.96	142.40	33.85
योग	5700.64	1372.74	6157.07	1429.38	6955.77	1653.36
डालर दर		35.4999		37.1648		42.0706

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

एच०एम०टी० हेतु पुनरुद्धार योजना

2513. **श्री जी०एस० बसवराज : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 400 करोड़ रुपये की एच०एम०टी० पुनरुद्धार योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने का अनुमान है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) एच०एम०टी० का एक टर्नअराउंड प्लान तैयार किया गया है जिसमें वित्तीय, कामगारों और संगठनात्मक पुनर्संरचना करने, निधियां जुटाने, कार्यशील पूंजी इत्यादि के लिए सरकारी गारंटी परिकल्पित है। प्लान जो शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए सरकार के विचाराधीन है, के कार्यान्वयन के संबंध में कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

देश का आर्थिक और सामाजिक विकास

2514. **श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए तीन सूत्री फार्मूला—अधिकतम उत्पादन, समान वितरण और संतुलित उपभोग को अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) संसद में पेश किए गए बजट में एक दशक के अंतर्गत भारत में गरीबी के महासंकट को समाप्त करने के लिए 7 से 8 प्रतिशत की सतत, समतापरक और रोजगार सृजक वृद्धि के मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। सरकार आर्थिक सुधारों की गति में तेजी लाने और इनके दायरे का विस्तार करने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार का यह प्रयास होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि गरीब और अभावग्रस्त वर्ग को आज की तुलना में आर्थिक सुधारों में अधिक भागीदारी दी जाए ताकि विकास में सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके। आर्थिक विकास के मुख्य लक्षण निम्नलिखित होंगे :

* ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषतया कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों की वृद्धि के आधारों को सुदृढ़ बनाना।
* ज्ञान पर आधारित नए उद्योगों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल्स, की क्रांतिकारी संभाव्यता को विकसित करना।
* पारंपरिक उद्योगों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना।
* विद्युत, सड़कों पत्तनों, दूरसंचार, रेलवे और विमान सेवा में आधारढांचे की अड़चनों को दूर करना।
* निर्यातों की त्वरित वृद्धि, उच्चतर विदेशी निवेश और विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंध को बढ़ावा देना; और
* राजकोषीय स्थिति को सही रखने के प्रयास करना।

सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं पर केन्द्रीय आयोजनागत परिव्यय को 1999-2000 (सं०अ०) में 20,643 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू बजट में 23.286 करोड़ रुपये कर दिया गया है। (विवरण संलग्न है।) वर्ष 1999-2000 (सं०अ०) की तुलना में वर्ष 2000-2001 में शिक्षा पर केन्द्रीय आयोजनागत परिव्यय 24 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 17 प्रतिशत, और कमजोर वर्गों के कल्याण पर 16.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

विवरण

सामाजिक क्षेत्रकों और ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय आयोजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/विभाग/योजना	1999-2000 (सं०अ०)	2000-2001 (ब०अ०)
1	2	3
1. शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा)	4385	5449
2. स्वास्थ्य (आई०एस०एम० और एच० सहित) परिवार कल्याण और महिला एवं बाल-विकास	5432	6358

1	2	3
3. कल्याण (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)	1159	1350
4. ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन*	9351	9760
5. अन्य कार्यक्रम जैसे कि		
(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना	190	201
(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना**	126	168
सामाजिक क्षेत्रकों की मुख्य योजनाओं पर कुल केन्द्रीय आयोजनागत परिव्यय (1 से 5)	20643.00	23286.00

* वर्ष 1999-2000 से इसमें तीन विभागों जैसे कि ग्रामीण विकास, भू-संसाधन और पेय जल आपूर्ति के लिए आवंटन शामिल है।

** यह शहरी बुनियादी सेवाओं की पूर्व योजनाओं, नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का एक युक्तिसंगत रूपांतरण है।

*** समाज के निर्धनतम और सबसे कमजोर वर्गों पर विशेष बल देते हुए मानव संसाधन विकास जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं को उच्च प्राथमिकता देना।

वस्त्र की मांग और आपूर्ति

2515. श्री रामजीवन सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वस्त्र की मांग और आपूर्ति का अनुपात क्या है; और

(ख) नये वस्त्र मिलों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं, उनका ब्यौरा दें ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) 1991-92 से वस्त्र अर्थात वस्त्र यार्न और फैब्रिक्स के उत्पादन में निर्यात के अलावा, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्रमश: 10.6 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है।

(ख) संघ सरकार सरकार की नीति के ढांचे के अंतर्गत देश में वस्त्र मिलों की स्थापना हेतु सुकर बनाने वाले के रूप में कार्य करती है।

[अनुवाद]

एम०आई०एफ०एफ०-2000

2516. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुम्बई में आयोजित एम०आई०एफ०एफ०-2000 का सीधा प्रसारण करने मे दूरदर्शन असफल रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा, अन्य निजी चैनलों से स्पर्धा करने हेतु दूरदर्शन के काम-काज को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) प्रसार भारती द्वारा सूचित किया है कि एम०आई०एफ०एफ०-2000 के उद्घाटन समारोह को दिनांक 5.2.2000 को सायं 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक डीडी-1 पर सीधा कवर किया गया था। तथापि, कार्यक्रम अत्यावश्यकताओं के कारण समापन समारोह को डीडी-1/डीडी-2 पर सीधा कवर नहीं किया जा सका। समापन समारोह की रिकार्डिंग को दिनांक 10.2.2000 को रात्रि 11.02 बजे डीडी समाचार चैनल पर प्रसारित किया गया था।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन अपने दर्शकों की रुचि को बनाए रखने तथा अपने कार्यक्रमों को आकर्षक बनाने हेतु उनमें गुणात्मक सुधार करने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत है ताकि वे निजी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए निर्धारित बिन्दु चार्ट में परिवर्तन किए गए हैं और अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के विचार से कार्यक्रमों की प्रस्तुति एवं प्रसारण को भी सुव्यवस्थित और व्यावसायिक किया गया है। दर्शकों द्वारा कार्यक्रमों की बढ़िया प्राप्ति हेतु संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपग्रह पद्धति में डिजिटलकृत प्रसारण शुरू किया गया है।

भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने में जर्मनी द्वारा दिखाई गई रुचि

2517. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसे फ्रेंकफर्ट, अग्रणी जर्मन शो आयोजक ने विश्व बाजार में भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फ्रेंकफर्ट व्यापार मेले में भाग लेने तथा भारतीय वस्त्रों के लिए विदेश में नये बाजार तलाशने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) मेस्से फ्रेंकफर्ट ने भारतीय वस्त्र के संवर्द्धन के लिए नई दिल्ली में हेमटेक्सटिल टैक्सस्टाईल्स इंडिया अक्टूबर, 2000 मेला संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन (आई०टी०पी०ओ०) के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया है।

(ग) विभिन्न टेक्सटिल निर्यात संवर्द्धन परिषद् हेमटेक्सटिल मेला एवं अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पहले से ही भाग ले रही हैं।

भारत और सिंगापुर द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना

2518. **डा० मन्दा जगन्नाथ :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर ने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक संयुक्त कृतिक बल के गठन का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सामाजिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विकास

2519. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अति उपेक्षित सामाजिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके विकास हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) संसद में पेश किए गए वर्ष 2000-2001 के बजट में एक दशक के अंतर्गत भारत से गरीबी की विभिषिका को दूर करने के उद्देश्य से 7 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सतत, समतापरक और रोजगार सृजक वृद्धि के मार्ग की नीति की रूपरेखा खींची गई है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और मानव आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

समाज के निर्धनतर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 'जनश्री बीमा योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है। प्राथमिकता शिक्षा में एक नई पहल शुरू की गई है जिसे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' कहा जाएगा। वर्ष 2005 तक साक्षरता दर बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने के लिए 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' में आमूल परिवर्तन किया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। सामाजिक क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आयोजनागत आवंटन 1993-94 (ब०अ०) में 9394 करोड़ रुपये से बढ़कर 1999-2000 (स.अ.) में 20,643 करोड़ रुपये और 2000-2001 (ब.अ.) में और बढ़कर 23,286 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा, वर्ष 2000-2001 (ब०अ०) में बुनियादी जरूरतों—प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल, आवास और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना हेतु राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के तौर पर 5000 करोड़ रुपये की रकम का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने विदेशी निवेश सहित लगभग अभी आधार ढांचा क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। सरकार ने अधिकांश आधार ढांचा क्षेत्रों को करावकाश भी प्रदान किया है।

विवरण

सामाजिक क्षेत्रकों और ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय आयोजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये)

	मंत्रालय/विभाग/योजना	1998-99 (सं०अ०)	1999-2000 (सं०अ०)	2000-2001 (ब०अ०)
	1	2	3	4
1.	शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा)	4045	4385	5449
2.	स्वास्थ्य जिसमें आई०एस० एम० और एच० भी शामिल हैं।	981	1062	1378
3.	परिवार कल्याण	2253	3120	3520
4.	महिला एवं बाल विकास	1134	1250	1460
5.	कल्याण (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)	1147	1159	1350
6.	ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन*	9345	9351	9760
7.	अन्य कार्यक्रम जैसे कि			
	(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना	136	190	201

1	2	3	4
(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना**	162	126	168
सामाजिक क्षेत्रों की मुख्य योजनाओं पर कुल केन्द्रीय आयोजनागत परिव्यय (1 से 7)	19203.00	20643.00	23286.00

* वर्ष 1999-2000 से इसमें तीन विभागों अर्थात् ग्रामीण विकास, भू-संसाधन और पेय जल आपूर्ति के लिए आवंटन शामिल हैं।

** यह शहरी बुनियादी सेवाओं की पूर्व योजनाओं, नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का एक युक्तिसंगत रूपांतरण है।

चाय का आयात

2520. श्री के० मुरलीधरन :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
डा० संजय पासवान :
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष के दौरान चाय का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान देश में चाय की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को चाय निर्यातकों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि चाय के आयात की अनुमति इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे विशेषरूप से मूल्यवर्धित किस्म की चाय के निर्यात को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिले;

(ङ) यदि हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ब्रिटेन और यूरोप के अन्य भागों में भारतीय चाय की अत्यधिक मांग है; और

(छ) यदि हां, तो चाय निर्यात के लिए विदेशी बाजारों का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। चाय का प्रत्यक्ष रूप से आयात करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चाय की मांग और आपूर्ति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(मिलियन किग्रा० में)

वर्ष	प्रारंभिक स्टाक	उत्पादन	निर्यात	घरेलू खपत
1997	(+) 100.21	810.61	203.00	633
1998	(+) 74.82	870.40	210.34	645
1999	(+) 89.88	805.61	190.18	655

स्रोत : चाय बोर्ड

(घ) और (ङ) चाय के आयात की अनुमति केवल आयात लाइसेंस पर ही दी जाती है जो पुनर्निर्यात तथा शुल्क छूट योजना और ई ओ यू/ई पी जैड योजना के तहत न्यूनतम मूल्य वर्द्धन प्राप्त करने की शर्त के अधीन है। तथापि, सरकार ने अंत:क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सार्क देशों से चाय के मुक्त व्यापार की अनुमति दी है।

(च) और (छ) जी, हां। चाय के निर्यातों का संवर्धन करने तथा विदेशी बाजारों का दोहन करने के उद्देश्य से सरकार और चाय बोर्ड संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए चाय के निर्यातों का देश-वार विश्लेषण कर रहे हैं। चाय बोर्ड अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही बाधाओं जब कभी इनका पता चलता है, को हटाने के लिए भी कार्य करता है। चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कतिपय अन्य कदमों में शामिल हैं :

(i) विदेशी में आयोजित प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी;

(ii) विशिष्टता वाले स्टोरों और मुख्य बाजारों में जाकर नमूने लेना;

(iii) भारतीय चाय की विशिष्टता के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता पैदा करने और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न, जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना।

(iv) भारत और चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान।

बीमा क्षेत्र में बैंकों तथा विदेशी संस्थाओं का प्रवेश

2521. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री मंजय लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा क्षेत्र में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीमा कारोबार में विदेशी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दे दी है तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके औचित्य क्या हैं; और

(ङ) बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को किन-किन नियमों तथा शर्तों पर निवेश करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बीमा कारबार शुरू करने की गुंजाइश, वांछनीयता और उनकी पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 को ध्यान में रखते हुए और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की राय का पता लगाने के उद्देश्य से, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रवेश हेतु मार्गनिर्देशों का मसौदा जारी किया है।

(ग) से (ङ) बीमा कारबार में संस्थाओं के प्रवेश का नियंत्रण आईआरडीए अधिनियम, 1999 के प्रावधानों द्वारा किया जाना होता है। इसमें सहभागियों की श्रेणियां, कारबार की इक्विटी में उनकी सहभागिता की सीमा और कारबार करने की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। अधिनियम के अंतर्गत विदेश कंपनियों को या तो स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों या अपने नामितियों के माध्यम से किसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के कुल 26 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता की अनुमति दी जाती है। अधिनियम के प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम यह निर्धारित करेंगे कि बैंक यह गतिविधि किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार बैंक कोई भी कारबार शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

विज्ञापन से लाभ

2522. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन को विज्ञापनों से केन्द्र-वार कितना लाभ हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दूरदर्शन केन्द्रों, विशेषकर महाराष्ट्र स्थित केन्द्रों की देखभाल और आधुनिकीकरण/नवीकरण पर कितनी राशि व्यय की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान दूरदर्शन (केन्द्र-वार) द्वारा अर्जित किए गए सकल वाणिज्यिक राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के बारे में स्टूडियो उप-शीर्ष के अंतर्गत उपकरणों के आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन पर हुआ व्यय निम्नलिखित है :

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
1996-97	1432.00 रु०
1997-98	4520.88 रु०
1998-99	1680.61 रु०

महाराष्ट्र से संबंधित ऐसा ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
1996-97	43.03 रु०
1997-98	47.86 रु०
1998-99	51.88 रु०

विवरण

दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा अर्जित सकल राजस्व

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	1996-97 करोड़ रु० में	1997-98 करोड़ रु० में	1998-99 करोड़ रु० में
1.	राष्ट्रीय नेटवर्क	283.55	263.88	211.55
2.	डीडी-2/मैट्रो	102.74	93.79	73.51
3.	डीडी-इंटरनेशनल	0.00	0.54	0.47
4.	दिल्ली अ०श०ट्रां०	18.04	4.93	5.81
5.	अहमदाबाद	3.14	1.90	2.78
6.	बंगलौर	26.28	21.97	13.73
7.	भोपाल	0.89	0.97	1.81
8.	भुवनेश्वर	2.37	2.05	2.01
9.	कलकत्ता	17.75	15.58	16.80
10.	गुवाहाटी	0.90	0.96	0.98
11.	हैदराबाद	24.13	18.10	14.62
12.	जयपुर	0.93	0.92	1.21
13.	जालंधर	2.46	2.50	5.02
14.	लखनऊ	3.53	2.80	3.10
15.	मुम्बई	26.17	14.49	14.25
16.	पटना	0.30	0.64	1.20
17.	चेन्नई	42.83	27.64	14.70
18.	त्रिवेन्द्रम	16.71	16.60	15.31
19.	श्रीनगर	0.00	0.09	0.46
20.	गोरखपुर	0.00	0.00	0.00
21.	जम्मू	0.00	0.00	0.00
	कुल	572.72	490.00	399.32

[अनुवाद]

पटसन के सामान का आयात

2523. **श्री अनिल बसु :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998-99, 1999-2000 के दौरान पटसन के सामानों का आयात किया गया था और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या कच्चा पटसन भी आयात किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितना आयात किया गया और इसका प्रति एम०टी० मूल्य कितना है; और

(घ) इस प्रकार के आयात का हमारी अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) भारत द्वारा बंगलादेश से आयातित पटसन सामानों का कुल मूल्य विगत दो वर्षों से निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (मी०ट०)	मूल्य (लाख रु० में)
1998-1999	1297.00	203.55
1999-2000	6193.00	1033.00

(ख) और (ग) इस समय कच्चे पटसन के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। तथापि, कच्चे पटसन के आयात पर 5% की दर से आयात शुल्क 1999-2000 के बजट में शुरू किया गया है। देश में कच्चे पटसन का कुल आयात विगत 2 वर्षों में निम्नानुसार चल रहा है :

वर्ष	मात्रा (लाख गांठ)
1998-1999	.9.00
1999-2000	5.00 (अनुमानित)

(घ) कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में बंगलादेश से पटसन सामानों का कुल आयात भारत में पटसन सामानों के कुल उत्पादन का 0.4% है। कच्चे पटसन का आयात कच्चे पटसन के कुल घरेलू उत्पादन का 6% से कम है तथा उत्कृष्ट तथा उच्च श्रेणी फाइबर के ऐसे वर्ग एवं श्रेणियों का मुख्य रूप से होता है जो भारत में उत्पादित नहीं होता है जो निर्यात के लिए अभिप्रेत मूल्य वर्द्धित विविधीकृत पटसन उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार पटसन तथा पटसन सामानों के आयात का आमतौर पर अर्थव्यवस्था पर तथा विशेषकर घरेलू पटसन क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन को स्वीकृति देना

2524. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए शत-प्रतिशत स्वामित्व वाली कम्पनी के संबंध में रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन इनकार्पोरेशन को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में आपत्तियां उठाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) जी, नहीं। चूंकि प्रिंट मिडिया की निवेश संबंधी मौजूदा नीति में अखबारों/पत्रिकाओं के विदेशी स्वामित्व की अनुमति नहीं है, इसलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है।

चावल का निर्यात

2525. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :**
श्री अनन्त नायक :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बासमती और गैर बासमती चावल का कितना निर्यात किया गया और कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार यह अभिनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का है कि चावल का आयात करने वाले देशों ने अन्य राष्ट्रों से चावल का आयात करना आरंभ कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती एवं गैर-बासमती चावल की कुल मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार हैं–

मात्रा : लाख मी०टन

मूल्य : करोड़ रु० में

वर्ष	बासमती चावल		गैर बासमती चावल	
अप्रैल-मार्च	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1996-97	5.23	1247.64	19.89	1924.72
1997-98	5.93	1685.62	17.96	1685.38
1998-99 (अनं०)	6.01	1866.25	43.40	4334.55
अप्रैल-नवंबर, 99 (अनं०)	3.78	1155.77	7.38	827.53
अप्रैल-नवंबर, 98	3.84	1191.05	28.21	2824.34

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस कलकत्ता)

चावल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, उपभोक्ता अधिमानों और व्यापार की गई किस्मों पर निर्भर करेगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान कम अंतर्राष्ट्रीय मांग और चावल के उपभोक्ता देशों में बेहतर फसल उत्पादन के कारण भारतीय चावल के निर्यात में गिरावट आई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दालों का आयात/निर्यात

2526. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान दालों का आयात और निर्यात दोनों किया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में दालें आयात और निर्यात की गयी तथा आयात में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी तथा निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ग) सरकार द्वारा दालों के निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर 99) के दौरान दालों का कुल निर्यात एवं आयात निम्न प्रकार रहा है :

निर्यात (अनंतिम)		आयात (अनंतिम)	
मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1,26951	277.07	137,339	183.24

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ग) कृषि जन्य उत्पादों से संबंधित निर्यात-आयात नीति का निर्धारण मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं, कृषि आय को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा के अर्जन को ध्यान में रखकर किया जाता है। उपभोक्ता पैकों में निर्यात के लिए उपलब्ध दालों की किस्म तथा इसके लिए जो आकर्षक इकाई मूल्य प्राप्त हो रहा है उससे यही प्रेरणा मिलती कि निर्यात की अनुमति दी जाए। निर्यात नीति द्वारा निर्यातकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे 5 किग्रा० तक के उपभोक्ता पैकों में दालों का निर्यात करें।

[अनुवाद]

समुद्री खाद्य उद्योगों को ऋण सहायता

2527. **श्री के० करुणाकरन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से समुद्री खाद्य उद्योगों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेरीन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एक्सपोर्ट ऑथोरिटी को सरकार की ओर से इन उद्योगों की देखभाल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने समुद्री खाद्य उद्योग की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की जांच के लिए एक विशेष कार्य-दल का गठन किया है और यह भी अनुमोदन प्रदान किया है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र की कार्यशील पूंजीगत वित्त की पुनसंरचना एवं दीर्घावधि ऋण संबंधी आवश्यकताओं की संरचना के बारे में पृथक अध्ययन कराया जाए और इसके लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश की जाए।

(ग) और (घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) अधिनियम 1972 के अनुसार, एम्पीडा, निर्यातों के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है। एम्पीडा अधिनियम के तहत जिन उपायों का प्रावधान है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ तटीय क्षेत्र तथा गहरे समुद्र में मत्स्यायन का विकास तथा विनियमन, समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष विवरणों तथा मानकों का निर्धारण, समुद्री उत्पादों के निर्यात का विनियमन और समुद्री उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण शामिल है। भारत से होने वाले कुछ समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एम्पीडा द्वारा किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उपस्कर/मशीनरी की खरीद के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, नए फार्मों का विकास, बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण कराना, पारिस्थिकी-अनुकूल जलकृषि के प्रचार के लिए प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन, विविध जलकृषि का प्रचार, मूल्य वर्धित मदों के निर्यात का संवर्धन तथा समुद्री उत्पाद उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तारण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

2528. **श्री बीर सिंह महतो :**
डा० संजय पासवान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हालीवुड फिल्मों के 'डब' संस्करणों से भारतीय सिनेमा को अत्यधिक खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का हालीवुड फिल्मों को भारतीय भाषाओं में 'डब' करने से रोकने के लिए कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी बाजार में भारतीय फिल्मों की अत्यधिक मांग है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा और भारतीय फिल्मों के निर्यात में कमी के क्या कारण हैं; और

(च) फिल्मों के निर्यात को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा और अधिक अर्जित करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) देश में हॉलीवुड की फिल्मों के आयात को पहले से ही दिनांक 31.3.97 की सार्वजनिक सूचना संख्या 4 (पी एन)/97-02 में निहित फिल्मों संबंधी आयात नीति में परिभाषित पैरामीटरों के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है चाहे वे अंग्रेजी में प्रदर्शित की जाए अथवा उन्हें डब करके प्रदर्शित किया जाए।

भारत में फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकाय फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि कुल मिलाकर फिल्म उद्योग को हॉलीवुड फिल्मों को डब रूप में प्रदर्शित करने में आपत्ति नहीं है।

(घ) और (ङ) विदेशी बाजार में भारतीय फिल्मों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है और इनके दर्शकों में भी काफी वृद्धि हुई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात से अर्जित वार्षिक विदेशी मुद्रा लगभग 20 करोड़ रु० से बढ़कर लगभग 400 करोड़ रु० हो गई है। इस प्रकार, भारतीय फिल्मों के निर्यात में कमी नहीं आई है।

(च) मई 1998 में फिल्म क्षेत्र को 'उद्योग' का दर्जा देने के बाद सरकार ने वित्त मंत्रालय से आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्यात से लाभ पर कटौती संबंधी धारा-80 एच एच सी के लाभ मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यातकों के लिए भी उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया था। वित्त विधेयक, 1999 में, आयकर अधिनियम में 80 एच एच एफ नामक एक नई धारा जोड़ी गई है जिसके अनुसार, मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ, 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र हैं। यह धारा प्रसारण अधिकार सहित फिल्मों, टैलीविजन फिल्मों, संगीत, टेलीविजन समाचार सॉफ्टवेयर आदि के निर्यात/अंतरण संबंधी व्यापार में लगी भारतीय कंपनियों पर लागू है। इस मंत्रालय ने इस धारा के लाभ वयक्तिक निर्यातकों को भी उपलब्ध कराने संबंधी मामला पुन: वित्त मंत्रालय के साथ उठाया था। वित्त विधेयक, 2000 में मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यात में लगे व्यक्तियों/स्वामियों को भी इस धारा के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

खनन-कार्य को पट्टे पर देना

2529. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों विशेषकर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार सरकारों को बाक्साइट, लिग्नाइट और ग्रेनाइट खदानों को पट्टे पर देने की नीति की समीक्षा करने के लिए कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में पट्टा-आधार पर खनन कार्य करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बाक्साइट, लिग्नाइट और ग्रेनाइट खनिजों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात से लिग्नाइट के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से तीन प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं। बाक्साइट के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार राज्यों से 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से दो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं। ग्रेनाइट, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत यथा परिभाषित एक गौण खनिज है। अत: केन्द्र सरकार का ग्रेनाइट के लिए खनिज रियायतें की मंजूरी से कोई संबंध नहीं है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारें इन्हें अपने स्तर पर प्रदान करती हैं।

(घ) फिलहाल, बाक्साइट और लिग्नाइट के निर्यात में बढ़ोत्तरी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ग्रेनाइट की 'थ्रस्ट एरिया' के रूप में पहचान और घोषणा की गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने ग्रेनाइट के 'बाधा-रहित' निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। खान विभाग ने भी ग्रेनाइट के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास के लिए 1.6.1999 से ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियमावली, 1999 जारी की है।

[अनुवाद]

पूंजी पर्याप्तता मानदंड

2530. **श्री मोइनुल हसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है जो पूंजी पर्याप्तता मानदंड को पूरा करते हैं;

(ख) क्या सरकार का ऐसे बैंकों के लिए बजटीय समर्थन देने का प्रस्ताव है जो पूंजी पर्याप्तता मानदंड पूरा करने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 18 बैंकों ने 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार 8 प्रतिशत का पूंजीगत जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) प्राप्त कर लिया था।

(ख) और (ग) सरकार एक ऐसी अर्थक्षम पुनर्संरचना कार्यक्रम तैयार करने का विचार करेगी, जो संबंधित बैंक द्वारा तैयार की गई हो और अपनाई गई हो तथा जो स्वामी के रूप में सरकार को और विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को स्वीकार हो।

इलायची का अवैध आयात

2531. **श्री पी०सी० थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची उद्योग को अवैध व्यापार और अन्य आयात के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिनांक 31.3.99 से भारत में इलायची का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। भारतीय इलायची को उत्पादन लागत से सस्ती दरों पर आयात की गई इलायची को उपभोक्ता तरजीह देंगे।

(ख) सरकार ने कुशलतापूर्ण ढंग से उत्पादन करने के लिए उसके उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ इलायची के किसानों की मदद हेतु योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में शामिल है—गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का उत्पादन तथा आपूर्ति, पुराने तथा अलाभकारी और रोगग्रस्त बागानों का पुनर्रोपण, सिंचाई तथा भूमि विकास कार्यक्रम और विस्तार संबंधी सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना।

अपलिंकिंग सुविधा

2532. **डा० वी० सरोजा :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसारण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को सी० बैंड पर मुक्त अपलिंकिंग सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उपाय से कितनी धनराशि जुटाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने न्यूनतम 80% भारतीय शेयर धारक भारतीय कंपनियों और भारतीय प्रबंध नियंत्रण को भारत से उपग्रह टी०वी० चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति दी है। भारत से अपलिंकिंग करने वाली एजेंसियों से वेतार योजना और समन्वय स्कंध द्वारा प्रतिवर्ष प्रति केंद्र 100/- रु० की दर से लाइसेंस शुल्क और प्रतिवर्ष प्रति मेगा हर्टज-बिस्तार के लिए 35000 रुपये की दर से रायल्टी वसूल की जाती है।

(ग) सरकार एवं विदेश संचार निगम लि० को प्राप्त हो रही अथवा प्राप्त होने वाली संभावित वार्षिक आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) डब्ल्यू०पी०सी०, संचार विभाग द्वारा वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं रायल्टी प्रभार	1.4 करोड़ रु०
(2) विदेश संचार निगम लि० द्वारा अपलिंक सुविधा प्रभार	12.0 करोड़ रु०
कुल	13.4 करोड़ रु०

खान और खनिज का उत्पादन

2533. **श्री पी०डी० एलनगोवन : क्या खान और खनिज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में खानों की संख्या और खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में खान-वार और खनिज-वार उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषत: कोयला और लिग्नाइट के संदर्भ में खानों के उपयोग और खनिजों के उत्पादन तथा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नेवेली में लिग्नाईट के उत्पादन को विकसित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई विशेष प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आगामी दो वर्षों के दौरान नेवेली खान से होने वाले लिग्नाईट उत्पादन की संभावित मात्रा और कीमत क्या होगी ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान खनिज-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) खनिज क्षेत्र के विकास तथा उत्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में खनिज नीति में परिवर्तन तथा कानूनों और प्रक्रियाओं में संशोधन करना शामिल है ताकि उन्हें निवेशकों के अनुकूल बनाया जा सके। सरकार नई परियोजनाएं आरंभ करने, विद्यमान खानों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करने के द्वारा कोयला तथा लिग्नाइट क्षेत्र में सुधार को सरल तथा कारगर बना रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० (ने०लि०का०) द्वारा नेयवेली में 16 मि०ट० लिग्नाइट उत्पादन के लिए 2 नई खानों के संबंध में अग्रिम कार्रवाई को अनुमोदित

कर दिया है। ने०लि०का० इन खानों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार से उत्पादित लिग्नाइट, नेयवेली में स्थित प्रस्तावित दो तापीय विद्युत गृहों को ईंधन उपलबध कराने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

(च) वर्ष 2000-01 तथा 20001-02 में ने०लि०का० द्वारा लिग्नाइट का संभावित उत्पादन और इसका मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	संभावित लिग्नाइट उत्पादन (मिलियन टन में)	आकलित मूल्य (करोड़ रु० में)
2000-2001	17.50	834.62
2001-2002	19.00	1198.70

विवरण

खनिजों के उत्पादन का ब्यौरा

खनिज	यूनिट	1996-97	1997-98	1998-99(पी)
1	2	3	4	5
कोयला	मि०टन	285.63	295.80	292.27
लिग्नाइट	मि०टन	22.54	23.05	23.17
प्राकृतिक गैस	एम०एम०एस०सी०एम०	23255	26401	27428
कच्चा तेल	मि०टन	33	34	33
धातुकर्मीय खनिज				
बॉक्साइट	000 टन	6076	6112	6452
क्रोमाइट	000 टन	1456	1515	1404
तांबा अयस्क	000 टन	3896	4500	4253
सोना	कि०ग्रा०	2710	2636	2463
लौह अयस्क	000 टन	68161	75723	70683
सीसा कॉन्स०	000 टन	60	61	64
मैगनीज अयस्क	000 टन	1871	1642	1526
जस्ता कॉन्स०	000 टन	277	293	350
गैरधातुकर्मीय खनिज				
अपोस्टाइट	000 टन	9	7	14
एसबेस्टस	000 टन	27	26	20
बैरीटस	000 टन	382	453	659
हीरा	कैरेट	31836	30994	34579
डोलोमाइट	000 टन	3469	3003	2908
फायर क्ले**	000 टन	407	450	361
फ्लोराइट कॉन्स०	000 टन	20	11	++
फ्लोराइट ग्रेडेड	000 टन	5	6	4
जिप्सम	000 टन	2210	2195	2327
केओलेन	000 टन	775	791	709
काइनाइट	000 टन	7	6	6
चूना-पत्थर	मि०टन	103	110	110
मैग्नेसाइट	000 टन	378	374	351
माइका	टन	1954	1697	1492
फॉस्फोराइट	000 टन	1341	1219	1609
पाइराइटस	000 टन	144	125	89
सिलिका रेत	000 टन	1540	1451	1314
सिलीमेनाइट	000 टन	9	12	12
स्टेटाइट	000 टन	531	475	456
वोलास्टोनाइट	000 टन	97	98	95

नोट : मि०टन–मिलियन टन, 000 टन–हजार टन, कि०ग्रा०–किलोग्राम,

++ बहुत ही थोड़ा, एम०एम०एस०सी०एम०–मिलियन मानक घन मीटर

** कोयला खनन के प्रसंग में यदि कोई फायर क्ले प्राप्त होता है तो उसके उत्पादन को छोड़कर।

अप्रयुक्त विदेशी सहायता/ऋण

2534. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र में भारी मात्रा में विदेशी सहायता/ऋण अप्रयुक्त या अवितरित हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक विदेशी स्रोतों से कितनी मात्रा में वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त हुआ तथा 31 मार्च, 1999 तक इस तरह के ऋण/सहायता की कितनी मात्रा अप्रयुक्त या अवितरित है;

(ग) इन निधियों के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश को लाभ प्राप्त कराने के लिए, देश को प्रतिबद्धता प्रभार तथा ब्याज से बचाने हेतु इन निधियों को शीघ्र वितरित करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (31 मार्च, 1999 तक) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में विदेशी सहायता/ऋण (सरकारी और गैर-सरकारी) की असंवितरित और अप्रयुक्त/असंवितरित राशि इस प्रकार है :

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र	
	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार असंवितरित	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार असंवितरित
1996-97	6734.69	28207.25	5311.86	32097.65
1997-98	6625.96	29665.39	5269.05	35836.82
1998-99	6436.56	28688.75	6912.28	39427.43

(ग) और (घ) चूंकि परियोजना का कार्यान्वयन एक निश्चित समयावधि के दौरान किया जाना होता है, इसलिए किसी निश्चित समय पर अपरिहार्य रूप से असंवितरित निधियां शेष रह जाती हैं। इस प्रकार सभी असंवितरित सहायता तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती। तथापि, विदेशी सहायता का आशा की अपेक्षा मंदगति से उपयोग का कारण निधि संबंधी अड़चनें, अधिप्राप्ति तथा संविदा संबंधी विलंबों और अन्य परियोजना से संबद्ध कारक हैं। सरकार द्वारा सहायता के उपयोग में सुधार लाने हेतु उठाए गए कुछ उपायों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी सहायता के प्रवाह में मध्यस्थता को समाप्त करना, कार्यकारी एजेंसियों की तिमाही समीक्षा, आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंध एकक की स्थापना, नौ राज्यों तथा पांच केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना प्रबंध एककों/परियोजना मॉनीटरिंग प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करना, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारी की नियुक्ति और प्रारंभ से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में परियोजना की नियमित समीक्षा शामिल है। महत्वपूर्ण गतिविधियों की चरणबद्ध तिमाही व्यवस्था के आधार पर परियोजना की मॉनीटरिंग करने की व्यवस्था का भी सूत्रपात किया गया है।

चाय और कॉफी का लाभकारी मूल्य

2535. डा० सी० कृष्णन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉफी और चाय के लिए निर्धारित लाभकारी मूल्य क्या है;

(ख) क्या अन्य व्यावसायिक फसलों की तुलना में कॉफी और चाय का लाभकारी मूल्य पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादकों द्वारा कॉफी और चाय के निर्यात में सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) कॉफी और चाय की कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति की बाजारू शक्तियों द्वारा किया जाता है और इन्हें सरकार द्वारा तय नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड यू एस ए, जापान और मध्य पूर्व के देशों इत्यादि जैसे लक्षित बाजारों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। बोर्ड विदेशों में चुनिंदा खाद्य मेलों/प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में भारतीय कॉफी के अनुपम गुणों के बारे में विज्ञापन जारी करता है, व्यापार शिष्टमंडल भेजता है। भारत में सभी लक्षित बाजारों से रोस्टर शिष्टमंडलों को आमंत्रित करता है। भारतीय कॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिए वे विदेशों में भारतीय कॉफी को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करते हैं और विशेष अवसरों और त्यौहारों पर हमारे दूतावासों के जरिए भारतीय कॉफी के उपहार पैकेटों का वितरण करते हैं और भारतीय कॉफी से संबंधित सामग्री का प्रकाशन एवं उसका वितरण करते हैं।

चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार चाय बोर्ड के जरिए संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती आ रही है। चाय बोर्ड अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आने वाली अड़चनों, जब कभी ये जानकारी में आती हैं, को दूर करने का काम भी करता है। चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं—(i) विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, (ii) मौके पर जाकर नमूने लेना, (iii) प्रचार अभियान और (iv) भारत और चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों को भेजना-बुलाना।

डी०ए०वी०पी० द्वारा जारी विज्ञापन

2536. श्री पी०एच० पांडियन :
श्री अकबर अली खांदोकर :
श्री दिन्शा पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय दैनिकों को जारी किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) द्वारा उक्त अवधि के दौरान तमिल, गुजराती तथा बंगाली भाषाओं में प्रकाशित क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाचारपत्र-वार विज्ञापनों के लिए कितनी धनराशि अदा की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा लघु, मझौले और बड़े के रूप में चिन्हित विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान विज्ञापनों की संख्या, स्थान और धनराशि के रूप में लघु, मझौले और बड़े श्रेणी के समाचारपत्रों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा तमिल, गुजराती और बंगला में क्षेत्रीय भाषा समाचारपत्रों को जारी विज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान 5,592 समाचारपत्रों को विज्ञापनों के लिए कुल 39,08,92,421 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था और वर्ष 1997-98 के दौरान 6,337 समाचारपत्रों को विज्ञापनों के लिए 50,90,15,326 रुपये का भुगतान किया गया था। इस संबंध में समाचारपत्र-वार ब्यौरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1997-98 और 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट के खंड-II में दिया गया है। जो संसदीय ग्रंथागार में उपलब्ध हैं। वर्ष 1998-99 में 6,249 समाचारपत्रों को कुल 65,01,78,280 रुपये का भुगतान किया गया था जिनके ब्यौरे वर्ष 1999-2000 की मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं जिसे शीघ्र ही संसदीय ग्रंथागार में रखा जा रहा है।

विवरण-I

प्रदर्शनी एवं वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए वर्ष 1996-97, 1997-98 और 98-99 के दौरान लघु, मझोले और बड़ी श्रेणी के सामचारपत्रों/पत्रिकाओं के हिस्सों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	श्रेणी	कागजातों की संख्या	विज्ञापनों की संख्या	स्थान (कालम से०मी० में)	राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
			1996-97		
1.	लघु	4327	37574	2801952	47976531
2.	मझोले	1119	46004	3040174	98310853
3.	बड़े	146	36959	1920500	244605037
	कुल	5592	120537	7762626	390892421
			1997-98		
1.	लघु	4867	49659	367227	61521119
2.	मझोले	1294	63670	3819335	125736787
3.	बड़े	176	44151	2356116	321757420
	कुल	6337	157480	9847728	509015326
			1998-99		
1.	लघु	4629	40476	3123758	60602236
2.	मझोले	1427	62450	3898228	143926469
3.	बड़े	193	53021	3044833	445649575
	कुल	6249	155947	10066819	650178280

विवरण-II

वर्ष 1996-97, 97-98 और 98-99 के दौरान तमिल, गुजराती और बंगला के क्षेत्रीय भाषा समाचारपत्रों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	भाषा	कागजातों की संख्या	विज्ञापनों की संख्या	स्थान (का०से०मी०)	राशि (रुपये में)
			1996-97		
1.	तमिल	66	3663	266880	9340633
2.	गुजराती	103	2856	216946	11500211
3.	बंगला	218	3412	244960	14847398
			1997-98		
1.	तमिल	69	3741	266123	9982328
2.	गुजराती	104	3418	253505	14334971
3.	बंगला	232	4274	303850	19373324
			1998-99		
1.	तमिल	62	4077	332439	13709697
2.	गुजराती	110	3450	316153	23038276
3.	बंगला	218	3908	292409	26250623

[हिन्दी]

टी०वी० चैनल

2537. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 दिसंबर, 1999 के 'जनसत्ता' में 'न्यूज ब्रेक और खानदान के बीच फंसे टी०वी० चैनल' से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई प्रभावी नीति तैयार की जा रही है अथवा तैयार किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां। तथापि, उल्लेखनीय है कि कथित समाचार मद 'जनसत्ता', नई दिल्ली में दिनांक 29.12.99 को प्रकाशित हुई थी, न कि 9.12.99 को।

(ख) इस रिपोर्ट में, हाल ही में निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के हवाई जहाज के अपहरण के समाचारों की कवरेज में विरोधाभासों एवं विसंगतियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) निजी टेलीविजन चैनलों द्वारा अपहरण की घटना की कवरेज की अपर्याप्तता एवं त्रुटियों के बारे में विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई है। सरकार मीडिया की स्वतन्त्रता के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे स्वयं ही उत्तरदायी आचरण की उपेक्षा करती है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

2538. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को कितना घाटा हुआ;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों का करोड़ों रुपये इस निगम पर बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन०एफ०डी०सी०) को कोई हानि नहीं हुई है। इस वर्ष के दौरान निगम को 4.30 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। तथापि, वर्ष 1998-99 में कंपनी को 10.57 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई। चालू वित्त वर्ष 1999-2000 (31 जनवरी, 2000 तक) में 3.27 करोड़ रुपये (ये आंकड़े अनंतिम व लेखा परीक्षा के अधीन हैं) के शुद्ध लाभ के साथ कंपनी का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान निगम को हुई हानी का कारण, निजी उपग्रह चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ बाजार का अपरिहार्य दबाव था जिसका कंपनी के टेलीविजन (नि:शुल्क वाणिज्यिक समय) विपणन जैसे राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख कार्य पर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, टेलीविजन विपणन कार्य, लागत पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित करने में असफल रहा।

(ग) और (घ) 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार दूरदर्शन की कार्यक्रम अत्यावश्यकता एवं बाधित प्रसारण 1997-98 में 10 करोड़ रुपये और 1998-99 में 15.50 करोड़ रुपये तक की राशि के कारण विलंबित प्रसारण के समायोजन को ध्यान में रखने के बाद राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दूरदर्शन को देय राशि 6.71 करोड़ रुपये है।

बकाया भुगतान की यह राशि, प्रदान की गई तकनीकी, विपणन एवं निर्माण सेवाओं जैसी विभिन्न सेवाओं के संबंध में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को दूरदर्शन द्वारा देय निवल राशि है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी की शोध परियोजनाएं

2539. श्री सुबोध मोहिते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी की श्रोता शोध इकाई द्वारा चलाई गई प्रमुख शोध परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने आकाशवाणी की श्रोता शोध इकाइयों पर कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) शोध इकाइयों के पास कितनी शोध परियोजनाएं लंबित हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी के दर्शक अनुसंधान एककों द्वारा किए गए अध्ययनों/सर्वेक्षणों पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1997-98	11.50
1998-99	12.79
1999-2000	12.27

(ग) आकाशवाणी के दर्शक अनुसंधान एकक के पास कोई अनुसंधान परियोजना लंबित नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी के दर्शक अनुसंधान एककों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है

1997-98

1. चार महानगरों—दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई में आम श्रोता सर्वेक्षण।
2. गुवाहाटी तथा लेह में आम श्रोता सर्वेक्षण।
3. अमरावती (महाराष्ट्र) में फील्ड फारवर्ड अध्ययन।
4. रत्नागिरी, पांडिचेरी, जलगांव, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, लखनऊ, कटक, बंगलौर तथा जालंधर में फार्म तथा होम कार्यक्रमों के संबंध में सर्वेक्षण।

5. अजमेर में आकाशवाणी, जयपुर के विज्ञान कार्यक्रमों का सर्वेक्षण।

6. जयपुर, जालंधर, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापत्तनम, अगरतला, नागपुर, बंगलौर, दिल्ली, धारवाड़, लखनऊ, कटक, मथुरा तथा तिरुवनन्तपुरम में आयोजित आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के संबंध में सर्वेक्षण।

7. जालंधर, भोपाल, जम्मू, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, रांची, लखनऊ तथा कटक में आयोजित मुख्य तथा वाणिज्यिक चैनलों के संबंध में सर्वेक्षण।

8. 40 स्थानों पर स्थानीय कार्यक्रमों के संबंध में त्वरित फीड बैक अध्ययन।

1998-99

1. राजकोट, धारवाड़, पणजी, जोधपुर, कालीकट, चेन्नई, इन्दौर, नागपुर, इलाहाबाद, पटना, बंगलौर, अहमदाबाद, तिरुवनन्तपुरम, भोपाल, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कटक, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, रांची में मुख्य तथा वाणिज्यिक चैनलों के बारे में सर्वेक्षण।

2. आगरा में आम दर्शक सर्वेक्षण।

3. आकाशवाणी, रोहतक के खेल जगत तथा लोक धारा का सर्वेक्षण।

4. आकाशवाणी, पांडिचेरी तथा आकाशवाणी, अकोला के प्रात:कालीन सूचना कार्यक्रम का सर्वेक्षण।

5. जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रभाव का सर्वेक्षण।

6. 7 स्थानों पर स्थानीय कार्यक्रमों के संबंध में त्वरित फीड बैक अध्ययन।

1999-2000

1. वारंगल, नौगांव, जोरहाट, चाईबासा, गोधरा, कुरुक्षेत्र, तिरूपति, कोचीन, बैतूल, सागर, बालाघाट, अहमद नगर, नासिक, बालांगीर, बांसवाड़ा, नगरकोइल, कैलाशेर, फैजाबाद, कड़ूकाल, हासन, चन्द्रपुर, कन्नूर, शिमला, बाड़मेर, कोयम्बतूर, छतरपुर, ईटानगर, सांगली, बरेली तथा पटियाला में आर पी एल रेटिंग अध्ययन।

2. कलकत्ता, विशाखापत्तम, इंदौर, लखनऊ, जोधपुर, कुर्सियांग, जालंधर, जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल, चेन्नई, पटना, अहमदाबाद तथा बंगलौर में युववाणी कार्यक्रम का सर्वेक्षण।

3. दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई तथा पणजी में आकाशवाणी के एफ एम चैनलों का सर्वेक्षण।

4. अगरतला, शिमला, पटना, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता, धारवाड़, मथुरा, दिल्ली, रोहतक तथा तिरुचि में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के संबंध में सर्वेक्षण।

5. कुर्सियांग, विशाखापत्तनम, रोहतक, अगरतला, अहमदाबाद, औरंगाबाद, तिरुवनन्तपुरम, जयपुर, पटना तथा मथुरा में पल्स पोलियो टीकाकरण के संबंध में सर्वेक्षण।

6. विशाखापत्तनम, पांडिचेरी, अहमदाबाद, तिरुवनन्तपुरम, बंगलौर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कुर्सियांग, हैदराबाद तथा कलकत्ता में समाचार बुलेटिनों के संबंध में सर्वेक्षण।

7. दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, शिलांग, लखनऊ, जयपुर, रांची, धारवाड़, भोपाल, रायपुर तथा जालंधर में विश्व कप 1999 क्रिकेट के संबंध में त्वरित फीड बैक सर्वेक्षण।

8. 10 स्थानों पर स्थानीय कार्यक्रमों के संबंध में त्वरित फीड बैक अध्ययन।

दूरदर्शन पर खेल कार्यक्रम

2540. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा किन प्रमुख खेल कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया जिसकी वजह से दूरदर्शन को घाटा उठाना पड़ा;

(ख) घाटा उठाने के कारण क्या थे;

(ग) प्रत्येक मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) प्रसार भरती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा लोक सेवा प्रसारक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से संबंधित राष्ट्रीय/स्थानीय निकायों द्वारा आयोजित फुटबाल, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, जूडो, खोखो, पोलो, घुड़सवारी आदि जैसे सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया गया था यद्यपि ऐसे आयोजनों का प्रसारण वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। दूरदर्शन ने बिना किसी राजस्व अर्जन के ओ०बी० वेन, स्टाफ की तैनाती आदि के रूप में ऐसे प्रसारणों पर खर्च किया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बी०आई०एफ०आर० के पास लंबित मामले

2541. श्री मान सिंह पटेल :
श्री सी०पी० राधाकृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०आई०एफ०आर० के गठन के बाद से आज तक इसके पास कितने मामले भेजे गए हैं;

(ख) इस बोर्ड ने 29 फरवरी, 2000 तक कितने मामलों का अंतिम निपटान किया है;

(ग) इनमें से कितने मामलों को बंद करने और कितनों को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की; और

(घ) पुनर्जीवित करने हेतु कितने मामले सरकार द्वारा स्वीकार और कितने अस्वीकार किए गए और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 31 दिसंबर, 1999 की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार बोर्ड के पास 2867 संदर्भ दर्ज थे।

(ख) से (घ) दिनांक 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार बाइफर द्वारा 1864 मामलों का निपटान कर दिया गया है। इनमें से 666 मामलों के बारे में संबंधित उच्च न्यायालय से समापन की सिफारिश की है। इसके अलावा बाइफर द्वारा 616 पुनर्वास योजनाएं मंजूर/स्वीकृत की गई हैं। 1133 मामले जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का अनुपालन नहीं करते हैं उन्हें बाइफर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

मितव्ययिता संबंधी उपाय

2542. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने सभी केन्द्रीय विभागों को मितव्ययिता संबंधी उपाय करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सरकारी सेवकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे टैलीफोन कालों तथा वाहनों में डीजल और पेट्रोल की खपत पर नियंत्रण करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर लिया जाएगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सरकारी व्यय को नियंत्रण में रखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन अनुदेशों में पदों के सृजन पर प्रतिबंध, पेट्रोल की खपत/खर्च में कमी, टेलीफोन खर्च, एस०टी०डी० सुविधा में कमी, समयोपरि भत्ते, मनोरंजन, वाहनों की खरीद इत्यादि पर प्रतिबंध शामिल है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए निगरानी प्राधिकरण

2543. डा० संजय पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'स्कूल चिल्ड्रन अब्होर वायोलन्स ऑबसिनिटी ऑन टी०वी० स्टडी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं।

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए कब तक निगरानी प्राधिकरण बनाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हैल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज द्वारा किए गए एक अध्ययन का उल्लेख किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत स्कूली विद्यार्थियों में भावनात्मक समायोजन संबंधी परेशानी पाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे टेलीविजन कार्यक्रमों में हिंसा तथा अश्लीलता से नफरत करते हैं और उनका विचार है कि टेलीविजन पर कार्यक्रमों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक मानीटरिंग प्राधिकरण होना चाहिए।

(ग) दूरदर्शन पर कार्यक्रम इसकी प्रसारण संहिता द्वारा विनियमित किए जाते हैं। भारत से अपलिंक किए जाने वाले निजी उपग्रह चैनलों द्वारा भी इसी संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। भारत के बाहर से अपलिंक किए जाने वाले प्रच्छन्न उपग्रह चैनलों द्वारा भी केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है। इन संहिताओं में अन्य बातों के साथ-साथ अश्लीलता तथा हिंसा का निषेध किया गया है।

(घ) सरकार का प्रसारण पर एक व्यापक विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था की जाएगी। तथापि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है और इसके लिए कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

पटसन तैयार करने वाली मशीनें

2544. श्रीचन्द्रकांत खैरे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिल मालिक जर्जर हालत में पड़ी अपनी मशीनों को बदलने में असमर्थ हैं क्योंकि देश की कोई भी कंपनी पटसन तैयार करने वाली मशीनें नहीं बनाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पटसन तैयार करने वाली मशीनों का निर्माण करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार इसमें इच्छुक उद्यमियों को राज-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं, देश में पटसन मशीन विनिर्माता हैं जो पटसन मिलों के लिए मशीनों का विनिर्माण कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार तथा यू एन डी पी की सहायता के अंतर्गत देश के भारतीय पटसन मिल्स संघ तथा अनुसंधान संघों ने पटसन उद्योग के विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए अनेक नई प्रौद्योगिकी पटसन मशीनरी का विकास किया है। इस प्रकार की मशीनों के प्रथम चरण पर पटसन मिलों में मूल्यांकन चल रहा है। राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एन सी जे डी) ने संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्र के लिए उपयुक्त पटसन मशीनरी के विकास के लिए परियोजना को प्रायोजित किया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार तथा यू एन डी पी ने आई जे एम ए तथा अनुसंधान संस्थानों को पटसन मशीनरी के विकास के लिए अनुदान के रूप में राशि प्रदान की है। एन सी जे डी भी पटसन मशीनरी के विकास के लिए निधि प्रदान कर रही है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भी पटसन उद्योग को मशीनरी की प्राप्ति के लिए इमदादी ब्याज दर पर राशि उपलब्ध करवा रही है।

असम को योजना निधि

2545. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम सहित कुछ राज्यों में योजना आबंटित धनराशि का न्यूनतम उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर योजना निधि का अन्यत्र उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) पिछले तीन सालों में असम समेत कुछ राज्यों में योजना आबंटन के पूर्ण उपयोग में कमियां रही हैं। असम के संबंध में स्थिति निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99
मूल योजना परिव्यय	1434.00	1520.28	1650.00
संशोधित योजना परिव्यय	1216.25	1324.08	1389.37
वास्तविक व्यय	1201.35	1217.26	1295.50

(ग) और (घ) असम राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि किसी योजना निधि का अंतरण नहीं हुआ है। तथापि एक नियम के तौर पर विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले, जैसे असम को गैर-योजना राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता का 20 प्रतिशत तक अंतरण की अनुमति है।

सहकारिता बैंक

2546. **श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर राज्य में कुछ और सहकारिता बैंक खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही शुरू की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें 'दि मणिपुर स्टेट शिड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शिड्यूल्ड कास्ट्स डेवलपमेंट को-आपरेटिव बैंक लि०, इम्फाल' को लाइसेंस जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मणिपुर सरकार ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि उक्त बैंक मणिपुर में शीर्ष राज्य सहकारी बैंक (एस सी बी) के रूप में कार्य करेगा। चूंकि मणिपुर राज्य सहकारी बैंक, शीर्ष एस सी बी के रूप में पहले से ही विद्यमान है, अत: भारतीय रिजर्व बैंक नए प्रस्ताव की संभाव्यता की कानूनी दृष्टि से जांच कर रहा है।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात

2547. **श्री सी०पी० राधाकृष्णन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 और 1998-99 के दौरान सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात संबंधी हकदारी नीति के अंतर्गत अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के देशों को निर्यात किए गए सिले-सिलाए वस्त्रों की मात्रा क्या है; और

(ख) इन देशों को निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा व यूरोपीय संघ को हुए परिधान निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

	1997-98	1998-99
संयुक्त राज्य अमरीका	1529.8	1626.2
कनाडा	187.1	208.0
यूरोपीय संघ	1789.8	1789.7

(ख) सरकार द्वारा सभी देशों जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा व यूरोपीय संघ शामिल हैं, को परिधान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं, इनमें निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, मेले व प्रदर्शनियां, निर्यात उत्पादन हेतु रियायती शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात को समर्थ बनाना, निर्यात उत्पादन हेतु कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

वस्त्र व क्लोदिंग पर हुए करार के अनुसार विभिन्न वस्त्र उत्पादों के चरणबद्ध एकीकरण द्वारा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

हथकरघा बुनकरों की स्थिति

2548. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरलूम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण हथकरघा बुनकरों की स्थिति बिगड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) हथकरघा उत्पादों में निहित लागत संबंधी हानि के कारण बुनकरों को पावरलूम क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। पावरलूम तथा मिल क्षेत्रों की उत्पादन लागत बहुत कम होती है तथा पावरलूम एवं मिल क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तुओं से हथकरघा बुनकरों द्वारा उसी तरह की उत्पादित मदें प्रभावित होती हैं।

(ग) इस कड़ी प्रतिस्पर्धा से हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा हेतु उत्पाद विकास के लिए अन्य उपायों के अतिरिक्त सरकार द्वारा हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 लागू किया गया है। दिनांक 26.7.1996 के हथकरघा आरक्षण आदेश के अंतर्गत वर्तमान में केवल हथकरघा उत्पादन के लिए 11 वस्त्र मदें आरक्षित की गई हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार

2549. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री श्रीनिवास पाटील :
डा० संजय पासवान :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बौद्धिक संपदा अधिकरों के संबंध में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो सेमिनार में भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) इस मंत्रालय ने नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में किसी दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन नहीं किया है।

तथापि हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में सेमिनारों/गोष्ठियों का आयोजन किया गया था जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(1) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा औद्योगिक विकास विभाग और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में 7 से 9 जुलाई, 1999 तक आगामी शहस्त्राब्दि में बौद्धिक संपदा नीतिगत विषयों पर एक एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय मंच का आयोजन किया गया था। बौद्धिक संपदा क्षेत्र के नीतिगत विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की जांच करने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 20 देशों के विरष्ठ अधिकारियों, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, ने इस मंच में भाग लिया था।

(2) एक अंतर-सरकारी संगठन, एशियाई अफ्रीकी कानूनी परामर्शदायी समिति (ए ए एल सी सी) द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 15-16 नवंबर, 1999 तक बौद्धिक संपदा अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में विभिन्न सदस्य तथा गैर-सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(3) माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से नई दिल्ली में 8-10 दिसंबर, 1999 तक एशियाई तथा प्रशांतीय देशों हेतु प्रतिलिप्याधिकार तथा आसन्न अधिकार प्रवर्तन पर एक क्षेत्रीय गोष्ठी का अयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(4) एशियन पेटेंट एटोरनीज़ एसोसिएशन (ए पी ए ए) और फेडरेशन इंटरनेशनल डी कौन्सेल्स एन प्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल (एफ आई सी पी आई) ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में विश्व में प्रवृत्त वर्तमान स्थिति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में 11-13 फरवरी, 2000 तक निजी तौर पर एक संयुक्त मंच का आयोजन किया था। एशियन पेटेंट एटोरनीज एसोसिएशन एक ऐसा संघ है जिसमें मुख्यत: एशियाई देशों के बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कार्य करने वाले वकील शामिल हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी कौन्सेल्स एन प्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल (एफ आई सी पी आई) विश्वभर के वकीलों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।

नेपा मिल्स के सी०एम०डी० के विरुद्ध जांच समिति

2550. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री मोहम्मद अनवारुल हक :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा मिल्स के एस०एम०डी० तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) नेपा लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए थे। इस विभाग द्वारा गठित द्विसदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर, निदेशक (वित्त) के विरुद्ध मुख्य दंडात्मक कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच की प्रक्रिया केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से की जा रही है।

कागज उद्योग

2551. श्री अधीर चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्तमान में कागज उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने उद्योग सरकार के स्वामित्व में है;

(ग) क्या सरकार का विचार कागज उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कोई पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) इस समय 380 से अधिक कागज मिल हैं, जिनकी कि कुल वार्षिक क्षमता लगभग 49 लाख मी० टन है। इनमें से 9 कागज मिलें राज्यों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के अधीन हैं।

(ग) और (घ) कागज उद्योग लाइसेंसमुक्त है और उद्यमियों को कागज मिल की स्थापना करने के लिए इस मंत्रालय में औद्योगिक सहायता सचिवालय में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि कागज मिल की स्थापना करने हेतु कोई लाइसेंस लेना अपेक्षित नहीं है, बशर्ते कि प्रस्ताव सरकार द्वारा अधिसूचित स्थापना स्थल संबंधी नीति की शर्तों के अध्यधीन हो अथवा यह कि संबंधित प्रस्ताव में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करने की कोई परिकल्पना न हो। कागज उद्योग के कार्य-निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

सीमाशुल्क वापसी योजना

2552. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क वापसी योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि निर्यात संबंधी बीजकों में अधिक मूल्य दिखलाकर सीमाशुल्क वापसी योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत निर्यातकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) निर्यात मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी० धनन्जय कुमार) : (क) शुल्क प्रतिअदायगी योजना का अभिप्राय उस उत्पाद जिसे कि भारत से निर्यात किया जाता है, के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल/निविष्टियों/संघटकों पर अदा किए गए सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को वापस लौटाने से है। चूंकि, निर्यात किए जाने वाले माल के विनिर्माण/पैकिंग में प्रयुक्त निविष्टियों पर सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी वास्तविक आकस्मिक शुल्कों की प्रतिपूर्ति करना प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। शुल्क प्रतिअदायगी योजना में प्रतिअदायगी की समस्त उद्योग दरों के निर्धारण की व्यवस्था की गई है। ये दरें निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर भुगतान किए गए औसत शुल्कों के सरकारी निर्धारण पर आधारित हैं। जब कोई निर्यातक प्रतिअदायगी की समस्त उद्योग दर से संतुष्ट नहीं है वहां पर वह कतिपय शर्तों के अनुसार अधिक भुगतान किए गए वास्तविक आकस्मिक शुल्कों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिअदायगी की ब्रांड दरों के अनुसार अपना दावा पेश कर सकता है।

सामान्यत: प्रतिअदायगी की दरें निर्यात उत्पादों के पोत-पर्यन्त मूल्य की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित की जाती हैं। तथापि, अनैच्छिक दावे की जांच-पड़ताल करने के लिए विशेष रूप से संभावित आधिक्य मूल्यांकन के मामलों में 152 निर्यात उत्पादों पर एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। यह प्रतिअदायगी तालिका में उल्लिखित सीमा के संदर्भ सहित निर्यातकों को अदा की जाने वाली प्रतिअदायगी की राशि को सीमित करता है।

'प्रतिअदायगी की समस्त उद्योग दरें' वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा वर्ष में एक बार घोषित की जाती हैं। ये दरें केन्द्र सरकार द्वारा लोक सभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की तारीख के तीन महीने के पश्चात की तारीख से प्रभावी होती हैं। वर्ष 1999-2000 के लिए ये दरें 1.6.1999 से क्रियान्वित की गई थीं। ये दरें नई दरों की अधिसूचना तक वैध रहेंगी।

प्रतिअदायगी योजना में यह भी व्यवस्था है कि जब कभी निर्यातकों द्वारा निर्यात प्रेषणों संबंधी बिक्री की आय 6 महीने की अवधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी बढ़ाई गई अनुज्ञप्त अवधि के भीतर स्वदेश में नहीं भेजी जाती है तो ऐसी अवस्था में निर्यातक अनुमत प्रतिअदायगी राशि ब्याज सहित लौटाने का उत्तरदायी है।

किसी निर्यातक द्वारा शुल्क प्रतिअदायगी के दावे के तहत माल के निर्यात हेतु प्रस्तुत किए गए लदान बिल को निर्यातक द्वारा स्वत: ही निर्यात माल जिसका वर्णन लदान बिल में किया जाता है, के प्रति प्रतिअदायगी के दावे के रूप में मान लिया जाता है। निर्यातक को देय प्रतिअदायगी की राशि की संगणना राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित/निश्चित दरों पर की जाती है। अधिकांश बड़े सीमा शुल्क स्टेशनों में प्रतिअदायगी संबंधी दावों पर की जाने वाली कार्रवाई का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है तथा किसी निर्यातक को देय प्रतिअदायगी की राशि को अधिकांशतया निर्यातों संबंधी कार्य के पूरा हो जाने के

कुछेक दिनों के भीतर ही नामित बैंकों में निर्यातक के बैंक लेखे के नामेखाते (क्रेडिट) डाल दिया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार की जानकारी में ऐसी कुछेक घटनाएं आई हैं जिनमें निर्यातकों ने निर्यातकों का अधिक बीजक बनाकर अनुचित रूप से अधिक राशि की प्रति अदायगी का दावा किया है। ऐसी घटनाएं जो विगत 3 वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आई हैं, संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उक्त स्कीम के तहत विगत 3 वर्षों के दौरान, वर्ष-वार निर्यातकों को अदा की गई कुल राशि इस प्रकार है :

1997-98	3660.95 करोड़ रु०
1998-99	4081.03 करोड़ रु०
1999-2000 (जनवरी 2000 तक)	3981.43 करोड़ रु०

(ङ) चूंकि अधिकांश निर्यात उत्पादों पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है, इसलिए निर्यातों के घोषित मूल्यों की जांच करने एवं इन्हें स्वीकार करने के लिए विधि द्वारा कोई विस्तृत मूल्यांकन नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासनिक हिदायतें जारी कर उन्हें ऐसे मामलों में घोषित मूल्यों को स्वीकार करते समय अधिक सतर्कता बरतने को कहा है जिनमें निर्यात-प्रोत्साहन शामिल हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनायीप्रेत अभिलाभों का दावा न किया जा सके। राजस्व विभाग में प्रतिअदायगी निदेशालय भी समय-समय पर उन उद्योगों में प्रतिअदायगी दरों की संवीक्षा करता रहता है जो प्रति इकाई अनुमत्य अधिकतम प्रतिअदायगी निश्चित कर इसका दुरुपयोग करते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों का विवरण जहां निर्यातकों द्वारा माल के निर्यात संबंधी बीजकों में अधिक मूल्य दिखलाकर अनुचित तरीके से अधिक शुल्कवापसी के दावे किए गए

(1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 से फरवरी 2000 तक)

क्र० सं०	मामलों के प्रकार	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त शुल्क वापसी की राशि (कराड़े रु० में)	की गई कार्रवाई
1.	अनुचित तरीके से अधिक शुल्क वापसी की प्राप्ति के लिए निर्यात संबंधी बीजकों में अधिक मूल्य दिखलाये गए।	215	57.14 से अधिक	इनमें से 100 मामले, जिसमें 5.37 करोड़ रुपये शुल्क वापसी की राशि अंतर्ग्रस्त है, न्याय-निर्णित कर दिए गए हैं। इन सभी मामलों में 1.74 करोड़ रुपये विमोचन शुल्क अदा कर जब्त माल को पुन: प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। इन मामलों में 1.52 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया गया था। इनमें से 58 मामलों में 3.73 करोड़ रुपये की शुल्क वापसी की राशि को अस्वीकार कर दिया गया था। इनमें से 58 मामलों के संबंध में, जिसमें 7.04 करोड़ रुपये शुल्क वापसी की राशि अंतर्ग्रस्त है, शुल्क वापसी की अस्वीकृति के लिए कारण बतओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 4 मामलों में 4.02 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त कर लिया गया है, संबद्ध कारण बताओ नोटिसों में भी ऐसे माल को जब्त करने का प्रस्ताव है। इनमें से 57 मामलों में, जिनमें 44.73 करोड़ रुपये की शुल्क वापसी अंतर्ग्रस्त है, कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
2.	शुल्क वापसी के अवैध दावे जिसमें अन्य अपराधों के अलावा निर्यात माल संबंधी बीजकों में अधिक मूल्य दिखलाया जाना शामिल है।	3	0.74	इन मामलों में, 6 व्यक्तियों को उनके कथित रूप से शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन्हें छोड़ दिया गया है। एक मामले में, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। दो अन्य मामलों में, जांच-पड़ताल का कार्य प्रगति पर है।

खान और खनिज इकाइयां

2553. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में खान और खनिज इकाइयों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की खानों में उपयोग और उत्खनन दोनों के लिए और सुरक्षा संबंधी प्रयोजनों हेतु उपस्करों को लाने के संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) खान विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान भारत में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों और गौण खनिजों को छोड़कर खानें की कुल संख्या 3168 है जिसमें से 839 खानें सार्वजनिक क्षेत्र में और 2329 निजी क्षेत्र में हैं। खानों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनियों के लिए उपकरणों के आयात हेतु कोई अलग से नीति निर्धारित नहीं की है। उपकरणों का आयात भारत सरकार की सामान्य आयात-निर्यात नीति से नियंत्रित होता है।

विवरण

वर्ष 1998-99 में खानों की संख्या

राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र*	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	91	298	389
असम	7	2	9
बिहार	192	135	327
गोवा	0	71	71
गुजरात	8	408	416
हरियाणा	2	23	25
हिमाचल प्रदेश	3	35	38
जम्मू और कश्मीर	5	1	6
कर्नाटक	36	154	190
केरल	8	47	55
मध्य प्रदेश	159	325	484
महाराष्ट्र	68	75	143
मेघालय	1	1	2
उड़ीसा	60	172	232
राजस्थान	61	438	499
सिक्किम	2	0	2
तमिलनाडु	17	105	122
उत्तर प्रदेश	9	28	37
पश्चिम बंगाल	110	11	121
कुल	839	2329	3168

*केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र

[हिन्दी]

आभूषण का निर्यात

2554. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से आभूषणों का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्यात संवर्धन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से किया गया आभूषणों का कुल निर्यात निम्नानुसार है :

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	स्वर्ण आभूषण	स्वर्ण के इतर आभूषण
1996-97	511.80	15.14
1997-98	802.97	24.75
1998-99	846.15	58.00

स्रोत : वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता तथा 1998-99 के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई।

(ख) सरकार मौजूदा एक्जिम नीति में संशोधन करके नई नीतिगत उपायों को लागू करने के रूप में सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती आ रही है ताकि निर्यातक वैश्विक जरूरतों को पूरा कर सकें। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से किए गए कुछ नीतिगत उपाय ये हैं : (i) निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों को न्यूनतम 7.5% एक एफ ई पी के अधीन मरम्मत करने/पुनः निर्माण

करने और निर्यात करने के लिए सामान्य स्वर्ण, प्लेटेनियम और रजत आभूषणों का आयात और बाद में उनका निर्यात करने की अनुमति देना, (ii) विदेशी क्रेताओं द्वारा सभी ई ओ यू और ई पी जेड एककों तथा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित घरेलू टैरिफ क्षेत्र के एककों से रत्न एवं आभूषण के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति देना, (iii) 20 लाख रु० प्रति खेप के मूल्य तक चुनिंदा पत्तनों से कुरियर द्वारा रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात की अनुमति देना, (iv) आभूषण एवं हीरा प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अपेक्षित खपत योग्य वस्तुओं का पूर्ववर्ती वर्ष में रत्न एवं आभूषण के निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 1% तक शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति देना, (v) पूर्ण रूप से यांत्रिकृत प्रक्रिया द्वारा निर्मित 'चुड़ियों' और 'मंगलसूत्र' जैसे आभूषणों के लिए मूल्यवर्धन संबंधी मापदंडों को युक्तिसंगत बनाना, (vi) मोम के माडल में, चांदी के माडल में और रबड़ के खांचे में बनाए नमूनों का विकास आयुक्त को सूचित करते हुए निर्यात करने की अनुमति देना, बशर्ते कि उनका मूल्य किसी वर्ष में 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं हो, (vii) ई ओ यू और ई पी जैड एककों को सोने की स्क्रैप/डस्ट/झाड़न को परिष्कृत कर उन्हें बाद में मानक स्वर्ण की छड़ों में बदलने के लिए सरकारी टकसाल के अलावा निजी टकसालों को भी भेजने की अनुमति देना। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण की ऐसी स्क्रैप/डस्ट/झाड़न को सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्दिष्ट स्वर्ण की मात्रा के आधार पर लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में भी बेचा जा सकता है।

(ग) एक्जिम नीति (1997-2002) के अध्याय 8 के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों के लिए आभूषण निर्यात संवर्धन योजनाओं की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध हैं—(i) विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति पर निर्यात; (ii) प्रदर्शनियों/निर्यात संवर्धन दौरों/ब्रांड युक्त आभूषणों के माध्यम से निर्यात; (iii) नामित एजेंजिसयों द्वारा आपूर्ति पर निर्यात; (iv) अग्रिम लाइसेंस पर निर्यात; (v) निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों से निर्यात; (vi) पुनः पूर्ति लाइसेंस; (vii) रत्न पुनः पूर्ति लाइसेंस। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया एग्जिम नीति 1997-2002 की क्रियाविधि पुस्तिका में दी गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चक्रवात से प्रभावित कारीगरों की दशा

2555. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में आए भीषण समुद्री चक्रवात के बाद वहां के प्रभावित कारीगरों की दयनीय दशा से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा भीषण चक्रवात से प्रभावित राज्य के उक्त कारीगरों के लिए कोई विशेष पैकेज प्रदान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) से (ङ) सरकार उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात के पश्चात वहां के शिल्पकारों की कठिन परिस्थितियों से अवगत है। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1999-2000 के लिए बनाई गई कार्य योजना के अनुसार, चक्रवात से प्रभावित कारीगरों के लाभ के लिए उड़ीसा राज्य के हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। योजना में वर्कशेडों के निर्माण के लिए सहायता, सामूहिक बीमा और हैल्थ पैकेज, शिल्प बाजारों का आयोजन, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण आदि पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, विशेष पैकेज में, ऐसे कारीगरों की दिल्ली हाट, सूरजकुंड शिल्प मेले, ताज महोत्सव, ग्वालियर मेले, मिनी एक्सपो, प्रदर्शनी और शिल्प बाजारों के आयोजनों में बड़ी संख्या में भागीदारी, विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते की मंजूरी, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड और हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड द्वारा कारीगरों से अधिक मात्रा में सामान खरीदना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा स्टेट कोओपरेटिव हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन को कारीगरों को कच्चे माल और औजारों की आपूर्ति के लिए 40 लाख रुपये शेयर पूंजी सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

घरेलू ऋण

2556. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष घरेलू वित्तीय संस्थाओं से सरकार ने कितनी राशि प्राप्त की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष घरेलू वित्तीय संस्थाओं को कुल कितना ब्याज और पूंजी दी गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान घरेलू वित्तीय संस्थाओं को देय कुल ऋण और ब्याज की राशि कितनी है; और

(घ) घरेलू ऋण के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बाजार से ली गई घरेलू उधारों (364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों को छोड़कर सकल बाजार उधार) की स्थिति नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये)

1996-97	1997-98	1998-99
27911	43390	83753

बाजार उधार मुख्यतया घरेलू वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिदत्त हैं। उधारों के सरकारी लेखे प्रतिभूति-वार रखे जाते हैं, ऋण दाता-वार नहीं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में बाजार उधारों पर कुल ब्याज की अदायगी और मूलधन की वापसी-अदायगी (364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां छोड़कर) निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये)

1996-97		1997-98		1998-99	
ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन
19125	7988	22170	10891	28362	14765

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान सकल बाजार उधारों की (364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां छोड़कर) अद्यतन स्थिति 86630 करोड़ रुपये है।

विदेशी चैनल

2557. **डा. चरणदास महंत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी टी०वी० चैनलों को प्रेस परिषद् की जांच सीमा क्षेत्र के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घरेलू और विदेशी चैनलों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) और (घ) विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को देश के बाहर से अपलिंक किया जाता है और इसलिए ये कार्यक्रम मौजूदा भारतीय कानूनों की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन इन चैनलों के कार्यक्रमों/विज्ञापनों को केबल आपरेटर के माध्यम से प्रसारित करने हेतु डिकोडर्स का इस्तेमाल किए जाने के मामले इन चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम। विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। जहां तक देश के भीतर से अपलिंक किए जाने वाले भारतीय निजी चैनलों का संबंध है, उनके कार्यक्रमों को दूरदर्शन द्वारा अनुपालन की जा रही कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम देश के अन्य कानूनों के अधीन हैं।

[अनुवाद]

आकाशवाणी की लंबित परियोजनाएं

2558. **श्री अकबर अली खांदोकर :**
श्री दिन्शा पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की कुछ ट्रांसमीटर परियोजनाएं देश में विशेषकर गुजरात में तकनीकी रूप से तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के स्थानवार नाम क्या हैं;

(ग) ये कब तक कार्य करना आरंभ कर देंगी;

(घ) क्या कुछ परियोजनाएं समय-सीमा से पिछड़ रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन परियोजनाओं को पूरा होने में विलंब के कारण इनकी लागत में, परियोजनावार किस सीमा तक वृद्धि हो गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) तकनीकी रूप से तैयार आकाशवाणी ट्रांसमीटर परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सरकार द्वारा अनुमोदित तदर्थ स्टाफ तैनाती करने के मानदंडों के अनुसार अन्य केन्द्रों से स्टाफ की पुन: तैनाती करके तकनीकी रूप से तैयार परियोजनाओं को यथाशीघ्र चालू करने के लिए प्रसार भारती से अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) समय समी से पिछड़ रही आकाशवाणी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) इन परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण नीचे दिए अनुसार है :

(1) राज्य सरकारों द्वारा स्थल सौंपने में देरी।

(2) संविदात्मक समस्याओं के कारण सिविल निर्माण कार्यों के पूरा होने में देरी।

(3) उपस्कर प्राप्ति में देरी।

(4) स्थानीय कानून और व्यवस्था समस्या।

(5) पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति आदि उपलब्ध न होना।

(छ) ये परियोजनाएं चूंकि इस समय कार्यान्वयनाधीन/संस्थापन की विभिन्न अवस्थाओं में है इसलिए इस अवस्था में लागत में वृद्धि के बारे में नहीं बताया जा सकता है और वास्तव में परियोजना के पूरा होने के पश्चात ही लागत में हुई वृद्धि का पता लगाया जा सकता है।

विवरण-I

3.3.2000 की स्थिति के अनुसार तकनीकी रूप से तैयार आकाशवाणी की ट्रांसमीटर परियोजनाएं

क्र०सं०	स्थान का नाम	स्कीम
1	2	3
1.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां (वि०भा० सेवा)

1	2	3
2.	गुवाहाटी (असम)	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (वि०भा० सेवा)
3.	धुबरी (असम)	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (रिले केन्द्र)
4.	रांची (बिहार)	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (वि०भा० सेवा)
5.	जमशेदपुर (बिहार)	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (वि०भा० सेवा)
6.	सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (वि०भा० सेवा)
7.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	5 कि०वा०एफ०एम०ट्रां० (दूसरा चैनल)
8.	बंगलौर (कर्नाटक)	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०
9.	कोडईकनाल (तमिलनाडु)	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०
10.	तेजपुर (असम)	20 कि०वा०मी०वेव०ट्रां०
11.	तवांग (अरुणाचल प्रदेश)	10 कि०वा०मी०वेव०ट्रां०
12.	विलियम नगर (मेघालय)	1 कि०वा०मी०वेव०ट्रां० (वा०रे० सेवा)
13.	मोन (नागालैंड)	-वही-
14.	टयूनसंग (नागालैंड)	-वही-
15.	नौंगस्टोइन (मेघालय)	-वही-
16.	सैहा (मिजोरम)	-वही-
17.	जीरो (अरुणाचल प्रदेश)	-वही- (स्थानीय रेडियो केन्द्र)

विवरण-II

समय सीमा से पिछड़ रही आकाशवाणी परियोजनाओं की सूची

क्र० सं०	केन्द्र	स्कीम	राज्य
1	2	3	4
1.	हैदराबाद	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	आंध्र प्रदेश
2.	चम्पाई	1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	अरुणाचल प्रदेश
3.	चांगलंग	1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	अरुणाचल प्रदेश
4.	सिल्चर	20 कि०वा०मी०वेव ट्रां०	असम
5.	खामपुर	3X250 कि०वा०शा०वे०ट्रां०	दिल्ली
6.	राजकोट 'ख'	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	गुजरात
7.	वडोडरा	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	गुजरात
8.	रोहतक	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	हरियाणा
9.	श्रीनगर 'ग'	10 कि०वा०एफ०ट्रां०	जम्मू और कश्मीर
10.	भद्रवाह	6 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	-वही-
11.	बंगलौर 'ख'	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	कर्नाटक
12.	त्रिवेन्द्रम 'क'	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	केरल
13.	सराइपल्ली	1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	मध्य प्रदेश
14.	मंडला	1 कि०वा०मी०वे०ट्रां	मध्य प्रदेश
15.	अम्बिकापुर	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	मध्य प्रदेश
16.	राजगढ़	3 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	मध्य प्रदेश
17.	रत्नागिरि	3 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	महाराष्ट्र
18.	इम्फाल	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	मणिपुर
19.	शिलांग	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	मेघालय
20.	तुरा	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	मेघालय
21.	खोंसा	1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	मिजोरम
22.	आइजोल	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	मिजोरम
23.	फेक	1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	नागालैंड
24.	सोरो	1 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	उड़ीसा
25.	गंगटोक	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	सिक्किम
26.	चेन्नई	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	तमिलनाडु
27.	तिरुनेलवेली	20 कि०वा०मी०वे०ट्रां०	तमिलनाडु
28.	नूतन बाजार	1 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	त्रिपुरा
29.	अगरतला	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	त्रिपुरा
30.	लखनऊ	10 कि०वा०एफ०एम०ट्रां०	उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

रुग्ण उद्योग

2559. श्री मोहन रावले :
श्री अनन्त नायक :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कई उद्योग रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी रुग्णता के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्रदत्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के संबंध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं। उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण संयुक्त रूप से औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य कारणों में, योजना, प्रबंधन, विपणन आदि में कमियां शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, स्वस्थ इकाइयों के साथ रुग्ण इकाइयों का विलय, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय नवीकरण कोष, राष्ट्रीय इक्विटी निधि आदि शामिल हैं।

विवरण

(आंकड़े संख्या में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मार्च, 1997		मार्च, 1998		मार्च, 1999	
	गैर लघु तथा कमजोर एकक	लघु औद्योगिक एकक	गैर लघु तथा कमजोर एकक	लघु औद्योगिक एकक	गैर लघु तथा कमजोर एकक	लघु औद्योगिक एकक
1	2	3	4	5	6	7
असम	41	10133	44	15774	47	10586
मेघालय	1	5531	2	4076	1	447
मिजोरम	0	1199	0	615	4	40
बिहार	64	22702	63	24935	74	26293
अरुणाचल प्रदेश	2	26	2	456	2	116
पश्चिम बंगाल	243	53451	240	53617	238	146182
नागालैंड	2	2738	2	1386	5	166
मणिपुर	1	2707	2	1919	2	5237
उड़ीसा	62	3408	57	1889	68	10134
सिक्किम	1	30	1	33	1	28
त्रिपुरा	6	3171	6	2011	4	6914
अंडमान और निकोबार दीव	0	13	0	45	0	25
उत्तर प्रदेश	202	23286	208	14294	218	17320
दिल्ली	35	3943	34	3580	60	3789
पंजाब	62	2466	69	2376	80	3551
हरियाणा	78	2574	86	2149	103	3180
चंडीगढ़	10	170	3	163	5	187

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	9	761	7	1627	7	630
हिमाचल प्रदेश	31	2206	32	735	32	1103
राजस्थान	84	14561	87	15655	74	12835
गुजरात	213	6510	215	6808	223	4170
महाराष्ट्र	399	19360	410	17925	495	13373
दमन एवं दीव	3	4	5	5	5	13
गोवा	12	604	13	670	15	216
दादर व नगर हवेली	4	1	8	2	9	24
मध्य प्रदेश	111	12070	116	8348	130	6808
आंध्र प्रदेश	264	15460	295	12074	369	6260
कर्नाटक	159	6937	171	6680	180	4342
तमिलनाडु	175	9809	198	12289	248	11408
केरल	81	8908	85	8969	80	10074
पांडिचेरी	13	293	15	431	13	770
योग :	2368	235032	2476	221536	2792	306221

बिहार में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2560. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शहरों की जल आपूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशों से ऋण सहायता का अनुरोध किया गया है;

(ख) इन प्रस्तावों की योजनावार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के लिए आवश्यक विदेशी सहायता शीघ्र मुहैया करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार से जलापूर्ति क्षेत्र में विदेशी सहायता के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

इलायची का उत्पादन

2561. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार/मसाला बोर्ड द्वारा इलायची के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शुरू किए जा रहे विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची के उत्पादन में मिला-जुला रुझान प्रदर्शित हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची (छोटी तथा बड़ी) के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(उत्पादन मी० टनों में)

वर्ष	छोटी इलायची	बड़ी इलायची
1996-97	6625	5150
1997-98	7900	5265
1998-99	7170	4210
1999-2000*	9290	2353

*मध्यावधि अनुमान

(ग) सरकार/मसाला बोर्ड द्वारा इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन/उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाए गए विकास कार्यक्रमों में शामिल हैं—गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति, पुराने तथा अलाभकारी एवं रोगग्रस्त बागानों का पुनर्रोपण, सिंचाई एवं भूमि विकास कार्यक्रम तथा विस्तार संबंधी सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना। मसाला बोर्ड द्वारा बड़ी इलायची का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने के लिए सामुदायिक क्यूरिंग गृहों के विनिर्माण/जीर्णोद्धार हेतु सहायता भी प्रदान की जाती है। मसाला बोर्ड की अनुसंधान शाखाएं अर्थात् भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (म्यलाडुमपारा, केरल), सकलेशपुर (कर्नाटक) थाडिअनकुडिसई (तमिलनाडु), गंगटोक (सिक्किम) स्थित सबस्टेशनों, ने भी छोटी एवं बड़ी इलायची के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने हेतु कई अनुसंधान क्रियाकलाप किए हैं।

बंद जूट मिलों के श्रमिकों का पुनर्वास

2562. श्री अनंत नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ जूट मिलों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जूट मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन जूट मिलों के बंद होने से कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) इन मिलों के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) उड़ीसा में स्थित केवल एकमात्र पटसन मिल है जो राज्य क्षेत्र पटसन मिल है। मिल बंद नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

स्विट्जरलैंड के साथ व्यापारिक संबंध

2563. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्विट्जरलैंड के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और अन्य व्यापार के संवर्धन हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत और स्विटजरलैंड के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और व्यापार के प्रवाह को बढ़ाने के लिए निवेशों का संवर्धन/संरक्षण करने और दोहरे कराधान से बचने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ढांचागत करार हुए हैं। स्विटजरलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री (श्री पास्कल कौशेपिन) की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग का आगे और विस्तार करने और उसका विविधीकरण करने के लिए विचार-विमर्श किया था।

करों में राज्यों की हिस्सेदारी

2564. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में असम और पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई उत्पाद शुल्क में छूट के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी;

(ख) कुछ राज्यों को दी गई उत्पाद शुल्क में छूट के कारण राज्यों की हिस्सेदारी में उनकी संभाव्य कमी के संबंध में क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित किया है; और

(ग) राज्य इस प्रकार के प्रोत्साहनों के कारण घाटे में न रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कराधान पर कुछ सरकारी निर्णयों से जनहित में राजस्व में कमी भी हो सकती है, जबकि अन्य निर्णयों के फलस्वरूप राजस्व में बढ़ोतरी होती है। जिस प्रकार निरपेक्ष रूप से राजस्व वृद्धि की कोई उच्चतम सीमा नहीं है, इसी प्रकार कमी के एवज में क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने की भी कोई प्रणाली नहीं है।

पिछड़े जिलों को उत्पाद शुल्क से छूट

2565. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस प्रकार असम को छूट दी गई थी वैसे ही सभी पिछड़े जिलों को भी पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुक्ति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो जिले के पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या ऐसे जिलों की पहचान करने हेतु कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में किन्हीं जिलों की पहचान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनञ्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

मुक्त बंदरगाह

2566. श्री विजय गोयल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'पोर्ट ब्लेयर' को 'मुक्त बंदरगाह' बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

2567. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती रानी नरह :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने केन्द्र सरकार से तीसरी बार पुनरुद्धार पैकेज मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिवेश आयोग ने भी उक्त कंपनी को बी०आई०एफ०आर० को भेजने से रोकने के लिए आर०आई०एन०एल को संपूर्ण संचित घाटे को बट्टे खाते में डालने के लिए सरकार से सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या विनिवेश आयोग ने केन्द्र सरकार को अपनी बारहवीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने 3,597 करोड़ रुपये को माफ करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : जी, हां।

(ख) विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को कंपनी को बी०आई०एफ०आर० को संदर्भित करने से बचाने तथा अपने तुलनपत्र को दुरुस्त करने के लिए आर०आई०एन०एल० की संपूर्ण संचयित हानियों को अपने संपूर्ण 'शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट' तथा 'प्रैफरेंस शेयर कैपिटल' तथा इक्विटी पूंजी के भाग के प्रति बट्टे खाते डाल देना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, हां। विनिवेश आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में बी०एच०ई०एल०, एच०आई०एल०, एच०ओ०सी०एल०, आर०सी०एफ०एल० तथा आर०आई०एन०एल० के संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

(ङ) और (च) मामला विचाराधीन है तथा इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

माफ किए गए बैंक ऋण

2568. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी बकाया राशि माफ की गई और कितनी कंपनियों को रुग्ण घोषित किया गया;

(ख) क्षेत्र-वार कितनी बकाया राशि माफ की गई और समझौते के माध्यम से कितनी ऋण राशि बट्टे खाते डाल दी गई;

(ग) क्या बैंक ऋण नहीं लौटा पाने के कारण कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, मार्च, 1997, 1998 और 1999 (अनंतिम) के अंत की स्थिति के अनुसार, गैर लघु उद्योग (रुग्ण/कमजोर) और रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम उनकी बकाया ऋणों से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

मार्च के अंत में	गैर-लघु उद्योग (रुग्ण/कमजोर)		रुग्ण लघु उद्योग		जोड़	
	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1997	2368	10177.81	235032	3609.20	237400	13787.01
1998	2476	11825.25	221536	3856.64	224012	15681.89
1999	2792	15150.41	306221	4313.48	309013	19463.89

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकरों को ऋण

2569. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, हथकरघा बुनकरों को कितना ऋण दिया गया है;

(ग) क्या बैंकों से ऋण प्राप्त करने में बुनकरों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रम) : (क) भारत सरकार ने बुनकर सहकारी समितियों तथा राज्य की राज्य हथकरघा विकास निगमों को उत्पादन, वसूली तथा विपणन क्रिया-कलापों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों (एस०सी०बी०) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी०सी०सी०बी) को रियायती दरों पर पुनर्वित सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्थापित किया गया है। इसके साथ, प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम के अंतर्गत आधारभूत संरचना सहायता प्रदान करने के लिए जैसे करघों की आपूर्ति, गोदामों आदि की स्थापना हेतु ऋण भी जारी किया जा रहा है।

(ख) पिछले 3 वर्षों में प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम के अंतर्गत प्रदान किया ऋण तथा नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित सुविधा क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न है।

(ग) बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असुविधा से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

बुनकर सहकारी समितियों को उत्पादन, वसूली तथा विपणन क्रिया-कलापों को नाबार्ड द्वारा राज्यवार प्रदान की गई पुनर्वित सुविधा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	सीमा	दिया ऋण	सीमा	दिया ऋण	सीमा	दिया ऋण
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	93.25	77.69	98.37	63.39	76.40	53.56
बिहार	0.17	0.17	0.51	0.46	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.50	0.60	1.00	1.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
कर्नाटक	3.45	2.86	5.80	3.69	3.89	1.31
केरल	58.66	50.55	51.04	58.08	57.84	0.00
मध्य प्रदेश	14.13	12.73	17.03	10.81	9.03	4.75
महाराष्ट्र	6.57	6.32	0.90	0.28	0.00	0.00
उड़ीसा	68.79	89.83	74.60	64.18	78.83	68.41
पांडिचेरी	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	427.01	289.60	416.90	577.00	455.53	731.00
उत्तर प्रदेश	16.00	16.00	8.40	8.40	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	65.08	59.76	69.54	62.34	69.22	64.43
कुल :	759.11	605.51	743.59	849.23	752.84	924.46

विवरण-II

प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम के अंतर्गत जारी किया गया ऋण

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आंध्र प्रदेश	79.06	101.80	93.98
असम	36.00	93.55	0.00
बिहार	6.25	36.75	0.00
गुजरात	0.85	1.59	0.19
हरियाणा	8.72	0.79	1.08
हिमाचल प्रदेश	4.76	4.25	11.83
जम्मू व कश्मीर	0.00	43.32	30.93
कर्नाटक	8.16	6.49	1.25
केरल	44.51	93.10	163.33
मध्य प्रदेश	12.95	19.96	8.71
महाराष्ट्र	0.93	54.35	0.00
मिजोरम	0.00	10.00	0.00
नागालैंड	32.12	19.80	143.93
उड़ीसा	16.30	24.03	4.75
राजस्थान	0.00	20.50	0.00
तमिलनाडु	27.12	29.86	51.08
त्रिपुरा	0.00	3.10	1.85
उत्तर प्रदेश	6.25	29.99	74.91
पश्चिम बंगाल	16.02	24.77	11.31
कुल :	300.00	600.00	599.13

[अनुवाद]

घरेलू बाजार में भारतीय घड़ियां

2570. **श्री सुनील खां :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बाजार में भारतीय घड़ियों का हिस्सा केवल 20% है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू उद्योग को एक समान अवसर देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार भारत में 40 मिलियन घड़ियों की अनुमानित मांग के प्रति भारतीय घड़ियों का घरेलू बाजार में हिस्सा लगभग 25% है (10 मिलियन नग) है।

(ख) भारतीय केस व डायलों के साथ वाच मूवमेंट सहित, शेष 75% को भी भारत में ही संयोजित किया जाता है तथा बेचा जाता है। ये खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आते हैं अत: कुल 39% शुल्क के साथ इनके खुले निर्यात की अनुमति है।

(ग) वाच मूवमेंट, संयोजित अथवा आंशिक रूप से संयोजित घड़ियों, घड़ियों के केशों और उनके पुर्जों के खुले निर्यात की अनुमति है। करमुक्त लाइसेंसधारक को सामान की आपूर्ति करने वाले घरेलू घड़ी निर्माता निर्यात-आयात नीति के पैराग्राफ 10.3 के तहत, मानद (डीम्ड) निर्यात लाभों के पात्र होंगे। वर्ष 2000-2001 के बजट प्रस्तावों में अधिकतम 500 रुपये के खुदरा मूल्य तक की घड़ियों और दीवार घड़ियों को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

सेवी द्वारा बैंकों को जारी दिशा-निर्देश

2571. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ ऐसे समाशोधन बैंकों को जो कि ब्रोकरों को ऋण देने में आगे रहते हैं कि वे ब्रोकरों को ऋण देने की सीमा तथा उनका उस संपत्ति की गुणवत्ता जिसके विरुद्ध ऋण उपलब्ध करवाया जाता है पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेबी ने बैंकिंग प्रणाली का ब्रोकरों द्वारा बैंक गारंटी के नाम पर संभावित शोषण पर चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालसाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभूति संविदाओं का व्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप में और नियमों तथा विनियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए निष्पादन किया जाए और बाजार की ईमानदारी तथा निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किये जाएं, नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बाजार की निरंतर मानिटरिंग करता है। यद्यपि, एक्सचेंज द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट सलाह नहीं दी गई है, परंतु पूंजी बाजार में कार्य संचालन एवं जोखिम प्रबंध पद्धतियों को सरल एवं कारगर बनाने की दृष्टि से समाशोधन बैंकों सहित अन्य पूंजी बाजार मध्यस्थों एवं एक्सचेंज के बीच अनौपचारिक परामर्श समय-समय पर होता रहता है।

(ग) से (ङ) सेबी ने सूचित किया है कि ब्रोकर्स की देनदारियां (एक्सपोजर्स) उनके द्वारा एक्सचेंज में जमा की गई पूंजी से संबद्ध है। सेबी ने निर्धारित किया था कि ब्रोकर द्वारा जमा न्यूनतम आधार पूंजी का 75 प्रतिशत नकद/निर्धारित जमा/बैंक गारंटी/प्रतिभूति के रूप में हो सकता है। अतिरिक्त पूंजी एवं मार्जिनों को भी नकद/बैंक गारंटी/निर्धारित जमा/प्रतिभूतियों के रूप में जाम किया जा सकता है। हाल ही में सेबी ने यह निर्धारित किया है कि अतिरिक्त पूंजी एवं मार्जिन की नकद राशि मार्च, 2000 के अंत तक 50 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए स्टाक एक्सचेंजों को एक चरण-बद्ध कार्यक्रम करने की सलाह दी गई है। सरकार ऐसे आवश्यक उपायों की सेबी के साथ निरंतर पुनरीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूंजी बाजार व्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप में कार्य करे।

नागपुर दूरदर्शन केन्द्र की मशीनरी का उपयोग

2572. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र खासतौर पर नागपुर पर प्रदान की गई मशीनरी का अपर्याप्त या अनियोजित उपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अपलिंकिंग सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने और उपलब्ध सुविधाओं का पूरी तौर पर उपयोग करके कार्यक्रमों के निर्माण में उन्नयन के लिए की गई प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) दूरदर्शन केन्द्र नागपुर ने कार्यक्रम निर्माण सुविधा प्राप्त कर ली है जो सोमवार से शुक्रवार तक के एक घंटे के स्थानीय प्रसारण के निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति करता है साथ ही डीडी-10 उपग्रह क्षेत्रीय भाषा सेवा के लिए दूरदर्शन केन्द्र मुम्बई को सप्ताह में पांच दिन के एक घंटे के कार्यक्रम में सहयोग करता है। इन कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तिमाही अनुसूची के अनुसार तैयार किया जाता है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर को दिनांक 15.8.1999 से अपलिंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दी गई हैं। दूरदर्शन केन्द्र मुम्बई को भूभागीय वैन के जरिए नागपुर और विदर्भ क्षेत्र के समाचार मदों की फीडिंग के लिए दूरदर्शन केन्द्र नागपुर को रोजाना, आधे घंटे का समय स्लॉट आबंटित किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दूरदर्शन केन्द्र मुम्बई को विधान सभा की कार्यवाही

उपलब्ध कराते समय इस सुविधा का काफी अधिक उपयोग किया गया था। इसका चुनाव की अवधि के दौरान की व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। नागपुर और इसके आसपास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी समाचार-वृतांत के साथ दूरदर्शन केन्द्र मुम्बई को फीड किया जा रहा है।

ऊन पर व्यापार प्रतिबंध

2573. श्रीमती रानी नरह :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने ऊन और ऊन उत्पाद व्यापार में प्रतिबंधों के दायरे को कम करने या हटाने का प्रस्ताव किया; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत के ऊन व्यापार में क्या सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार को ऊन तथा ऊन के उत्पादों के व्यापार के संबंध में व्यापार अवरोधों के दायरे को कम करने या हटाने के लिए आस्ट्रेलिया से कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जूट उत्पादों का विविधीकरण

2574. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विविधीकृत जूट उत्पादों के निर्यात के लिए बाहरी बाजार सहायता योजना को पुनर्गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन के नियम इस प्रकार की योजनाओं को जारी रखने की अनुमति देते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का जूट उत्पादकों को सहयाता देने के लिए कौन-कौन से उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। बाह्य बाजार सहायता (ई एम ए) योजना के विविधीकृत पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए पुनर्निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। इस उद्देश्य से, ई एम ए योजना के संचालन पर एक अध्ययन किया गया है जिसके आधार पर एक नयी नीति 01.4.2000 से बनाई जाएगी।

(ग) विश्व व्यापार संगठन विनियमनों के अंतर्गत ई एम ए पर कोई प्रतिबंध अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) सरकार ने किसानों को उत्पादन एवं पटसन की उपज में वृद्धि लाने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) सी आर आई जे ए एफ, एन आई आर जे ए एफ टी जैसे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों ने फाइबर की उपज में सुधार लाने के लिए बीजों के गुणन तथा उच्च उपज वाली किस्मों पर बल दिया है।

(2) कच्चे पटसन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, बेहतर रेटिंग टैंक सुविधाएं विभिन्न पटसन उतपादक राज्यों से किसानों को प्रदान की जा रही है।

कोकिंग कोयला खानों का गैर-कोकिंग कोयला खानों में परिवर्तन

2575. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान फरवरी 2000 तक क्षेत्रवार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कितनी कोकिंग कोयला खानों को गैर-कोकिंग कोयला खानों में परिवर्तित किया गया;

(ख) तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इस परिवर्तन के पश्चात् सरकार/कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नया अधिनियम

2576. श्री किरीट सौमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नया अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1993 के अंतर्गत कतिपय अपराधों को संज्ञेय बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नया अधिनियम कब तक बनाए जाने और पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी हां।

(ख) विधेयक की विषय वस्तु को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) नए विधेयक को वर्तमान बजट सत्र के अंत तक पेश किए जाने की संभावना है।

मुद्रा एवं वित्त संबंधी प्रतिवेदन

2577. श्री शिवाजी विटठ्लराव काम्बले :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याा भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा एवं वित्त संबंधी अपने हाल के प्रतिवेदन में गैर-योजना खर्च जिसमें ब्याज का भुगतान, रक्षा, राज-सहायता और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का गैर-योजना अनुदान शामिल है, के बढ़ते भाग के कारण अर्थव्यवस्था में गंभीर वित्तीय असंतुलन के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए कार्य योजना के साथ-साथ तत्संबंधी की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा एवं वित्त संबंधी अपनी अद्यतन रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के व्यय ढांचे, विशेषकर आयेजना-भिन्न व्यय के संदर्भ में, उसकी वित्त व्यवस्था में प्रमुख संरचनात्मक कमजोरियों को चिन्हित किया है। रिपोर्ट में आगे इस बात पर बल दिया गया है कि केन्द्र सरकार का आयोजना-भिन्न व्यय कुल व्यय का लगभग तीन-चौथाई है जिसमें राजस्व भाग एक बड़े अनुपात में है। आंतरिक व्यय में वृद्धि को नियंत्रित करने और व्यय ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में कई पहलों की घोषणा की गई है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ कड़ाई से शून्य आधार मानकर बजटीय व्यवस्था करना, सभी चालू योजनाओं की जांच-पड़ताल करना, जनशक्ति की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना और सरकारी विभागों में नई भर्ती को कम से कम करना, सभी तरह की आर्थिक सहायता की पुनरीक्षा करना, विनिवेश प्राप्तियों का भाग सरकारी ऋण की वापसी हेतु निर्धारित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे की मध्यावधि व्यवस्था के लिए एक समिति गठित की गई है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में निहित एक सुदृढ़ संस्थागत प्रणाली की जांच करेगी और इसके लिए उपयुक्त सिफारिशें करेगी। व्यय व्यवस्था और पुनर्गठन के लिए एक व्यय आयोग की स्थापना भी की गई है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को किया जाने वाला भुगतान

2578. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और माइन्स एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा अपने परिसर में सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को बड़ी धनराशि का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बकाया राशि का अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) बकाया राशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कोल इंडिया लि० की दो अनुषंगी कंपिनयों, नामत: भा०को०को०लि० तथा ई०को०लि० और भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत खान तथा एलाइड मशीनरी निगम (एम०ए०एम०सी०) द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) को भुगतान की जाने वाली देय बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी	राशि (अनंतिम) (करोड़ रु० में)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	11.99
भारत कोकिंग कोल लि०	158.68
खान एवं एलाइड मशीनरी निगम	9.00

(ग) और (घ) निधियों की कमी के कारण भारत कोकिंग कोल लि० तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० सी०आई०एस०एफ० को दी जाने वाली देय राशि का भुगतान नहीं कर सकीं। किन्तु, कोयला कंपनियां सी०आई०एस०एफ० की देय राशि का भुगतान करने के लिए पूरे प्रयास कर रही हैं। जहां तक एम०ए०एस०सी० का संबंध है, भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी एक कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रही है और उसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को संदर्भगत कर दिया गया है। एम०ए०एम०सी० द्वारा देय राशि का अंतिम रूप से निपटारा बी०आई०एफ०आर० के निर्णय पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

कारों का निर्यात

2579. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विनिर्मित कारों का निर्यात घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी कारें निर्यात की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कारों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ माह के दौरान कारों के निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कारों का निर्यात बढ़ाने के क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान सवारी कारों का निर्यात क्रमशः 37,232 (संख्या), 29,705 (संख्या) और 25,464 (संख्या रहा है। (स्रोत–एस आई ए एम)।

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कारों का मूल्य के रूप में निर्यात क्रमशः 673.21 करोड़ रु०, 532.20 करोड़ रु० और 454.02 करोड़ रु० का रहा है। (स्रोत–डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)।

(घ) जी, हां।

(ङ) कारों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई अनन्य योजना नहीं है। तथापि, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अन्य मदों की तरह ही कारों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का सतत प्रयास रहा है। आयात-निर्यात नीति के तहत विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए निर्यातों को बढ़ाने हेतु, जिनमें कारें भी शामिल हैं, उपाय किए गए हैं जिनमें शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच सी के तहत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

एन०आई०ई० प्रणाली

2580. श्री जी०एस० बसवराज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वस्त्र निर्यात संवर्द्धन' ने सरकार से अनुरोध किया है कि कोटा निर्धारण के लिए केवल दो प्रणाली अर्थात् पी०पी०ई० के अंतर्गत 85 प्रतिशत और एफसीएफएस के अंतर्गत 15 प्रतिशत अपनाई जाए और वर्ष 2000 में एन०आई०ई० प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 1.1.2000 से 31.12.2004 से पांच वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालीन कोटा -निर्यात हकदारी) वितरण नीतियों पर सिफारिशें देने के लिए एक कार्यबल गठित किया था। कार्यबल ने निर्यात संवर्धन परिषदों (ई०पी०सी०), अग्रणी व्यापार संघों तथा परिसंघों से कोटा नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। उसी अनुसरण में अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए०ई०पी०सी०) ने भी अपना परामर्श दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि कोटा निर्धारण की केवल दो प्रणालियां नामतः पी०ई०ई० के अंतर्गत 85 प्रतिशत तथा एफ०सी०एफ०एस० के अंतर्गत 15 प्रतिशत बनाए रखा जाए तथा वर्ष 2000 में एन०आई०ई० प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। कार्य बल ने नई दिल्ली तथा मुम्बई में विभिन्न निर्यातकों तथा संबंधित संघों से विचार-विमर्श करने के लिए दो खुले मंचों का आयोजन किया है। कार्य बल ने रिपोर्ट देने से पूर्व स्रोतों की एक व्यापक श्रेणी से प्राप्त इनपुट्स पर विचार किया है। नई कोटा नीति बनाते समय सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार किया गया था।

बी०एच०ई०एल० का विद्युत संयंत्र

2581. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारतीय दशाओं के तहत मूल्यांकन हेतु फास्फोरिक एसिड फ्यूल सैल्स के आधार पर हैदराबाद में 200 किलो वाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99, 1999-2000 के दौरान और आज की तिथि तक विद्युत संयंत्र का कार्य निष्पादन कैसा रहा और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु फास्फोरिक एसिड फ्यूल सैल्स का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां। जैसाकि गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) ने एक परियोजना प्रायोजित की है, भेल ने मैसर्स ओएनएसआई/टोसीबा कारपोरेशन, यू एस ए से प्राप्त एक 200 किलोवाट की डैमोन्सट्रेसन फॉसफोरिक एसिड फ्यूल सेल पावर प्लांट को हैदराबाद स्थित अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में स्थापित किया है।

(ख) इस परियोजना की स्थापना 23.06.1998 तक पूरी हो गई थी। प्लांट को 1.10.98 से 15.04.99 तक ग्रिड कनेक्टेड (जीसी) मोड और साथ ही साथ ग्रिड इन्डीपेन्डैंट (जीआई) मोड में प्रचालन में लाया गया था। जीसी मोड में इस प्लांट को इसकी 200 किलोवोट की क्षमता दर पर सुबह 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक प्रचालन में रखा गया। जीआई मोड में, प्लांट को सायं 4.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक प्रचालन में रखा गया।

विद्युत संयंत्र के हीटरों से संबंधित समस्याओं का सामना करने के कारण, भेल ने देश में विकसित कारतूसी हीटरों की सहायता से ही संयंत्र को गर्म करके प्रचालन में रखा है।

किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि फ्यूल सेल पावर की तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक जैव्यता का और विस्तृत रूप में मूल्यांकन किया जाए।

(ग) गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने फ्यूल सैल के विभिन्न पहलुओं पर अनुंसधान एवं विकास करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। स्माल फ्यूल सैल स्टिम का विकास किया गया है तथा प्रयोगात्मक रूप से विद्युत उत्पादन तथा वाहन उपयोगों के लिए इसका प्रयोग किया गया है।

नवरत्नों को और अधिक प्रचालन स्वतंत्रता देना

2582. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निवेश के बारे में विशेष अनुमोदन प्राप्त किए बिना संयुक्त उद्यमों में निवेश करने के लिए 11 नवरत्नों की शक्तियों को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्तमान निवेश सीमा के मुकाबले उनकी नकदी जमाराशि का 30 से 35 प्रतिशत से भी अधिक भाग संयुक्त उद्यमों में निवेश करने की अनुमति देने वाला अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा है;

(ग) इन प्रयासों को करने से इन कंपनियों की विकास दर में कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) किन कंपनियों को नवरत्न की श्रेणी में लाया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका कार्य-निष्पादन कैसा रहा ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) 'नवरत्न' पैकेज में पहले से दी गई शक्तियों में वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) विगत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों के नाम तथा उनका कार्य-निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष	चुकता पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल कारोबार	निवल लाभ	एनपी/ सीई (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०						
		1997-98	245	2895	6471	720	24.86
		1996-97	245	2585	5755	463	17.92
		1995-96	245	2107	4833	350	16.62
2.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०						
		1997-98	150	2554	20697	521	20.41
		1996-97	150	2718	10554	408	15.00
		1995-96	150	1815	9254	386	21.26
3.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०						
		1997-98	846	2612	5731	1020	39.07
		1996-97	846	838	4541	620	73.95
		1995-96	845	800	4408	516	64.47
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०						
		1997-98	221	3032	14400	701	23.13
		1996-97	209	3966	13951	612	15.44
		1995-96	207	2505	11870	514	20.53
5.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०						
		1997-98	389	11534	59219	1707	14.79
		1996-97	389	15087	55422	1408	9.33
		1995-96	389	8967	43874	1249	13.93

1	2	3	4	5	6	7	8
6. इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कारपो० लि०							
		1997-98	249	5801	3755	244	4.00
		1996-97	249	5543	3430	510	9.20
		1995-96	249	2959	3804	604	20.40
7. महानगर टेलीफोन निगम लि०							
		1997-98	630	11125	4655	1130	10.16
		1996-97	600	10547	4031	933	8.84
		1995-96	600	8896	3448	730	8.20
8. नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०							
		1997-98	7546	24079	12429	2154	8.94
		1996-97	7404	23280	9857	1679	7.21
		1995-96	7335	20642	8387	1353	6.55
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि०							
		1997-98	1426	11489	15224	2678	23.31
		1996-97	1426	13710	13235	2034	14.83
		1995-96	1426	14295	13098	1945	13.61
10. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०							
		1997-98	4130	20808	14840	133	0.64
		1996-97	4130	18826	14325	515	2.74
		1995-96	4130	13738	14954	1319	9.60
11. विदेश संचार निगम लि०							
		1997-98	95	3574	6125	968	27.09
		1996-97	92	2622	1591	505	19.25
		1995-96	80	1172	1325	410	34.94

हस्तशिल्प के निर्यात में क्षेत्रीय असंतुलन

2583. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प के निर्यात में मुख्य रूप से योगदान करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या हस्तशिल्प के निर्यात में क्षेत्रीय असंतुलन है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस असंतुलन को दूर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एम० रामाचन्द्रन) : (क) हस्तशिल्प के निर्यात में उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है।

(ख) और (ग) यद्यपि देश के दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में निर्यात बाजार में प्रवेश करने का कौशल और क्षमता है तथापि हस्तशिल्प के कुल निर्यात में इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह तथ्य है कि इन क्षेत्रों के शिल्पों के डिजाइन अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं की सामयिक रुचि के अनुरूप नहीं हैं और निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की बदलती हुई मांगों को अपनाने में कोई संयुक्त प्रयास नहीं किए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों में चेन्नई बंगलौर और कलकत्ता में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना, निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों पर विशेष बल देना, डिजाइन प्रचार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पूर्वोत्तर राज्यों और केरल में बेंत एवं बांस विकास और काष्ट आधारित शिल्प परियोजनाएं कार्यान्वित करना, केरल में काष्ठ आधारित शिल्पों का विकास, और भारत अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प और उपहार मेले में इन क्षेत्रों के निर्यातकों की बड़ी संख्या में भागेदारी शामिल है।

अखबारी कागज का आयात

2584. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रिंट मीडिया में कितनी मात्रा में अखबारी कागज की खपत हुई; और

(ग) देश में अखबारी कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1996-97, 1997 98, 1998-99 और 1999-2000 (अप्रैल-दिसंबर, 1999) के दौरान आयातित अखबारी कागज की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा टनों में)

1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अप्रैल-दिसंबर, 99) (अनंतिम)
494038	539655	426641	294072

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ख) वर्ष 1995 से वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा अखबारी कागज का आयात मुक्त रूप से किए जाने के कारण खपत संबंधी अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) अखबारी कागज उद्योग को स्थानिक नीति के अधीन लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ii) अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(iii) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए लुगदी (पल्प) पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(iv) अखबारी कागज की स्वदेशी उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसी पेपर मिलों को, जो बी आई एस मानकों के अनुरूप अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं उन्हें अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाली मिलों के रूप में घोषित करते हुए अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-I में रखा गया है।

कोयला खानों का बंद होना

2585. श्री कृष्णमराजू : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कुछ कोयला खानों को रुग्ण घोषित कर, उन्हें बंद कर दिया है तथा नौवीं योजना की बची हुई अवधि में कुछ और खानों को रुग्ण घोषित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार ने उन पर फिर से काम करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) ऐसा कोई विधायी प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष कोयला खानों को रुग्ण घोषित कर सके। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत, किसी कोयलाा खनन कंपनी को केवल औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा ही रुग्ण घोषित किया जा सकता है। अत: केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी कोयला खान को एक रुग्न इकाई के रूप में बंद किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु, विभिन्न कोयला कंपनियों को अपने संगत ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के अंतर्गत तकनीकी-आर्थिक आधार पर अपनी कोयला खानों को बंद किए जाने का अधिकार है।

(ख) से (ङ) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

ढांचागत क्षेत्र में सुधार हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2586. श्री वीर सिंह महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी ढांचे में तीस प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृतियां प्रदान की गईं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश में बुनियादी ढांचे में विशेषकर विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए क्या लाभ मिले हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) सरकार ने, जनवरी 1991 से दिसंबर, 1999 की अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के 209758.10 करोड़ रुपये की राशि के 10,324 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं। इनमें से 101600.18 करोड़ रुपये की राशि, जो कि कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों का 48.44% है, अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए प्राप्त हुई है।

(ख) विद्युत क्षेत्र में 36709.15 करोड़ रुपये की राशि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 225 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 77.51% है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा विशेषकर विद्युत क्षेत्र के संबंध में प्राप्त हुए लाभों के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

कॉफी का उत्पादन

2587. **श्री पी०सी० थामस :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान कॉफी का राज्यवार उत्पादन क्या है;

(ख) क्या सरकार को कॉफी उत्पादकों की खराब होती हुई वित्तीय दशा की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कॉफी उत्पादकों द्वारा कॉफी बोर्ड से लिए गए ऋण पर लगे अत्यधिक ब्याज को माफ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कॉफी के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(मात्रा टनों में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
कर्नाटक	1,41,000	1,58,650	1,82,900
केरल	47,300	50,850	61,150
तमिलनाडु	15,700	16,500	18,300
अन्य*	1,000	2,000	2,650
योग	2,05,000	2,28,000	2,65,000

*(अन्य राज्य : आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इत्यादि)।

(ख) और (ग) भारतीय कॉफी उत्पादक अपने उत्पाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में ऊंची घरेलू कीमतें प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) कॉफी उपजकर्ताओं द्वारा विकासात्मक ऋणों का भुगतान न करने और उस पर ब्याज/दंडात्मक ब्याज की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 1997 में कॉफी बोर्ड को अनुमति दी थी कि वह उन उपजकर्ताओं से कॉफी बोर्ड को देय दंडात्मक ब्याज को छोड़ दे, जो सामान्य ब्याज के साथ मूल ऋण राशि का पुनर्भुगतान कर देते हैं।

विनिवेश पर श्वेत पत्र

2588. **डा० बी० सरोजा :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश किए जाने संबंधी कोई श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 में संशोधन

2589. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंक परिसंघ ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 का शीघ्र संशोधन करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या किए गए समझौते के अनुसार चूककर्ताओं की सूची को आई०बी०ए० द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में नया विधान कब तक लाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि उसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन से संबंधित मामले में तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस मामले को नहीं उठाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रसारण प्रौद्योगिकी

2590. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के दूर-दराज के भागों में रह रहे समाज के निम्न स्तर तक प्रसारण प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) बी०ई०एस० (इंडिया) द्वारा आयोजित बी०ई०एस० एक्सपो 2000 तथा जमीनी तथा उपग्रह प्रसारण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का प्रमुख महत्व क्या होगा;

(ग) क्या इस वर्ष से दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों में डिजीटल प्रसारण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित करके देश के दूरवर्ती स्थानों में विशेषरूप से समाज के सामान्य एवं निचले स्तर के लोगों तक प्रसारण प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचता है।

(ख) नए प्रौद्योगिकी विकासों एवं प्रसारण के क्षेत्र में उभरने वाली प्रवृत्तियों की नुमाईश करने के लिए भारतीय प्रसारण इंजीनियरी सोसाइटी (बी०ई०एस०) जो एक गैर-सरकारी संगठन है, द्वारा बी०ई०एस०-एक्सपो-2000 आयोजित किया गया था।

(ग) और (घ) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में डिजीटल टी०वी० स्थलीय ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है और इनके नौवीं योजना अवधि की समाप्ति से पहले स्थापित किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों में जमा धनराशि

2591. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री मोहन रावले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोगों के लगभग 300 बिलियन डॉलर स्विस बैंक जैसे विदेशी बैंकों में जमा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने भारतीयों के इन बैंकों में खाते हैं और इन खातों में कितनी धनराशि जमा है और इन बैंकों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या 'आजादी बचाओ आंदोलन', 'स्वदेशी मूवमेंट', स्वदेशी आंदोलन और ऐसे ही कुछ अन्य संगठनों ने मांग की है कि इन विदेशी बैंकों में जमा धनराशि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए जिससे कि ये कई ब्रिलियन डॉलर कई राष्ट्रीय और गरीबी हटाने के कार्यों में इस्तेमाल किए जा सकें जिससे राष्ट्र सच्चे अर्थों में प्रगति कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय के पास, विदेशी बैंकों नामतः क्रेडिट स्यूइस मिडलैंड बैंक, यू०के०, बार्कलेस यू०के एमिरेटस बैंक इंटरनेशनल, दुबई-एल०जी०टी० बैंक वादुज उक्खटेंसटीन, बैंक्वे बैंक ड्यू बेनेलक्स एन्नर्स, बेल्जियम, क्रेडिट स्यूइस, ज्यूरिच, स्वीटजरलैंड, स्वीस बैंक कारपोरेशन, स्वीटजरलैंड, बैंक कान्ट्रेड ए जी ज्यूरिच, स्वीटजरलैंड, सिटी बैंक ज्यूरिच में जमा रखने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संदेह के सात मामले हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन बैंकों में कुल 13,62,220/- अमेरिकी डालर, 13,595/- ब्रिटिश पौंड, 19,79,403 बेल्जियन फ्रैंक की जमा हैं। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशालय के पास तीन भारतीय राष्ट्रीकों के मामले हैं जिनके संबंध में विदेशी बैंकों यथा बार्कलेस बैंक, सद्दन यू०के०, वेल्स् फारगो बैंक, यू०एस०ए० एंड डी०आई०एम०ई० सेक्रिंग्स् बैंक यू०एस०ए० में 1,43,34,613 अमेरिकी डालर की रकम पाई गई है।

(घ) मानवीय संसद सदस्य से हाल ही में एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि भारतीयों द्वारा संदिग्ध माध्यमों से अर्जित किए गए तथा स्वीस बैंकों में जमा किए गए धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने हेतु कानून बनाया जाए, जिसे कल्याण के क्रियाकलापों में लगाया जा सके।

(ङ) धन शोधन निवारण अधिनियम, 1999 में, जो वर्तमान में राज्य सभा में लंबित है, विदेशों में रखी गई अपराध की आय से ली गई संपत्ति की कुर्की एवं अधिहरण के प्रावधान शामिल हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का विनिवेश

2592. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की इक्विटी के 49 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। इस विनिवेश का देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

नई दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क

2593. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन द्वारा नई दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क को विशेष महत्व दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दूरदर्शन के अधिकारियों के विरुद्ध वर्षवार कुल कितने मामलों की जांच की गई है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इन जांचों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान कुल कितने मामलों का निपटान किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) लोक लेखा समिति ने दिनांक 22.4.1997 को लोक सभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि दूरदर्शन द्वारा मैसर्स न्यू दिल्ली टेलीविजन (एन०डी०टी०वी०) द्वारा दूरदर्शन के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों के मामले में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई थीं और एन०डी०टी०वी० को अनुचित स्वीकृति दी गई थी। समिति ने निदेश दिया था कि इस मामले की उचित जांच एजेंसी द्वारा जांच करवाई जाए तदनुसार, इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिनांक 9.1.1998 को अभियुक्तों के विरुद्ध एक नियमित आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया है। यह मामला अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांचाधीन है और उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई०पी०सी०एल० का विनिवेश

2594. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आईपीसीएल के शेयरों का विनिवेश करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो विनिवेश के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) आई०पी०सी०एल० में प्रस्तावित विनिवेश सामरिक-भिन्न श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्यत: अपनी धारिता को कम करने तथा सामरिक विचारणाओं को समाहित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में अधिकांश धारिता बनाए रखने संबंधी सरकार की घोषित नीति के अनुसार है।

कपास का मूल्य

2595. **श्री आनंदराव विठोबा अडसुल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पर कपास का आयात घरेलू बाजार कीमत से 20 प्रतिशत से कम मूल्य पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित कपास के आगमन से घरेलू बाजार और कपास उत्पादक भी प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू बाजार कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर, 1999 के दौरान कपास का आयात (कपास अपशिष्ट सहित) अप्रैल-दिसंबर, 1998 के दौरान 44,000 टन की तुलना में 1,46,000 टन है। इससे संकेत मिलता है कि आयात में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कपास की घरेलू कीमतें कपास के आयात के लिए महत्वपूर्ण प्राचलों में एक है।

(ख) और (ग) यद्यपि, घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता अपर्याप्त है, कतिपय गुणवत्ता विशिष्टीकरण के साथ कपास का आयात आवश्यकता के आधार पर होता है जो देश में एक वर्ष में कपास खपत का अनुमानित 4% है। हालांकि, कपास उपजकर्ताओं के हित की अभी भी रक्षा करने के लिए, सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कारक के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) चालू रखा है, जिससे कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद आय सुनिश्चित हो सके।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड का विनिवेश

2596. **श्री वरकला राधाकृष्णन्**
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड का अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के जरिए निजीकरण करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका देश की स्थिति और कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड को नई प्रौद्योगिकी तथा अतिरिक्त निवेश के साथ अपनी उत्पाद सीमा में विविधता लाने के लिए सक्षम बनाने हेतु किसी अनुकूल खरीददार को प्रबंध नियंत्रण सहित इक्विटी के कम से कम 51 प्रतिशत हिस्से की पेशकश करे। सरकार द्वारा हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड में विनिवेश करने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बुने-बुनाए कपड़ों का निर्यात

2597. **श्री पी० कुमारासामी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बुने-बुनाए कपड़ों के निर्यातकों को प्रक्रियागत उलझनों और ढेर सारे नियमों के कारण परेशानी उठानी पड़ती है जिससे माल की सुपुर्दगी में विलंब होता है तथा फलस्वरूप मूल्य वृद्धि भी होती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि यद्यपि निर्यातक कड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए स्वयं को पूर्णतया तैयार कर रहे हैं, तथापि इन कारकों से उक्त कारोबार में कठिनाई आती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार ने निर्यातों के संपादन में लागत और समय को कम करने तथा निट वियर सहित वस्त्र उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिए समय-समय पर पहले ही विभिन्न उपाय कर रही है। इनमें, वस्त्र क्षेत्र के लिए शून्य शुल्क ई०पी०सी०जी० योजना का विस्तार, शुल्क मुक्त व लाइसेंस मुक्त आधार पर ट्रिमिंग व अलंकरणों की अतिरिक्त मदों का आयात, निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र योजना का सुव्यवस्थीकरण, सेवाओं के निर्यात की पहचान करना, अग्रिम लाइसेंसीकरण योजना का इलेक्ट्रीकीकरण, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में कार्यरत एककों पर लगे प्रतिबंधों पर छूट आदि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, सरकार द्वारा सभी संबद्ध मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के मूल उद्देश्यों की दृष्टि से एक उच्च शक्ति प्राप्त निर्यात संवर्द्धन बोर्ड का गठन किया गया है ताकि निर्यात आय को बढ़ाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। निर्यातकों की समस्याओं के निवारण हेतु सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी आवधिक रूप से होती रहती है।

रुग्ण वस्त्र इकाइयां

2598. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय अनिवासी भारतीयों अथवा उनकी कुछ फर्मों ने वस्त्र क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करने संबंधी सरकार की नीति के अनुसरण में भारत में रुग्ण वस्त्र इकाइयों को खरीदने और इनके पुनरुद्धार किए जाने में अपनी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक अनिवासी भारतीयों की फर्मों द्वारा खरीदी गई रुग्ण वस्त्र इकाइयों का राज्यवार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है उनका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी

2599. **श्री राम सागर रावत :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामदास आठवले :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी०वी०सी०) जिससे अप्रैल 1991 से मई 1992 के दौरान श्री राशिद जिलानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी), पंजाब नेशनल बैंक (पी एन बी) तथा तत्कालीन निदेशक (एम डी), पी एन बी कैप्स द्वारा कथित रूप से कुछ प्रतिभूतियों के अनियमित लेनदेनों के उत्तरदायित्व के मामलों में परामर्श किया गया था, ने सलाह दी है कि सरकार मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) को संदर्भित करने के अलावा श्री राशिद जिलानी समेत बैंक के बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों की नियुक्ति को समाप्त करने पर विचार कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि मामले की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज दिया जाए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तब मामले की प्रारंभिक जांच दर्ज कर दी है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सी एम डी, पी एन बी तथा पी एन बी कैप्स के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक तथा अन्यों के विरुद्ध पी एन बी कैप्स द्वारा दो कंपनियों को 13 करोड़ रुपये की अल्पावधि जमाराशि/तात्कालिक ऋण, जिन्हें बाद में बट्टे खाते डाल दिया गया था, की मंजूरी में अनियमितताओं के संबंध में भी नियमित मामला दर्ज किया है। पी एन बी ने सूचित किया है कि पी एन बी कैप्स ने विलार्ड इंडिया लि० और सोलार्सन इंडस्ट्रीज लि० के विरुद्ध समापन याचिका दायर की है तथा 2.10 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है।

यह निर्णय लिया गया है कि श्री राशिद जिलानी, सी एम डी, पी एन बी को उनकी वर्तमान अवधि जो कि 6.3.2000 को समाप्त हो गई है, से आगे पुनर्नियुक्त न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री के० येरननायडू पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, बिहार के राज्यपाल अभी तक वापस नहीं हुए और वहां पर खरीद-फरोख्त हो रही है...*(व्यवधान)* वहां पर 50 लाख रुपया...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, वे एक प्रभावित सदस्य हैं। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बशीरहाट) : महोदय, उनके पुत्र को धमकाया जा रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया रुकें। सभा पटल पर पत्रों को रखा जाएगा।

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं श्री मनोहर जोशी की ओर से, पब्लिक इंटरप्राइसेस सर्वे (खंड I से III) के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1444/2000]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्स सोसाइटी इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए संख्या* एल०टी० 1445/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री दिलीप राय की ओर से, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1446/2000]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए भारी उद्योग और सरकारी उपक्रम मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1447/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री वी० धनंजय कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 1999, जो 8 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 804(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1448/2000]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17-क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 1999, जो 8 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1221(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1449/2000]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (शिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 1999, जो 16 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 129(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1450/2000]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कार) :

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) विनियम, 1999, जो 7 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 547(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधियां) (संशोधन) विनियम, 1999, जो 17 नवंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1118(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, जो 17 नवंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1119(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, जो 17 नवंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1120(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 1999, जो 8 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2000 जो 18 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 142(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1451/2000]

(5) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2000 जो 20 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 58(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2000 जो 20 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 59(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी 1452/2000]

(6) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 48(अ) जो 15 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें लोक भविष्य निधि योजना के संबंध में ब्याज की कम की गई दर को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी 1453/2000]

(7) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2000 जो 28 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 165(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए संख्या* एल०टी 1454/2000]

(8) 31 मार्च, 199 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण संबंधी समेकित प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए संख्या* एल०टी 1455/2000]

(9) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए संख्या* एल०टी 1456/2000]

(10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 168(अ) से सा०का०नि० 169(अ), सा०का०नि० 171(अ) से सा०का०नि० 172(अ), सा०का०नि० 174(अ) और सा०का०नि० 176(अ) से सा०का०नि० 183(अ) जो 1 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 29 फरवरी, 2000 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क में परिवर्तन और छूट दिए जाने के बारे में हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए संख्या* एल०टी 1457/2000]

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 170(अ), सा०का०नि 173(अ) और सा०का०नि० 175(अ) जो 1 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 29 फरवरी, 2000 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क टैरिफ में परिवर्तन

और छूट दिए जाने के बारे में हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए संख्या* एल०टी 1458/2000]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 184(अ) से सा०का०नि० 209(अ) जो 1 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 29 फरवरी, 2000 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन और छूट दिए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहले संशोधन) नियम, 2000 जो 24 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 156(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1459/2000]

(13) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 210(अ) जो 1 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो गो-कुल पशुओं के वध से संबंधित किसी यांत्रिक वधशाला द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई कराधेय सेवाओं को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सेवा कर से छूट प्रदान करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए संख्या* एल०टी० 1460/2000]

(14) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निक्षेपागार (प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को अपील) नियम, 2000 जो 18 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 143(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1461/2000]

(15) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण को अपील) नियम, 2000 जो 18 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 144(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1462/2000]

(16) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का निर्माण ['संत द्यानेश्वर' की स्मृति में एक सौ रुपये के स्मारक सिक्कों (50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल, 5 प्रतिशत जस्ते वाले) और एक रुपये के सर्कुलर सिक्के (83 प्रतिशत लोहा और 17 प्रतिशत क्रोमियम वाले) का मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा] नियम, 1999 को 23 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 453(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1463/2000]

(17) (एक) इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए संख्या* एल०टी० 1464/2000]

(18) (एक) फोरम ऑफ फाइनेन्सियल रायटर्स एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इक्नोमिक जर्नलिज्म, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फोरम ऑफ फाइनेन्सियल रायटर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इक्नोमिक जर्नलिज्म, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए संख्या* एल०टी० 1465/2000]

(19) (एक) सेंटर फॉर पोलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पोलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1466/2000]

(20) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इक्नोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इक्नोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए संख्या* एल०टी० 1467/2000]

(21) वर्ष 2000-2001 के लिए वित्त मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए *संख्या* एल०टी० 1468/2000]

(22) वर्ष 2000-2001 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए *संख्या* एल०टी० 1469/2000]

(23) वर्ष 2000 2001 के बजट दस्तावेजों के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए *संख्या* एल०टी० 1470/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 2000-2001 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए *संख्या* एल०टी० 1471/2000]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फोरमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फोरमेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए *संख्या* एल०टी० 1472/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : महोदय, में निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए *संख्या* एल०टी० 1473/2000]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 72(अ) जो 27 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें साउथ इंडिया पेपर मिल्स लिमिटेड, मैसूर को अखबारी कागज उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए *संख्या* एल०टी० 1474/2000]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, श्री गिनगी एन० रामाचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए *संख्या* एल०टी 1475/2000]

(3) (एक) पावरलूम डवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कार)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए *संख्या* एल०टी 1476/2000]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए अंतरिक्ष विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए *संख्या* एल०टी 1477/2000]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए खान और खनिज मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए *संख्या* एल०टी 1478/2000]

अपराह्न 2.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : महोदय, मैं 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्य) के प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही' संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी अपना पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा) : सभापति महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04½ बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थाई समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों के बारे में दसवें प्रतिवेदन (12वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित वर्ष 1999-2000 अनुदानों के बारे में ग्यारहवें प्रतिवेदन (12वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित वर्ष 1999-2000 की अनुदानों की मांगों के बारे में बारहवें प्रतिवेदन (12वी लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 13 मार्च, 2000 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशाधेन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।
3. वर्ष 2000-2001 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
4. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :
   (क) वर्ष 2000-2001 के लिए अनुदान मांगे (लेखानुदान) (रेल)।
   (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल)।
5. वर्ष 2000-2001 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

6. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

(क) वर्ष 2000-2001 के लिए अनुदान मांगे (लेखानुदान) (सामान्य)।

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य)।

7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मद संख्या 15, श्री किरीट सोमैया।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अनुरोध का क्या होगा. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हां, कुछ देर इंतजार कीजिए। मैं अनुरोधों पर भी आऊंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, साधारण प्रक्रिया यह है कि मद...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, मैं अनुरोधों पर भी आऊंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, सभा में हमेशा यह प्रथा रही है कि संसदीय कार्य मंत्री के अगले सप्ताह के कार्यों को बताने से पहले, पहले की सूची में दी गई अन्य मदों को लिया जाता है। मद संख्या 15 पर श्री किरीट सोमैया का नाम है यदि आप अभी अनुरोध करेंगे तो श्री किरीट सोमैया के नाम से मद संख्या 15 को किस प्रकार लिया जा सकता है। जबकि अगले सप्ताह की कार्यसूची के तुरंत बाद हमेशा अनुरोध रखे जाते हैं। यदि आप सभा की सहमति से इसकी छूट देते हैं तभी श्री किरीट सोमैया को मौका मिल सकता है और वह अपने प्रस्ताव रख सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है अन्यथा वह इसे किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे ? कार्यसूची का क्रम पूर्णत: गड़बड़ा जाएगा।

सभापति महोदय : वह प्रस्ताव नहीं है वह तो याचिका रखी गई है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री किरीट सोमैया द्वारा याचिका प्रस्तुतीकरण से संबंधित मद संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य से संबंधित मद से काफी पहले रखी गई है। मैं समझता हूं कि आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। अनुरोधों के पश्चात ही उसे लिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उसे अनुरोध के पश्चात लिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है यदि सभा की यही राय है तो अनुरोधों के पश्चात...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, हमारे नियम 193 की चर्चा का क्या हुआ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उनकी याचिका अत्यंत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं अनुरोध करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय आप अगले सप्ताह की कार्यसूची को जारी करने संबंधी अनुरोधों को करने के लिए सदस्यों को अनुमति देने से पूर्व कृपया आप बिहार के श्री राजो सिंह और अन्य नेताओं को सुनिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मद संख्या 15, श्री किरीट सोमैया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसके पश्चात मैं अनुरोधों को लूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.09 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं श्री शैलेश पेडिया, महासचिव, निदेशक शिकायत मंच तथा श्री भरत कोटेचा, संयुक्त सचिव, निवेशक शिकायत मंच, मुम्बई द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका, जिसमें छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा संबंधी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है, प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.09½

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने मेरे सम्मुख सभी कार्यों को पूरा करने की सहमति जाहिर की है। कुछ अनुरोध और है। अनुरोधों के पश्चात मैं आपाक नाम पुकारूंगा। मैं अनुसूची के अनुसार चल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया. ..*(व्यवधान)*

श्री मदनलाल खुराना (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे बोलने दिया जाए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.10 बजे

सभा का कार्य

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए :

1. प्रो० सुमीत सरकार और श्री के०एम० पानीकार द्वारा लिखित 'टूवडर्स फ्रीड्म' के दो खंडों को रोकने संबंधी आई सी एच आर का निर्णय।
2. दिसंबर, 1995 में पुरुलिया जिला में आनंद मार्ग के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के पास घातक हथियारों का बड़ी मात्रा में गिराया जाना और आनंद मार्ग के शामिल होने और आनंदमार्गी को गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित करने के संबंध में सी बी आई की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र से इस संगठन की स्वैच्छिक संगठन के रूप में मान्यता वापस लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कई अनुरोध हैं और मैं एक-एक करके सदस्यों के नामों को पुकारूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत एक-दो वर्षों से वर्षा नहीं होने तथा सूखे और अकाल के कारण भयंकर पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। हैंडपम्प, कुएं, बावडियां सूख गए हैं। कई मीलों दूर जाकर पीने का मीठा पानी लाना पड़ता है। कई स्थानों पर खारे फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को विवश होना पड़ रहा है। भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट निवारण हेतु अविलंब एक आपातकालीन योजना बनाकर क्रियान्वित की जाए और बीसलपुर जल योजना से पानी की व्यवस्था करवाई जाए।

अजमेर राजस्थान के केन्द्र में स्थित है। यहां से सांप्रदायिकता सौहार्दता एवं कौमी एकता का संदेश सारे देश को प्राप्त होता है। किन्तु खेद है कि ऐसे पुराने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व के शहर में आकाशवाणी और दूरदर्शन के केवल रिले केन्द्र ही हैं। भारत सरकार के अनुरोध है कि अजमेर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों को कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों के रूप में स्वीकृति प्रदान कर क्रमोन्मत कर आवश्यक संसाधन अविलंब जुटाएं जाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : केवल तीन-चार अनुरोध और हैं। इन अनुरोधों को पूरा करने के पश्चात मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री चन्द्राकन्त खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए :

1. देश में बढ़ती हुई नक्सलवादी समस्या के बारे में चर्चा।
2. देश में गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय विधान लाने की आवश्यकता।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. देश के कुछ भागों में अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल होने वाले लोगों के बारे में पुलिस अधिकारियों को उन लोगों का ब्यौरा देने के लिए बाध्य करना और ऐसे समुदायों में शामिल होने से पूर्व पुलिस को सूचित करने की आवश्यकता के बारे में भी प्राधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किया गया भेदभाव।
2. कुछ लोगों द्वारा श्री नारायण गुरू की मूर्ति को तोड़ना ताकि उस समुदाय, जिसका नेतृत्व राजनीतिक दल द्वारा पसंद नहीं किया जाता, का दुष्प्रचार करना।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

1. 'यू०पी० रेगूलेशन ऑफ पब्लिक रिलिजियस बिल्डिंगस एंड प्लेसिस बिल, 2000' के विरुद्ध बढ़ते हुए सार्वजनिक असंतोष और आपत्ति के संबंध में सरकारी वक्तव्य और वैध मांग कि सरकार को चाहिए कि वह विधेयक पर सहमति न देने के लिए राष्ट्रपति महोदय को सलाह दें।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर पूर्व) : निम्नलिखित मदों को भी अलगे सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

1. पूंजी बाजार में, शेयर बाजार में अत्यधिक अस्थिरता बेईमान प्रोमोटरों-आपरेटरों द्वारा सैंकड़ों ऐसे शेयरों के मूल्यों में हेरा-फेरी जिनकी बाजार कीमत कुछ नहीं है। निधि के प्रवाह लघु निवेशकों के लिए किए गए सुरक्षा उपाय में हेरा-फेरी।

[श्री किरीट सोमैया]

2. विभिन्न राज्यों द्वारा घाटे की अर्थव्यवस्था, अधिक ऋणों के कारण राज्य 'ऋण जाल' में फंसे। राज्यों के वर्तमान ऋण और ब्याज दायित्व पर चर्चा करने की आवश्यकता।

डा० ए०डी०के० जयशीलन (तिरुचेंदूर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्न मदों को 10 मार्च 2000 को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान अलगे सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

1. तिरूनेलवेली और तिरूचेंदूर के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता; और

2. तमिलनाडु में तिरूचेंदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए वहां पीने के पानी के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, बिहार में केन्द्र सरकार के छः-छः मंत्री बैठ गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दिल्ली, सदर) : सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है। ये लोग पिछले महीने की 23 तारीख से सदन को नहीं चलने दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : खुराना जी, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। श्री दासमुंशी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दूंगा। श्री दासमुंशी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सर, हम न्याय मांग रहे हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। सर, पहले मुझे चर्चा करने का अवसर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं थोड़ी देर में अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा। पहले श्री मुलायम सिंह जी को बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं नियम 184 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)* महोदय, नियम 184 के अंतर्गत, इस सभा में एक प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति प्रदान की गई थी. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम नहीं जानते कि क्या उस प्रस्ताव पर चर्चा हो गई है अथवा नहीं और क्या अब उस प्रस्ताव पर नियम 193 के अधीन चर्चा की जाएगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, आपने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने का अवसर दिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मैं केवल न्याय चाहता हूं. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : हम जानना चाहते हैं कि इस सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दी जा रही है और क्या ये ही बोलते जाएंगे, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। फिर मै। आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, बिहार में केन्द्र सरकार के छः-छः मंत्री बैठ गए हैं। वहां खरीद-फरोख्त चल रही है। वहां अपराधियों का बोलबाला हो रहा है। केन्द्र सरकार की वहां शक्तियां लगी हुई हैं। भारत सरकार के मंत्री वहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद, कृपया एक मिनट। श्री दासमुंशी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)* मैं अपना अनुरोध बाद में करूंगा। आप पहले श्री मुलायम सिंह की बात सुनिए...*(व्यवधान)* मैं अपना अनुरोध बाद में करूंगा. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, मैंने आपका नाम पुकारा है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अभी कहिए।

[हिन्दी]

श्री आनंद गंगाराम गीते : सभापति महोदय, खुराना जी दस दिन से लगातार बोलने के लिए कह रहे हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.20 बजे

(इस समय प्रो० एस०पी० सिंह बघेल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सही नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सभा के बीचोंबीच आएं, तो क्या अन्य सदस्य भी सभा के बीचोंबीच नहीं आ सकते हैं ? आप जो कुछ बोलना चाहते हैं, अपने स्थान से बोलिए। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। जो माननीय सदस्य सभा के बीचोंबीच खड़े हैं वे वापस चले जाएंगे। मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह क्या तरीका है ?...*(व्यवधान)* आप पहले इन्हें बैठाइए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.22 बजे

(इस समय प्रो० एस०पी० सिंह बघेल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को अवसर दिया है। वह एक अनुरोध करना चाहते हैं। कृपया अध्यक्षपीठ को अपना सहयोग दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अपराह्न 2.23 बजे

(इस समय प्रो० एस०पी० सिंह बघेल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदय : आप बार-बार सभा के बीचोंबीच आ रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अन्य सदस्य सभा के बीचोंबीच नहीं आ रहे हैं। आप बार-बार बीच में क्यों आ रहे हैं ? यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर बोलिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर पूर्व) : सभापति जी, आज क्वश्चेन ऑवर भी नहीं होने दिया गया।...*(व्यवधान)* कोई चर्चा नहीं होने दी।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 2.25 बजे

(इस समय प्रो० एस०पी० सिंह बघेल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट। माननीय सदस्यों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, अपने स्थानों से कह सकते हैं। आप हर समय अनावश्यक रूप से सभा के बीचोंबीच क्यों आ जाते हैं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मदनलाल खुराना : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 24 तारीख मे बोलना चाहता हूं लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : ये नहीं चाहते कि हाउस चले और इनकी सारी घटनाओं का पर्दाफाश हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को अपनी बात कहने के लिए कहा है। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हां, श्री प्रियरंजन दासमुंशी आपका अनुरोध क्या है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : उन्हें उत्तर देना चाहिए कि उन्होंने प्रश्न-काल क्यों नहीं चलने दिया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मदनलाल खुराना, मैं आपको अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आइए श्री प्रियरंजन दासमुंशी की बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : मैं 24 तारीख से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मदनलाल खुराना, कृपया अध्यक्षपीठ को अपना सहयोग दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : सभापति जी, ये आपको ऐश्योर करें कि इसके बाद मुझे सुनेंगे।...*(व्यवधान)* पहले वह मुझे आश्वासन दें कि जब मैं बोलूंगा, वे कोई व्यवधान नहीं डालेंगे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) :

ये तो है मदनलाल खुराना
दिल्ली का बहुत बड़ा है पुराना
जिसने कभी नहीं भरा है जुर्माना

लेकिन आप लोग तो जुरमाना भरकर आए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री मदनलाल खुराना : मुलायम सिंह जी यह कहें कि इनके बाद मुझे बोलने देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। फिर मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं कह रहा हूं। देश के आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह जी ने इस ईशू पर मोशन दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मदनलाल खुराना : नहीं, नहीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप मुझे आदेश कैसे दे सकते हैं ? नहीं, नहीं...*(व्यवधान)* महोदय, वे मुझे आदेश कैसे दे सकते हैं ?. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मदनलाल खुराना मैंने श्री प्रियरंजन दासमुंशी को अपनी बात कहने की अनुमति दी है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने माननीय अध्यक्ष को सूचना दी है कि पहले वे नियम 184, के अधीन मामले का निपटान करें और फिर नियम 193 के अधीन बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों के बारे में मामले पर विचार करें जिसके बारे में श्री मुलायम सिंह यादव, मैंने और अन्य सदस्यों ने सूचना दी है कि इस मामले पर उपयुक्त तारीख को चर्चा की जाए...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता हूं कि वे इतने परेशान क्यों हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया आप अपने-अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने नियम 184 के अधीन एक मुद्दा उठाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा करें। मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मुझे कह रहे हैं कि बैठ जाइए। मैं तो कब से बैठा हूं। आप खुराना साहब को नहीं बैठा पाए।... *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : आप सभापति जी का तो सम्मान करिए। आप सभापति जी का भी सम्माननहीं करेंगे क्या ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री खुराना, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.30 बजे

अध्यक्ष पीठ द्वारा टिप्पणी

गुजरात सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध हटाने वाले आदेश से संबंधित मामले पर अल्पकालिक चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि गुजरात सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने पर से प्रतिबंध उठाने वाले आदेश से संबंधित मामले पर नियम 193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा 28 फरवरी, 2000 की कार्यसूची में शामिल की गई थी। श्री किरीट सोमैया जिन्होंने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी, व्यवधानों के कारण अपना भाषण पूरा नहीं कर सके थे, जिसके परिणामस्वरूप सभा स्थगित करनी पड़ी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, इस समय व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हम हाउस के अंदर मनमानी नहीं करने देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : आप उनको सुनने को भी तैयार नहीं हैं. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पहले ध्यानपूर्वक सुनें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा स्थगित करनी पड़ी थी।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : आपको सभापति महोदय से अनुरोध करना होगा। आप उनसे अनुरोध नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)* आप अध्यक्षपीठ का आदर नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रेड्डी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उस दिन के बाद व्यवधानों के कारण सभा कई दिनों तक स्थगित करनी पड़ी क्योंकि विपक्षी दल इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा करने को तैयार नहीं थे और नियम 184 के अधीन प्रस्ताव, जिसकी सूचना श्री माधव राव सिंधिया और अन्य सदस्यों ने दी थी, पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे।

8 मार्च, 2000 को माननीय प्रधान मंत्री ने सभा में वक्तव्य दिया कि सरकार इस विषय पर नियम 184 के अधीन चर्चा कराने के लिए तैयार है।

तथापि, इसी बीच गुजरात सरकार ने उक्त आदेश वापस ले लिया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए। आप अनावश्यक व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आपस में बात मत कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पी०आर० दासमुंशी ने अब माननीय अध्यक्ष को इस विषय पर नियम 184 के अधीन दी गई सूचनाओं तथा अधूरी रही अल्प कालिक चर्चा की स्थिति की जानकारी लेने के लिए पत्र लिखा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : गुजरात सरकार द्वारा आदेश वापस लेने के पश्चात् दिए गए प्रपत्र में दी गई सूचनाओं पर नियम 184 के अधीन चर्चा निरर्थक हो गई है। इसी आधार पर अल्प कालिक चर्चा के दौरान अधूरी रही चर्चा भी निरर्थक हो गई है और अब इस मामले पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.32 बजे

(इस समय प्रो० एस०पी० सिंह बघेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

सभापति महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दो।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी ने अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल की गतिविधियों तथा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के कार्यकरण के बारे में नियम 193 के अधीन 9 मार्च, 2000 को सूचना दी है। इससे पहले भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के कार्यकरण के बारे में सूचना श्री अजय चक्रवर्ती से प्राप्त हुई थी। ये सूचनाएं 'माननीय अध्यक्ष' के पास विचाराधीन हैं*

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही चलने दो।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि ये सभी सूचनाएं माननीय अध्यक्ष के पास विचाराधीन हैं। अत: कृपया सभा की कार्यवाही चलने दो।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर जाइए और वहां से बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले अपने स्थान पर जाइए, फिर मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं यहां से आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप पहले अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आप लोगों को बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.34 बजे

(इस समय प्रो० एस०पी० सिंह बघेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : सभापति महोदय, आपने जो नियम 193 में संशोधित रूलिंग दी है, वह मुझे मंजूर है। आप उनको भी कहें कि वे इसका सम्मान करें, आपकी रूलिंग के ऊपर अगर उन्होंने कुछ बोला तो वह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, मैंने यह कहा था कि नियम 193 के अधीन सूचना सहित सभी सूचनाएं माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन हैं। अत: सभा की कार्यवाही चलने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमें जबरदस्ती बैठा रहे हैं... *(व्यवधान)* आप ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस विषय पर आगे चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि हर कोई इस तरह बोलेगा तो मैं आप लोगों की बात कैसे सुन सकता हूं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अनावश्यक रूप से क्यों खड़े हैं ? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि हर कोई खड़ा होकर इस तरह बोले तो मैं किसी भी माननीय सदस्य को बोलने के लिए कैसे कह सकता हूं ? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा सोमवार, 13 मार्च, 2000 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 13 मार्च, 2000/23 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोक सभा वाद-विवाद(हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 10 मार्च, 2000/20 फाल्गुन, 1921(शक)
का
शुद्धि-पत्र
...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
18	4	-	जी हाँ, से पहले (क)
62	नीचे से 4 और अन्यत्र	श्री गिनगी एन॰रामाचन्द्रन	श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन
62	34	-	जी नहीं से पहले * का लोप किया जाए ।
226	5	वी धनन्जय कुमार	श्री वी॰धनन्जय कुमार
230	11	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
250	16	(क) से (घ)	(क) से (ग)

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।